VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

मार्च 2021

मासिक समसामयिकी

8468022022 | 9019066066 www.visionias.in

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था और शासन (Polity & Governance) 6

1.1. समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code: UCC) 6

1.2. कॉलेजियम प्रणाली (Collegium System) 8

1.3. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 {Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act (GNCTD), 2021} 11

1.4. सूचना का अधिकार (Right to Information: RTI) 14

1.5. आधार (Aadhaar) 17

1.6. निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण (Local Reservation in Private Sector) 20

1.7. शहरी स्थानीय निकायों में सुधार {Urban Local Bodies (ULBs) Reforms} 22

1.8. ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 (Ease of Living Index 2020) 25

1.9. लोक प्रयोजन डेटा (Public Intent Data) 26

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) 29

2.1. भारत-बांग्लादेश (India-Bangladesh) 29

2.2. भारत-कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया) द्विपक्षीय संबंध {India-Republic of Korea (South Korea) Bilateral Relations} 32

2.3. भारत और फारस की खाड़ी क्षेत्र (India and Persian Gulf region) 34

2.4. सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty: IWT) 37

2.5. क्वाड (Quad) 39

2.6. ब्रिक्स (BRICS) 42

2.7. स्वेज़ नहर (Suez Canal) 44

3. अर्थव्यवस्था (Economy) 48

3.1. राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक {National Bank For Financing Infrastructure And Development (NaBFID)} 48

3.2. न्यू अम्ब्रेला एंटिटी (New Umbrella Entity) 51

3.3. डिजिटल मुद्रा (Digital Currency) 54

3.4. बॉण्ड यील्ड्स (Bond Yields) 55

3.5. पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax) 57

3.6. इलेक्ट्रिक वाहन वित्तपोषण (Electric Vehicle Financing) 58

3.7. वाहन स्क्रैपिंग नीति (Vehicle Scrapping Policy: VSP) 60

4. सुरक्षा (Security) 64

4.1. महत्वपूर्ण अवसंरचना (Critical Infrastructure) 64

4.2. विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम {Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA)} 66

VISION IAS

5. पर्यावरण (Environment) 70

5.1. जल शक्ति अभियान: कैच द रेन अभियान (Jal Shakti Abhiyan: Catch the Rain)........70

5.2. राष्ट्रीय नदी-जोड़ो परियोजना (National River-Linking Project: NRLP)........72

5.3. बाढ़ प्रबंधन (Flood Management)........75

5.4. जलवायु-प्रत्यास्थ अनाज (Climate-Resilient Grains)........78

5.5. पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकन प्रणाली (SEEA) पारितंत्र लेखांकन {System of Environmental Economic Accounting (SEEA) Ecosystem Accounting (EA)}........81

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) 86

6.1. गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2020 {Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, 2020}........86

6.2. गैर-संचारी रोग (Non-Communicable Diseases)........88

6.3. प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi: PMSSN)........90

6.4. स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 {Swachh Survekshan (SS) 2021}........91

6.5. असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक {Commitment To Reducing Inequality (CRI) Index}........93

6.6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (National Food Security Act: NFSA, 2013)........94

6.7. भुखमरी और कुपोषण (Hunger and Malnourishment)........96

6.8. विश्व के देशज लोगों की स्थिति (State of the World's Indigenous Peoples)........100

6.9. विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 (World Happiness Report 2021)........103

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) 106

7.1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence: AI)........106

7.2. लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ब्यूटी एक्सपेरिमेंट {Large Hadron Collider Beauty (LHCb) Experiment}........110

7.3. ब्लैक होल का चुंबकीय क्षेत्र (Black Hole's Magnetic Field)........111

8. संस्कृति (Culture) 114

8.1. कुम्भ मेला (Kumbh Mela)........114

9. नीतिशास्त्र (Ethics) 116

9.1. भारत में पुलिस तंत्र में भ्रष्टाचार (Police Corruption In India)........116

9.2. नीतिपरक अर्थ संपदा सृजन (Ethical Wealth Creation)........118

10. सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएँ (Government Schemes in News) 121

10.1. प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana: PMMVY)........121

11. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Short) 122

11.1. राज्य निर्वाचन आयुक्त (State Election Commissioner: SEC)........122

11.2. उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 {Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991}........122

11.3. वर्ल्ड समिट ऑन इनफॉरमेशन सोसायटी फोरम 2021 (World Summit on Information Society Forum 2021)..123

11.4. वैक्सीन पासपोर्ट (Vaccine Passport)........123

11.5. 'फेथ फॉर राइट्स' पहल (Faith for Rights Initiative) 123

11.6. बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2021 {The Insurance (Amendment) Act, 2021} 124

11.7. प्रधान मंत्री ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया {PM Inaugurates Maritime India Summit 2021 Organised By Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MOPSW)} 124

11.8. केन्द्रीय संवीक्षा केंद्र और IEPFA मोबाइल एप्लिकेशन {Central Scrutiny Centre (CSC) & IEPFA Mobile App}124

11.9. प्रत्यक्ष बीज बुवाई चावल तकनीक {Direct Seeded Rice (DSR) Technique} 125

11.10. आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, 2021 (Economic Freedom Index, 2021) 125

11.11. मंत्रिमंडल ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति प्रदान की (Cabinet Approves Production Linked Incentive Scheme For Food Processing Industry)..126

11.12. अटल नवाचार मिशन-प्राइम (नवाचार, बाजार-तत्परता और उद्यमिता पर शोध कार्यक्रम) {AIM-PRIME (Program For Researchers on Innovations, Market-Readiness & Entrepreneurship)} 126

11.13. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत द्वारा हथियारों के आयात में कमी की गई {Arms Imports By India Falls: Report By Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)}..127

11.14. सुर्ख़ियों में रहे सैन्य अभ्यास (Military Exercises In News)..127

11.15. अर्थ ऑवर 2021 (Earth Hour 2021)..128

11.16. अर्ध-प्रतिध्वनित प्रवर्धन (Quasi-Resonant Amplification: QRA)..128

11.17. एल्युमीनियम-एयर बैटरी (Aluminium-Air Batteries) 129

11.18. मियावाकी शहरी वन प्रबंधन तकनीक (Miyawaki Technique of Urban Forest Management)..130

11.19. ईंट निर्माण क्षेत्र के लिए ऊर्जा दक्षता उद्यम (ई-3) प्रमाण-पत्र कार्यक्रम {Energy Efficiency Enterprise (E3) Certifications Programme for Brick Manufacturing Sector}..130

11.20. राइट टू रिपेयर (Right to Repair)..131

11.21. सरकार रैखिक से चक्रीय अर्थव्यवस्था में रूपांतरण के लिए प्रयासरत है (Government Driving Transition From Linear To Circular Economy)..131

11.22. आपदा अनुकूल अवसंरचना के लिए गठबंधन की वार्षिक बैठक का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया {3rd Edition of The Annual Conference of the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) held}..132

11.23. नवीन प्रजातियों की खोज (Species Discovered)..132

11.24. IUCN की रेड लिस्ट में अफ्रीकी हाथी की प्रजातियां अब एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत (African elephant species now Endangered and Critically Endangered - IUCN Red List)..133

11.25. विद्युत मंत्रालय ने सभी के लिए किफायती एल.ई.डी. के माध्यम से उन्नत ज्योति योजना (उजाला/UJALA) कार्यक्रम का शुभारंभ किया {Ministry Of Power Launches Gram Unnatjyoti By Affordable Leds For All (UJALA) Programme}..134

11.26. भारत की प्रथम अंतर्राज्यीय बाघ स्थान-परिवर्तन परियोजना विफल हो गई (India's First Interstate Tiger Translocation Project Fails) 135

11.27. फ़ूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 (Food Waste Index Report 2021) 135

11.28. महिला और बाल विकास मंत्रालय की सभी प्रमुख योजनाएं को 3 छत्रक योजनाओं के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया गया है (All Major Schemes of Ministry of Women and Child Development Classified Under 3 Umbrella Schemes)..135
11.29. विश्व टीकाकरण और लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन (World Immunisation & Logistics Summit)......................136
11.30. स्टॉप टी.बी. पार्टनरशिप (Stop TB Partnership)..137
11.31. स्वच्छता सारथी फेलोशिप (Swachhta Saarthi Fellowships)...137
11.32. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने "सुगम्य भारत ऐप" लॉन्च किया (Minister of Social Justice and Empowerment Launches "Sugamya Bharat App")..137
11.33. सीमांत प्रौद्योगिकियों में भारत एक बेहतर प्रदर्शनकर्ता (India an Over Performer in Frontier Technologies)..138
11.34. एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सलरेटर (ACT Accelerator)..138
11.35. अल सल्वाडोर मलेरिया मुक्त घोषित (El Salvador Certified as Malaria-Free)..139
11.36. P172 + 18 क्वैसर (P172+18 Quasar)..139
11.37. विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर "फुगाकू" उपयोग के लिए तैयार है (Fugaku: World's Most Powerful Supercomputer is Ready For Use)..139
11.38. औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद पुष्प कृषि मिशन (CSIR Floriculture Mission)...........................140
11.39. मार्शियन ब्लूबेरीज़ (Martian Blueberries)..140
11.40. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा साउंडिंग रॉकेट RH-560 का प्रक्षेपण किया गया (ISRO Launched Sounding Rocket RH-560)..140
11.41. विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग की व्यक्तिगत नवाचार, स्टार्ट-अप्स और MSMEs को प्रोत्साहन योजना {DSIR-Promoting Innovations In Individuals, Startups and MSMEs (DSIR-PRISM) Scheme}.............................141
11.42. भारत के प्रथम सौर मिशन में उपयोग की जाने वाली कोरोनल मास इजेक्शंस की निगरानी हेतु नवीन तकनीक {Novel Technique For Tracking Coronal Mass Ejections (CMES) To Be Used in India's First Solar Mission}......141
11.43. आर्कटिका-एम (ARKTIKA-M)..142
11.44. वर्ष 2019 और वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा (Gandhi Peace Prize for Year 2019 and 2020 Announced)..142
11.45. सुर्ख़ियों में रही जनजातियां (Tribes in News)..142

नोट:

प्रिय छात्रों,

करेंट अफेयर्स को पढ़ने के पश्चात् दी गयी जानकारी या सूचना को याद करना और लंबे समय तक स्मरण में रखना लेखों को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया है:

विभिन्न अवधारणाओं और विषयों की आसानी से पहचान तथा उन्हें स्मरण में बनाए रखने के लिए मैगज़ीन में बॉक्स, तालिकाओं आदि में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।

पढ़ी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और उसे स्मरण में बनाए रखने के लिए प्रश्न एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं। इसे सक्षम करने के लिए हम प्रश्नों के अभ्यास हेतु मैगज़ीन में प्रत्येक खंड के अंत में एक स्मार्ट क्विज़ को शामिल कर रहे हैं।

विषय को सुगमता पूर्वक समझने और सूचना के प्रतिधारण को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के इन्फोग्राफिक्स को भी जोड़ा गया है। इससे उत्तर लेखन में भी सूचना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण में मदद मिलेगी।

सुर्ख़ियों में रहे स्थानों और व्यक्तियों को मानचित्र, तालिकाओं और चित्रों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से स्मरण रखने में मदद मिलेगी।

1. राजव्यवस्था और शासन (Polity & Governance)

1.1. समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code: UCC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने देश में नागरिकों के लिए उत्तराधिकार और विरासत के लैंगिक एवं धार्मिक दृष्टि से तटस्थ आधार की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (Public Interest Litigation: PIL) पर केंद्र से उत्तर की मांग की है।

इस जनहित याचिका के बारे में

- यह विगत तीन महीनों में **समान नागरिक संहिता (UCC)** के तहत शामिल किए जाने वाले विभिन्न विषयों में से कुछ को समाहित करने वाले मुद्दों पर दायर चौथी जनहित याचिका है।
    - पूर्ववर्ती तीन जनहित याचिकाएं, समान दत्तक-ग्रहण कानूनों; समान विवाह-विच्छेद, भरण-पोषण और गुजारा भत्ता कानूनों; तथा विवाह के लिए एक समान व लैंगिक रूप से निरपेक्ष न्यूनतम आयु से संबद्ध मुद्दों से संबंधित थीं।

भारत में वैयक्तिक कानूनों का विधान (Governance of personal laws in India)

- भारत में वर्तमान में **विभिन्न धार्मिक समुदाय वैयक्तिक कानूनों के तंत्र द्वारा शासित** किए जाते हैं। ये कानून मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं:
    - विवाह और विवाह-विच्छेद (तलाक),
    - अभिरक्षा (Custody) और संरक्षकत्व (Guardianship),
    - दत्तक ग्रहण (गोद लेना) और भरण-पोषण, तथा
    - उत्तराधिकार और विरासत।
- **हिन्दू वैयक्तिक कानून चार अधिनियमों में संहिताबद्ध हैं:** हिन्दू विवाह अधिनियम, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकत्व अधिनियम (Hindu Minority and Guardianship Act) एवं हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम।
    - इन कानूनों में **'हिन्दू'** शब्द के अंतर्गत **सिख, जैन** और **बौद्ध** भी सम्मिलित किए गए हैं।
- **मुस्लिम वैयक्तिक कानून वास्तव में संहिताबद्ध नहीं है** और **यह उनके धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है।**
- पूर्वोत्तर में, 200 से अधिक जनजातियों के अपने विविध प्रथागत कानून हैं। संविधान **नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में स्थानीय रीति-रिवाजों के संरक्षण** का प्रावधान करता है। यहां तक कि संशोधित हिंदू कानून भी, संहिताकरण के बावजूद, प्रचलित प्रथाओं का संरक्षण करता है।
- **वर्तमान में गोवा, समान नागरिक संहिता वाला भारत का एकमात्र राज्य है।**
    - **वर्ष 1867 की पुर्तगाली नागरिक संहिता** (जो वर्ष 1961 में भारत द्वारा गोवा को विलय किए जाने के उपरांत भी कार्यान्वित है) गोवा में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होती है, भले ही **उनका धार्मिक या नृजातीय समुदाय** कुछ भी हो।
    - हालांकि, पुर्तगाली संहिता पूर्णतया समान नागरिक संहिता नहीं है। इसमें कुछ प्रावधान धार्मिक आधारों पर किए गए हैं। सबसे विवादित उपबंध यह है कि यदि **पत्नी** 25 वर्ष की आयु तक किसी भी बच्चे को या 30 वर्ष की आयु तक लड़के को जन्म देने में विफल रहती है तो **हिंदू पुरुष दूसरा विवाह** कर सकता है।

समान नागरिक संहिता (UCC) के बारे में

- **समान नागरिक संहिता ऐसे एकल कानून** को संदर्भित करती है, जो **भारत के सभी नागरिकों पर उनके व्यक्तिगत मामलों,** जैसे- विवाह, विवाह-विच्छेद, अभिरक्षा, दत्तक-ग्रहण और विरासत के संदर्भ में लागू होता है।

- UCC का उद्देश्य वर्तमान में विभिन्न धार्मिक समुदायों के भीतर पारस्परिक संबंधों और संबंधित मामलों को शासित करने वाले भिन्न-भिन्न प्रकार के **व्यक्तिगत कानूनों (personal laws) के तंत्र को प्रतिस्थापित करना है।**
- **संविधान का अनुच्छेद 44** यह प्रावधान करता है कि 'राज्य संपूर्ण भारत के राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।'
  - अनुच्छेद 44 **राज्य की नीति के निदेशक तत्वों** में से एक है। जैसा कि **अनुच्छेद 37** में परिभाषित किया गया है, ये तत्व **न्यायपरक** (किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय) नहीं हैं परन्तु, इनमें निर्धारित किए गए सिद्धांत **शासन** के मूलभूत तत्व हैं।

विशिष्टता	समान नागरिक संहिता के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क	समान नागरिक संहिता के विरुद्ध दिए जाने वाले तर्क
यह भारतीय कानूनी प्रणाली को सरल करती है	• यह वर्तमान में धार्मिक मान्यताओं के आधार पर निर्मित किए गए **भिन्न-भिन्न कानूनों,** जैसे कि हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून और अन्य कानूनों को सरल करती है। • **विवाह समारोहों,** विरासत, उत्तराधिकार व दत्तक-ग्रहण से संबंधित **जटिल कानूनों को सरल करती** है तथा उन्हें सभी के लिए एक जैसा बनाती है। • **इसके चलते समान सिविल कानून सभी नागरिकों पर लागू होगा,** भले ही उनका धर्म-संप्रदाय कुछ भी हो।	• **भारतीय कानून अधिकतर सिविल मामलों में एक समान संहिता का पालन करते हैं,** जैसे कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, सिविल प्रक्रिया संहिता, माल-विक्रय अधिनियम, संपत्ति-अंतरण अधिनियम, साझेदारी अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम आदि। • राज्यों ने सैकड़ों संशोधन किए हैं और इसलिए, कुछ मामलों में **इन धर्मनिरपेक्ष सिविल कानूनों के अंतर्गत भी विविधता** विद्यमान है। • इसलिए, एक समान नागरिक संहिता **व्यवहार्य नहीं है।**
संसद की विधायी शक्ति	• **उच्चतर न्यायपालिका** की कई न्यायिक घोषणाओं ने किसी न किसी रूप में **समान नागरिक संहिता का पक्ष लिया** है। • **संसद** इन न्यायिक घोषणाओं को लागू करने के लिए **कानून बना सकती है।** कुछ प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं: ○ **मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम वाद, 1985:** शीर्ष न्यायालय ने यह घोषणा की थी कि शाह बानो, इद्दत की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् भी भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार हैं। ○ **सरला मुद्गल बनाम भारत संघ वाद, 1995:** शीर्ष न्यायालय ने संसद द्वारा ऐसी समान नागरिक संहिता का निर्माण करने की आवश्यकता को दोहराया था, जो विचारधाराओं के आधार पर उत्पन्न होने वाले विरोधाभासों का निराकरण कर राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक सिद्ध हो सके।	• **संसद को वैयक्तिक कानूनों पर अनन्य अधिकारिता प्राप्त नहीं है:** यदि संविधान निर्माताओं का आशय समान नागरिक संहिता का रहा होता, तो उन्होंने इस विषय को संघ सूची में शामिल करके वैयक्तिक कानूनों के संबंध में संसद को अनन्य अधिकार क्षेत्र प्रदान किया होता। • परंतु **"वैयक्तिक कानूनों" का उल्लेख समवर्ती सूची में किया गया है।**
समान नागरिक संहिता और मूल अधिकार	• **लैंगिक आधार पर न्याय:** अधिकतर धार्मिक या प्रचलित वैयक्तिक कानून पुरुषों के पक्ष में झुकाव रखते हैं। वैयक्तिक कानून न केवल **अनुच्छेद 21** के अंतर्गत गारंटीकृत जीवन, स्वतंत्रता और **गरिमा** के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, अपितु पितृसत्तात्मक रूढ़िवादी विचार को भी सुदृढ़ करते हैं। इसलिए, **लैंगिक समानता लाने के लिए** समान नागरिक	• **धर्मनिरपेक्ष राज्य को वैयक्तिक कानून में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए:** समान नागरिक संहिता को कई लोगों द्वारा **अनुच्छेद 25** के अंतर्गत प्रदान किए गए गारंटीकृत मूल अधिकारों (व्यक्ति का धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार), **अनुच्छेद 26(b)** (धर्म के मामलों में प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने मामलों के प्रबंधन का अधिकार) और

	संहिता समय की मांग है। • **धर्म और वैयक्तिक कानून पृथक-पृथक मार्ग हैं: एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ वाद** में, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि धर्म व्यक्तिगत विश्वास का मामला है और इसे धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। **धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को केवल राज्य द्वारा कानून बनाकर ही विनियमित किया जा सकता है।**	**अनुच्छेद 29** (विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण का अधिकार) के विपरीत माना जाता है। ○ **अनुच्छेद 25** "लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य व नैतिकता" और मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अधीन है, परन्तु, **अनुच्छेद 26** के तहत किसी समूह की स्वतंत्रता को अन्य मूल अधिकारों के अधीन नहीं किया गया है।
समान नागरिक संहिता और देश की विविधता	• **राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देती है:** विभिन्न धार्मिक समूहों के लिए पृथक-पृथक कानून साम्प्रदायिकता को जन्म देते हैं। • व्यक्तिगत मामलों के विभिन्न पहलुओं को शासित करने वाला एकल धर्मनिरपेक्ष कानून **एकता और राष्ट्रीय चेतना की भावना** सृजित करेगा।	• **देश की विविधता के विरुद्ध:** इसमें संशय रहा है कि क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक और विविधतापूर्ण देश में कभी वैयक्तिक कानूनों की एकरूपता हो सकती है। • **राष्ट्रीय सहमति का अभाव:** समान नागरिक संहिता अभी भी राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है। अभी भी ऐसे कई संगठन हैं, जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों का पक्ष समर्थन करते हैं और साथ ही कई धार्मिक नेता समान नागरिक संहिता का विरोध करते हैं।

आगे की राह

- **आम सहमति का अभाव:** समान नागरिक संहिता लागू नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसके लिए व्यापक सहमति की आवश्यकता है। यहां तक कि संविधान सभा की बहस में भी यह उल्लेख किया गया था कि किसी भी समुदाय के प्रबल विरोध की उपेक्षा करते हुए समान नागरिक संहिता लागू करना अविवेकपूर्ण होगा। समान नागरिक संहिता और **अनुच्छेद 44** के महत्व के बारे में प्रभावी सूचना, शिक्षा और संचार की कार्यप्रणाली इस विषय में राष्ट्रीय सहमति विकसित करने की दिशा में सहायक सिद्ध हो सकती है।
- **वैयक्तिक कानूनों में सुधार:** समान नागरिक संहिता पर आम सहमति के अभाव में, भारत के लिए सर्वोत्तम आगे की राह यह हो सकती है कि वैयक्तिक कानूनों की विविधता को तो संरक्षित किया जाए, परन्तु साथ ही यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि ये विविधताएं मूल अधिकारों के समक्ष बाधा उत्पन्न न करें।
  - **वर्ष 2018 में भारत के विधि आयोग** ने एक परामर्श-पत्र में उल्लेख किया था कि **"देश में अभी इस अवस्था में समान नागरिक संहिता न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है"**। हालांकि, आयोग विवाह और विवाह-विच्छेद के विषय में कुछ ऐसे उपायों का सुझाव देता है, जिन्हें सभी धर्मों के वैयक्तिक कानूनों में समान रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए।
- एक ऐसी **आदर्श** समान नागरिक संहिता को अधिनियमित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिसमें **सभी वैयक्तिक कानूनों के सर्वोत्तम तत्वों का समावेश किया गया हो।** यह विविध प्रकार के वैयक्तिक कानूनों के उत्तम भागों को मिलाकर निर्मित किया गया होना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत एक एक पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। धर्म की स्वतंत्रता हमारी संस्कृति का मूल है। परंतु ऐसी धार्मिक प्रथाएं, जो मानवाधिकारों और मानवीय गरिमा को क्षति पहुँचाती हों तथा नागरिक एवं भौतिक स्वतंत्रता को संकटग्रस्त करती हों, वे स्वायत्तता का नहीं बल्कि उत्पीड़न का प्रतीक हैं। इसलिए, एक ऐसी एकीकृत संहिता अत्यावश्यक है, जो लोगों को शोषण से सुरक्षा प्रदान करे और राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बढ़ावा दे।

1.2. कॉलेजियम प्रणाली (Collegium System)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों के लिए **कॉलेजियम द्वारा की गई 55 नामों की अनुशंसाओं की स्थिति पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।**

अन्य संबंधित तथ्य

- लंबित 44 नामों की अनुशंसाएं कलकत्ता, मध्य प्रदेश, गुवाहाटी, राजस्थान और पंजाब उच्च न्यायालयों में **रिक्त पदों** को **भरने** के लिए की गई थीं।
    - हालांकि, ये अनुशंसाएं **सरकार** के पास सात माह से लेकर एक वर्ष से अधिक समय से **लंबित हैं।**
- शेष नाम कॉलेजियम द्वारा बार-बार दोहराए जाने के उपरांत भी सरकार के समक्ष लंबित हैं।

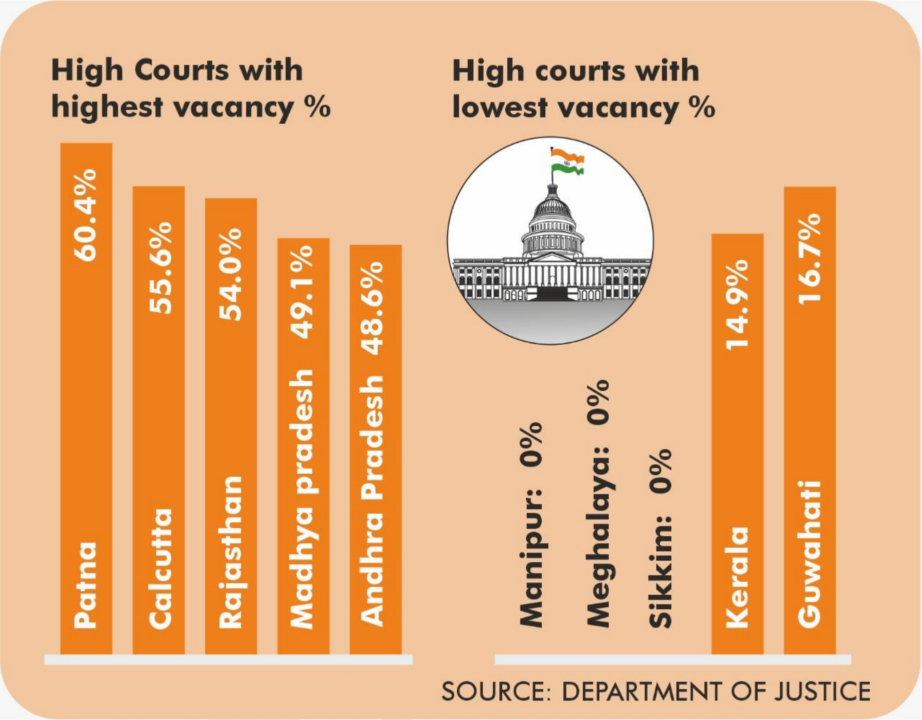

भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली

- **संवैधानिक अधिदेश:** भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 124** के तहत यह प्रावधान किया गया है कि, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के और राज्य के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात्, जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजनार्थ परामर्श करना आवश्यक समझे, अपने हस्ताक्षर व मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा।
    - जबकि **उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति** हेतु **राष्ट्रपति (अनुच्छेद 217 के तहत)** को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना चाहिए।

तीन न्यायाधीशों के मामले (Three Judeges Cases)

प्रथम न्यायाधीश वाद, 1981 अथवा एस.पी. गुप्ता वाद	इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई अनुशंसा को राष्ट्रपति द्वारा "ठोस कारणों" के आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है। इससे कार्यपालिका को अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त हो गए।
द्वितीय न्यायाधीश वाद, 1993	• इसे "सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ" वाद भी कहा जाता है। • भारत के मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरणों के मामले में केवल 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करने की आवश्यकता है। • हालांकि, नियुक्ति को लेकर कार्यपालिका द्वारा प्रकट की गई आपत्ति पर कॉलेजियम अपनी अनुशंसाओं में परिवर्तन कर भी सकता है और नहीं भी, जो कार्यपालिका के लिए बाध्यकारी होती है।
तृतीय न्यायाधीश वाद, 1998	भारत के मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरणों पर अपनी राय बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए।

- **कॉलेजियम प्रणाली:** यह एक ऐसी प्रणाली है, जहां भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति, जिसमें उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठ न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के तीन सदस्य (उक्त उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के मामले में), उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों में **नियुक्तियों तथा स्थानांतरण से** संबंधित निर्णय लेते हैं।
    - **तीन न्यायाधीशों के मामलों (three judges cases)** पर वर्ष 1981 से वर्ष 1998 के बीच सुनवाई हुई थी, जिनके माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए **कॉलेजियम प्रणाली** निर्धारित की गई है।

भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति / कॉलेजियम प्रणाली में निहित मुद्दे

- **न्यायाधीशों को न्यायाधीशों द्वारा नियुक्त किया जाना:** यह कार्यप्रणाली कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य **शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत** के विरुद्ध है। यह पद्धति एक शाखा द्वारा दूसरी शाखा पर नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था बनाए रखे जाने के सिद्धांत (जो संविधान की मूल संरचना है) के भी विरुद्ध है। यह कार्यप्रणाली अन्य शाखाओं पर न्यायपालिका के वर्चस्व को दर्शाती है।
- **न्याय प्रणाली में भाई-भतीजावाद:** यह दृष्टिगोचर हुआ है कि उच्च न्यायालयों में कई न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं के मध्य रक्त संबंध हैं।
- **भ्रष्ट आचरण:** न्यायपालिका के भीतर भ्रष्ट आचरण और राजनीति व्याप्त है, जबकि होना यह चाहिए कि यह न केवल राजनीतिक प्रभावों से मुक्त हो अपितु अपने परस्पर संबंधों के प्रभावों से भी मुक्त हो।
- **गुप्त रूप से संचालित होने वाली कार्यप्रणाली:** औपचारिक और पारदर्शी प्रणाली के बिना गोपनीय रीति से संपन्न होने वाली कार्यप्रणाली नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में आशंका उत्पन्न करती है।
- **प्रशासनिक बोझ:** पृथक सचिवालय न होने या नियुक्ति किए जाने के लिए उम्मीदवारों की व्यक्तिगत और पेशेवर पृष्ठभूमि की जांच हेतु एक तंत्र के अभाव के कारण, न्यायाधीशों को नियुक्त करने तथा स्थानांतरित करने का प्रशासनिक बोझ काफी बढ़ जाता है।
- **औसत दर्जे के उम्मीदवारों को प्रोत्साहन:** उच्चतम न्यायालय में नियुक्तियों के लिए उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों को ही उम्मीदवार बनाए जाने के कारण, नियुक्ति हेतु सीमित उम्मीदवार ही होते हैं, जिससे कई प्रतिभाशाली न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं की उपेक्षा होती है।

संबंधित तथ्य

- **राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (National Judicial Appointment Commission: NJAC): 99वें संविधान संशोधन अधिनियम** ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तावित संवैधानिक निकाय के रूप में NJAC गठित किया था।
  - हालाँकि, उच्चतम न्यायालय ने **इस अधिनियम को रद्द कर दिया था, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता** और **कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता था**, जो संविधान की एक मूल विशेषता है। इस प्रकार, न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली यथावत बनी हुई है।
- **प्रारूप प्रक्रिया ज्ञापन, 2016 (Draft Memorandum of Procedure, 2016):** सरकार ने उच्चतर न्यायपालिका में नियुक्तियां करने के लिए नए दिशा-निर्देशों का प्रारूप तैयार किया था। हालांकि, **अभी भी सरकार और न्यायपालिका के मध्य इस विषय पर सहमति का अभाव है।**

न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा सकने वाले कदम

- **सूचना का सार्वजनिक प्रकटीकरण:** उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने अपनी अनुशंसाओं के कारणों को व्यक्त करने (प्रकटीकरण करने) का निर्णय लिया है, जो न्यायिक नियुक्तियों के विषय में गोपनीयता की संस्कृति को कम करता है।
- **डेटाबेस को अपडेट किया जाना:** संभावित उम्मीदवारों के पूर्ण और आवधिक अद्यतित डेटाबेस को जनता के लिए अवश्य सुलभ बनाया जाना चाहिए।
- **सार्वजनिक आदान (इनपुट):** अवमानना और मानहानि तथा गोपनीयता के कानूनों से नागरिकों को प्रतिरक्षा प्रदान करते हुए भावी नियुक्ति हेतु संक्षिप्त सूचीबद्ध उम्मीदवारों के संबंध में उनसे विचार मांगे जाने चाहिए।
- **नियुक्ति के लिए मानदंड:** कार्य-प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और उपयुक्तता का निर्धारण करने लिए पात्रता मानदंडों को निष्पक्ष रूप से तैयार किया जाना चाहिए तथा इन्हें सार्वजनिक भी किया जाना चाहिए। नियुक्ति या गैर-नियुक्ति के कारणों को केवल ऐसे मानदंडों की कसौटी के संदर्भ में ही उचित रीति से समझा जा सकता है।
- **शक्ति संतुलन:** विधि आयोग ने अपनी वर्ष 2008 और वर्ष 2009 की रिपोर्टों में सुझाव दिया था कि संसद को भारत के मुख्य न्यायाधीश की सर्वोच्चता को यथावत् स्थापित करने वाला कानून पारित करना चाहिए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका की भी भूमिका हो।
- **सरकार की तीनों शाखाओं का समाविष्ट होना:** न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। यह केवल तभी संभव है जब नियुक्तियों की प्रक्रिया में दो अन्य शाखाओं अर्थात् कार्यपालिका और विधायिका को भी शामिल किया जाए।
  - यह प्रणाली उम्मीदवारों के विषय में दर्ज की गई सभी सूचनाओं को ध्यान में रखेगी और नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की अनुशंसा करेगी। यह प्रणाली **न्यायिक स्वतंत्रता को सुदृढ़ करेगी।**

- **भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट:** भारतीय विधि आयोग ने अपनी **230वीं रिपोर्ट** में अनुशंसा की है कि ऐसे न्यायाधीश, जिनके परिचित और संबंधी उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें उसी उच्च न्यायालय में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।
- कॉलेजियम विचार-विमर्श का **एक पूर्ण वीडियो / ऑडियो रिकॉर्ड** किया जाना चाहिए।

न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता का महत्व /आवश्यकता

- **सत्यनिष्ठा में वृद्धि:** पारदर्शिता एक व्यापक सिद्धांत है, जो प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा बढ़ाने के साथ-साथ जनता के विश्वास को भी वर्धित करने के लिए आवश्यक होता है।
- **सूचना के अधिकार अधिनियम का अनुपालन:** न्यायिक नियुक्तियां करने के लिए निर्धारित मानदंडों का सार्वजनिक प्रकटीकरण करने से **सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4** का उद्देश्य और अधिदेश पूर्ण होगा तथा प्रक्रिया में जनता के विश्वास का सृजन होगा।
- **जवाबदेही को बढ़ावा देता है:** न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने से जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा, भ्रष्टाचार का अंत करना संभव होगा और न्यायिक नियुक्तियों में मनमानी के उच्छेदन में सहायता मिलेगी।
- **सार्वजनिक क्षेत्र:** न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ के अनुसार, **उच्चतर न्यायपालिका** में न्यायाधीशों के **चयन और नियुक्ति** का आधार अवश्य ही **परिभाषित किया जाना चाहिए** तथा इसे सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

न्यायपालिका में लोगों का अत्यधिक विश्वास होता है। यह संवैधानिक शासन की विशिष्ट शाखा है। इसे केंद्र और राज्य दोनों में राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री या मुख्यमंत्रियों एवं विधान-मंडलों द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों का पुनर्विलोकन करने का अधिकार प्राप्त है। यह लोगों के मूल अधिकारों की वास्तविक संरक्षक होती है।

1.3. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 {Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act (GNCTD), 2021}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021** या **GNCTD (संशोधन) अधिनियम, 2021** पारित किया गया है।

अनुच्छेद 239AA

- **69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991** द्वारा संविधान में अनुच्छेद 239AA का समावेश किया गया था। इसमें दिल्ली को सभी संघ राज्यक्षेत्रों में एक विशिष्ट दर्जा प्रदान किया गया है। दिल्ली में विधानसभा और मंत्री-परिषद् का सृजन किया गया है। यह मंत्री-परिषद् विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।
- दिल्ली की विधान सभा को **लोक व्यवस्था, पुलिस** और **भूमि** (इस संबंध में विधि निर्माण करने की शक्ति संघ सरकार को प्राप्त है) को छोड़कर सभी विषयों पर विधि निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है।
- **राज्य सूची व समवर्ती सूची के शेष मामलों** (जहां तक कि ऐसा कोई मामला संघ राज्यक्षेत्रों पर लागू होता है) के लिए विधान सभा को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र हेतु विधान निर्मित करने की शक्ति प्राप्त होगी।

इस अधिनियम की आवश्यकता क्यों?

- वर्ष 2021 के अधिनियम के माध्यम से **GNCTD अधिनियम, 1991 में संशोधन किए गए हैं।** इस अधिनियम के द्वारा दिल्ली विधान सभा एवं उपराज्यपाल (LG) को राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के शासन की संवैधानिक योजना के अनुरूप कुछ शक्तियां एवं दायित्व प्रदान किए गए हैं।
    - **इसमें विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध को प्रोत्साहित किया गया है।**
- केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि नियमों का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1991 के अधिनियम में कोई संरचनात्मक व्यवस्था नहीं थी।

- **GNCTD अधिनियम, 1991 में इस उपबंध को लेकर भी कोई स्पष्टता नहीं थी कि किस प्रकार के प्रस्ताव या विषयों** को कोई आदेश जारी करने से पूर्व उपराज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करना है।
- केंद्र ने यह भी तर्क दिया है कि यह संशोधन **"माननीय उच्चतम न्यायालय की उस व्याख्या को प्रभावी बनाने के लिए** किया गया है, जो उसने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र बनाम भारत संघ वाद, 2018 में निर्धारित की थी।"

GNCTD (संशोधन) अधिनियम, 2021 के बारे में

विनिर्देश	**GNCTD (संशोधन) अधिनियम, 2021**	**उच्चतम न्यायालय का निर्णय**
"सरकार" (government) का अर्थ	• विधान सभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में **"सरकार" शब्द का अर्थ उपराज्यपाल (L-G) होगा।**	• उपराज्यपाल, उन मामलों पर मंत्रि-परिषद् की सहायता और परामर्श के लिए बाध्य है, **जो प्रत्यक्ष रूप से उपराज्यपाल के नियंत्रण में नहीं हैं।**
कार्यकारी आदेशों पर उपराज्यपाल की सहमति	• मंत्रिमंडल या किसी मंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिए गए निर्णयों पर **किसी भी कार्यकारी कार्रवाई से पूर्व उपराज्यपाल का मत प्राप्त किया जाएगा।**	• **पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि संबंधी** मामलों को छोड़कर उपराज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं है। • **परंतु, मंत्रि-परिषद् के निर्णयों से** उपराज्यपाल **को अवगत कराना होगा।** • उपराज्यपाल की **पूर्व सहमति प्राप्त करने को अनिवार्य बनाना प्रतिनिधिक शासन के आदर्शों और संविधान के अनुच्छेद 239AA द्वारा** दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए अपनाए गए लोकतंत्र के विरुद्ध होगा।
निर्वाचित सरकार द्वारा नियम निर्माण	• विधान सभा, दिल्ली के प्रशासन से संबंधित दिन-प्रतिदिन के मामलों पर विचार करने या प्रशासन के संबंध में जांच इत्यादि करने के लिए स्वयं को या अपनी किसी समिति को सक्षम करने हेतु कोई नियम नहीं बनाएगी। • GNCTD (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रभावी होने से पूर्व **इस प्रावधान का उल्लंघन करके बनाया गया कोई भी नियम अमान्य होगा।**	
विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों को L-G की स्वीकृति	• उन विधेयकों पर स्वीकृति को लंबित करने या उन्हें राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सुरक्षित रखने की शक्ति उपराज्यपाल को प्रदान की गई है, जो संयोगवश किसी ऐसे मामले को शामिल करते हैं, जो विधान सभा को प्रदत्त शक्तियों के दायरे से बाहर हैं। ○ अनुच्छेद 239AA (4) के अंतर्गत यदि L-G की किसी विषय पर निर्वाचित सरकार से असहमति है, तो उसे उस मामले को राष्ट्रपति को प्रेषित करने की शक्ति प्राप्त है।	

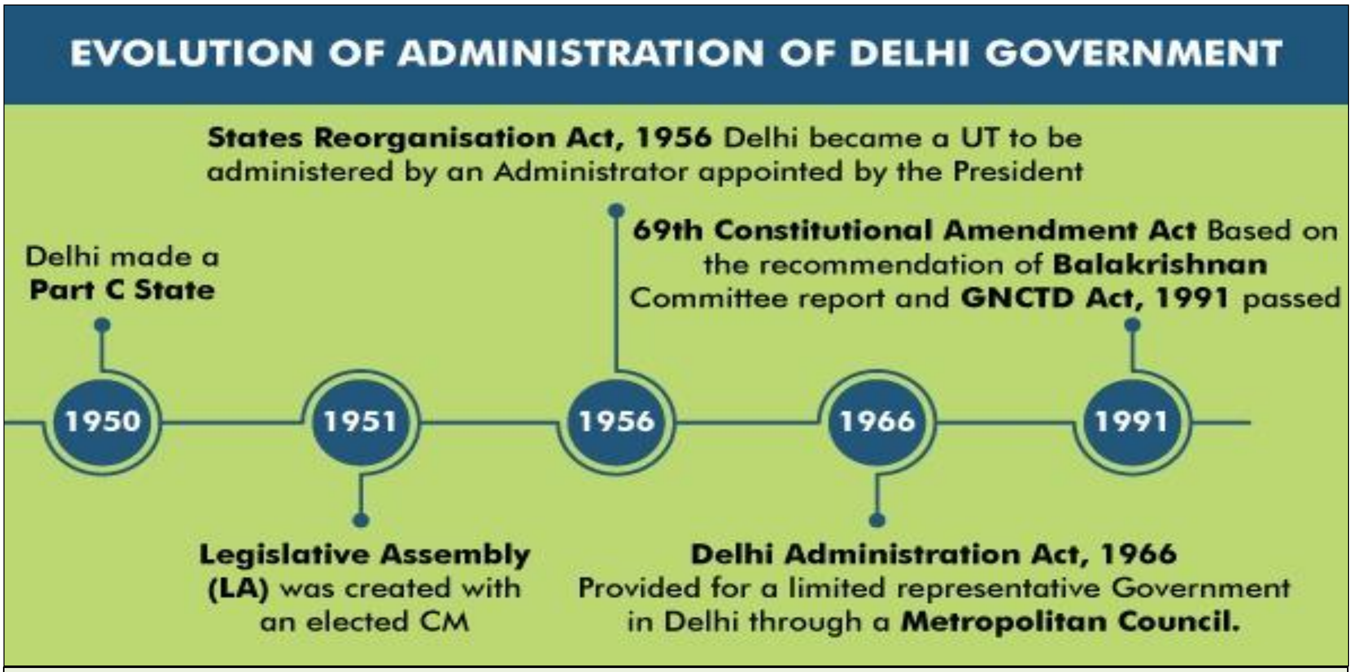

इस कानून का महत्व

- यह **केंद्र सरकार और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार के मध्य पूर्ण समन्वय** सुनिश्चित करेगा तथा विधायी विषयों में कोई अतिक्रमण नहीं होगा।
- **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से संपन्न होना चाहिए।** साथ ही, इसके हितधारकों की भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों में अस्पष्टता से किसी भी प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।
- यह **दिल्ली सरकार के हितधारकों के लिए एक रचनात्मक नियम आधारित फ्रेमवर्क उपलब्ध कराएगा**, ताकि केंद्र सरकार के साथ मिलकर कार्य किया जा सके।

इस कानून से संबंधित मुद्दे

- **उपराज्यपाल को अत्यधिक शक्तियां:** इस अधिनियम में शक्ति के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति मौजूद है, क्योंकि इसमें निर्वाचित सरकार की बजाय नामनिर्दिष्ट L-G को वास्तविक शक्तियां प्रदान करने का समर्थन किया गया है।
- **सरकार के प्रतिनिधिक रूप को कम करता है:** L-G (जो सरकार का पर्याय होगा) के लिए विधान सभा द्वारा पारित किसी अधिनियम को लागू करने या सदन के निर्देशों का पालन करने की कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि वह विधान सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है।
- **सहकारी संघवाद के विरुद्ध:** यह कानून न केवल सहकारी संघवाद के विरुद्ध है, बल्कि वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मूल सिद्धांतों के भी खिलाफ है।
- **उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध: पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वाद, 2002** में, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि विधायिका के पास न्यायालय के निर्णय की उपेक्षा करने की शक्ति नहीं है। यह केवल उस आधार में परिवर्तन कर सकती है, जिस पर न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया था और एक सामान्य कानून बना सकती है।
- **विधायी अव्यवस्था:** दिल्ली की निर्वाचित सरकार को L-G की राय के लिए अंतहीन समय तक प्रतीक्षा करनी होगी और वह अपने निर्णयों को निष्पादित नहीं कर सकेगी। इस प्रकार से निर्वाचित सरकार निष्क्रिय हो जाएगी।
- **अधिनियम का त्वरित रूप से पारित होना:** इस अधिनियम को अति शीघ्रतापूर्वक पारित किया गया है। इसे चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था।

अन्य संबंधित तथ्य

पुडुचेरी का मामला

- पूर्व में, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने पुडुचेरी सरकार के प्रतिदिन के कार्य में **L-G द्वारा लगातार हस्तक्षेप** करने और कथित रूप से एक समानांतर प्रशासन चलाने का **विरोध किया था।**

- मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के वर्ष 2017 के स्पष्टीकरण को खारिज करते हुए निर्णय दिया था **कि L-G को मंत्रि-परिषद् की सहायता और सुझाव से कार्य करना चाहिए** तथा सरकार के दिन प्रतिदिन के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
- **अनुच्छेद 239A** संसद को पुडुचेरी के लिए कानून बनाने की अनुमति प्रदान करता है। इस प्रकार, संसद ने **संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 अधिनियमित किया था।** इसके अनुसार, पुडुचेरी में **राज्य सूची या समवर्ती सूची** में उल्लिखित **किसी भी विषय पर** कानून बनाने का अधिकार विधान सभा में निहित है।

आगे की राह

- **सहमति आधारित दृष्टिकोण:** अधिनियम को चयन समिति को प्रेषित किया जा सकता था और कृषि कानूनों की भांति शीघ्रता से पारित नहीं किया जाना चाहिए था। इस प्रकार के विषयों में सहमति का समावेश संघवाद के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित उच्च सिद्धांतों के अनुरूप भी होगा।
- **दिल्ली के लिए मिश्रित संतुलन:** किसी लोकतंत्र में वास्तविक और अधिकांश शक्ति निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित होती है और वे विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
  - दिल्ली के विशेष दर्जे एवं दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र होने के **मूल सरोकार** को ध्यान में रखते हुए एक **मिश्रित संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए।**
- **लोकतांत्रिक एवं अन्य सिद्धांतों को बरकरार रखना:** इस अधिनियम को **भागीदारी परक लोकतंत्र, सहकारी संघवाद, सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व** और सबसे बढ़कर संवैधानिक नैतिकता को बरकरार रखना चाहिए।

1.4. सूचना का अधिकार (Right to Information: RTI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission: CIC) ने अपनी **वार्षिक रिपोर्ट** (वर्ष 2019-20 के लिए) जारी की है। इस रिपोर्ट में केंद्र सरकार के साथ-साथ संघ राज्यक्षेत्रों के **2,000 से अधिक लोक प्राधिकारियों** से संबंधित सूचनाएं शामिल हैं।

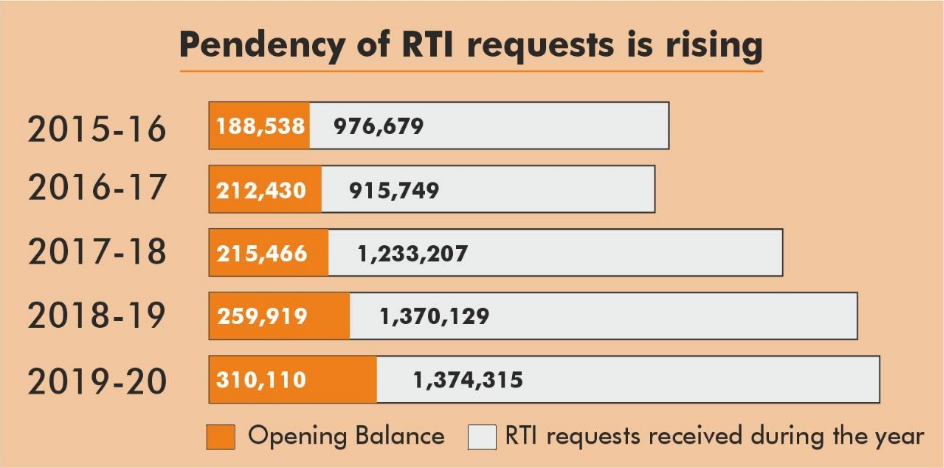

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **अस्वीकृतियों में प्रगतिशील रूप से कमी:** RTI (सूचना का अधिकार) के आवेदनों की अस्वीकृति दर में 4.3% तक की गिरावट आई है (वर्ष 2014-15 में यह 8.4% थी)। यह आयोग की स्थापना के उपरांत से सबसे कम स्वीकृत प्रतिशत है।
- **विभिन्न मंत्रालयों की अस्वीकृति दर में असमानता: वित्त मंत्रालय** में अस्वीकृति दर वर्ष 2014-15 में 20.2% थी, जिसमें गिरावट आई है और यह वर्ष 2019-20 में 12.48% हो गई, परंतु **गृह मंत्रालय** में यह 13.9% से बढ़कर 20.46% हो गई है।
- **कृषि मंत्रालय** में अस्वीकृति दर वर्ष 2018-19 के 2% से दोगुनी होकर वर्ष 2019-20 में 4% हो गई थी।

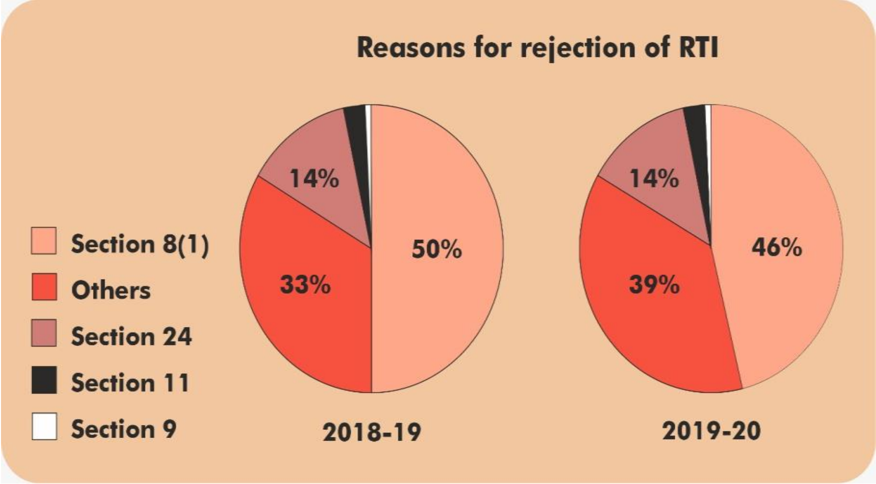

- **'अन्य' श्रेणी में अस्वीकृतियों में वृद्धि:** इन अस्वीकृतियों में लगभग 39% के लिए कोई वैध कारण उल्लेखित नहीं किया गया था, क्योंकि इनके लिए RTI कानून के अनुमेय छूट वाला कोई खंड उपयोग नहीं किया गया था। इसमें विगत वर्ष की तुलना में 33% की वृद्धि हुई है। (इन्फोग्राफिक्स को देखें)
- अस्वीकृति के अनुमेय कारणों में, **धारा 8(1)(j)** का सर्वाधिक उपयोग परिलक्षित हुआ है। **धारा 8(1)(j)** में उस स्थिति में **व्यक्तिगत सूचना उपलब्ध कराने से इंकार करने की अनुमति दी जाती है,** जब सूचना प्रदान करने से संबंधित व्यक्ति की निजता पर अवांछित आक्रमण होने की संभावना हो।
- **प्रथम अपील और द्वितीय अपील की संख्या में वृद्धि:** वर्ष 2019-20 में कुल 1,52,354 प्रथम अपीलें दायर की गई थीं। वर्ष 2014-15 में यह संख्या 1,10,095 थी। वर्ष 2019-20 में दर्ज कराई गई द्वितीय अपील / शिकायतों की संख्या 22,243 थी।
  - प्रथम अपील सामान्यतया संबंधित प्राधिकारी की ओर से **असंतोषजनक प्रत्युत्तर** प्राप्त होने पर दायर करवाई जाती है।
  - सूचना मांगने वाला व्यक्ति उस स्थिति में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (First Appellate Authority: FAA) के आदेश के विरुद्ध CIC के पास द्वितीय अपील दायर करवा सकता है, यदि वह FAA के आदेश से संतुष्ट नहीं है या FAA की ओर से निर्दिष्ट समय में कोई आदेश नहीं आता है।

RTI के कार्यान्वयन में बाधाएं

- **जन जागरूकता का कम होना:** PWC (प्राइस वाटरहाउस कूपर्स) के अध्ययन के अनुसार, **केवल 15% प्रतिवादी** RTI अधिनियम को लेकर जागरूक थे और **वंचित वर्गों** जैसे कि महिलाओं, ग्रामीण आबादी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के मध्य जागरूकता स्तर कम था; जबकि-
  - **RTI अधिनियम की धारा 26** में उपबंध किया गया है कि समुचित सरकार जनता की, विशेष रूप से उपेक्षित समुदायों की इस बारे में समझ की वृद्धि करने के लिए इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाए, शैक्षिक कार्यक्रम संचालित कर सकेगी और आयोजित कर सकेगी।
  - **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 21,** भारत के नागरिकों को लोक पदाधिकारियों द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के बारे में जानने का अधिकार प्रदान करते हैं।
- **आवेदन दर्ज करवाने में सामना की जाने वाली बाधाएं:**
  - सूचना की मांग करने वालों के लिए **उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका** का उपलब्ध नहीं होना।
  - **मानक आवेदन प्रपत्र** का उपलब्ध नहीं होना।
  - लोक सूचना अधिकारियों (Public Information Officers: PIOs) का **मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं होना।**
  - इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने के **अपर्याप्त प्रयास करना।**
- **प्रदत्त सूचना की गुणवत्ता का निम्नस्तरीय होना:** अवसंरचना का अभाव होने तथा RTI अधिनियम का पालन करने के लिए अपर्याप्त प्रक्रियाओं के कारण प्रदत्त सूचना या तो अपूर्ण होती है या उसमें पर्याप्त आंकड़ों का अभाव होता है।
- **रिकॉर्ड के निरीक्षण में सामना की जाने वाली बाधाएं:** अधिनियम के अनुसार, किसी सूचना को उसी प्रारूप में उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें उसकी मांग की गई है, जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्रोतों को अनुपाती रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो। इस प्रावधान से संबंधित जागरूकता के अभाव को अधिकारियों के अपर्याप्त प्रशिक्षण से संबद्ध किया जा सकता है।
- **30 दिनों (जैसा कि अधिनियम में अनिवार्य किया गया है) के भीतर सूचना प्रदान नहीं करना:** वर्तमान में, अधिनियम के इस महत्वपूर्ण प्रावधान के पालन स्तर की निगरानी हेतु पर्याप्त उपाय एवं प्रक्रियाएं मौजूद नहीं हैं।
  - सरकारी अधिकारियों को रिकॉर्ड के रखरखाव की अपर्याप्त प्रक्रियाओं के कारण चुनौती का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति **समर्थकारी अवसंरचना** (कंप्यूटर, स्कैनर, इंटरनेट, कनेक्टिविटी, फोटोकॉपियर आदि) के अभाव में और कष्टप्रद हो जाती है।
- **अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित PIOs और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (FAA):** RTI अधिनियम के संबंध में प्रमुख निर्णयों को लेकर जागरूकता की कमी के अतिरिक्त इस अधिनियम की गहन समझ का अभाव है।

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

- **लोक प्राधिकारी (Public Authority): धारा 2(h)** 'लोक प्राधिकारी' को ऐसे प्राधिकारी या संस्था के रूप में परिभाषित करती है, जिसे संविधान के अंतर्गत या संसद या राज्य द्वारा बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत और समुचित सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अंतर्गत स्थापित किया गया है या उसका गठन किया गया है।
- **सूचना का अधिकार: धारा 2(j) के अनुसार,** "सूचना का अधिकार" से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है।
- **सूचना के प्रकटन से छूट: धारा 8, 9, 10, 11 और 24** के अनुसार कुछ सूचनाओं की प्रदायगी पर रोक है।
    - **धारा 8(1) के माध्यम से निम्नलिखित प्रकार की सूचनाओं के प्रकटन से छूट प्रदान की गई है:**
        - जिस सूचना के प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखंडता हानिकारक रूप से प्रभावित होगी।
        - सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है, जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है।
        - सूचना, जिसके प्रकटन से संसद या राज्य विधान-मंडलों के विशेष अधिकारों का उल्लंघन होगा।
        - सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है।
        - किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक (विश्वास संबंधी) नातेदारी में उपलब्ध सूचना।
        - विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना।
        - सूचना, जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो।
        - सूचना, जिसके प्रकटन से किसी अपराधी की जांच की प्रक्रिया में बाधा आए।
        - मंत्रिमंडल के कागज पत्र, जिसमें मंत्रि-परिषद्, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं।
    - **धारा 9:** जिसका प्रतिलिप्याधिकार (copyright) राज्य के पास नहीं है।
    - **धारा 24:** इसके अनुसार सुरक्षा और खुफिया संगठनों से संबंधित सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता।

- RTI की **विकासवादी प्रकृति** के कारण अधिनियम की व्यापक समझ होना अत्यधिक महत्व प्राप्त करता जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम में निरंतर नवीन आयाम समाविष्ट होते जा रहे हैं।
- PIOs का प्रशिक्षण वृहद चुनौती है। इसका कारण मुख्य रूप से **प्रशिक्षित किए जाने वाले PIOs की बड़ी संख्या, उनका बार-बार स्थानांतरण और प्रशिक्षण संसाधनों की उपलब्धता का अभाव है।**

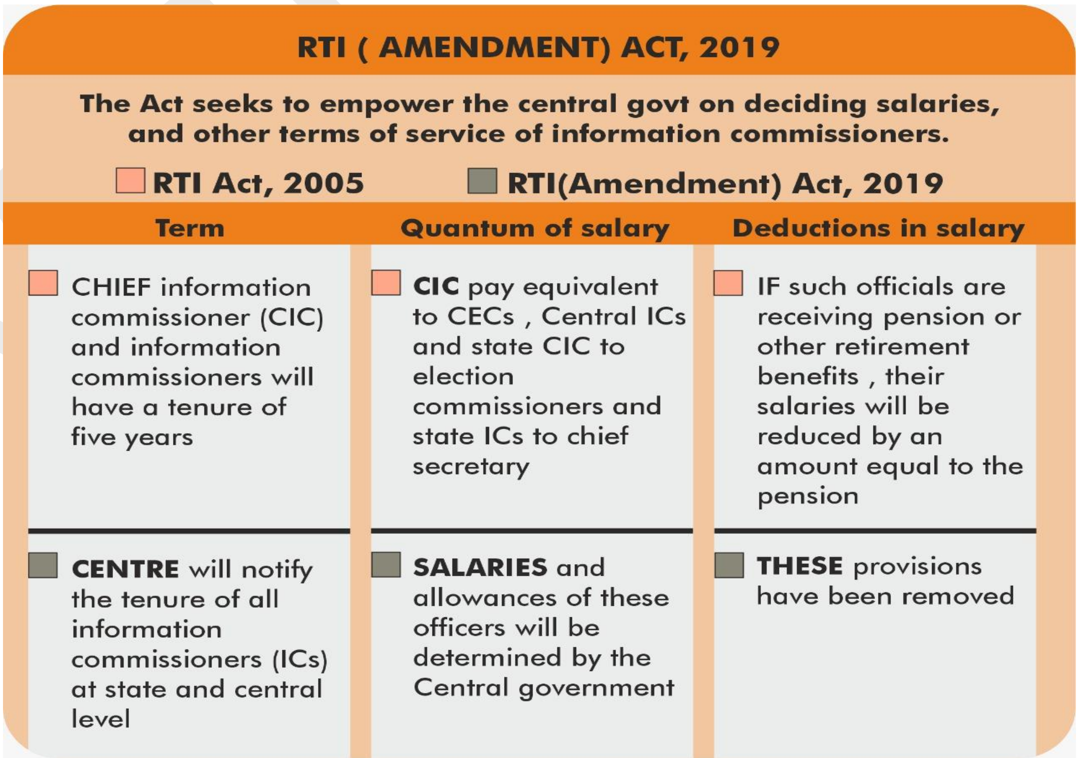

RTI अधिनियम, 2005 के अंतर्गत	वर्ष 2019 में संशोधन
• मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और अन्य सूचना आयुक्त (ICs) (केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर) **पांच वर्ष की अवधि के लिए** पद ग्रहण करेंगे।	• इस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया है और नए प्रावधान के अनुसार **केंद्र सरकार CIC एवं ICs के लिए कार्यकाल को अधिसूचित** करेगी।
• CIC और ICs का वेतन क्रमशः **मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को दिए जाने वाले वेतन के बराबर** होगा।	• केंद्र और राज्यों में पदस्थ सभी CIC और ICs के वेतन, भत्ते व सेवा संबंधी अन्य नियम एवं शर्तें **केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।**
• CIC और ICs की नियुक्ति के समय, यदि वे पिछली सरकारी सेवा के लिए पेंशन या कोई अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो उनका वेतन, पेंशन की बराबर राशि तक कम हो जाएगा।	• संशोधनों में इस प्रावधान को हटा दिया गया है।

इन बाधाओं के निराकरण के उपाय:

- **उपयोगकर्ता के लिए सरल आवेदन प्रक्रिया:** समुचित सरकारों और लोक प्राधिकारियों को नागरिकों की **आवश्यकताओं एवं सुविधाओं** को ध्यान में रखते हुए **RTI** की प्रक्रिया तैयार करनी चाहिए।
- **डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग:** उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे कि बिग डाटा का उपयोग करके रिकॉर्ड को इस प्रकार से **सूचीबद्ध एवं अनुक्रमित किया** जाना चाहिए, जिससे कि संपूर्ण डाटा एक **केंद्रीकृत प्रणाली** के माध्यम से उपलब्ध हो जाए।
- **अवसंरचना में निवेश:** प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार द्वारा **'प्रमुख कार्यक्रमों' के 1% वित्त को** पांच वर्षों की अवधि के लिए अवसंरचना से संबंधित आवश्यकताओं के सुधार हेतु आवंटित किया जाना चाहिए।
- **प्रशिक्षण के लिए एक बाह्य एजेंसी की आवश्यकता:** समुचित सरकार और प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा **गैर लाभकारी संगठनों** की क्षमता का आधिकारिक/अनाधिकार रूप से प्रशिक्षण प्रदान करने में उपयोग करना चाहिए।

1.5. आधार (Aadhaar)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र के इस फैसले पर गंभीर आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की है, जिसके तहत आधार से नहीं जोड़े जाने के कारण 3 करोड़ राशन कार्डों को रद्द कर दिया गया है।

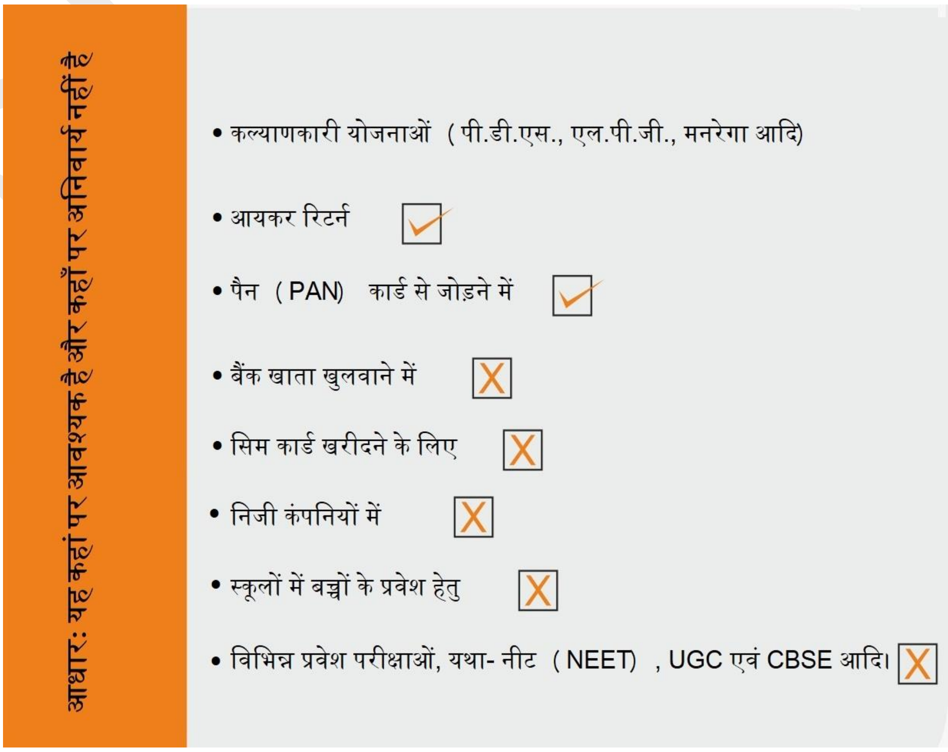

अन्य संबंधित तथ्य

- उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है। उच्चतम न्यायालय में दायर एक याचिका में यह जानकारी दी गई है कि **आधार और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर अत्यधिक बल देने से व्यापक पैमाने पर राशन कार्ड अप्रभावी**

हो गए हैं। ऐसा मुख्य रूप से आईरिस की पहचान व अंगूठे की छाप जैसी तकनीकी प्रणाली के प्रचलन तथा आधार पास में नहीं होना, ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में इंटरनेट का सुचारु उपयोग नहीं होना आदि के कारण हुआ माना जा रहा है। साथ ही, संबंधित परिवारों को भी इस संबद्ध में सूचित नहीं किया गया है।

आधार के विषय में

- आधार को बायोमेट्रिक प्रमाणिकता के शिल्पकार के रूप में **वर्ष 2010 में लॉन्च किया गया था।**
- आधार संख्या **12-अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या है, जो सभी भारतीयों को दी जाती है।** इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India: UIDAI) द्वारा जारी किया जाता है।
- ऐसा माना जाता है कि **बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट व आंखों की पुतली) के उपयोग** के कारण यह विशिष्ट होता है। इसके अतिरिक्त, **UIDAI कुछ जनांकिकीय सूचनाओं** का भी संग्रह करता है।
- **आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है,** परंतु नागरिकों को कल्याणकारी भुगतानों और सामाजिक सेवा प्राप्त करने के लिए इसे प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।
    - इससे अब तक 125.79 करोड़ नागरिकों को विशिष्ट डिजिटल पहचान प्राप्त हुई है।
- वर्ष 2016 में, **आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016** {Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016}, जिसे आधार अधिनियम, 2016 के नाम से भी जाना जाता है, पारित करके आधार को **विधिक मान्यता** प्रदान की गयी है।
    - इस अधिनियम में **कल्याणकारी कार्यक्रमों के वितरण में आधार के उपयोग को अनिवार्य किया गया है।**

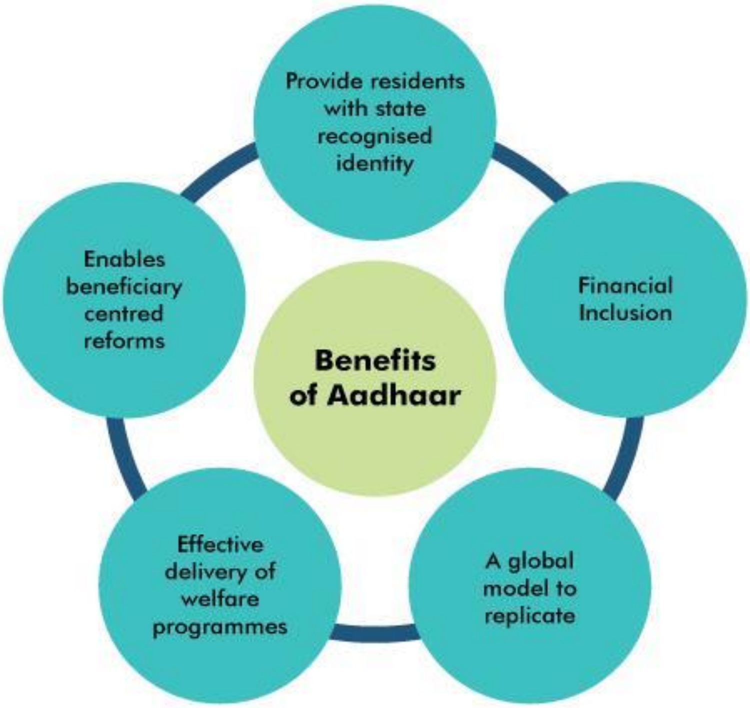

- वर्ष 2018 में, उच्चतम न्यायालय ने **कुछ चेतावनियों के साथ आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। वर्ष 2018 का निर्णय:**
    - आयकर रिटर्न (ITR) जमा करवाने और स्थायी खाता संख्या (PAN) के आवंटन के लिए आधार अनिवार्य है। प्रमाणीकरण डेटा के भंडारण की अवधि को पांच वर्ष से घटाकर छह माह करना चाहिए।
    - बैंक खाता खुलवाने और मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है। कोई भी कंपनी या निजी संस्था पहचान के लिए आधार की मांग नहीं कर सकती है।
    - उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर डेटा के साझाकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान पर रोक लगा दी। आधार कार्ड कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी सब्सिडी की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य होना चाहिए।
    - इसने आधार अधिनियम की **धारा 57** को भी निरस्त कर दिया है, जिसमें निगमों एवं व्यक्तियों को वस्तुओं और सेवाओं के लिए आधार की मांग करने की अनुमति दी थी।
    - न्यायालय ने यह भी मांग की थी कि केंद्र सरकार **यथाशीघ्र डाटा सुरक्षा के लिए मजबूत कानून पारित करे।**

आधार से संबद्ध चुनौतियां

- **फोटो-पहचान प्रमाण के विकल्प के रूप में सुभेद्यता:** आधार को बायोमेट्रिक प्रमाणिकता के लिए उपयोग किया जाता है। इसके लिए, एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट या आयरिश (आंखों की पुतली) स्कैन को केंद्रीय डेटाबेस में मौजूद उनकी आधार संख्या से मिलान किया जाता है। जब इसका साधारण रूप से फोटो-पहचान प्रमाण के रूप में उपयोग होता है, तो इसकी नकल किए जाने या जालसाजी की

संभावना बढ़ जाती है। इसका कारण यह है कि इसमें अन्य फोटो-पहचान प्रमाण की भांति पारंपरिक सुरक्षा विशेषताएं जैसे कि माइक्रोचिप, होलोग्राम या कोई आधिकारिक मुहर नहीं होती है।

- **निजता की समस्या:** आधार के संबंध में कई प्रकार की सुरक्षा समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और इससे संबंधित तंत्र कई बार डेटा के आंतरिक रिसाव व बाह्य दुरुपयोग, दोनों के प्रति सुभेद्य सिद्ध हुआ है। वर्ष 2017 में, लगभग 15 लाख पेंशनभोगियों का निजी विवरण झारखंड सरकार की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित हो गया था। यह भी पाया गया है कि केंद्र सरकार के प्रमुख अभियान स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट से इसके लाभार्थियों का आधार से संबद्ध विवरण लीक हो रहा है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा:** ऐसे कई उदाहरण प्रकट हुए हैं, जिनमें बांग्लादेशी नागरिकों के पास आधार के माध्यम से बनवाए गए भारतीय पासपोर्ट प्राप्त हुए हैं। चूंकि, आधार को टैक्स रिटर्न आदि के लिए अनिवार्य बनाया गया है, इसलिए भारत की सुरक्षा एजेंसियों जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) आदि के सभी अधिकारियों को आधार के अंतर्गत स्वयं को पंजीकृत कराना पड़ता है। इससे विभिन्न गैर-राज्य अभिकर्ताओं के लिए आधार डाटा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, विशेषकर एक ऐसे समय में जब कोई भी डाटा, हैकिंग या अवैध रूप से एक्सेस से सुरक्षित नहीं है।
- **अत्यधिक वंचित वर्ग को सेवाओं का नहीं मिलना:** अनिवार्य रूप से आधार से जोड़ने (आधार सीडिंग) के कार्य से मूल लाभार्थी सेवाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, विशेषकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग और अत्यधिक वंचित वर्ग।
    - उदाहरण के लिए, वर्ष 2017 में झारखंड में किए गए एक अध्ययन में यह शंका प्रकट की गई थी कि यहां लाभ और सब्सिडी नहीं मिलने के कारण भुखमरी से लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अतिरिक्त, ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई है, जिससे यह पता चला है कि प्रमाणीकरण नहीं होने के कारण लाभ के वितरण में विलंब हुआ है।

आगे की राह

- **विधायी सुधार:** भारत के उच्चतम न्यायालय ने **न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी एवं अन्य और भारत संघ व अन्य वाद** में निर्णय दिया था कि **निजता का अधिकार एक मूल अधिकार** है तथा इसे संविधान के **अनुच्छेद 21** के तहत सुरक्षा प्रदान की गई है। इसलिए, व्यक्तिगत निजता को बनाए रखने के लिए विधायी सुधार आवश्यक हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में निम्नलिखित विधायी सुधार आवश्यक हैं-
    - **वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019:** यह विधेयक **न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण** की अनुशंसाओं पर आधारित है। वर्तमान में संयुक्त संसदीय समिति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत की वर्तमान डाटा सुरक्षा योजना में सुधार करना है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 द्वारा शासित होती है।
    - **आधार अधिनियम, 2016 में संशोधन करना:** UIDAI किसी भी प्रकार से इस दायित्व से कानूनी रूप से बाध्य नहीं है कि आधार उपयोगकर्ताओं को उनके निजी डाटा से संबंधित कोई अपराध होने पर सूचना प्रदान करे। पीड़ित व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय भी नहीं जा सकता है, क्योंकि आधार अधिनियम की **धारा 47(1)** के अनुसार, UIDAI के पास निजता के किसी प्रकार के उल्लंघन अथवा अतिक्रमण की स्थिति में शिकायत करने की विशिष्ट शक्ति है। इन कानूनी कमियों को दूर करने से शिकायत निवारण तंत्र और सुदृढ़ होगा।
- **आभासी या घोस्ट आधार कार्ड से निपटना:** UIDAI द्वारा अनुरक्षित "केंद्रीय पहचान डाटा रिपॉजिटरी" (Central Identities Data Repository: CIDR) में समाविष्ट की गई सूचनाओं की गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- **वैकल्पिक पहचान की व्यवस्था:** आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 में यह उपबंध किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति प्रमाणीकरण से मना कर देता है या उस प्रक्रिया से नहीं गुजर सकता है तो उसको सेवाएं उपलब्ध कराने से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, केंद्र और राज्य सरकारों को वैकल्पिक पहचान की अनुमति देनी चाहिए। धोखाधड़ी की समस्या का अन्य प्रमाण-पत्रों के उपयोग द्वारा एवं सेवाओं के पंचायत स्तर पर विकेंद्रीकृत वितरण के माध्यम से समाधान निकाला जा सकता है।
- **आधार के उपयोग को सरल बनाना:** आधार सभी के लिए उपयोगी हो, यह सुनिश्चित करने के लिए अपूर्ण एजेंडा के समयबद्ध निपटान की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वंचित वर्ग का नामांकन हो, रिकॉर्ड्स अद्यतित करने की प्रक्रिया सरल हो, शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ किया जाए और आधार के कारण सेवाओं के लाभ से वंचित होने की समस्या समाप्त की जाए।

VISION IAS

1.6. निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण (Local Reservation in Private Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2020 (Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020)** पारित किया गया है। यह अधिनियम, निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के लोगों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान करता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **यह अधिनियम** 50,000 रुपये प्रति माह तक वेतन वाली नौकरियों के लिए **निजी कंपनियों को स्थानीय लोगों** (अर्थात् हरियाणा के अधिवासियों) **हेतु 75% नौकरी आरक्षित करना अनिवार्य बनाता है।**
    - यह **सभी कंपनियों, सोसाइटियों, न्यासों, फर्मों या 10 या अधिक लोगों को 10 वर्ष की अवधि के लिए नियोजित करने वाले सभी व्यक्तियों** पर लागू होता है।
    - इसके अतिरिक्त, **भर्ती का 10% उस जिले से होना चाहिए** जहां कंपनी स्थित है।
    - यह कानून **निरीक्षण के माध्यम से नए विनियमों को लागू करने के लिए जिला प्रशासन** को शक्तियां प्रदान करता है।
- हरियाणा **आंध्र प्रदेश** (आंध्र प्रदेश उद्योगों/कारखानों में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2019 के अंतर्गत) के पश्चात् **दूसरा राज्य** बन गया है, जहां **अधिवास (Domicile) के आधार पर स्थानीय नागरिकों** हेतु 75% आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
    - कर्नाटक (100%), महाराष्ट्र (80%) और मध्य प्रदेश (70%) जैसे कई और राज्यों ने भी विगत कुछ वर्षों में इसी प्रकार के आरक्षण का **प्रस्ताव** किया है।

इंदिरा साहनी वाद (1992) का निर्णय	नागराज वाद (2006) का निर्णय
• अन्य पिछड़ा वर्गों (OBCs) के लिए 27% कोटा बनाए रखा गया। • आरक्षण 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। • पिछड़े वर्गों से क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर किया जाना चाहिए। • पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होगा।	• अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बनाए रखा गया, जिसमें निम्नलिखित 3 शर्तों को शामिल किया गया है: 1. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा 2. उनके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व से संबंधित तथ्य 3. समग्र प्रशासनिक दक्षता

ऐसे कानून के लाभ

- **बढ़ती बेरोजगारी का समाधान:** संपूर्ण देश में, विशेषरूप से कोविड-19 के उपरांत, बेरोजगारी में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिसमें हरियाणा में सर्वाधिक बेरोजगारी व्याप्त है।
    - उदाहरणार्थ, **सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE)** के अनुसार, फरवरी 2021 में हरियाणा में **26.4 प्रतिशत** बेरोजगारी दर थी। यह राष्ट्रीय आंकड़े से **तीन गुना** अधिक है।
- **कृषि संकट:** संपूर्ण देश में, कृषि क्षेत्रक पर दबाव को देखते हुए स्थानीय लोग इस व्यवसाय का त्याग कर रहे हैं और स्थानीय नौकरियां प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं।
- **निगमों की बुरी प्रथाओं पर नियंत्रण:** यह कंपनियों द्वारा सुदृढ़ श्रमिक संघों से बचने के लिए वर्तमान स्थानीय कार्यबल में भर्ती या छंटनी में किए जाने वाले **चयनात्मक भेदभाव** पर नियंत्रण स्थापित करता है।

©Vision IAS

- **विकास प्रेरित विस्थापन:** औद्योगिकीकरण द्वारा निजी भूमि से स्थानीय भू-स्वामियों के विस्थापित होने से स्थानीय आरक्षण की मांग को बल मिला है।
- **वृहद संख्या में प्रवासियों के अंतर्वाह पर नियंत्रण:** वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, वर्ष 2002-2011 के दौरान हरियाणा में 8 लाख लोगों का शुद्ध प्रवासन हुआ था, जो राज्यों के मध्य चौथा सबसे बड़ा प्रवासन था (महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली के उपरांत)।
- **मलिन बस्तियों की समस्या का समाधान:** अल्प वेतन वाली नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रवासियों की बड़ी संख्या स्थानीय अवसंरचना और आवास पर महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करती है, जो प्राय: मलिन बस्तियों के प्रसार का कारण बनता है।

इस प्रकार के कानूनों के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याएं

- **संवैधानिक एवं कानूनी बाधाएं:** राज्य में 75% निजी आरक्षण के प्रश्न पर **आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय** ने पाया कि निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण **असंवैधानिक** हो सकता है। वर्तमान में यह मामला लंबित है, परन्तु इसने इस प्रकार के आरक्षण पर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं जो संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों के विरुद्ध हैं-
  - **अनुच्छेद 15:** धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, **जन्म स्थान** या इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने से राज्य को रोकता है।
  - **अनुच्छेद 16:** केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, **जन्म स्थान**, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर नियोजन के मामलों में किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने से राज्य को रोकता है।
    - **अनुच्छेद 16(3)** सैद्धांतिक रूप से लोक नियोजन के लिए आवास संबंधी योग्यता को आवश्यक बनाने वाले कानून के अधिनियमन की अनुमति प्रदान करता है। इसमें आवास-आधारित अधिमान्य उपचार सम्मिलित है। परन्तु यह शक्ति **केवल संसद** को प्राप्त है। इस प्रकार, आवास के आधार पर आरक्षण प्रदान करने वाला कोई राज्य कानून संवैधानिक नहीं भी हो सकता है।
  - **अनुच्छेद 19(1),** सभी नागरिकों को देश में स्वतंत्र रूप से संचरण करने और इसके किसी भाग में निवास करने और बसने का मूल अधिकार प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने का अधिकार मूल अधिकार है।
  - यह **इंदिरा साहनी (1992) और एम. नागराज (2006) के वादों में उच्चतम न्यायालय** द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हो सकता है। ये दिशा-निर्देश रेखांकित करते हैं कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता, जब तक कि इस सीमा के अतिक्रमण को न्यायसंगत ठहराने के लिए "असाधारण कारण" उपस्थित न हो।
- **व्यवसाय करने में असुगमता:** यह कंपनियों को कर्मचारियों के अधिवास डेटा जुटाने, अधिकारियों को नियमित सूचना देने और स्थानीय श्रमिक उपलब्ध नहीं होने पर या 25% की बाहरी सीमा से आगे जाने पर हर बार अधिकारियों से छूट का दावा करने में लगाए रखता है।
  - यह **भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर और श्रेष्ठ प्रतिभा को नियोजित करने में बाधा उत्पन्न कर** व्यवसाय करने की सुगमता को प्रभावित कर सकता है।
- **कंपनी के कार्य संचालन पर प्रभाव:** यह कानून निजी क्षेत्रक की दक्षता के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। श्रम-प्रधान उद्योगों जिसमें भारत (जो पहले ही इस संदर्भ में दक्षिण-पूर्वी देशों से पिछड़ रहा है) को अधिक क्षति वहन करनी पड़ सकती है।
  - इसके अतिरिक्त, गुरुग्राम जैसे शहर (जहां कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां तथा IT/ITeS क्षेत्रक और स्टार्टअप हब हैं) को सर्वाधिक हानि हो सकती है।
- **कोविड-19 रिकवरी:** यह कई मोर्चों पर कारोबार की लागत में वृद्धि करके कंपनियों के लिए कोविड-19 महामारी से उबरना दीर्घकालिक बना सकता है। इन मोर्चों में स्थानीय उम्मीदवारों का प्रशिक्षण और वर्तमान गैर-स्थानीय कार्यबल का विस्थापन भी सम्मिलित हैं।
- **एक राष्ट्र एक बाजार या एकता की भावना के विरुद्ध:** यह 'भूमि-पुत्र' के आधार पर भारतीय राज्यों को विभाजित करता है और अन्य राज्यों द्वारा भी समान कानून पारित करने हेतु प्रेरित करता है। इस प्रकार भारत की एकता को क्षति पहुंचाता है। उल्लेखनीय है कि इससे विदेशी निवेश भी हतोत्साहित हो सकता है।

आगे की राह

- **प्रोत्साहन का मार्ग:** विश्लेषण के उपरांत राज्य आरक्षण के एक विशेष प्रतिशत को प्रस्तुत कर सकते हैं और उद्योगों को स्थानीय लोगों को नियोजित करने के लिए **उससे संबद्ध प्रोत्साहन प्रदान** कर सकते हैं।
  - सरकारों को अधिक निवेश के लिए **उद्योगों को प्रोत्साहित करना** चाहिए और इसके लिए सक्षम परिवेश सृजित करना चाहिए।

- **उपलब्धता कम होने पर रोजगार देना:** स्थानीय रूप से आवश्यक प्रतिभा उपलब्ध नहीं होने पर ही बाहरी व्यक्ति को नियोजित करने के प्रावधान किए जा सकते हैं।
- **शिक्षा और कौशल पर फोकस:** निजी क्षेत्रक में आरक्षण के लिए अदूरदर्शी प्रतिस्पर्धा के स्थान पर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आवश्यक **संरचनात्मक सुधारों** के साथ शिक्षा के स्तर और युवाओं में कौशल विकास को बढ़ाने की जरूरत है।
- **बेरोजगारी के प्रमुख मुद्दों से निपटने की आवश्यकता:** इस प्रकार के कदमों के स्थान पर अधिक रोजगार सृजन और औद्योगिकीकरण किया जाना चाहिए।
- **श्रम गहन उद्योगों को बढ़ावा देने की अनिवार्यता:** देश में श्रम अधिशेष का उपयोग करने के लिए ऐसे उद्योगों को अवश्य प्रोत्साहित करना चाहिए।

1.7. शहरी स्थानीय निकायों में सुधार {Urban Local Bodies (ULBs) Reforms}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** ने **नगरपालिका कार्य निष्पादन सूचकांक (Municipal Performance Index: MPI) 2020** की अंतिम रैंकिंग को जारी करने की घोषणा की है।

नगरपालिका कार्य निष्पादन सूचकांक (MPI) के बारे में

- यह मूलभूत सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान से लेकर शहरी नियोजन जैसे अधिक जटिल डोमेन के कार्यों के परिभाषित समूह के आधार पर भारतीय नगर पालिकाओं के प्रदर्शन का आकलन और विश्लेषण करने का एक प्रयास है।
    - **इसके अतिरिक्त, नागरिक अपने स्थानीय सरकारी प्रशासन को बेहतर रीति से समझ सकते हैं।** इससे पारदर्शिता का निर्माण होता है और इसके प्रमुख हितधारकों के मध्य विश्वास का सृजन होता है।
- इस सूचकांक में **इंदौर 10 लाख से अधिक जनसंख्या** वाली नगरपालिकाओं में शीर्ष पर है, जबकि **नई दिल्ली 10 लाख से कम लोगों वाले शहरों** में शीर्ष पर है। **(रैंक सारणी को देखें)**
- रिपोर्ट में उल्लेखित है कि **अधिक वित्तीय स्वायत्तता वाले शहर सेवा और प्रशासन को प्रदान करने में बेहतर हैं,** किंतु यह राज्य नगरपालिका कानूनों के अनुसार भिन्न-भिन्न है।
    - **सर्वेक्षण में सम्मिलित 111 शहरों में केवल 20 शहरों में ही राज्य के अनुमोदन के बिना धन उधार लेने और निवेश करने का सामर्थ्य था,** जिसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों के प्रति एक आघात के रूप में संदर्भित किया जा रहा है।
    - राज्य और केंद्रीय अनुदानों को छोड़कर, इनमें से **95% शहर अपनी आय एवं उधार मांगों का पांच प्रतिशत से भी कम वित्त के वैकल्पिक स्रोतों से संग्रहित करने में समर्थ हैं।**
- नगरपालिकाओं द्वारा वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए, रिपोर्ट में **राजकोषीय विकेंद्रीकरण** को आगे बढ़ाने हेतु संविधान में संशोधन करने का सुझाव दिया गया है।
- रिपोर्ट ने **संपूर्ण भारत के लिए मेयर के पांच वर्ष के कार्यकाल** को सृजित करने का भी सुझाव दिया है। साथ ही योजना, विकास, आवास, जल और पर्यावरणीय गतिविधियों की रिपोर्ट राज्य सरकारों के स्थान पर नगरपालिकाओं को प्रस्तुत करने पर ध्यान केंद्रित करने की संस्तुति की है।
- **नगरपालिका कार्य निष्पादन सूचकांक फ्रेमवर्क में निम्नलिखित 20 विभिन्न क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है:**

1. शिक्षा	8. व्यय प्रबंधन	15. योजना कार्यान्वयन
2. स्वास्थ्य	9. राजकोषीय उत्तरदायित्व	16. योजना प्रवर्तन
3. जल और अपशिष्ट जल	10. राजकोषीय विकेंद्रीकरण	17. पारदर्शिता एवं जवाबदेही
4. स्वच्छता	11. डिजिटल प्रशासन	18. मानव संसाधन
5. पंजीकरण एवं परमिट	12. डिजिटल पहुंच (digital access)	19. भागीदारी
6. अवसंरचना	13. डिजिटल साक्षरता	20. प्रभावशीलता
7. राजस्व प्रबंधन	14. योजना निर्माण	

VISION IAS

संबंधित तथ्य

- ज्ञातव्य है कि वित्त मंत्रालय के **व्यय विभाग** ने ULBs के लिए कुछ सुधारों की अनुशंसा की है, जिसे पूरा करने में केवल **आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, तेलंगाना और गोवा** अग्रणी रहे हैं। ये अनुशंसित सुधार निम्नलिखित हैं:
    - एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का क्रियान्वयन;
    - व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार;
    - शहरी स्थानीय निकाय/उपयोगिताओं में सुधार; तथा
    - विद्युत् क्षेत्र में सुधार।
- ULBs में इन सुधारों का लक्ष्य राज्यों में **शहरी स्थानीय निकायों का वित्तीय सुदृढ़ीकरण करना और नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने** में उन्हें सक्षम बनाना है।
- ये 6 राज्य अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों को जुटाने के पात्र हैं, अर्थात् **खुली बाजार उधारियों के माध्यम से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 1%** (GSDP की 2% तक बढ़ी हुई उधार सीमा का अर्धांश)।

नगरपालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक

दस लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका की रैंकिंग	दस लाख से कम जनसंख्या वाली नगरपालिका की रैंकिंग
शीर्ष 10	**शीर्ष 10**
1. इंदौर	1. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद
2. सूरत	2. तिरुपति
3. भोपाल	3. गांधीनगर
4. पिंपरी चिंचवाड़	4. करनाल
5. पुणे	5. सलेम
6. अहमदाबाद	6. तिरुपूर
7. रायपुर	7. बिलासपुर
8. ग्रेटर मुंबई	8. उदयपुर
9. विशाखापत्तनम	9. झांसी
10. वडोदरा	10. तिरुनेलवेली

शहरी स्थानीय निकाय के बारे में

- **शहरी स्थानीय निकाय** ऐसे संस्थान हैं, जो अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों के **स्थानीय स्वशासन** के लिए गठित किए गए हैं।
- **74वें संविधान संशोधन अधिनियम** ने संविधान में एक नया **भाग IX-A** और **12वीं अनुसूची** को समाविष्ट किया है। इस अनुसूची में शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों के लिए 18 कार्यात्मक विषय समाहित हैं।
    - अधिनियम में शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचनों का आयोजन करने के लिए **राज्य निर्वाचन आयोग** और वित्तीय मामलों के लिए **राज्य वित्त आयोग** के गठन का प्रावधान किया गया है।
    - यह अधिनियम 12वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए कृत्यों को निष्पादित करने और आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार करने हेतु इन निकायों को **स्वायत्तता प्रदान करने तथा शक्तियों के हस्तांतरण** का प्रावधान करता है।

ULBs में सुधार हेतु उठाए गए प्रमुख कदम

राज्य सरकार के स्तर पर सुधार	• बाजार में भूमि की आपूर्ति (उपलब्धता) बढ़ाने और एक कुशल भूमि बाजार की स्थापना के लिए नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 का निरसन।
	• अधिक आवासों के निर्माण और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए गृह-स्वामियों और किरायेदारों के अधिकारों और दायित्वों को संतुलित करने हेतु किराया नियंत्रण कानूनों में सुधार हेतु उपाय किए गए हैं।
	• न्यूनतम बाधाओं के साथ संपत्ति के हस्तांतरण हेतु एक कुशल अचल संपत्ति बाजार स्थापित करने के लिए स्टांप शुल्क का युक्तिकरण किया गया है, ताकि इस बाजार को अधिक उत्पादक बनाया जा सके।
ULBs के स्तर पर सुधार	• पारदर्शी प्रशासन, त्वरित सेवा वितरण, सेवा वितरण लिंक (नेटवर्क) में सामान्य सुधार हेतु ई-अभिशासन।
	• शहरी स्थानीय निकायों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शिता और आत्मनिर्भरता के लिए आधुनिक लेखांकन प्रणाली के माध्यम से नगर पालिका का लेखांकन।
	• एक सरल, पारदर्शी, गैर-विवेकाधीन और न्यायसंगत संपत्ति कर व्यवस्था स्थापित करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली के साथ संपत्ति कर अंशशोधन, जो स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करता है।

शहरी स्थानीय निकायों में सुधार की आवश्यकता

- **वित्त की कमी और भ्रष्टाचार:** अधिकांश शहरी स्थानीय निकाय **वित्त की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे हैं।** कुछ शहरी निकाय **पर्याप्त कर एकत्र नहीं करते** हैं और संपत्ति कर संग्रहण की पूर्ण क्षमता को भी प्राप्त नहीं करते हैं।
    - इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकाय **भ्रष्टाचार, पक्षपात और भाई-भतीजावाद** जैसी कुप्रथाओं से ग्रसित हैं, जो उनके कार्यसंचालन को अप्रभावी बनाती हैं।
- **अनियमित चुनाव:** शहरी स्थानीय निकायों के **चुनावों के स्थगन एवं अनियमित होने** के कारण वे अपने शासन में कठिनाई का सामना करते हैं। इससे विकेंद्रीकृत अभिशासन का लक्ष्य नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है।
- **शहरी योजना निर्माण और राज्य का नियंत्रण:** अधिकतर मामलों में शहरी योजना निर्माण राज्य सरकार के स्तर पर संपन्न होता है और इसमें शहरी स्थानीय निकायों की अत्यल्प भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों पर राज्य का अत्यधिक नियंत्रण उनके कामकाज को बाधित करता है।
- **समन्वय का अभाव और निम्नस्तरीय शासन:** केंद्र, राज्य और शहरी स्थानीय निकायों के मध्य समन्वय का अभाव शहरी नीतियों के खराब कार्यान्वयन, प्रशासनिक अक्षमता और निम्नस्तरीय शहरी शासन का कारण बनता है।

शहरी स्थानीय निकायों में और सुधारों की आवश्यकता है

* **शासन:** शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों में 6 माह से अधिक का विलंब नहीं होना चाहिए। शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के लिए वार्डों के परिसीमन की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होनी चाहिए, न कि राज्य सरकारों में।
* **क्षमता निर्माण:** निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण एवं समकक्षों के अनुभव तथा चिंतनशील अधिगम कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण की आवश्यकता है।
* **वित्त:** नगरपालिका निकायों को, निवेश/ऋण उद्देश्यों के लिए सरकार की गारंटी के बिना उधार प्राप्त करने तथा नगरपालिका बॉण्ड्स को 'प्राथमिकता क्षेत्र' श्रेणी के अंतर्गत निर्दिष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
* **सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहन:** जिन क्षेत्रों में सार्वजनिक निधि उपलब्ध है, वहां प्रबंधन में निजी क्षेत्र की दक्षता को समाहित किया जा सकता है, उपलब्ध वित्त को बढ़ाया जा सकता है और वित्तीय अंतराल को समाप्त किया जा सकता है। साथ ही, जिन क्षेत्रों में सार्वजनिक निधि उपलब्ध नहीं है, उन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के वित्त का लाभ उठाकर परियोजनाओं को विकसित और कार्यान्वित किया जा सकता है।

1.8. ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 (Ease of Living Index 2020)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** (MoHUA) ने ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स (EoLI) 2020 जारी किया है।

EoLI के बारे में

* यह MoHUA का एक मूल्यांकन उपकरण है जो एक **शहर में जीवन की गुणवत्ता और शहरी विकास के लिए विभिन्न कदमों के प्रभाव का आकलन करता है।**
* EoLI 2020 रिपोर्ट का लक्ष्य **जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक-क्षमता, संधारणीयता और सिटीजन पर्सेप्शन सर्वे** के स्तंभों पर 111 शहरों में भारतीय नागरिकों के कल्याण का मापन करना है। **(इन्फोग्राफिक्स देखें)**
  * **सिटिजन पर्सेप्शन सर्वे** शहर प्रशासन द्वारा प्रदान की जा रहीं सेवाओं पर **निवासियों का दृष्टिकोण है।**
* वर्ष 2020 रैंकिंग की घोषणा **10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए की गई है।** इसमें, 111 शहरों के कुल 32.2 लाख नागरिक सम्मिलित हुए थे।
* 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की EoLI 2020 रैंकिंग में **बेंगलुरु शीर्ष पर तथा श्रीनगर निम्नतम (49वें)** स्थान पर हैं। जबकि 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की रैंकिंग में **शिमला शीर्ष पर तथा मुजफ्फरपुर सबसे निचले (62वें)** स्थान पर हैं।

ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के घटक एवं उनका भारांश

जीवन की गुणवत्ता 35%	• शिक्षा • स्वास्थ्य • आवास और आश्रय • WASH एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन • गतिशीलता • सुरक्षा एवं बचाव • पुनर्सृजन
आर्थिक सक्षमता 15%	• विकास का स्तर • आर्थिक अवसर • गिनी गुणांक
धारणीयता 20%	• पर्यावरण • हरित स्थल एवं इमारतें • ऊर्जा उपभोग • शहरी लचीलापन
नागरिकों के बीच धारणा 30%	• गुणात्मक सर्वेक्षण

गिनी गुणांक किसी जनसमूह में आय की समानता की मात्रा को मापता है।

* **EoLI का उद्देश्य**
  * विभिन्न शहरी नीतियों और योजनाओं से प्राप्त **परिणामों का आकलन एवं तुलना करना।**
  * शहरी प्रशासन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में **नागरिकों का दृष्टिकोण प्राप्त करना।**
  * साक्ष्य आधारित नीति-निर्माण के लिए **सूचना सृजित करना।**
  * सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) सहित व्यापक विकासात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए **उत्प्रेरक कार्रवाई करना।**

- **EoLI बहुत महत्वपूर्ण है,** क्योंकि यह भारत के **शहरी विकास परिणामों को तीव्र करता है,** अंतरालों की पहचान करके **साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण को निर्देशित करता है तथा शहरों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।**

1.9. लोक प्रयोजन डेटा (Public Intent Data)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विश्व बैंक** की **विश्व विकास रिपोर्ट** (World Development Report) में **पब्लिक इंटेंट डेटा (लोक प्रयोजन डेटा) की अवधारणा** को रेखांकित किया गया है।

इस रिपोर्ट के बारे में

- विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2021 में जारी की गई इस रिपोर्ट का शीर्षक **'विश्व विकास रिपोर्ट 2021: बेहतर जीवन के लिए डेटा'** (World Development Report 2021: Data for Better lives) है।
- यह रिपोर्ट डेटा की लोक हित संबंधी क्षमता का अन्वेषण करती है। इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि **कैसे पब्लिक इंटेंट डेटा सार्वजनिक क्षेत्रक में परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकता है।**

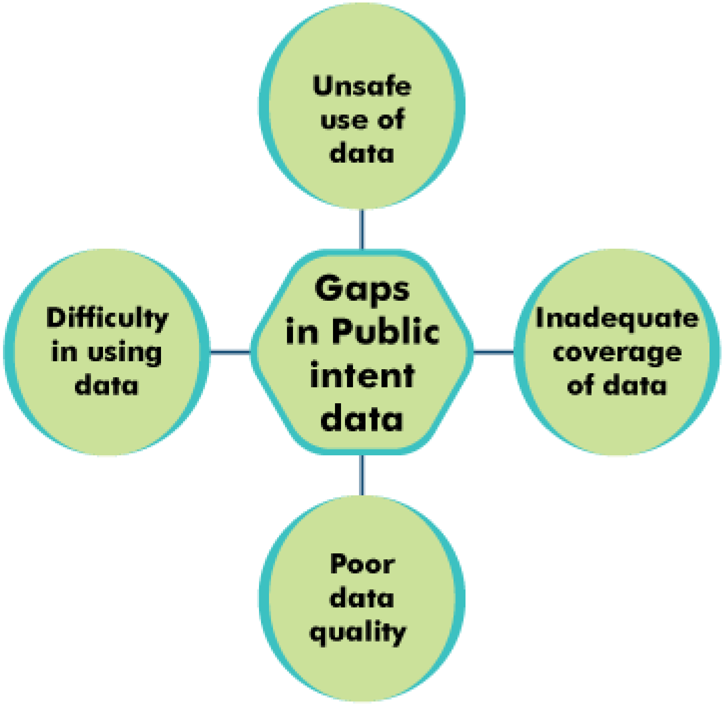

पब्लिक इंटेंट डेटा क्या है?

- पब्लिक इंटेंट डेटा सार्वजनिक नीति की अभिकल्पना, निष्पादन, निगरानी और मूल्यांकन के विषय में लोगों को सूचित करके या अन्य गतिविधियों के माध्यम से **जन कल्याण के उद्देश्य से एकत्र किया गया डेटा** होता है।
- यह डेटा कई **सरकारी कार्यों के लिए पूर्वपेक्षा के रूप में कार्य करता है।** यह सेवा वितरण में सुधार करके, दुर्लभ संसाधनों की प्राथमिकता निर्धारित करके, सरकारों को जवाबदेह बनाकर और जन सामान्य को सशक्त करके **सामाजिक कल्याण में सुधार ला सकता है।**

पब्लिक इंटेंट डेटा का उपयोग करना महत्वपूर्ण क्यों है?

- **सेवा वितरण में सुधार करने के लिए:**

- **सरकारी सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि करके** आजीविका में सुधार करना।
- आपदा के दौरान वृहद डेटा समुच्चय की उपलब्धता से बेहतर ढंग से **आपातकालीन अनुक्रिया की जा सकती** है।

- **दुर्लभ संसाधनों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए:**
  - **ग्रेन्यूलर डेटा (किसी व्यक्ति या किसी विशिष्ट स्थान से संबंधित)** का उपयोग संसाधनों को लक्षित करने और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, कोविड-19 के दौरान सूक्ष्म-नियंत्रण क्षेत्रों का निर्धारण करना।
  - प्रमुख संकेतकों और प्रदेय उत्पादों (deliverables) जैसे सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) से संबंधित प्रगति की निगरानी करना।
- **सरकारों को जवाबदेह बनाने और प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त करने के लिए:**
  - डेटा से संबंधित मांग (व्यक्तियों और सिविल सोसायटी संगठनों द्वारा) से पारदर्शिता को बढ़वा मिल सकता है। साथ ही, **यह समाज को सरकारों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अप्रत्यक्ष साधन भी प्रदान** करता है।
  - **यह लोगों को बेहतर विकल्प का चयन करने में सशक्त करता है,** क्योंकि डेटा की उपलब्धता से बेहतर निर्णय लेना सरल हो जाता है। उदाहरण के लिए, मतदाताओं की प्रत्याशियों से संबद्ध जानकारी तक सुगम पहुंच।

पब्लिक इंटेंट डेटा के संदर्भ में रिपोर्ट में उल्लिखित चुनौतियां और निवारक सुझाव

	चुनौतियां	**आगे की राह**
वित्तपोषण	• सरकारों द्वारा अपर्याप्त निवेश के कारण **वित्तपोषण में कमी**, सरकारों को व्यय करने की सीमा संबंधी दिशा-निर्देशक मापदंडों का अभाव और दानकर्ताओं द्वारा अपर्याप्त निवेश आदि।	• राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली पर **सरकारी व्यय के लिए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।** • डेटा का सृजन करने वाले प्रत्येक मंत्रालय और अन्य सरकारी अभिकरणों को डेटा का सृजन, प्रसंस्करण, प्रबंधन तथा **उनके द्वारा सृजित प्रशासनिक डेटा** के सुरक्षित साझाकरण को सुनिश्चित करने के लिए निर्दिष्ट बजट प्रदान करना चाहिए।
तकनीकी क्षमता	• योग्य कर्मचारियों, उचित कर्मचारी पारिश्रमिक और करियर संबंधी प्रोत्साहन की कमी तथा प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर व अवसंरचना आदि की न्यूनता के कारण **तकनीकी क्षमता का अभाव है।**	• मांग को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक इंटेंट डेटा के सृजन हेतु मानव पूंजी में निवेश करना और **पब्लिक इंटेंट डेटा के निर्माताओं में विश्वसनीयता एवं विश्वास को सुदृढ़ करना।** • नीति निर्माताओं की मांगों को पूर्ण करने के लिए **उन्नत सांख्यिकी शिक्षा में सुधार करना चाहिए।**
अभिशासन	• डेटा उत्पादन और डेटा विनियमों को शासित करने वाली विधिक रूपरेखा में बाधाओं के कारण **अभिशासन संबंधी अक्षमता।**	• गैर-अभिनिर्धारित (de-identified) पब्लिक इंटेंट डेटा समुच्चयों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध और सुलभ करके **राजनीतिकरण से डेटा की सुरक्षा करना।** • डेटा की सार्वजनिक उपलब्धता संबंधी बेहतर संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विश्लेषणात्मक उपकरणों के उपयोग में **मंत्रालयों की तकनीकी इकाइयों में क्षमता का निर्माण करना।**
डेटा की मांग	• डेटा संबंधी साक्षरता का निम्न स्तर, डेटा उपयोग के लिए प्रोत्साहन और इसमें रुचि के अभाव, डेटा	• व्यापक पैमाने पर नागरिकों और सरकारी निर्णय निर्माताओं के मध्य **डेटा साक्षरता को बढ़ाना।** • सरकार, शैक्षणिक समुदाय, निजी क्षेत्र, नागरिक

	तक पहुंच और इसके उपयोग के लिए अवसंरचना की कमी आदि के कारण **डेटा की न्यून मांग बनी हुई है।**	समाज संगठनों और मीडिया के **हितधारकों के साथ अग्रसक्रिय आधार पर संलग्न होना और उन्हें सुनना।**

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर राजव्यवस्था से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

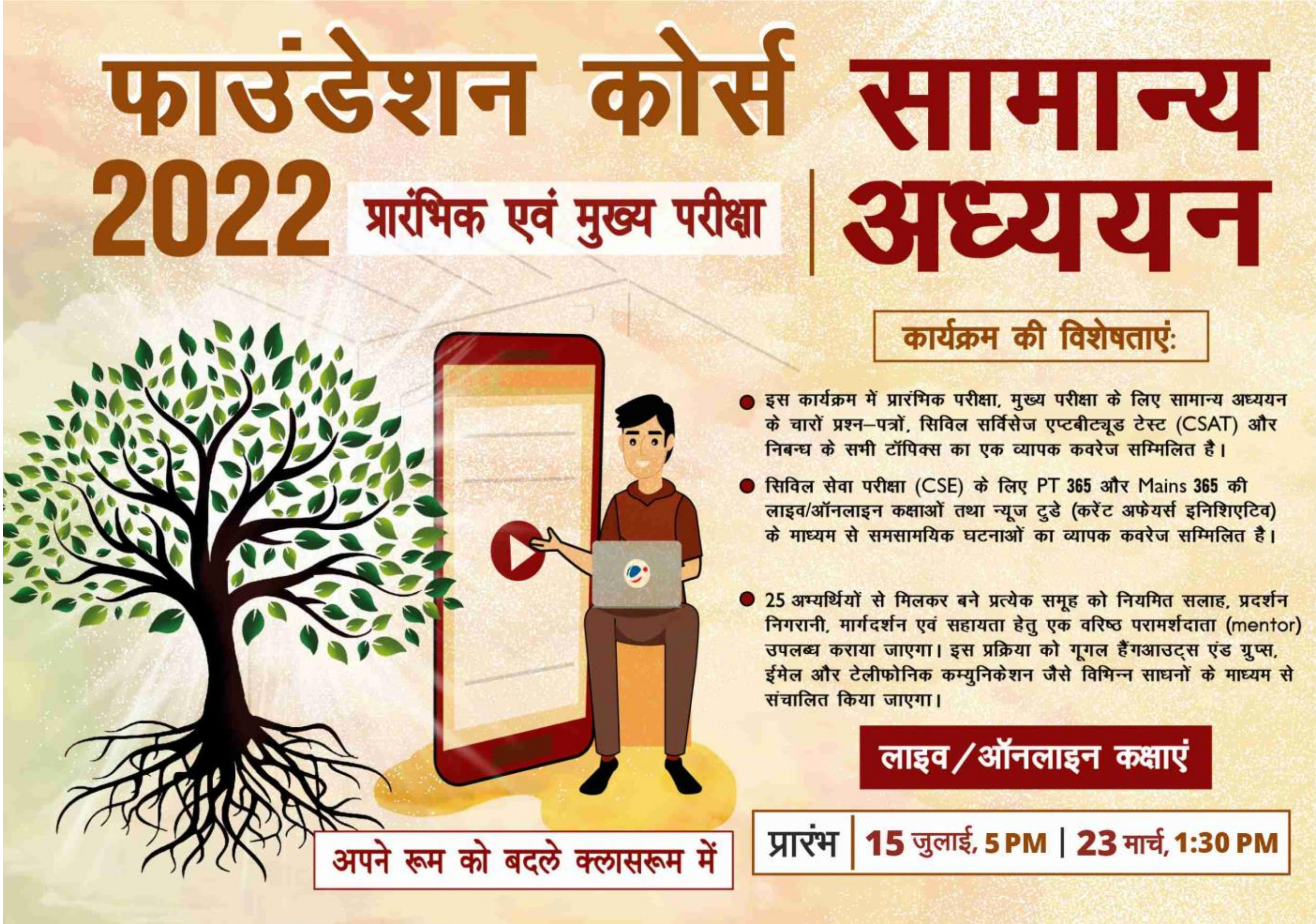

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. भारत-बांग्लादेश (India-Bangladesh)

सुर्ख़ियों में क्यों?

बांग्लादेश को वर्ष 2021 में **भारत-पाकिस्तान युद्ध (वर्ष 1971)** के परिणामस्वरूप स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। वर्ष 2021 में इस युद्ध के **50 वर्ष (स्वर्ण जयंती)** पूर्ण हो जाएंगे।

संबंधों के विभिन्न पहलू और सहयोग के क्षेत्र

- **व्यापार संबंध:** बांग्लादेश, दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा **व्यापार भागीदार** देश है।
    - व्यापार असंतुलन के निवारणार्थ भारत ने बांग्लादेश के कई उत्पादों को शुल्क मुक्त घोषित किया है। साथ ही, भारत अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 10 एकीकृत चेक पोस्ट भी विकसित कर रहा है।
- **विकास साझेदारी:** बांग्लादेश, विगत 8 वर्षों में, सड़क, रेलवे, पोत परिवहन और बंदरगाहों जैसे विभिन्न क्षेत्रकों में **भारत के लाइन ऑफ क्रेडिट (8 बिलियन अमेरीकी डॉलर) के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक रहा है।**
    - भारत ने विकास सहायता के संबंध में बांग्लादेश की **लघु विकास परियोजनाओं (Small Development Projects: SDPs)** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत सरकार ने बांग्लादेश में शैक्षणिक भवनों, सांस्कृतिक केंद्रों और अनाथालयों सहित 55 SDPs को वित्त पोषित किया है।
- **विदेश नीति:** बांग्लादेश, भारत की प्रमुख **'नेबरहुड फर्स्ट (Neighborhood First)'** और **'एक्ट ईस्ट (Act East)'** नीतियों के केंद्र में है। साथ ही, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में बांग्लादेश की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।
- **मानवीय सहायता:** भारत ने बांग्लादेश के संकटों के दौरान सदैव सबसे पहले सहायता की है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात सिद्र (वर्ष 2007) द्वारा उत्पन्न संकट या वर्तमान कोविड-19 वैश्विक महामारी जैसी स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान (पीपीई किट, दवाइयों की आपूर्ति करके)।
- **सैन्य सहयोग:** दोनों देशों के सशस्त्र बल नियमित रूप से **'संप्रीति' और 'मिलन'** जैसे संयुक्त **सैन्य अभ्यास** करते हैं। भारत ने बांग्लादेश को भारत से रक्षा उत्पादों को आयात करने के लिए 500 मिलियन डॉलर का **लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान** किया है।
- **सुरक्षा:** भारत-बांग्लादेश सुरक्षा और आसूचना संबंधी सहयोग के परिणामस्वरूप **पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत विरोधी आतंकवादी शिविरों और उग्रवाद पर अंकुश** स्थापित हुआ है। बांग्लादेश में उग्रवाद को नियंत्रित करने में भी यह सहयोग प्रभावी रहा है।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** दोनों देश सार्क, बिम्सटेक, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन और राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। हाल ही में, बांग्लादेश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के निर्वाचन का समर्थन किया है।
- **कनेक्टिविटी:**
    - दोनों देशों की सरकारों द्वारा वर्ष 1965 के पूर्व भारत और बांग्लादेश के मध्य विद्यमान रेल संपर्क और अन्य कनेक्टिविटी संबंधी संपर्कों को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। **उदाहरणार्थ- हाल ही में, भारत में हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश में चिल्हाटी के मध्य रेल संपर्क का उद्घाटन किया गया तथा अखौरा-अगरतला रेल संपर्क पर कार्य प्रगति पर है।**
    - दोनों देश चार दक्षिण एशियाई पड़ोसियों, यथा- **बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और इंडिया (BBIN)** के मध्य यात्री, व्यक्तिगत एवं मालवाहक वाहनों के आवागमन के विनियमन के लिए **मोटर यान समझौते (Motor Vehicles Agreement: MVA), 2015** के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध हैं।
    - हाल ही में, बांग्लादेश ने भारत के **पूर्वोत्तर** राज्यों में माल-परिवहन के लिए अपने अंतर्देशीय मार्ग और **चटगांव एवं मोंगला बंदरगाहों** का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की है।
- **सीमा प्रबंधन:** भारत, बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। वर्ष 2015 में **भूमि सीमा समझौते (Land Boundary Agreement: LBA)** के अनुसमर्थन और वर्ष 2014 में बंगाल की खाड़ी में **समुद्री सीमा के परिसीमन** ने दोनों देशों के मध्य दीर्घ समय से लंबित सीमा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान किया है।

VISION IAS

- **पर्यटन:** भारत में रोगों का उपचार कराने आने वाले अंतर्राष्ट्रीय रोगियों के 35% से अधिक की हिस्सेदारी बांग्लादेश की है। साथ ही, बांग्लादेश, भारत के चिकित्सा पर्यटन के कुल राजस्व में 50% से अधिक का योगदान करता है।
- **पारिस्थितिकी संरक्षण:** दोनों देशों ने **वर्ष 2011 में सुंदरवन के संरक्षण के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।**
- **क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास:** भारत सरकार बांग्लादेश सिविल सेवा के अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करती रही है। बांग्लादेश, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (Indian Technical and Economic Cooperation: ITEC) का भी एक महत्वपूर्ण भागीदार देश है तथा बांग्लादेश के लगभग 800 प्रतिभागी प्रति वर्ष ITEC प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का लाभ उठाते हैं।
    - इसके अतिरिक्त, IITs और NIITs में बांग्लादेश से आए छात्रों को ICCR (भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद) द्वारा प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

भारत-बांग्लादेश संबंध का क्रमिक विकास

- ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारत और बांग्लादेश के मध्य मित्रता का विगत 50 वर्षों के दौरान क्रमिक विकास होता रहा है।
- **बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत द्वारा राजनीतिक, राजनयिक, सैन्य और मानवीय सहयोग** ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात् बांग्लादेश की विभिन्न सरकारों के शासनकाल के दौरान भारत-बांग्लादेश संबंधों में उतार-चढ़ाव हुआ है।**
- हालांकि, **विगत दशक में भारत-बांग्लादेश के संबंध और घनिष्ठ हुए हैं तथा दोनों देश परस्पर संबंधों की नई दिशा की ओर अग्रसर भी हुए हैं।** ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों ने व्यापार, संपर्क, ऊर्जा व रक्षा क्षेत्रों में और अधिक घनिष्ठ **सहयोग आरंभ किए हैं।**

संबंधों के समक्ष विद्यमान चुनौतियां

- **सीमा-पार प्रवासन:** बांग्लादेश से अवैध प्रवासन ने उत्तर पूर्व के सीमावर्ती राज्यों में जनसांख्यिकीय बदलाव किए हैं। इससे स्थानीय लोगों और प्रवासियों के मध्य सामाजिक-नृजातीय तनाव उत्पन्न हुआ है।
    - हाल ही में, असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (National Registration of Citizens: NRC) संपन्न किया गया। इसके परिणामस्वरूप, निर्वासन (deportation) के उपरांत सीमा-पार से हजारों लोगों के अंतर्वाह (बांग्लादेश में) के प्रति बांग्लादेश के लोगों ने चिंता व भय व्यक्त किया है।
    - इसी प्रकार, नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act: CAA) के प्रति बांग्लादेश में व्यापक रोष प्रकट किया गया था और बांग्लादेश ने अपने विदेश मंत्री की भारत यात्रा को रद्द कर दिया था।
- **जल विवाद:** भारत और बांग्लादेश गंगा एवं ब्रह्मपुत्र सहित 54 नदियों को साझा करते हैं। इनसे संबंधित प्रमुख मुद्दे नदी जल के बंटवारे, नदियों को जोड़ने और बांधों के निर्माण से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए, **तीस्ता नदी जल विवाद।** भारत ने बांग्लादेश के कारखानों द्वारा **चूर्णी नदी के** ऊपरी प्रवाह में बहिःस्त्रावी अपशिष्टों के कारण **प्रदूषण के बढ़ते स्तर** पर भी चिंता व्यक्त की है।
- भारत और बांग्लादेश ने जल विवाद के समाधान के लिए एक **संयुक्त नदी आयोग (Joint River Commission: JRC)** की स्थापना की है। हालांकि, JRC की विश्वसनीयता पर संदेह प्रकट किया गया है और हाल ही में JRC में सुधार की मांग अत्यधिक सक्रिय हो गई है।
- **बढ़ती कट्टरता:** बांग्लादेश में कट्टरता में वृद्धि हो रही है और इसलिए, बांग्लादेश की राजनीति में भी कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ा है। इस क्षेत्र में इस्लामिक स्टेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों की बढ़ती उपस्थिति भी भारत के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है।

- **सीमा-पार अपराध:** दुर्गम भू-प्रदेश और असुरक्षित सीमा या छिद्रिल सीमा (porous border) के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में हथियारों, मादक द्रव्यों, जाली भारतीय मुद्राओं, मवेशी की तस्करी और महिलाओं एवं बच्चों के दुर्व्यापार जैसे अपराध होते रहते हैं।
- **भारत को लेकर नकारात्मक धारणा:** भारत में अल्पसंख्यकों के साथ किए जा रहे व्यवहार को लेकर बांग्लादेश में सार्वजनिक रूप से रोष उभर रहा है। इस प्रकार की धारणा का आधार विभिन्न मीडिया रिपोर्टें हैं, जिनका उपयोग कट्टरपंथी समूहों द्वारा अपनी विचारधारा और अधिप्रचार (Propaganda) के लिए किया जाता है।

भारत-बांग्लादेश बनाम भारत-पाकिस्तान: विरोधाभास और सीख

विगत 50 वर्षों के दौरान पूर्व में भारत और बांग्लादेश द्वारा द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग किया जाता रहा है। ऐसा उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान के साथ संभव नहीं हो सका है। इसके लिए निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है-

- **राजनीतिक स्थिरता और नीतिगत निरंतरता:** इससे दिल्ली और ढाका को विगत एक दशक में द्विपक्षीय संबंधों को घनिष्ठ करने में सहायता प्राप्त हुई है।
    - इसके विपरीत, दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनीतिक चक्र संभवत: ही कभी समकालीन रहे हैं।
- **परस्पर सुरक्षा को लेकर चिंता:** आतंकवाद का सामना करने में परस्पर सहयोग ने ढाका और दिल्ली के मध्य घनिष्ठ पारस्परिक विश्वास का निर्माण किया है। इस घनिष्ठ विश्वास ने दोनों देशों के संबंधों के सामने आने वाले कई जटिल मुद्दों का समाधान करने में सहायता की है।
    - पाकिस्तान के मामले में, उसकी सेना ने भारत को कश्मीर पर समझौता करने हेतु विवश करने के लिए सीमा-पार आतंकवाद का एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग किया है।
- **महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों का गैर राजनीतिकरण:** दिल्ली और ढाका व्यापार, पारगमन बिंदु और कनेक्टिविटी से संबद्ध मुद्दों पर उनसे संबंधित लाभों के आधार पर समाधान करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे हैं।
    - दूसरी ओर, पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर द्विपक्षीय वाणिज्यिक सहयोग और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बाधित करता रहा है।

आगे की राह

दोनों देशों के राजनीतिक नेताओं द्वारा इस क्षेत्र को शांतिपूर्ण, समृद्ध और प्रगतिशील बनाने के लिए प्रगतिशील साझेदारी की दिशा में दृढ़तापूर्वक प्रयास करना चाहिए। इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

- **सीमा-पार प्रवासन से निपटना:** नागरिकता संबंधी दावे की पुष्टि करने वाले पहचान संबंधी दस्तावेजों को जारी करने में पारदर्शिता लाने और संबंधित अवसंरचना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस संबंध में, मुख्य रूप से सीमावर्ती राज्यों में, **जमीनी स्तर पर शासन के डिजिटलीकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।**
- **जल संसाधनों का प्रबंधन:** तीस्ता नदी के मुद्दे को शीघ्रता से हल करने की आवश्यकता है। साथ ही, दोनों देशों को **नदी बेसिन के संपूर्ण विस्तार पर आधारित दृष्टिकोण (basin-wide approach)** के साथ नदियों के प्रबंधन की एक रूपरेखा तैयार करने की संभावना का भी अन्वेषण करना चाहिए।
- **लोगों के मध्य संपर्क को प्रोत्साहित करना:** इसका उपयोग अधिप्रचार (Propaganda) और मिथ्या सूचना का सामना करने के लिए किया जा सकता है। बांग्लादेश में भारत के बारे में सार्वजनिक धारणा के प्रबंधन की दिशा में कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। साथ ही, दोनों देशों के मध्य आतंकवाद-विरोधी सहयोग को सुदृढ़ करने पर पर्याप्त बल दिया जाना चाहिए।
- **व्यापार संबंधी मुद्दों के समाधान में सहयोगात्मक दृष्टिकोण:** भारत और बांग्लादेश को एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और भविष्य के किसी भी टकराव से बचने के लिए नीतियों को तदनुसार तैयार किया जाना चाहिए। इस संबंध में भारत द्वारा बांग्लादेश में और बांग्लादेश द्वारा भारत में निवेश करने में वृद्धि करना आरंभिक कदम माना जा सकता है।

बांग्लादेश: विकासशील विश्व के लिए एक आदर्श

- बांग्लादेश में प्रभावशाली आर्थिक और सामाजिक प्रगति न केवल दक्षिण एशिया के लिए बल्कि संपूर्ण विकासशील विश्व के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। वर्ष 1972 में विश्व के सबसे निर्धन देशों में शामिल **बांग्लादेश वर्तमान में इस दशक के अंत तक विश्व की शीर्ष 25 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में शामिल होने की ओर अग्रसर है।**
- इसका प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 2,000 डॉलर (लगभग भारत के ही समान) से कुछ ही कम है। आगामी पांच वर्षों में (2026 तक) बांग्लादेश अल्प विकसित देश की श्रेणी से बाहर हो जाएगा और वह विकासशील देशों के वर्ग में भारत के समकक्ष हो जाएगा।

©Vision IAS

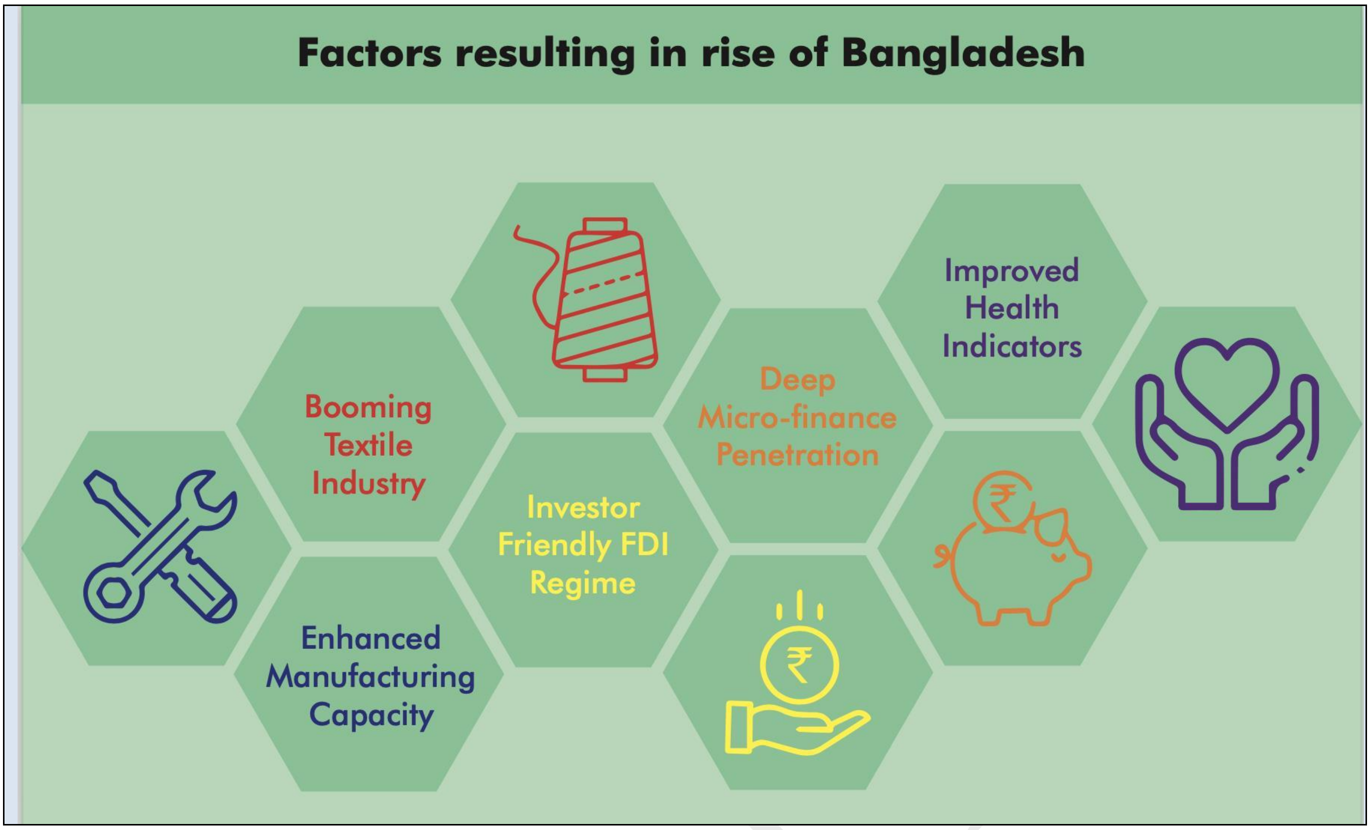

2.2. भारत-कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया) द्विपक्षीय संबंध {India-Republic of Korea (South Korea) Bilateral Relations}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत और दक्षिण कोरिया ने रक्षा सहयोग पर अपनी द्विपक्षीय वार्ता संपन्न की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत और दक्षिण कोरिया ने रक्षा एवं सुरक्षा संबंधों का समग्र विस्तार करते हुए **सैन्य हार्डवेयर का संयुक्त उत्पादन और निर्यात करने, खुफिया जानकारी साझा करने तथा साइबर एवं अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने** पर सहमति व्यक्त की है।
- दक्षिण कोरिया ने **भारत के दो रक्षा गलियारों में भी अपनी रुचि प्रकट की** है।
    - सरकार विभिन्न रक्षा औद्योगिक इकाइयों के मध्य कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दो रक्षा औद्योगिक गलियारों **(एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में)** की स्थापना पर कार्य कर रही है।

भारत दक्षिण कोरिया संबंधों में प्रमुख आधार क्या रहे हैं?

- **राजनीतिक:**
    - भारत ने **वर्ष 1945 में कोरिया की स्वतंत्रता के उपरांत कोरियाई मामलों में महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाई है।** कोरियाई युद्ध (1950-53) के दौरान दोनों युद्धरत पक्षों ने भारत द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव को स्वीकार किया था।
    - **दोनों देशों द्वारा वर्ष 1962 में द्विपक्षीय दूतावास संबंधी संबंधों को स्थापित किया गया था।**
    - वर्ष 2015 में द्विपक्षीय संबंधों को **'विशेष रणनीतिक साझेदारी' (special strategic partnership)** तक उन्नत किया गया।

    - कालांतर में, दक्षिण कोरिया ने **"न्यू एशिया कम्युनिटी प्लस" रूपरेखा** के अंतर्गत भारत के साथ संबंधों को **चार पारंपरिक भागीदारों (अमेरिका, चीन, जापान और रूस)** के समतुल्य अपग्रेड करने की घोषणा की थी।
- **वाणिज्यिक संबंध:**
    - **वर्ष 2010 में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (Comprehensive Economic Partnership Agreement: CEPA)** के कार्यान्वयन के साथ ही व्यापार और आर्थिक संबंधों में वृद्धि हुई है।
        - CEPA, दोनों देशों को वस्तुओं की विस्तृत श्रृंखला पर आयात प्रशुल्क कम करने या समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध करता है।
    - **वर्ष 2020 में कोरिया के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 1.72%** थी और वर्ष **2020 में ही कोरिया के वैश्विक आयात में भारत का योगदान 1.05%** था।
        - **भारत द्वारा कोरिया को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं** खनिज ईंधन/तेल आसुत (मुख्य रूप से नेफ्था), अनाज, लोहा और इस्पात हैं।
        - **कोरिया द्वारा भारत को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं** मोटरवाहनों के कलपुर्जे, दूरसंचार संबंधी उपकरण, हॉट रोल्ड लौह उत्पाद, परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद, न्यूक्लियर रिएक्टर आदि हैं।
    - **भारत में दक्षिण कोरियाई निवेश को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए वर्ष 2016** में भारत व दक्षिण कोरिया द्वारा **'कोरिया प्लस'** पहल को आरंभ किया गया था।
        - सैमसंग, हुंडई मोटर्स और LG जैसे प्रमुख दक्षिण कोरियाई व्यावसायिक समूहों ने भारत में अत्यधिक निवेश किया है।
- **सांस्कृतिक संबंध:**
    - **चौथी शताब्दी में भारत से पूर्वी एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार ने दोनों देशों के मध्य प्रत्यक्ष संबंध का निर्माण किया** है और तब से यह एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु बना हुआ है।
    - सांस्कृतिक आदान-प्रदान में और अधिक वृद्धि करने के लिए **सियोल एवं बुसान में भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की गई थी।**
    - **दोनों देशों के मध्य लोगों से लोगों के मध्य संबंधों और यात्रा** को बढ़ावा देने के लिए, भारत ने वर्ष 2014 से कोरियाई पर्यटकों को आगमन पर वीजा की सुविधा प्रदान की है।
    - कोरिया में वर्ष 2015 में **सारंग (SARANG) शीर्षक से भारत का वार्षिक** उत्सव आरंभ किया गया था।
    - भारत आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, योग और होम्योपैथी के पाठ्यक्रमों सहित विभिन्न कार्यक्रमों एवं विषयों के लिए **कोरियाई नागरिकों को छात्रवृत्ति व फेलोशिप** प्रदान करता है।

परस्पर सहयोग के उभरते नए क्षेत्र

- **अफगानिस्तान में सहयोग:** हाल ही में, कोरिया ने **अफगानिस्तान में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों** के विकास के लिए भारत के साथ त्रिपक्षीय भागीदारी निर्मित करने पर सहमति व्यक्त की है।
- **कोरिया द्वारा भारत को परमाणु क्षेत्र में समर्थन:**
    - परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) के सदस्य के रूप में **दक्षिण कोरिया ने भारत की सदस्यता का समर्थन किया है।**
    - कोरिया, भारतीय असैन्य परमाणु उद्योगों सहित सामरिक क्षेत्रकों में भी संबंधों को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहा है।
- **साझा लोकतंत्र संबंधी मूल्य:** एशिया के मध्यम शक्ति वाले लोकतांत्रिक देशों के रूप में इनके समक्ष सर्वसत्तावादी गैर-लोकतांत्रिक देशों से खतरों में वृद्धि हो रही है। इसलिए, लोकतंत्र का निर्माण और उससे संबंधित सहयोग एक महत्वपूर्ण मंच हो सकता है।
- **बॉलीवुड, के-पोप (K-pop) और कोरियाई व्यंजन:** वर्षों से, कोरियाई व्यंजन और टीवी धारावाहिकों के लिए भारत के पूर्वोत्तर के कई राज्य महत्वपूर्ण नए बाजार के रूप में उभरे हैं।
- **स्वच्छ भारत और न्यू विलेज मूवमेंट (NVM):** भारत अपने स्वच्छ भारत अभियान के लिए दक्षिण कोरिया के अनुभव विशेष रूप से उसके सीमौलउन्डोन्ग या NVM से काफी कुछ ग्रहण कर सकता है।
- उपर्युक्त क्षेत्रों के अतिरिक्त, एशियाई और दक्षिण एशियाई क्षेत्र की भू-राजनीतिक एवं भू-आर्थिक स्थिति ने दोनों राष्ट्रों को रक्षा सहयोग के मामले में एकजुट किया है।

दक्षिण कोरिया के साथ भारत का रक्षा सहयोग कैसे बढ़ रहा है?

- वर्ष 2005 में, दोनों पक्षों ने **रक्षा और लॉजिस्टिक में सहयोग करने से संबंधित समझौते** पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अतिरिक्त, **वर्ष 2006 में** दोनों देशों द्वारा **तटरक्षक बलों के मध्य सहयोग से संबंधित एक** अन्य समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए थे।
- वर्ष 2010 में, **अनुसंधान और विकास में सहयोग के लिए** रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research and Development Organization: DRDO) तथा कोरिया के डिफेंस ऐक्वज़िशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन (DAPA) द्वारा **रक्षा सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन (MoU)** पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- वर्ष 2019 में, दोनों पक्षों ने दो समझौतों को संपन्न किया, अर्थात्:
    - **नौसेना संभार-तंत्र सहभाजन समझौता (Naval logistics sharing pact):** इससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की पहुँच में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। साथ ही, दक्षिण कोरिया भी संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस की भांति भारत के घनिष्ठ साझेदारों में शामिल होगा, क्योंकि भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका व फ्रांस के साथ भी यह द्विपक्षीय समझौता किया है।
    - **रक्षा संबंधी शैक्षणिक विनिमय।**

- वर्ष 2019 में, दोनों देशों ने एक **भविष्य उन्मुख रोडमैप** तैयार किया था, जो **द्विपक्षीय रक्षा उद्योग सहयोग** को सुचारू और सुदृढ़ बनाएगा।
- भारत ने **दक्षिण कोरियाई उद्योग को** भारत के सार्वजनिक क्षेत्रक के रक्षा उपक्रमों (PSU) द्वारा आयातित मुख्य हथियार प्रणालियों में उपयोग होने वाले घटकों **के स्थानीय (भारत में) स्तर पर उत्पादन की व्यवहार्यता का अन्वेषण करने के लिए भी आमंत्रित किया है।**

निष्कर्ष

चीन के साथ अपनी आर्थिक संलग्नता को लेकर दक्षिण कोरिया अपनी नीतियों में परिवर्तन कर रहा है। इसने भारत सहित अन्य एशियाई शक्तियों के प्रति **दक्षिण कोरिया** की रणनीति को प्रभावित किया है। भारत को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि **दक्षिण कोरिया भारत की आर्थिक संवृद्धि में एक प्रमुख आर्थिक साझेदार बन सकता है।** इस प्रकार की संलग्नता से भारत को मुख्य रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक स्तर पर बढ़ावा मिलेगा।

2.3. भारत और फारस की खाड़ी क्षेत्र (India and Persian Gulf region)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय वायु सेना ने **पहली बार संयुक्त अरब अमीरात की वायु सेना द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास डेजर्ट फ्लैग-VI (वार्षिक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास)** में भाग लिया। यह फारस की खाड़ी क्षेत्र के साथ भारत के बढ़ते सैन्य संबंधों को इंगित करता है।

फारस की खाड़ी क्षेत्र (Persian Gulf Region: PGR) के बारे में

- फारस की खाड़ी क्षेत्र में **8 देश**- ईरान, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत और इराक शामिल हैं। ये देश **अपनी सीमा फारस की खाड़ी** के साथ साझा करते हैं। **फारस की खाड़ी हिन्द महासागर का विस्तार है।** यह होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से हिन्द महासागर (ओमान की खाड़ी) से जुड़ा हुआ है।
- फारस की खाड़ी और इसका तटीय क्षेत्र पेट्रोलियम का **विश्व का सबसे बड़ा एकल स्रोत (विश्व का 50 प्रतिशत तेल भंडार)** है। साथ ही, इस क्षेत्र में संबद्ध उद्योगों की प्रधानता भी है।
    - **सफानिया तेल क्षेत्र (Safaniya Oilfield), जो कि विश्व का सबसे बड़ा अपतटीय तेल क्षेत्र है** फारस की खाड़ी में स्थित है।
- फारस की खाड़ी में **कई मत्स्यन क्षेत्र, व्यापक प्रवाल भित्तियां (अधिकांशतः चट्टानी प्रकार की) और प्रचुर मात्रा में मोती का निर्माण करने वाले सीप** पाए जाते हैं। परन्तु इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को औद्योगीकरण और तेल रिसाव जैसी घटनाओं ने अत्यधिक हानि पहुंचाई है।
- फारस की खाड़ी **वर्ष 1980-1988 के दौरान ईरान-इराक युद्ध का रणक्षेत्र** थी और यह वर्ष **1991 के खाड़ी युद्ध** (कुवैत पर इराक का आक्रमण) का भी क्षेत्र रहा है।
- **फारस की खाड़ी क्षेत्र के साथ भारत का ऐतिहासिक संबंध** पाँच हजार वर्ष प्राचीन है, जब सिंधु घाटी और दिलमुन (वर्तमान बहरीन से संबंधित) की प्राचीन सभ्यताओं के मध्य व्यापार होता था। खाड़ी में ब्रिटिश भारत के साम्राज्यिक हितों का निर्धारण, अनुसरण और प्रशासन बंबई प्रेसीडेंसी से किया जाता था। वर्ष 1960 के दशक के आरंभ तक भारतीय रुपया कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान और ट्रूसियल स्टेट्स (अब इन्हें संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जाना जाता है।) में विधि मान्य मुद्रा (legal tender) थी।
- वर्तमान में, खाड़ी क्षेत्र भौगोलिक निकटता के साथ-साथ विस्तारित हितों और बढ़ते भारतीय प्रभाव क्षेत्र के संदर्भ में **भारत के 'विस्तारित पड़ोस' का एक अभिन्न हिस्सा है।** समय के साथ यह क्षेत्र बढ़ती क्षेत्रीय एवं वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के उत्कर्ष के लिए अत्यधिक महत्व रखता है।

 ©Vision IAS

भारत के लिए फारस की खाड़ी क्षेत्र (PGR) का सामरिक महत्व

फारस की खाड़ी के देशों के साथ भारत का संबंध प्राचीन काल से ही असाधारण रूप से महत्वपूर्ण और बहुआयामी रहा है। संबंधों की बुनियाद **3E, अर्थात् ऊर्जा (Energy), अर्थव्यवस्था (Economy) और प्रवासियों (Expatriates) पर आधारित है।**

- **आर्थिक संबंध (Economy):**
  - **व्यापार:** वर्ष 2019-20 में भारत का खाड़ी देशों के साथ व्यापार, भारत के वैश्विक व्यापार का लगभग **19%** था। **संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और सऊदी अरब क्रमशः भारत के तीसरे एवं चौथे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं।** ज्ञातव्य है कि UAE भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) अंतर्वाह के शीर्ष 10 स्रोतों में शामिल है।
    - व्यापार में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के आयात का प्रभुत्व है। भारत खाड़ी देशों को मुख्य रूप से परिष्कृत बहुमूल्य रत्नों एवं आभूषणों, खनिज ईंधन व परिष्कृत तेल तथा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात करता है।
  - **निवेश:** भारत और इस क्षेत्र के देशों ने भारत के साथ-साथ खाड़ी देशों में भी अवसंरचना के विकास में निवेश किया है। उदाहरण के लिए, सऊदी अरब और अबू धाबी ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी में संयुक्त रूप से विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- **ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security): भारत का 53 प्रतिशत कच्चा तेल और 41 प्रतिशत गैस का आयात इसी क्षेत्र से होता है।**
- **प्रवासी (Expatriates):**
  - **विप्रेषण: PGR में रहने वाले लगभग 9 मिलियन भारतीय 40-50 अरब डॉलर विप्रेषित** करते हैं। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद के **दो प्रतिशत** और देश में कुल विप्रेषण के दो तिहाई के बराबर है।
  - **खाड़ी देशों की स्थिरता:** इस क्षेत्र में व्यापक संख्या में भारतीय प्रवासी आबादी के कारण खड़ी देशों की स्थिरता में भारत की सुदृढ़ और प्रभावशाली स्थिति है। इसके परिणामस्वरूप, वर्तमान संबंधों में विविधता आई है तथा परस्पर सहयोग के दायरे में सुरक्षा और रक्षा संबंधी सहयोग को भी शामिल किया गया है। इसमें **संयुक्त सैन्य अभ्यास, नियमित भारतीय पोत आवागमन और व्यापक आधार पर समझौते ज्ञापन शामिल हैं।**
    - इसके अतिरिक्त, भारत ने वर्ष 2008 से **सोमालिया के तट पर समुद्री डकैती विरोधी गश्त** में अपनी संयुक्त भागीदारी के माध्यम से खाड़ी देशों की समुद्री सीमा की स्थिरता और सुरक्षा बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई है।
- **सहयोग के अन्य क्षेत्र:**
  - **भारत खाड़ी देशों के रणनीतिक भागीदार के रूप में:** भारत ने आतंकवाद का मुकाबला करने, धनशोधन, साइबर सुरक्षा, संगठित अपराध, मानव तस्करी और समुद्री डकैती जैसे विभिन्न मुद्दों पर वर्ष 2003 से खाड़ी के चार देशों यथा ईरान, ओमान, सऊदी अरब और UAE के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार किया है।
  - **विदेश नीति:** भौगोलिक दृष्टि से यह भौगोलिक निकटता, हितों के विस्तार और **इस संपूर्ण क्षेत्र में बढ़ते भारतीय प्रभाव** के संदर्भ में **"भारत के विस्तारित पड़ोस"** का एक अभिन्न भाग है। उदाहरण के लिए ईरान, चाबहार पत्तन का विकास करने और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) एवं अश्गाबात समझौते के माध्यम से अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरोप तक एक वैकल्पिक मार्ग जैसी परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है।

रणनीतिक साझेदारी (Strategic partnerships)

- 'रणनीतिक संबंध' में दो या दो से अधिक देशों के मध्य उनके परिवेश में व्याप्त खतरों की प्रकृति के संदर्भ में साझा समझ शामिल होती है और वे **इन खतरों का शमन करने के सहायतार्थ सामूहिक शक्ति** को समाविष्ट करते हैं।
- **भारत की लगभग 30 देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी है**, जिसमें अमेरिका, चीन, रूस, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, जापान, फ्रांस और जर्मनी जैसे कुछ प्रमुख देश शामिल हैं।
- हालांकि, सभी रणनीतिक साझेदारियां एक समान नहीं हैं और ना ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न देशों के साथ रणनीतिक **संबंधों में विभिन्न आयाम प्रमुख भूमिका निभाते हैं।**

संबंधों के समक्ष विद्यमान चुनौतियां

- **संबंधों को संतुलित करना:** इसके तहत भारत के लिए महत्वपूर्ण चुनौती अमेरिकी प्रतिबंधों के दौरान ईरान के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने में होगी। साथ ही सऊदी अरब, ईरान एवं इजराइल के मध्य भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के संदर्भ में संतुलित भूमिका निभाना भी भारत के लिए चुनौतीपूर्ण होगा।
- **लोगों की सुरक्षा:** इन देशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा भारत सरकार के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता है।

- **संरक्षणवाद:** खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) की संरक्षणवादी नीतियों का प्रवासी भारतीयों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है।
    - उदाहरण के लिए, इन देशों द्वारा अपने स्थानीय लोगों के लिए स्थानीय रोजगार में आरक्षण की नीति के परिणामस्वरूप भारत से GCC देशों में उत्प्रवास कम हुआ है। इसके साथ ही, रोजगार संबंधी हानि, प्रवासी श्रमिकों द्वारा आत्महत्या, वेतन का भुगतान न करना और श्रम अधिकारों और लाभों से वंचित करने जैसी समस्याएं भी विद्यमान हैं।
- **नागरिकों के मध्य बढ़ती कट्टरता:** आतंकवाद की बढ़ती घटनाएं, आतंकी संगठनों का विस्तार और इस्लामिक स्टेट (IS) के पुनः उभरने की संभावना भारत और इस क्षेत्र के देशों के लिए चिंता का विषय है।
- **कोरोना संकट:** ऐतिहासिक रूप से तेल के कम मूल्यों और कोविड-19 वैश्विक महामारी के परिणामस्वरूप तेल की वैश्विक मांग में गिरावट के कारण GCC में गतिरोध उत्पन्न हुआ है। इस गतिरोध के भारत के लिए आर्थिक निहितार्थ होने और इस क्षेत्र में रहने एवं कार्य करने वाले व्यापक संख्या में भारतीयों के लिए कल्याणकारी आशय होने की संभावना है।
- **चीन का बढ़ता प्रभाव:** हाल ही में चीन और ईरान ने 25 वर्षीय रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ईरान में चीन की बढ़ती उपस्थिति से भारत अपनी रणनीतिक भागीदारी (जैसे चाबहार पत्तन परियोजना के पूर्ण होने) को लेकर चिंतित है।

खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council: GCC)

- GCC का गठन **बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE** के मध्य उनके विशेष संबंधों, भौगोलिक निकटता, इस्लामी मान्यताओं पर आधारित राजनीतिक प्रणालियों, संयुक्त नियति और साझा उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1981 में संपन्न एक समझौते द्वारा किया गया था।
- GCC का सचिवालय **सऊदी अरब के रियाद** में स्थित है।
- यह अपने चार्टर के अनुसार एक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय संगठन है।

आगे की राह

वाणिज्यिक और व्यापारिक संबंधों में ह्रासमान प्रवृत्तियों के बावजूद आतंकवाद एवं उग्रवाद के प्रति साझा चिंताओं के कारण **भारत तथा खाड़ी देशों के मध्य संबंध प्रगतिशील रहेंगे।** दीर्घकालिक आधार पर भारत को स्वास्थ्य देखभाल में सहयोग के साथ-साथ भारत और खाड़ी देशों के मध्य सहक्रिया के लिए नए संचालकों का अन्वेषण करने की आवश्यकता है। साथ ही, भारत को परस्पर सहयोग का विस्तार उन क्षेत्रकों तक करना चाहिए, जिसमें भारत को तुलनात्मक लाभ की स्थिति प्राप्त है। उदाहरण के लिए, औषध अनुसंधान और उत्पादन, पेट्रोरसायन परिसर आदि।

2.4. सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty: IWT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय और पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडलों ने ढाई से अधिक वर्षों के उपरांत स्थायी सिंधु आयोग (Permanent Indus Commission) की 116वीं बैठक संपन्न की है।

सिंधु जल संधि (IWT) के बारे में

- **भारत और पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से IWT पर हस्ताक्षर किए थे।**
- IWT ने सिंधु नदी तंत्र के जल के उपयोग से संबंधित **दोनों देशों के अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित एवं परिसीमित किया है।**
- इसमें **बांधों, लिंक नहरों, बैराजों और नलकूपों** विशेष रूप से सिंधु नदी पर तारबेला बांध व झेलम नदी पर मंगला बांध **के वित्तपोषण एवं निर्माण** का प्रावधान किया गया था।
- यह संधि **स्थायी सिंधु आयोग के गठन** का प्रावधान करती है। इस आयोग में दोनों देशों के आयुक्त शामिल होंगे। ये आयुक्त दोनों देशों के मध्य इस संबंध में संचार के माध्यम को बनाए रखेंगे और इस संधि के कार्यान्वयन से संबंधित समस्याओं का समाधान करने का भी प्रयास करेंगे।
- इस संधि के तहत सिंधु नदी तंत्र की नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में विभाजित किया गया है।

- भारत को **पूर्वी नदियों यथा सतलज, ब्यास और रावी** का संपूर्ण जल (जिनका वार्षिक जल प्रवाह लगभग 33 मिलियन एकड़ फीट (MAF) है) आवंटित किया गया है और इसके उपयोग के संबंध में भारत पर कोई प्रतिबंध नहीं है। **पश्चिमी नदियों यथा सिंधु, झेलम और चिनाब** का जल (जिनका वार्षिक जल प्रवाह लगभग 135 MAF है) **का अधिकांश भाग पाकिस्तान को आवंटित किया गया है।**
    - इस संधि के तहत भारत को पश्चिमी नदियों पर रन-ऑफ-द-रिवर परियोजनाओं के माध्यम से जलविद्युत उत्पादन का अधिकार है। परन्तु इन परियोजनाओं का डिजाइन और परिचालन संधि में निर्दिष्ट विशिष्ट मानदंडों के अधीन हैं। साथ ही, इस संधि के तहत पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों पर भारतीय जलविद्युत परियोजनाओं के डिजाइन के संबंध में आपत्ति व्यक्त करने का अधिकार है।

रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना (Run-of-the-river Project)

रन-ऑफ-द-रिवर प्रोजेक्ट: यह जल-विद्युत उत्पादन का एक प्रकार है। इसमें विद्युत उत्पन्न करने के लिए किसी नदी के प्राकृतिक और अधोमुखी प्रवाह (निचली धारा) का उपयोग किया जाता है। इसके तहत जल का संग्रह न के बराबर या अत्यल्प मात्रा में किया जाता है।

इस संधि से संबंधित प्रचलित मुद्दे क्या हैं?

पश्चिमी नदियों पर भारतीय परियोजनाओं का पाकिस्तान द्वारा किया जाने वाला विरोध इस संधि के समक्ष विद्यमान प्रमुख मुद्दा है। पाकिस्तान का विरोध मुख्य रूप से इस मुद्दे पर है कि क्या झेलम और चिनाब पर परियोजनाओं का निर्माण करने के दौरान संधि में निर्दिष्ट तकनीकी विनिर्देशों का अनुपालन हो रहा है या नहीं।

इस मुद्दे को कई परियोजनाओं में अभिव्यक्त किया गया है:

- **किशनगंगा जलविद्युत परियोजना (KYP), झेलम:** पाकिस्तान ने इस परियोजना के निर्माण का आरंभ से ही विरोध किया है। साथ ही,पाकिस्तान ने इस संबंध में अपने पक्ष को लेकर विश्व बैंक से भी संपर्क किया है।
- **रतले जलविद्युत परियोजना, चिनाब:** इस संधि में निर्दिष्ट तकनीकी विनिर्देशों के अनुपालन के संदर्भ में इस परियोजना के डिजाइन को लेकर विश्व बैंक के साथ वार्ता जारी है।
- **अन्य परियोजनाएं:** मारुसुदर नदी (चिनाब की सहायक नदी) पर पाकल डल जलविद्युत परियोजना, मियारनाला नदी (चिनाब की सहायक नदी) पर मियार बांध और चिनाब पर लोअर कलनाई के संबंध में भी आपत्ति व्यक्त की गई है।

  जल विभाजन भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए संवेदनशील मुद्दा है। इसलिए, इन मुद्दों से संबंधित चर्चाएं अत्यधिक राजनीतिक रूप ग्रहण कर लेती हैं। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान अपनी पूर्वी सीमा पर नहरों के आसपास अधिक संख्या में सैनिकों की तैनाती और चौकसी बनाए रखता है, क्योंकि उसे लगता है कि भारत द्वारा पश्चिमी नदियों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाएगा। इन मुद्दों के अतिरिक्त, **सिंधु जल संधि भारत-पाकिस्तान संबंधों के समग्र घटनाक्रम से भी प्रभावित होती है।**

इस संधि का निरसन व्यवहार्य विकल्प क्यों नहीं है?

- **अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध:** IWT में एकपक्षीय निकास (Unilateral Exit) का प्रावधान नहीं है। तकनीकी रूप से देखें तो संधियों के कानून पर वियना कन्वेंशन (Vienna Convention on the Law of Treaties) के अंतर्गत संधि से पृथक होने और निकलने का प्रावधान है। हालांकि, IWT को निरस्त करने के लिए इन प्रावधानों का उचित रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है।
    - यहाँ तक कि भारत और पाकिस्तान के मध्य राजनयिक और दूतावास संबंधी संबंधों का विच्छेद भी IWT को निरस्त नहीं कर सकता है।
- **भारत से प्रवाहित होने वाली नदियों के निचले अनुप्रवाह मार्ग में स्थित देशों पर प्रभाव:** IWT का निरसन भारत **से प्रवाहित होने वाली नदियों के निचले अनुप्रवाह मार्ग में स्थित** देश बांग्लादेश में भारत की मंशा को लेकर संदेह हो सकता है। बांग्लादेश, भारत से प्रवाहित होने वाली नदियों से अपना लगभग 91% जल प्राप्त करता है।
- **जलवैज्ञानिक आंकड़ों पर चीन का सहयोग:** हालिया वर्षों में चीन और पाकिस्तान के मध्य गठजोड़ में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसलिए, यदि इस संधि को निरस्त किया जाता है, तो चीन प्रत्युत्तरस्वरूप भारत को साझी नदियों के संबंध में जलवैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध करवाना रोक सकता है।
    - इस प्रकार के आंकड़े तिब्बत से प्रवाहित होकर अरुणाचल प्रदेश में आने वाली जल की मात्रा का मापन करने और राज्य में किसी भी बड़ी आपदा या बाढ़ को रोकने के उपाय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

आगे की राह

हालांकि, इस संधि ने अपने आरंभ में तात्कालिक रूप से कुछ उद्देश्यों की पूर्ति की थी, वहीं अब **जलवैज्ञानिक संबंधी वास्तविकताओं, बांध निर्माण और गाद हटाने में उन्नत इंजीनियरिंग विधियों के नए समुच्चय** के साथ, इस संधि पर नए सिरे से विचार करने की तत्काल आवश्यकता है।

द्विपक्षीय चुनौतियों का समाधान करने और सिंधु जल तंत्र के संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं:

- **विश्व स्तर पर भारत की स्थिति के प्रति समर्थन जुटाना:** नदियों के उद्गम और नदियों के ऊपरी प्रवाह मार्ग में स्थित देश होने के बावजूद भी भारत वर्षों से एक उदार देश रहा है, क्योंकि इसने अपनी संधि के तहत जल भंडारण की निर्धारित क्षमता का केवल 93% ही उपयोग किया है। इसके अतिरिक्त, कश्मीर की तीन पश्चिमी नदियों (**सिंधु, झेलम और चिनाब**) में 11406 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता अनुमानित है, जबकि भारत ने अब तक केवल 3034 मेगावाट विद्युत क्षमता का ही दोहन किया है।
    - विश्व बैंक को शामिल कर इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के पाकिस्तान के प्रयासों का सामना करने के लिए इस स्थिति का समर्थन लिया जा सकता है।
- **अनुमेय भंडारण क्षमता का उपयोग करना:** भारत जानबूझकर ही पश्चिमी नदियों के संबंध में IWT द्वारा प्रदान की गई 3.6 मिलियन एकड़ फीट (MAF) की "अनुमेय भंडारण क्षमता" का उपयोग नहीं कर रहा है। इसका कारण यह है कि निम्नस्तरीय जल विकास परियोजनाओं से 2-3 MAF जल सुगमता से प्रवाहित हो कर पाकिस्तान में चला जाता है।
- **नई जल वैज्ञानिक वास्तविकताओं के आलोक में संशोधन:** वर्षों के दौरान बांध निर्माण और गाद हटाने में उन्नत इंजीनियरिंग विधियों का विकास हुआ है। इन्हें संधि में शामिल करने के लिए तत्काल संशोधन करने की आवश्यकता है।
- **सहयोग प्राप्त करना:** जहां भी संभव हो पाकिस्तान से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, IWT का अनुच्छेद VII "भविष्य में सहयोग" के बारे में उल्लेख करता है और नदियों पर संयुक्त अध्ययन एवं इंजीनियरिंग संबंधी कार्य आरंभ करने का आह्वान करता है।

2.5. क्वाड (Quad)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया** तथा **जापान** के नेताओं ने "क्वाड (QUAD)" की प्रथम आभासी शिखर वार्ता में भाग लिया।

क्वाड क्या है?

क्वाड या चतुष्कोषीय सुरक्षा संवाद (Quadrilateral Security Dialogue) वस्तुतः चार समान विचारधारा वाले देशों, यथा- भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान को एकजुट कर एक मंच प्रदान करता है। यहाँ समान विचारधारा वालों से तात्पर्य विशेषतः हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक मुद्दों के प्रति झुकाव से है।

क्वाड के उद्भव को निम्नलिखित घटनाक्रमों के द्वारा समझा जा सकता है:

- **आरंभिक चरण:** वर्ष 2004 में हिन्द महासागर में आए सुनामी के प्रभाव के पश्चात् संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत तथा ऑस्ट्रेलिया एक मंच पर एकजुट हुए। बाद में, वर्ष 2007 में चारों देशों के अधिकारियों ने "साझा हितों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए" बैठक की। इसी बैठक में **हिन्द-प्रशांत की अवधारणा की उत्पत्ति** हुई।

- **सुषुप्तावस्था वाला चरण:** आरंभिक दौर की बैठकों के पश्चात्, ऑस्ट्रेलिया ने चीन की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए समूहीकरण से स्वयं को पृथक कर लिया। इससे समूहीकरण की प्रक्रिया निष्क्रिय हो गई और संबद्ध गतिविधियां सामान्यतः त्रि-पक्षीय (यथा जापान, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका) या कभी-कभी द्विपक्षीय (यथा भारत व संयुक्त राज्य अमेरिका) मालाबार युद्धाभ्यास तक ही सीमित हो कर रह गयी।
    - मालाबार युद्धाभ्यास भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य आरंभ किया गया नौसैनिक युद्धाभ्यास है। इसमें जापान तथा ऑस्ट्रेलिया यदा-कदा भाग लेते रहे हैं। (वर्ष 2007 में सिंगापुर ने भी इस युद्धाभ्यास में भाग लिया था।)
- **पुनरुत्थान वाला चरण:** वर्ष 2017 में फिलीपींस में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान इस वार्ता को अनौपचारिक रूप से पुनः आरंभ किया गया, तब से समूहीकरण की गतिविधियों में अत्यधिक वृद्धि दृष्टिगत हुई है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2019 में, क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने पहली बार वाशिंगटन में भेंट की थी। इसके अतिरिक्त, सभी चार क्वाड देशों ने वर्ष 2020 के मालाबार युद्धाभ्यास में भी भाग लिया था। (इस युद्धाभ्यास को अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था।)
  क्वाड के पुनरुत्थान वाले चरण में सबसे हालिया घटनाक्रम "शिखर सम्मेलन स्तर की बैठक" है।

इस शिखर सम्मेलन के मुख्य बिंदु:

इस समूह द्वारा इस शिखर सम्मेलन में **मुख्य बिंदुओं को संयुक्त वक्तव्य** के रूप में जारी किया (इससे पूर्व प्रत्येक देश पृथक वक्तव्य ज़ारी करता था।) गया। इस वक्तव्य को **"द स्पिरिट ऑफ़ क्वाड"** का नाम दिया गया है। इसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया गया है:

- **हिन्द-प्रशांत क्षेत्र हेतु विज़न:** इस वक्तव्य में 'एक मुक्त, खुला, नियम आधारित, समावेशी तथा सुरक्षित हिन्द-प्रशांत क्षेत्र' की परिकल्पना की गई है। इसमें इस क्षेत्र के संबंध में आसियान (ASEAN) के दृष्टिकोण का भी समर्थन किया गया है।
- **कोविड-19 के आर्थिक तथा स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव पर प्रतिक्रिया:** इस योजना के अंतर्गत, भारत में विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान वित्तपोषण की व्यवस्था करेंगे। साथ ही, दक्षिणी एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में अंतिम बिंदु तक टीके का वितरण तथा उपलब्धता को सुदृढ़ करने के लिए ऑस्ट्रेलिया द्वारा परिवहन संबंधी सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- **जलवायु परिवर्तन का सामना करना:** इस समूह ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को वैश्विक प्राथमिकता के रूप में संदर्भित करने की अपील की है। साथ ही, इसका लक्ष्य सभी राष्ट्रों की जलवायु संबंधी कार्रवाई को सुगम बनाना एवं उसे सुदृढ़ता प्रदान करना है।
- **उभरती हुई प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध चुनौतियों का समाधान:** इस वक्तव्य में उभरती हुई प्रौद्योगिकियों यथा 5G, ब्लॉकचेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इत्यादि से संबद्ध चुनौतियों को भी रेखांकित किया गया है।

  इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त मुद्दों **यथा टीकाकरण संबंधी कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तन तथा महत्वपूर्ण एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकियों** के संबंध में **तीन कार्यकारी समूहों का गठन किया गया है।** उपर्युक्त पहलें, इस शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण प्रगतिशील बदलाव को इंगित करती हैं अर्थात् क्वाड अब युद्धाभ्यासों के अतिरिक्त अपेक्षाकृत व्यापक तथा तात्कालिक मुद्दों पर परस्पर सहयोग कर रहा है।

चीन के संदर्भ में इन कदमों का महत्व

यद्यपि, **चर्चाओं तथा संयुक्त वक्तव्य में चीन** या किसी भी विशिष्ट देश **का उल्लेख नहीं किया गया है,** परन्तु चीन की हलिया गतिविधियों से क्वाड का घटनाक्रम प्रभावित हुआ है। इन प्रयासों का चीन की वैश्विक गतिविधियों एवं कार्यों पर निम्नलिखित प्रभाव हो सकता है-

- **हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता पर नियंत्रण:** दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों, इसकी सीमा संबंधी गतिविधियों तथा चीन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विधि (International Law of the Sea) की अवज्ञा ने क्वाड देशों को अपने संसाधनों को एकत्रित कर मुक्त, खुला, समावेशी तथा सुरक्षित हिन्द-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया है।
- **चीन की निर्भरता रहित प्रत्यास्थ आपूर्ति-श्रृंखला का निर्माण:** चीन द्वारा वैश्विक महामारी के प्रथम चरण में ही अपने कारखानों को बंद करने के कारण संपूर्ण विश्व के देश चीन को लेकर सशंकित दृष्टिकोण रखते हैं। ज्ञातव्य है कि कारखानों को बंद करने के कारण आपूर्ति-श्रृंखला से संबंधित व्यापक बाधाओं का सामना करना पड़ा था।
    - चीन पर विनिर्माण संबंधी निर्भरता में कमी लाने के लिए भारत को टीका विनिर्माण के केंद्र के रूप में सक्षम बनाया जा रहा है।
- **उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में चीन के प्रभुत्व पर निगरानी:** 5G तथा हुवावे (Huawei) मामले से संबद्ध घटनाक्रमों ने साइबर सुरक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में चिंताजनक प्रश्न उत्पन्न कर दिए हैं। यह इस संभावना का संकेत मात्र है कि प्रौद्योगिकी में प्रभुत्व वाला देश चीन क्या कर सकता है।
    - इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति का सामना करने के लिए क्वाड का उद्देश्य अपनी क्षमताओं को एकत्रित कर इन प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए वैश्विक गवर्नेंस (शासन) प्रदान करना है।

क्वाड द्वारा अपने अधिदेश में विस्तार से भारत के हितों पर प्रभाव

क्वाड द्वारा अपने अधिदेश में विस्तार करने से भारत को निम्न लाभ हो सकते हैं-

- **यह भारत के क्षेत्रीय शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा के अनुरूप है:** चीन द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के रूप में हस्तक्षेप तथा ऋण-जाल की कूटनीति (चेकबुक डिप्लोमेसी) संबंधी नीति के कारण भारत के क्षेत्रीय प्रभुत्व के समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। क्वाड के साथ मिल कर, भारत चीन के प्रभाव को क्षीण कर इस क्षेत्र में समग्र सुरक्षा प्रदाता बनने की अपनी परिकल्पना की ओर अग्रसर हो सकता है।
- **भारत की विनिर्माण क्षमता का निर्माण करने में:** भारत ने कई अवसरों पर इस तथ्य को रेखांकित किया है कि किस प्रकार चीन के साथ व्यापार भारत की विनिर्माण क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता जा रहा है। वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखला में चीन पर निर्भरता को कम करने संबंधी क्वाड का एजेंडा भारत के लिए वैश्विक स्तर पर विनिर्माण करने का अवसर उत्पन्न कर सकता है।
- **चीन के साथ संभावित द्वि-पक्षीय विवाद के दौरान समर्थन:** चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति के साथ पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की आक्रामकता में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे भारत की सीमा पर सुभेद्यता में भी बढ़ोत्तरी हुई है। इस परिदृश्य में, सुदृढ़ शक्ति-संपन्न क्वाड से भारत को बाह्य सहयोग एवं समर्थन मिल सकता है।
- **कश्मीर तथा सीमा-पार प्रायोजित आतंकवाद:** क्वाड की सुदृढ़ता से भारत को सीमा-पार से प्रायोजित आतंकवाद जैसे वैश्विक मुद्दे पर और अधिक समर्थन एवं सहायता प्राप्त करने में सुविधा होगी। साथ ही भारत, कश्मीर मुद्दे पर हस्तक्षेप को भी सीमित कर सकेगा।

हालांकि, भारत को क्वाड में अपनी संलग्नता के कारण चीन के साथ संबंधों में संभावित मतभेद के रूप में कुछ नकारात्मक प्रभाव भी वहन करना पड़ सकता है। इस संबंध में **नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हो सकते हैं-**

- **सीमा संबंधी विवादों में वृद्धि:** क्वाड में भारत एकमात्र ऐसा सदस्य है, जो पश्चिमी-प्रशांत क्षेत्र में स्थित नहीं है। साथ ही, यह क्वाड में एकमात्र ऐसा देश है, जो चीन के साथ 3,500 किमी सीमांकन रहित स्थलीय सीमा साझा करता है।
- **आर्थिक संबंधों पर प्रत्यक्ष प्रभाव:** वर्ष 2020 में चीन, भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बन गया था। दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 77 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है। चीन के साथ ख़राब संबंधों का इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिरता पर प्रत्यक्ष रूप से तात्कालिक प्रभाव पड़ सकता है।
- **यह एक सैन्य समूहीकरण नहीं है:** समान सामरिक हितों के बावज़ूद क्वाड देश एक-दूसरे को सैन्य सहायता प्रदान नहीं कर सकते हैं। इसलिए, यदि क्वाड की गतिविधियों के कारण भारत तथा चीन के मध्य तनाव में वृद्धि होती है तो क्वाड देश भारत को प्रत्यक्ष सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

 ©Vision IAS

आगे की राह

हाल ही में जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री ने अपने उद्घाटन संबोधन में कहा है, "क्वाड अब विकसित हो चुका है। यह अब क्षेत्र में स्थिरता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना रहेगा"। किन्तु यह स्तंभ अन्य स्तंभों यथा ब्रिक्स (BRICS) मंच या शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के साथ भी इस क्षेत्र में विद्यमान रहेगा।"

इस परिप्रेक्ष्य में, भारत को एजेंडा आधारित प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जैसे भारत द्वारा अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखना, अपने वैश्विक संबंधों में संतुलन बनाए रखना तथा बहुपक्षीय गठबंधन संबंधी सफल विचार को आगे बढ़ाना चाहिए।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया **'भारत और हिंद-प्रशांत'** पर 'वीकली फोकस' में उल्लिखित लेख का अध्ययन करें।		
भारत और हिंद-प्रशांत	भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण एक नए स्थल के रूप में हिंद-प्रशांत क्षेत्र का उदय इक्कीसवीं सदी की नई रणनीतिक वास्तविकता को प्रदर्शित करता है। अत: हिंद-प्रशांत भारत की विदेश नीति संबंधी गतिविधियों में एक नया क्षेत्र है। यह लेख तेजी से विकसित हो रही भू-सामरिक परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में भारत के विशिष्ट भूगोल, हितों और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संभावित भूमिका से संबंधित मुद्दों का परीक्षण करता है। इसमें भारत के रणनीतिक हितों की रक्षा करने और एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए इस क्षेत्र में मौजूद नए अवसरों पर चर्चा की गयी है।	

2.6. ब्रिक्स (BRICS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **आर्थिक तथा व्यापारिक मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह** की प्रथम बैठक आयोजित की गयी।

अन्य संबंधित तथ्य

- **आर्थिक तथा व्यापारिक मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह {BRICS Contact Group on Economic and Trade Issues (CGETI)}** की यह बैठक **भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुई है।**
- ब्रिक्स की इस वर्ष की थीम **'ब्रिक्स@15: निरंतरता, समग्रता और सहमति के लिए ब्रिक्स देशों के मध्य सहयोग (BRICS@15: Intra BRICS Cooperation for Continuity, Consolidation, and Consensus)** थी।
- भारत ने अपनी अध्यक्षता में **ब्रिक्स CGETI 2021** के लिए आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी और इस संबंध में रूपरेखा प्रस्तुत की। **इसमें सेवा सांख्यिकी और ब्रिक्स व्यापार मेलों पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) गोलमेज सम्मेलन तथा अन्य कार्यक्रमों का विवरण है। इसके पश्चात् अनेक प्रस्तुतियां दी गई,** जिन्हें भारत सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से तैयार किया गया था।
- **प्रस्तावित प्रस्तुतियां निम्नलिखित विषयों पर केंद्रित हैं:**
    - रूस की अध्यक्षता में वर्ष 2020 में अंगीकृत "**ब्रिक्स आर्थिक साझेदारी रणनीति 2025**" के दस्तावेज पर आधारित कार्य योजना।
    - **बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली पर ब्रिक्स सहयोग।** इसमें विश्व व्यापार संगठन में ट्रिप्स रियायत (TRIPS Waiver) प्रस्ताव के लिए सहयोग करना शामिल है।
    - ई-कॉमर्स के क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण के लिए रूपरेखा।
    - गैर-प्रशुल्क उपायों (Non-Tariff Measures: NTM) पर प्रस्ताव और सैनिटरी एवं फाइटो-सैनिटरी (Phytosanitary) कार्य प्रणाली।
    - आनुवांशिक संसाधनों तथा पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण के लिए सहयोगात्मक रूपरेखा।
    - पेशेवर सेवाओं (Professional Services) में सहयोग पर ब्रिक्स की रूपरेखा।

VISION IAS

ब्रिक्स (BRICS) के सहयोग क्षेत्र

- **आर्थिक तथा वित्तीय सहयोग:**
    - **न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB):** इसकी स्थापना **फोर्टालेज़ा शिखर सम्मलेन (वर्ष 2014) के दौरान हुई थी।** यह समूह के वित्तीय एवं आर्थिक सहयोग के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
        - इस बैंक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के साथ-साथ अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में अवसंरचना एवं **सतत विकास परियोजना** के क्षेत्र में **निवेश संबंधी प्रवाह** को गति प्रदान करना है।
        - NDB के पास **50 अरब अमेरिकी डॉलर** की अभिदत्त पूंजी (Subscribed Capital) है तथा इसमें वर्ष 2022 तक **प्रत्येक सहभागी समान रूप से 10 अरब अमेरिकी डॉलर का अंशदान करेंगे।**
        - **NDB का मुख्यालय शंघाई,** चीन में स्थित है। **NDB का प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग** तथा **दूसरा क्षेत्रीय कार्यालय ब्राज़ील के साओ पाउलो में है** तथा इसका प्रतिनिधि कार्यालय (Represantation Office) **ब्राज़ीलिया** में है।
    - **आकस्मिक संचय व्यवस्था (Contingent Reserve Arrangement: CRA):** CRA, ब्रिक्स **देशों को समष्टि आर्थिक (macroeconomic) सहयोग** प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। यह अपने सदस्य देशों को **भुगतान संतुलन संबंधी संकट की दशा से उबरने में सहायता करती है।**

        - आरंभिक रूप से CRA के लिए आवंटित संसाधन को **निर्धारित 100 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुँचाना है। इसके तहत सदस्य देशों यथा** चीन (41 अरब डॉलर); ब्राज़ील (18 अरब डॉलर), रूस (18 अरब डॉलर); भारत (18 अरब डॉलर) तथा दक्षिण अफ्रीका (5 अरब डॉलर) **द्वारा योगदान संबंधी प्रतिबद्धताएं** सम्मिलित हैं।
        - ये समझौते **घनिष्ठ आर्थिक सहयोग एवं एकीकृत व्यापार और निवेश बाजारों को बढ़ावा देने संबंधी साझा उद्देश्यों को वास्तविक रूप प्रदान करने** में सहयोग करेंगे।

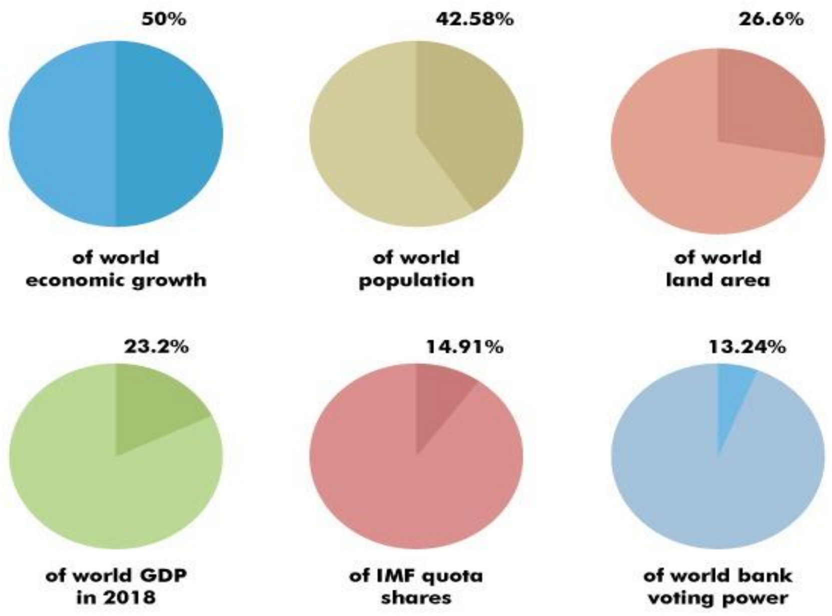

- **स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग:**
    - वर्ष 2011 में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की प्रथम बैठक से ब्रिक्स के स्वास्थ्य संबंधी सहयोग का आरंभ हुआ।
    - यद्यपि स्वास्थ्य संबंधी सहयोग पर महत्वपूर्ण उपलब्धियों में **क्षय रोग शोध नेटवर्क (Tuberculosis Research Network)** की स्थापना करना है। इसका लक्ष्य इस रोग का समाधान करने के लिए संयुक्त शोध एवं विकास संबंधी पहलों को बढ़ावा देना है।

- बहुपक्षीय स्तर पर, ब्रिक्स देश वर्ष **2012 से ही विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) के दौरान इस संबंध में अपने मत को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते रहे हैं।** साथ ही, ब्रिक्स देश बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू (ट्रिप्स/TRIPS) समझौते तथा लोक स्वास्थ्य संबंधी **दोहा घोषणा पत्र पर** वर्ष 2001 से ही परस्पर समन्वय करते रहे हैं।

- **विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष (STI)**
  - इसका आरंभ वर्ष 2014 में **भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी, जल संसाधनों का प्रबंधन, जैव-प्रौद्योगिकी तथा जैव-औषधि, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इत्यादि** जैसे विषयों के संदर्भ में हुई प्रथम बैठक से हुआ था।
  - STI में ब्रिक्स देशों के सहयोग का उद्देश्य शोधों को बढ़ावा प्रदान करना है, ताकि इससे **उच्च संवर्धित प्रौद्योगिकी आधारित वस्तुओं का उत्पादन, पेटेंट संबंधी आवेदनों में वृद्धि तथा देशों के मध्य ज्ञान का विनिमय** करने संबंधी परिणाम प्राप्त हो सकें।
- **सुरक्षा संबंधी सहयोग: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSA) तथा कार्यकारी समूहों के मध्य होने वाली बैठकों** में ब्रिक्स देश अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी ख़तरों एवं अंतर्राष्ट्रीय अपराधों यथा मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर हमले, धन-शोधन (money laundering), भ्रष्टाचार तथा आतंकवाद आदि पर विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।
- **व्यावसायिक सहयोग:** ब्रिक्स व्यवसाय परिषद (Business Council) तथा व्यवसाय मंच (Business Forum) इस समूह के भीतर व्यावसायिक सहयोग के संबंध में महत्वपूर्ण व्यवस्था प्रदान करते हैं।
  - वर्तमान में, इस परिषद के तहत नौ कार्यकारी समूह हैं, जो अवसंरचना, विनिर्माण, ऊर्जा, कृषि आधारित व्यवसाय, वित्तीय सेवाओं, क्षेत्रीय विमानन, क्षमता के स्तरों एवं क्षमता विकास में सामंजस्य स्थापित करने जैसे विषयों हेतु कार्यरत हैं।

भारत के लिए ब्रिक्स का महत्व

- **विकासशील देशों को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है:** ब्रिक्स, विकासशील देशों को अपने मंतव्यों और विचारों को प्रकट करने का मंच प्रदान करता है। यह विकसित देशों के प्रभावशाली समूह का सामना करने में भी संबंधित देशों को सहायता प्रदान करता है तथा इसके माध्यम से सदस्य देश विश्व व्यापार संगठन (WTO) से ले कर जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर अपनी आपत्तियों को भी प्रकट करते हैं।
  - भारत का यह मानना है कि विकासशील देशों के अधिकारों का संरक्षण ब्रिक्स द्वारा किया जाना चाहिए, तथा ब्रिक्स के पांचों सदस्य देश G-20 के भी सदस्य हैं।
- **वैश्विक समूह:** भारत सक्रिय रूप से बहुपक्षीयता को सुदृढ़ करने तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (UNSC) एवं परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) की सदस्यता प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत है। इसलिए, परस्पर हित पर परामर्श के माध्यम से सदस्यता प्राप्त करने के लिए ब्रिक्स का सहयोग आवश्यक है।
- **वैश्विक वित्तीय प्रबंधन:** ब्रिक्स के सदस्य देशों ने विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) जैसे वैश्विक संस्थानों में पर्याप्त एवं समानतापूर्ण मताधिकार प्राप्त करने के लिए इन संस्थानों में सुधार करने का आह्वान किया है।
- **आतंकवाद के विरुद्ध पक्ष:** भारत, दशकों से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा-पार आतंकवाद का सामना करता रहा है, किन्तु ब्रिक्स समूह में चीन द्वारा पाकिस्तान का बचाव किया जाता है। अन्य ब्रिक्स देशों के साथ परस्पर सहयोग करके भारत, चीन के साथ सीमा-पार आतंकवाद के मुद्दे पर एक साझा समझ विकसित करने का प्रयास कर सकता है।
- **सीमा विवाद:** ज़ियामेन शिखर सम्मेलन के पूर्व डोकलाम में भारत-चीन के मध्य टकराव के कारण चीन और भारत के मध्य संबंधों में शिथिलता आ गयी है। इस घटना से यह प्रकट हो गया है कि ब्रिक्स देशों के मध्य शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर वार्ताओं को आगे बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण एवं तात्कालिक आवश्यकता है।

2.7. स्वेज़ नहर (Suez Canal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व के सबसे बड़े कंटेनर पोतों में से एक **"एवर गिवन (Ever Given)" स्वेज़ नहर की संपूर्ण चौड़ाई में फंस गया, जिससे किसी भी पोत की आवाजाही के लिए स्थान नहीं शेष नहीं रहा।** इससे विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार गलियारे में दोनों तरफ पोतों का जाम लग गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस अवरोध के दौरान 180 से अधिक पोतों का दोनों तरफ जाम लग गया था।

- इस घटना ने समुद्री व्यापार तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की खामियों को प्रकट किया है, जिसका समाधान करना आवश्यक है।
- इसके पूर्व भी, दुर्घटना के परिणामस्वरूप पोतों के नहर में फंस जाने से अन्य पोतों की आवाजाही अवरुद्ध हो चुकी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना वर्ष 2004 में घटित हुई थी जब एक **रूसी टैंकर कम गहराई वाले जल में फंस गया था।**

स्वेज़ नहर तथा इसका महत्व

- स्वेज़ नहर **मिस्र में 193 किलोमीटर लंबा कृत्रिम जल-मार्ग है। इसका निर्माण भूमध्यसागर एवं लाल सागर** को जोड़ने के उद्देश्य से किया गया है।
- इससे यूरोप और एशिया के मध्य पोत-परिवहन हेतु अत्यंत लघु और प्रत्यक्ष जल-मार्ग उपलब्ध हुआ। इस प्रकार यूरोप और एशिया के मध्य पोत-परिवहन हेतु संपूर्ण अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर लगाकर उत्तमाशा-अंतरीप (Cape of Good Hope) से होते हुए अतिरिक्त दूरी तय करने की अनिवार्यता समाप्त हो गई।
- यह पूर्व से पश्चिम की ओर **तेल, प्राकृतिक गैस तथा कार्गो परिवहन हेतु एक महत्वपूर्ण मार्ग उपलब्ध कराता है।** स्वेज़ नहर से हो कर प्रति दिन संपूर्ण विश्व व्यापार के दस प्रतिशत माल की ढुलाई होती है, जो **लगभग 10 अरब डॉलर के मूल्य के बराबर होता है।**
  - वर्ष **2019 के दौरान** अन्य वस्तुओं में **54.1 मिलियन टन अनाज, 53.5 मिलियन टन अयस्क तथा धातु एवं 35.4 मिलियन टन कोयला एवं कोक का परिवहन स्वेज नहर से हुआ है।**
- इसके अतिरिक्त, **इस नहर में कोई लॉक (Lock) प्रणाली के नहीं होने से विमान-वाहक युद्धपोत भी इससे हो कर गुजर सकते हैं,** जो सुरक्षा संबंधी उद्देश्यों के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

स्वेज़ नहर अवरोध पर भारत की रणनीति

- भारत का उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका तथा यूरोप से 200 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य का आयात/निर्यात स्वेज़ नहर जल-मार्ग के माध्यम से होता है।
- इसमें **पेट्रोलियम उत्पाद, जैविक रसायन, लोहा और इस्पात, ऑटोमोबाइल, मशीनरी, वस्त्र तथा हाथ से निर्मित दरियां, फर्नीचर, चमड़े का समान** आदि जैसे उत्पाद सम्मिलित हैं।
- इसलिए, केंद्र ने स्वेज़ नहर के अवरुद्ध हो जाने से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए **चार-सूत्री योजना** निर्मित की है। इस योजना में कार्गो की प्राथमिकता निर्धारित करना, माल-भाड़े की दरें, बंदरगाहों को परामर्श तथा पोतों के मार्गों का पुनर्निर्धारण जैसे उपाय सम्मिलित हैं।
    - **कार्गो की प्राथमिकता निर्धारित करना:** इसके तहत यह निश्चय किया गया है कि भारतीय निर्यात संगठन संघ (FIEO), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA) तथा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) संयुक्त रूप से विशेषकर शीघ्र ख़राब होने माल से लदे कार्गो की पहचान करेंगे और प्राथमिकता के आधार पर उनके परिवहन के लिए शिपिंग लाइनों के साथ मिलकर कार्य करेंगे।
    - **माल-भाड़े की दरें: कंटेनर शिपिंग लाइन्स एसोसिएशन (CSLA) ने यह आश्वस्त किया है** कि वर्तमान समझौतों के तहत निर्धारित **माल-भाड़ें की दरों** का ही अनुपालन किया जाएगा।
    - **बंदरगाहों को परामर्श:** वर्तमान अवरोध समाप्त हो जाने के पश्चात यह अपेक्षा की जाती है कि **विशेषतः जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (JNPT), मुंद्रा एवं हजीरा पत्तनों के समूहन (Bunching) का कार्य किया जाए।**
        - इसलिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने इन पत्तनों को परामर्श ज़ारी करने का आश्वासन दिया है, ताकि व्यवस्था बेहतर हो सके और आगामी व्यस्त अवधि के दौरान कुशल संचालन सुनिश्चित हो सके।
    - **पोतों के मार्गों का पुनर्निर्धारण:** इसके तहत CSLA के माध्यम से शिपिंग लाइनों को यह परामर्श ज़ारी किया गया है कि वह **उत्तमाशा-अंतरीप से हो कर पोतों के परिवहन मार्ग के पुनर्निर्धारण के विकल्प का अन्वेषण करें।** इस मार्ग के माध्यम से परिवहन करने में लगभग 15 दिनों का अतिरिक्त समय लगता है।

आगे की राह:

- **एकाधिक स्रोत विकल्प:** पोतपरिवहन कंपनियों को एकाधिक स्रोत संबंधी विकल्प का उपयोग करना चाहिए। इससे एकल विक्रेता पर निर्भरता में कमी आएगी तथा भविष्य में होने वाली हानि से बचा जा सकेगा।
- **संकट प्रबंधन संबंधी योजनाएं:** अतिरिक्त बजट, परिवहन, ऊर्जा तथा संचार नेटवर्क के लिए योजना बनाने की आवश्यकता है, जिससे वैश्विक व्यापार प्रणाली में गतिरोध या रुकावट के बिना ही इस प्रकार के संकट से निपटा जा सके।
- **वैकल्पिक मार्ग:** उदाहरण के लिए, आपूर्ति-श्रृंखला में अवरोध से बचने के लिए पोतों के मार्गों का **केप ऑफ गुड होप होते हुए** पुनर्निर्धारण करना।
- **वैश्विक सहयोग:** सभी देशों को आवश्यक वस्तुओं यथा खाद्य पदार्थ व ऊर्जा संसाधन संबंधी तात्कालिक मांग को पूरा करने के लिए परस्पर सहयोग करना चाहिए, ताकि लोगों की आजीविका पर होने वाले प्रभाव तथा वैश्विक आर्थिक असंतुलन से बचा जा सके।

वर्ष 1956 का स्वेज़ युद्ध

- औद्योगीकरण करने की प्रक्रिया के दौरान **मिस्र** उन्नीसवीं शताब्दी में दिवालिया हो गया। **इसके परिणामस्वरूप मिस्र के गवर्नर को स्वेज़ नहर का प्रबंधन करने वाली कंपनी में अपनी शेयरधारिता को ब्रिटेन को विक्रय करने के लिए बाध्य होना पड़ा।**
- इस प्रकार, वर्ष 1875 से स्वेज़ **नहर का नियंत्रण फ्रांस तथा ब्रिटेन को हस्तांतरित हो गया।** परिणामतः ब्रिटेन ने मिस्र को अपना उपनिवेश बना लिया। मिस्र को वर्ष **1922 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई,** किन्तु स्वेज़ नहर पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सैन्य टुकड़ियां वहीं बनी रहीं।
- **संकट का आरंभ वर्ष 1956 में हुआ, जब मिस्र के राष्ट्रपति ने** ब्रिटेन के मिस्र से चले जाने के उपरांत स्वेज़ **नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया।**
- राष्ट्रपति के द्वारा उठाए कुछ अन्य क़दमों को **इज़रायल तथा उसके पश्चिमी मित्रों ने अपनी सुरक्षा संबंधी खतरों के रूप में संदर्भित किया।** परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र में इज़रायली, ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सेनाओं द्वारा सैन्य हस्तक्षेप किया गया।

- इस संकट के कारण स्वेज़ नहर का परिचालन कुछ समय के लिए बंद हो गया तथा इस संकट में **सोवियत संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के शामिल होने का** जोखिम बढ़ गया।
- **वर्ष 1957 के आरंभ में यह संकट समाप्त हुआ।** इसके लिए **संयुक्त राष्ट्र संघ** की निगरानी में एक समझौता हुआ और संयुक्त राष्ट्र ने **अपनी प्रथम शान्ति सेना इस क्षेत्र में भेजी।**
- इसके परिणाम को **मिस्र के राष्ट्रवाद की विजय** के रूप में देखा गया, किन्तु शीतयुद्ध के दौरान यह अमेरिका व सोवियत संघ के मध्य एक गुप्त प्रभाव का मुद्दा बन गया था।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

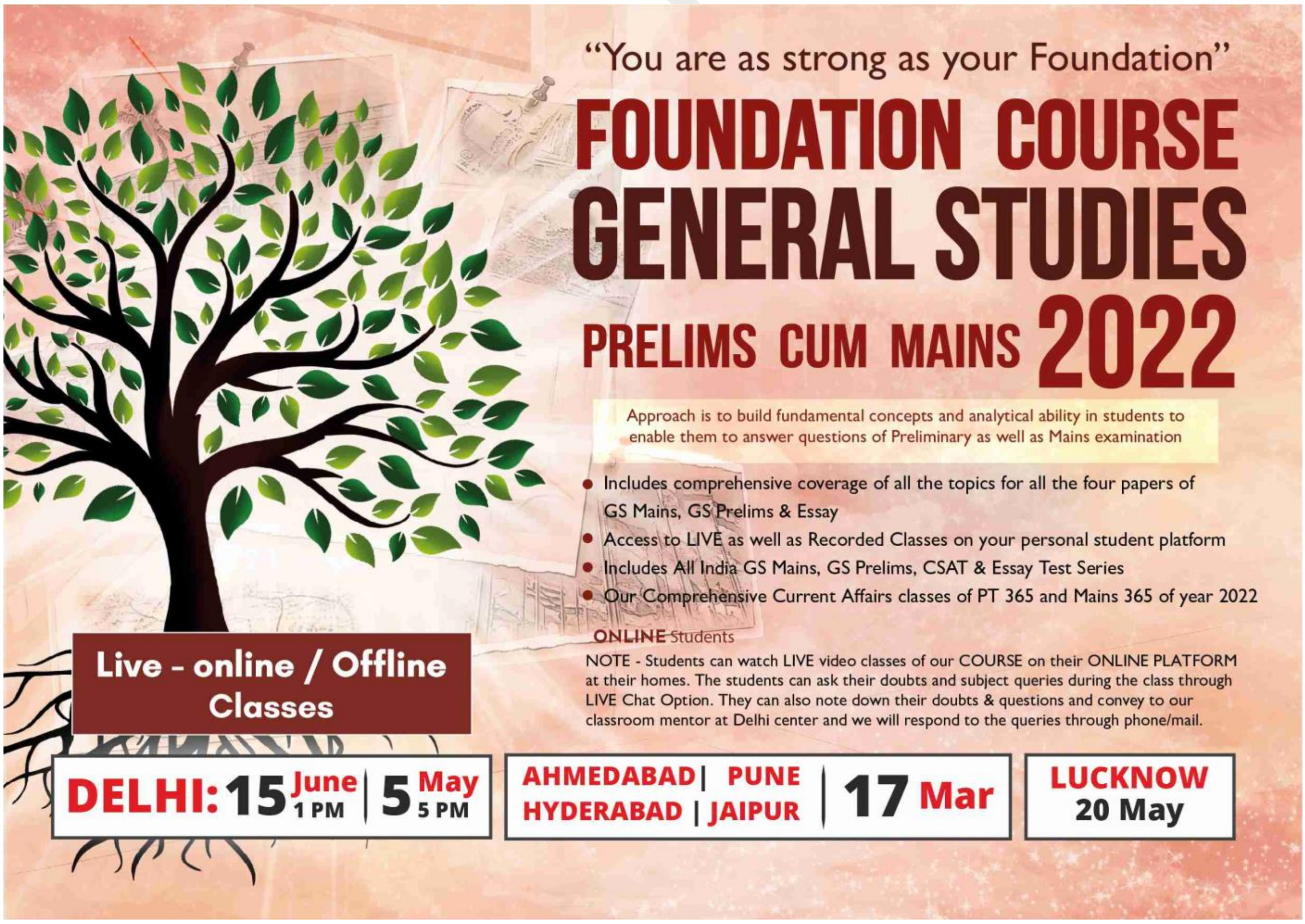

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक {National Bank For Financing Infrastructure And Development (NaBFID)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद ने **राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (NaBFID) विधेयक, 2021** पारित किया।

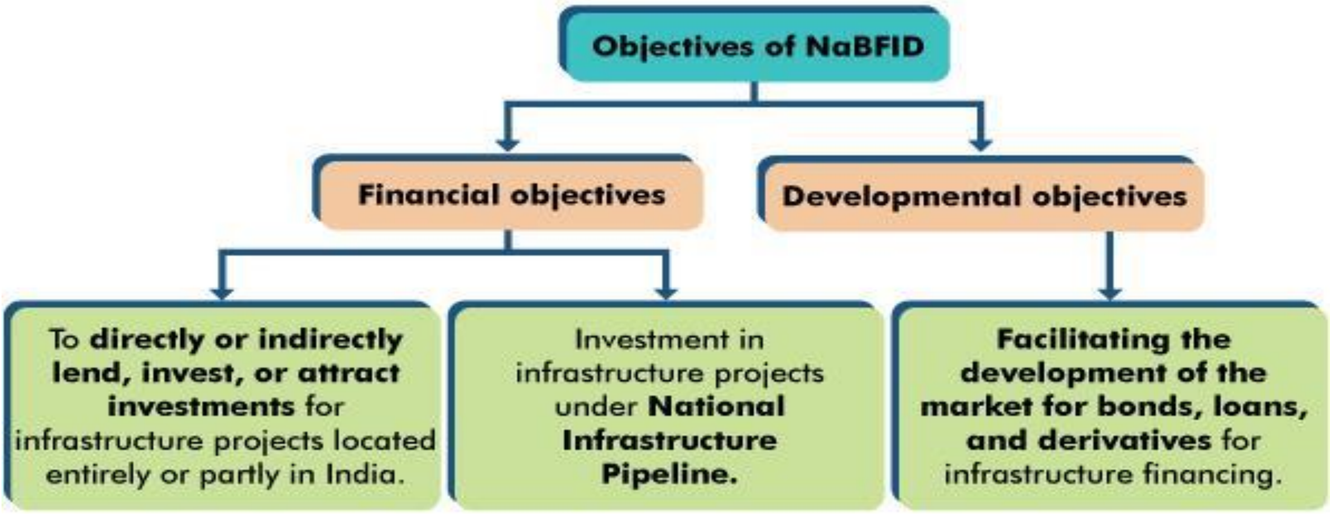

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (NaBFID) विधेयक, 2021 के बारे में

- यह विधेयक **राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (NaBFID)** को एक विकास वित्त संस्थान (Development Financial Institution: DFI) के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, ताकि वित्तपोषण की समस्या से ग्रस्त दीर्घ अवधि वाली अवसंरचना परियोजनाओं को वित्त प्राप्त हो सके।
- **NaBFID की शेयरधारिता:** NaBFID को एक कॉर्पोरेट निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिसकी अधिकृत पूंजी 1 लाख करोड़ रुपये होगी। इसके शेयर केंद्र सरकार, बहुपक्षीय संस्थानों, संप्रभु संपत्ति निधियों (sovereign wealth funds), पेंशन निधियों, बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थानों आदि द्वारा धारित की जाएंगी।
  - आरंभ में **केंद्र सरकार** इस संस्था के **100 प्रतिशत** शेयरों को धारित करेगी। बाद में जब यह संस्था स्थिरता और अपने कार्यक्षमता में विस्तार प्राप्त कर लेगी तो इसके शेयर में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी को कम कर **26 प्रतिशत** तक लाया जा सकता है।
- **वित्त या निधि के स्रोत:** NaBFID भारतीय रुपये और विदेशी मुद्रा दोनों में ऋण प्राप्त कर या बॉण्ड्स और डिबेंचर सहित विभिन्न वित्तीय साधनों/लिखतों को जारी कर अथवा उनका विक्रय कर धन जुटा सकता है।
  - NaBFID **केंद्र सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, म्यूचुअल फंड्स और विश्व बैंक एवं एशियाई विकास बैंक जैसे बहुपक्षीय संस्थानों से धन उधार** ले सकता है।
- **प्रबंधन:** NaBFID एक **निदेशक मंडल (Board of Directors)** द्वारा शासित होगा तथा इसके **अध्यक्ष** को भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
  - **केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निकाय** प्रबंध निदेशक (Managing Director) और उप प्रबंध निदेशक के पद के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करेगा।
  - निदेशक मंडल, **एक आंतरिक समिति की सिफारिश के आधार पर स्वतंत्र निदेशकों (independent directors)** की नियुक्ति करेगा।
- **सरकारी सहायता:** केंद्र सरकार **NaBFID** को पहले वित्त वर्ष के अंत तक **5,000 करोड़ रुपये का अनुदान** प्रदान करेगी।

- सरकार बहुपक्षीय संस्थानों, संप्रभु धन कोष और अन्य विदेशी निधियों से उधार लेने पर **0.1 प्रतिशत तक की रियायती दर पर प्रत्याभूति (गारंटी) भी प्रदान करेगी।**
- **विदेशी निधियों में होने वाले उतार-चढ़ाव** से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सरकार द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से प्रतिपूर्ति की जा सकती है।
- NaBFID के अनुरोध पर, सरकार इसके (NaBFID) द्वारा जारी किए गए **बॉण्ड्स, डिबेंचर और ऋण की गारंटी भी दे सकती है।**

- **जांच और अभियोजन:** न्यायालयों को भी NaBFID के कर्मचारियों से संबंधित मामलों में अपराधों पर संज्ञान लेने के लिए पूर्व स्वीकृति लेने की आवश्यकता होगी। निम्नलिखित से पूर्व स्वीकृति लिए बिना NaBFID के कर्मचारियों के खिलाफ कोई जांच शुरू नहीं की जा सकती है:
  - अध्यक्ष या अन्य निदेशकों के मामले में **केंद्र सरकार;** तथा
  - अन्य कर्मचारियों के मामले में **प्रबंध निदेशक।**
- **लाइसेंस:** भारतीय रिज़र्व बैंक सरकार से परामर्श करके निजी क्षेत्रक के **विकास वित्त संस्थान (DFIs)** स्थापित करने के लिए **लाइसेंस जारी करने एवं शर्तों का निर्धारण करने का कार्य करती है।** भारतीय रिज़र्व बैंक इन **DFIs** के लिए विनियमन भी निर्धारित करता है।

भारत में विकास वित्त संस्थानों (Development Financial Institutions: DFIs) का विकास

- स्वतंत्रता के पश्चात्, केंद्र सरकार ने उद्योगों के लिए दीर्घ अवधि का वित्तपोषण प्रदान करने के लिए **औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948** के तहत **भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation of India: IFCI)** की स्थापना की।
  - साथ ही, **राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951** के तहत **राज्य वित्तीय निगमों (State Financial Corporations: SFCs)** का गठन किया गया था।
- बाद में **वर्ष 1955** में, विश्व बैंक के समर्थन और वित्त पोषण से **निजी क्षेत्रक में पहला विकास वित्त संस्थान - इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (ICICI) -** स्थापित हुआ।
- आगे चलकर **उद्योग पुनर्वित्त निगम (1958), कृषि पुनर्वित्त निगम (1963), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड** और **हुडको (HUDCO)** की स्थापना की गई।

विकास वित्त संस्थानों (DFIs) के बारे में

- DFIs को एक **विकास बैंक या विकास वित्त कंपनी** के रूप में जाना जाता है। ये ऐसे संस्थान होते हैं, जो **उद्योग, कृषि, आवास और अवसंरचना** जैसे विभिन्न क्षेत्रों में **दीर्घकालिक विकास हेतु दीर्घ अवधि वाले वित्त/ऋण प्रदान करते हैं।**
- DFIs विशेष रूप से विकासशील देशों में **ऋण प्रदान करने और अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।**
- DFIs **पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सरकार के स्वामित्व में** हो सकते हैं तथा **कुछ में निजी स्वामित्व या शेयरधारिता अधिक होती है, जिसका निर्धारण** वित्तपोषित होने वाली गतिविधियों की प्रकृति और उनके संबंधित जोखिम-रिटर्न प्रोफाइल द्वारा होता है।
- DFI शब्द का **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 या कंपनी अधिनियम, 1956** में या DFI की स्थापना करने वाले विभिन्न क़ानूनों में **कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है,** जबकि भारतीय रिज़र्व बैक अधिनियम और कंपनी अधिनियम के तहत कुछ वित्तीय संस्थान व्यापक अर्थों में DFIs की भूमिका निभाते हैं।

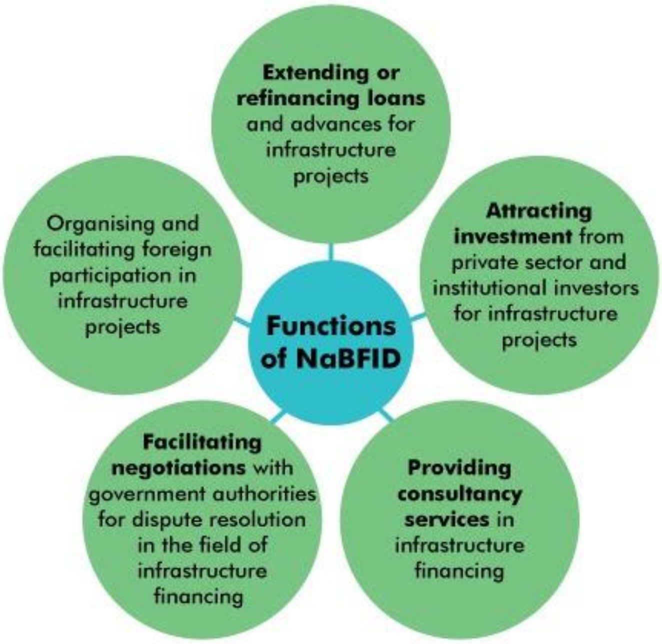

विकास वित्त संस्थान (DFIs) बैंकों से किस प्रकार भिन्न हैं?

मानदंड	वाणिज्यिक बैंक	विकास वित्त संस्थान
परिभाषा	ये ऐसे बैंक होते हैं जो व्यक्तियों और उद्योगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं।	इनका विकास एजेंडा अत्यधिक व्यापक होता है तथा ये बहु-उद्देश्यीय वित्तीय संस्थानों के रूप में कार्य करने वाले बैंक होते हैं।
स्थापना	कंपनी अधिनियम के तहत **बैंकिंग कंपनी** के रूप में इनकी स्थापना की जाती है।	विशेष अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए जाते हैं, जैसे कि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम
निधियां	निधियां **जमाकर्ताओं द्वारा जमा किए गए धन और निवेश** के माध्यम से जुटाई जाती हैं।	निधियां उधार ली जाती है तथा अनुदानों द्वारा, प्रतिभूतियों की बिक्री से अधिग्रहण की जाती हैं।
प्रदत्त ऋण	लघु और मध्यम अवधि के ऋण	मध्यम और दीर्घ अवधि के ऋण
उद्देश्य	**उच्च ब्याज दर पर पैसे उधार** देकर लाभ कमाना।	**उच्च ब्याज दर पर पैसे उधार** देकर लाभ कमाना।
ग्राहक	व्यक्ति और व्यवसायिक संस्थाएं	सरकार और कॉर्पोरेट कंपनियां

विकास वित्त संस्थानों (DFIs) की आवश्यकता और लाभ

- **दीर्घकालिक वित्त:** DFIs अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों में गतिविधियों के लिए संपार्श्विक आधारित वित्तपोषण और सहायता के बजाय किसी परियोजना के दीर्घकालिक वित्तपोषण पर जोर देते हैं, जहां जोखिम अधिक हो सकते हैं और जिनका वित्तपोषण करना वाणिज्यिक बैंकों के लिए व्यवहार्य नहीं हो सकता है।
- **ऋण अंतराल को भरने में सहायक:** वाणिज्यिक बैंक सामान्यतः लंबी अवधि की बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं का वित्तपोषण करने से हिचकिचाते हैं क्योंकि ऐसी परियोजनाओं से प्रतिफल प्राप्त होने में काफी लंबा समय लगता है। ऐसे में DFIs वाणिज्यिक बैंकों की अक्षमता के कारण उपजे अंतराल को भरने का कार्य करते हैं।
- **पूंजी बाजार में सुधार करने के लिए:** NaBFID विधेयक के अंतर्गत उल्लेख किए गए **कर लाभ और भारतीय स्टांप अधिनियम में किए गए सुधार** बॉण्ड्स बाजार पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे।
- **जोखिम की घटनाओं को कम करेंगे:** DFIs परियोजनाओं की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए सम्भाव्यता का अध्ययन करते हैं। जब परियोजना लागत अधिक हो और एक DFI द्वारा वित्तपोषित नहीं की जा सकती हो तो, एक DFI द्वारा वित्त पोषण किए जाने के स्थान पर वे वाणिज्यिक बैंकों के साथ ऋण संघ बनाते हैं, जिससे जोखिम की घटनाओं में कमी आती है।
- **तकनीकी सहायता और विशेषज्ञता:** DFIs परियोजनाओं को कौशल, तकनीकी और प्रबंधकीय विशेषज्ञता प्रदान करते हैं, जिससे परियोजनाएं अधिक सफल होती हैं।

विकास वित्त संस्थान (DFIs) के समक्ष संभावित चुनौतियां

- **कार्रवाई योग्य रणनीति:** DFIs से अपेक्षा की जाती है कि वे सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए सबसे आगे रहकर काम करेंगे। इसके लिए उन्हें अपने उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में मार्गदर्शन पाने के लिए एक रणनीति की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता को पूरा करना उनके शासन (गवर्नेंस) की प्रकृति के कारण और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उनका शासन अक्सर जटिल होता है और उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप का खतरा होता है।
- **ऋण देने के विषय में निर्णय:** गैर-निष्पादित ऋणों के उच्च स्तर से बचना 'विकास वित्त संस्थान' (DFI) के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वाणिज्यिक बैंकों के लिए। इसके अलावा, ऋण देने के विषय में अच्छे निर्णय लेने के कई अन्य भी पहलू होते हैं और इनमें विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे- ऋण प्रदान करने के बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अस्थिर ऋणों का जोखिम अंकन (अंडरराइटिंग या हामीदारी अंकन / डूबंत घोषित करना) और भ्रष्टाचार।
- **गैर-लाभकारी प्रतिस्पर्धा:** ऐसे मामले हो सकते हैं जहां बहुत अधिक धन कुछ ही अच्छी परियोजनाओं में लगा होता है, जिसके परिणामस्वरूप संसाधन आवंटन अच्छी प्रकार से वितरित नहीं हो पाता है। यह गैर-लाभकारी प्रतिस्पर्धा का कारण बन जाता है।
- **निजी और सार्वजनिक क्षेत्रकों के बीच संतुलन:** निजी क्षेत्रक की प्रकृति के DFI के लिए सरकार द्वारा निजी क्षेत्रक पर विश्वास करने की आवश्यकता होगी और उस पर भरोसा होने पर भी उस संस्थान को ऐसे लाभ प्रदान करने की आवश्यकता होगी, जो सरकार सामान्य रूप से किसी राज्य के स्वामित्व वाले DFI को प्रदान करती।

- **सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना:** DFIs को प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, लेकिन जब पारिश्रमिक के निरपेक्ष स्तरों पर प्रतिस्पर्धा की बात आती है तो वे अक्सर पिछड़ जाते हैं। इसके कारण DFIs में दक्षता, प्रेरणा और क्षमता का ह्रास हो सकता है।

आगे की राह

- **मानकीकृत विनियमन:** मानकीकृत और सुव्यवस्थित नियामक ढाँचों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है, जहां सरकार की भागीदारी के बाबजूद, निर्णय लेने और कार्यकारी जिम्मेदारियों को पूरा करने में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती हो।
- **कार्य-प्रदर्शन विश्लेषण:** कर्मचारियों को संस्थान मे कार्यरत बनाए रखने के लिए कार्य-प्रदर्शन-आधारित पारिश्रमिक का निर्धारण करना और तकनीकी क्षमताएं बनाए रखने और DFIs की दक्षता बनाए रखने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- **परामर्श और समन्वय:** रणनीति को विस्तृत स्वरूप प्रदान करने के दौरान DFIs के मध्य परामर्श, सूचनाओं का आदान-प्रदान तथा प्रभावी तालमेल सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। साथ ही, सह-वित्तपोषण के माध्यम से विशिष्ट संचालन के बारे में परस्पर सहयोग करने की भी आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक-दूसरे के कार्यक्षेत्रों में प्रवेश नहीं हो तथा बाजार में किसी भी तरह का अंतराल न आ पाए।
- **नवाचार की सुदृढ़ संस्कृति:** नवाचार की सुदृढ़ संस्कृति को बढ़ावा देने से विशेष रूप से अनछुए क्षेत्रों में उद्यमिता में मूल्यवर्धन और निजी निवेश को बढ़ाने में मदद मिलती है।

3.2. न्यू अम्ब्रेला एंटिटी (New Umbrella Entity)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **न्यू अम्ब्रेला एंटिटी (NUE)** के लिए आवेदन करने की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया।

अन्य संबंधित तथ्य

- ज्ञातव्य है कि पिछले वर्ष अगस्त में, **भारतीय रिज़र्व बैंक ने खुदरा भुगतानों के लिए न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के प्राधिकरण अर्थात् नई छत्रक संस्था की स्थापना के लिए एक रूपरेखा जारी की** थी तथा इसमें रुचि रखने वाली संस्थाओं से 26 फरवरी 2021 तक आवेदन आमंत्रित किए थे।
- विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, न्यू अम्ब्रेला एंटिटी (NUE) के लिए आवेदन करने हेतु **कई कंपनियों ने बैंकों और प्रमुख तकनीकी प्रतिभागियों के साथ साझेदारी की है।**

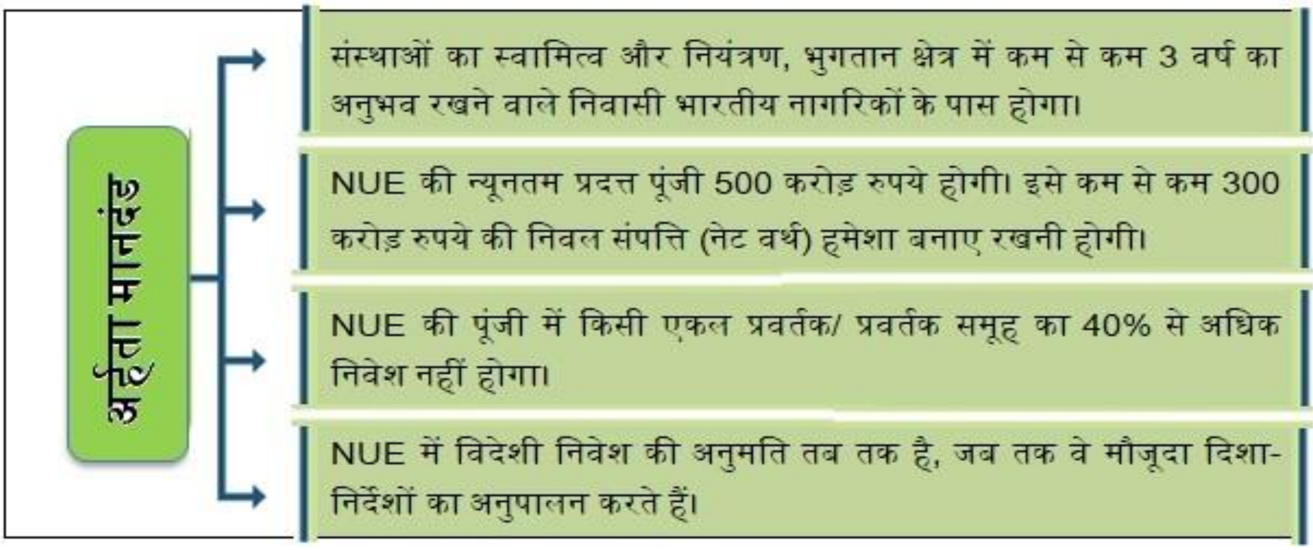

न्यू अम्ब्रेला एंटिटी (NUE) के बारे में

- **इसका उद्देश्य खुदरा भुगतान प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करने वाली** न्यू अम्ब्रेला एंटिटी (NUE) की स्थापना करना है।

- न्यू अम्ब्रेला एंटिटी (NUE) को **संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम (Payment and Settlement Systems Act), 2007** के तहत अधिकृत किया जाएगा तथा यह **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत निगमित कंपनी होगी।

NUE का कार्य-क्षेत्र

यह खुदरा क्षेत्र में नई भुगतान प्रणाली/प्रणालियों की स्थापना, प्रबंधन और संचालन करेगी, जिसमें एटीएम, व्हाइट लेबल पॉइंट ऑफ सेल (PoS), आधार-आधारित भुगतान और विप्रेषण के अलावा अन्य सेवाएं शामिल हैं।	यह नई भुगतान विधियों, मानकों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करेगी। साथ ही, यह देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित मुद्दों की निगरानी भी करेगी।
यह भुगतान प्रणालियों के बारे में जागरूकता में वृद्धि करने जैसे विकासात्मक उद्देश्यों को ध्यान में रखेगी।	यह भागीदारी करने वाले बैंकों और गैर-बैंकों के लिए समाशोधन और निपटान प्रणाली संचालित करेगी। साथ ही प्रासंगिक जोखिमों की पहचान और प्रबंधन करेगी तथा खुदरा भुगतान प्रणाली के विकास और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित मुद्दों की निगरानी भी करेगी।

न्यू अम्ब्रेला एंटिटी (NUE) की आवश्यकता

एकाधिकार और संकेंद्रण के जोखिम के निवारण के लिए	NPCI के प्रभुत्व को कम करने के लिए	डिजिटल भुगतान प्रणाली में अधिकाधिक लोगों को शामिल करने के लिए
वर्तमान में, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एकमात्र छत्रक (प्रमुख) संगठन है।	NPCI, जो 60% से अधिक खुदरा भुगतानों को नियंत्रित करता है, 'टू बिग टू फेल' (अर्थात् इसके विफल होने पर अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा) की श्रेणी में आता है।	नकद लेन-देन के विपरीत डिजिटल लेन-देन अधिक पारदर्शी होते हैं। इसलिए कर प्राधिकारी धन के लेन-देन पर कुशलतापूर्वक निगरानी रख सकते हैं।

इस कदम के लाभ

- **ऐसी इकाइयों/संस्थाओं की अधिकाधिक संख्या प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करेगी** तथा खुदरा भुगतान के संबंध में ग्राहकों को अधिकाधिक समाधान प्रदान करेगी।
- न्यू अम्ब्रेला एंटिटी (NUE) **नवोन्मेषी भुगतान प्रणाली प्रस्तुत करेगी,** ताकि समाज के अभी तक वंचित रहे वर्गों को शामिल किया जा सके तथा यह ग्राहकों के लिए उपलब्धता, उन्हें प्राप्त सुविधा और सुरक्षा में भी वृद्धि करेगी।
    - जिस प्रकार **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India: NPCI)** एकीकृत भुगतान इंटरफेस (Unified Payments Interface: UPI), तत्काल भुगतान सेवा (Immediate Payment Service: IMPS) और अन्य भुगतान प्रणालियों का संचालन करता है, उसी प्रकार से न्यू अम्ब्रेला एंटिटी (NUE) भी कुछ ऐसा ही तंत्र निर्मित करेगी, जिसे **बैंकों और वित्तीय तकनीकी (फिनटेक) कंपनियों** द्वारा उपयोग किया जाएगा।

* इन NUEs को स्थापित करने की योजना बनाने वाली संस्थाओं का लक्ष्य **डिजिटल भुगतान क्षेत्रक में और भी बड़ी हिस्सेदारी हासिल करना है।**
  * हाल ही में आई रिपोर्टों के अनुसार, एक तिहाई भारतीय परिवार किसी न किसी रूप में डिजिटल भुगतान का उपयोग कर रहे हैं।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India: NPCI) के बारे में

* भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI), **खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक छत्रक संगठन** है।
* यह **भारतीय रिज़र्व बैंक** और **भारतीय बैंक संघ (Indian Bank's Association: IBA) की पहल है,** जिसे **संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007** के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है।
  * **इसके 10 मुख्य प्रवर्तक बैंक हैं-** भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, एच.डी.एफ.सी. बैंक, सिटी बैंक और एच.एस.बी.सी. बैंक।
* इसे **कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत भौतिक तथा साथ ही इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और निपटान प्रणालियों के लिए भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली के लिए अवसंरचना उपलब्ध कराने हेतु एक "गैर-लाभकारी" कंपनी** के रूप में निगमित किया गया है।

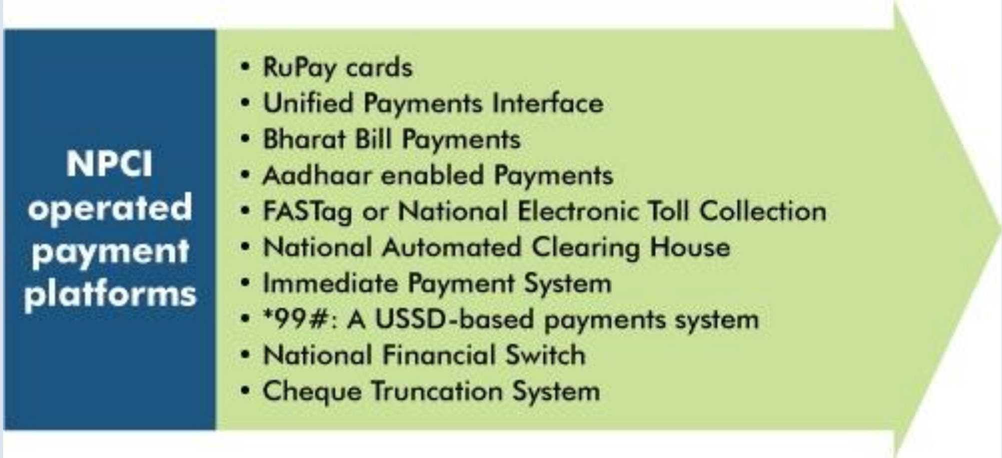

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के साथ समस्याएं

* चूंकि इसका स्वामित्व बैंकों के पास है, इसलिए इसे **भुगतान और धन संचरण (money transmission) क्षेत्रक में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिल सकता है** क्योंकि धन संचरण से ऐसी जमा धनराशियों की स्थिरता कम हो जाती है, जिसे बैंक अन्यथा उधार देने के लिए उपयोग कर सकते हैं।
* इसका **गैर-लाभकारी चरित्र,** संचालन पर एकात्मक नियंत्रण एवं अंतर्निहित अवसंरचना **अभिनव भुगतान प्रणालियों के निर्माण के उद्देश्य से सुमेलित नहीं है।**
* ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों और वरिष्ठ नागरिकों को अभी भी NPCI के उत्पादों का उपयोग करने में दुविधा होती है, इसका मुख्य कारण वित्तीय साक्षरता का अभाव और परिचालन ज्ञान की कमी है।
* भुगतान प्रणाली हेतु एकमात्र संचालक होने के कारण, इससे **प्रणालीगत और परिचालन जोखिम, नवाचार और उन्नयन की कमी तथा अक्षमताएं उत्पन्न होने की संभावना भी हो सकती है।**
* **NPCI** की मुख्य भूमिका **अवसंरचना प्रदाता (infrastructure provider)** के रूप में है, अतः हितों के टकराव को कम करने के लिए **इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर (साधन संचालक)** के रूप में इसकी भूमिका को इससे अलग करने की आवश्यकता है।

आगे की राह

* सरकार को NPCI के अभिशासन में सुधार करने और इसके कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए इसे 'क्रिटिकल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी' के रूप में वर्गीकृत करने के लिए रतन पी. वटल समिति की अनुशंसाओं को अपनाना चाहिए।
* NPCI को मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अपने डिजिटल उत्पादों के बारे में जागरूकता सृजित करनी चाहिए, ताकि भारत में नकद रहित लेन-देन (कैशलेस इंडिया) का स्वप्न साकार हो सके।

- भारतीय रिज़र्व बैंक को क्षमताओं के संकेंद्रण के जोखिम को कम करने तथा नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए न्यू अम्ब्रेला एंटिटी (NUE) जैसे अन्य विकल्पों पर विचार करना होगा।
- हितों के टकराव से बचने के लिए NPCI अपने भुगतान साधन (payment instruments) संबंधी कार्यों को, लाभ के प्रयोजन से कार्य करने वाली एक पृथक इकाई को सौंप सकता है।

3.3. डिजिटल मुद्रा (Digital Currency)

सुर्ख़ियों में क्यों?

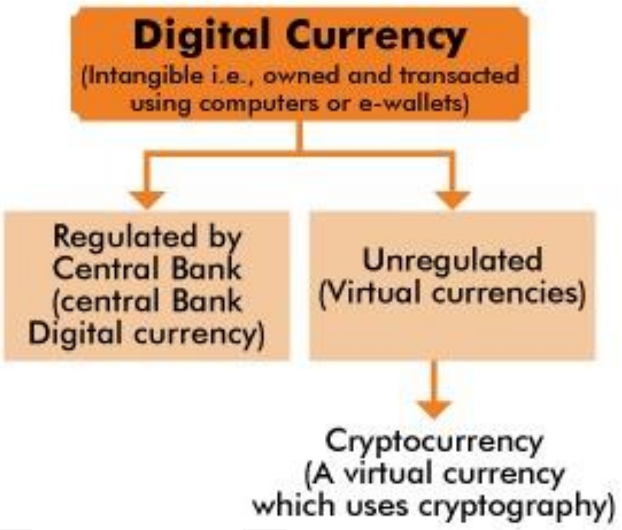

हाल ही में, चीन ने अपने केंद्रीय बैंक द्वारा समर्थित अपनी डिजिटल मुद्रा जारी की है। इस मुद्रा का नाम eCNY है, जिसे परीक्षण के तौर पर कुछ चयनित शहरों में आरंभ किया गया है।

डिजिटल मुद्रा क्या है?

व्यापक अर्थ में एक डिजिटल मुद्रा, मुद्रा का ही रूप होती है, जो **केवल डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध** होती है, परंतु भौतिक रूप में नहीं। इसे **डिजिटल धन, इलेक्ट्रॉनिक धन, इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा या साइबर नकदी** भी कहा जाता है।

केंद्रीय बैंक द्वारा समर्थित डिजिटल मुद्रा के संभावित लाभ क्या हैं?

- **लेन-देन का कम खर्च:** लेन-देन करने वाले पक्षों के बीच प्रत्यक्ष रूप से डिजिटल मुद्रा में भुगतान होता है। इसके लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए, लेन-देन शीघ्रता से हो जाते हैं और उसके लिए कम खर्च करना पड़ता है।
- **वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा में वृद्धि:** व्यक्तियों, निजी क्षेत्रक की कंपनियों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को केंद्रीय बैंक द्वारा समर्थित मुद्रा में प्रत्यक्ष रूप से लेन-देन करने की अनुमति देने से भुगतान प्रणाली में तरलता संकेंद्रण और ऋण संबंधी जोखिम में बहुत कमी आती है।
- **भुगतान प्रणाली में प्रतिस्पर्धा और नवाचार को प्रोत्साहन:** डिजिटल मुद्रा से भुगतान क्षेत्रक में समानता आएगी, जिससे कई स्टार्ट-अप्स प्रोत्साहित होंगे और इस क्षेत्रक में नए उत्पाद आएंगे।
- **वित्तीय समावेशन में सुधार:** डिजिटल नकदी खाता प्रदान करने वाले संगठन समाज के उस वर्ग तक भी पहुंच पाएंगे, जिसे वर्तमान में परंपरागत बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं।
- **मौद्रिक या राजकोषीय नीति के सही दिशा में जाने की संभावना:** डिजिटल मुद्रा उपयुक्त प्राधिकरण को कुछ अतिरिक्त शर्तों के साथ मुद्रा जारी करने का अवसर प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, यदि इन मुद्राओं को एक विशेष समय तक उपयोग नहीं किया जाता है तो इनका मूल्य ह्रास हो सकता है। ऐसे में इन मुद्राओं के सहयोग से सरकार आसानी से वित्तीय लेन-देनों की निगरानी रख सकती है। इससे सरकार को कर अपवंचन की रोकथाम और उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसने में सहायता मिल सकती है।

चीन की डिजिटल मुद्रा

स्वीडन से लेकर बहामास तक कई देश कुछ स्तर तक डिजिटल मुद्रा को लेकर प्रयोग कर रहे हैं। परंतु, अब तक चीन की तरह किसी बड़े देश ने यह प्रयोग नहीं किया है। इस प्रगति को निम्नलिखित संदर्भों में देखा जा सकता है:

- यद्यपि **चीन ने अपनी डिजिटल मुद्रा** (जिसका नाम eCNY है) **को राष्ट्रव्यापी स्तर पर आधिकारिक रूप से आरंभ नहीं किया है,** परंतु बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग आरंभ हुआ है।
- यदि eCNY सफल रहा, तो इससे **केंद्रीय बैंक को नई शक्तियां** मिलेंगी। इनमें, अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए **नई प्रकार की मौद्रिक नीति बनाना भी सम्मिलित है।**
- कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि **चीन की डिजिटल मुद्रा रेनमिंबी के लिए वैश्विक मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर का मुकाबला करना आसान बना देगी** क्योंकि यह कुछ बाधाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल सकती है।
- इस संदर्भ में, **डिजिटल मुद्राओं को जारी करने और नियंत्रण करने का अधिकार स्वायत्त राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा की 'नई रणभूमि' बन सकती है।**

डिजिटल मुद्राओं को अपनाने में आने वाली चुनौतियां

- **निजता की समस्या:** मुद्रा जारी करने पर केंद्रीय बैंक का नियंत्रण बढ़ जाएगा और इस बात की भी अधिक जानकारी होगी कि लोग अपना धन किस प्रकार खर्च करते हैं। यह डाटा उपयोगकर्ताओं की निजता को संभावित रूप से प्रभावित कर सकता है।
- **साइबर सुरक्षा संबंधी खतरे:** डिजिटल मुद्राओं में लेन-देन होने से बैंकों की मध्यस्थ वाली भूमिका समाप्त हो जाती है, जिससे उपयोगकर्ता साइबर धोखाधड़ी के प्रति सुभेद्य हो जाते हैं और पूरे तंत्र के लिए जोखिम में वृद्धि होती है।
- **व्यापक पैमाने पर डिजिटल अवसंरचना की आवश्यकता:** डिजिटल मुद्रा के लिए कुछ चीजें आवश्यक होती हैं जैसे कि व्यापक पैमाने पर इंटरनेट उपलब्ध होना, विश्वसनीय नेटवर्क अवसंरचना और व्यापक पैमाने पर डाटा के रखरखाव के लिए क्षमता, जैसे- डाटा केंद्र आदि।

डिजिटल मुद्रा के संबंध में हो रही प्रगतियों के प्रति भारत सरकार की प्रतिक्रिया

भारत में, यद्यपि सरकार ने इसे प्रतिबंधित करने की बात कही है तथापि **क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन में वृद्धि** हुई है। भारत में लगभग 80 लाख निवेशकों ने लगभग 100 अरब रुपये (1.4 अरब डॉलर) का क्रिप्टो निवेश किया है। स्थानीय क्रिप्टो एक्सचेंजों जैसे कि जेबपे (ZebPay), यूनोकॉइन (Unocoin) आदि पर उपयोगकर्ता के पंजीकरण एवं धन के अंतरण में विशेषकर विगत 2-3 वर्षों में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है।

भारत में डिजिटल मुद्रा की व्यापक मांग को देखते हुए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है।** साथ ही, स्वयं की डिजिटल मुद्रा जारी करने के लिए कार्य कर रहा है।
    - इस संदर्भ में, RBI ने वर्ष 2018 में एक आदेश जारी किया, जिसके माध्यम से बैंकों पर क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन करने पर रोक लगा दी गयी।
    - इस प्रतिबंध को वर्ष 2020 में उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। न्यायालय ने सरकार को इस मामले में कोई रुख अपनाने और एक कानून का मसौदा तैयार करने को कहा।
- इस संदर्भ में, भारत सरकार क्रिप्टोकरेंसी की **माइनिंग, ट्रेडिंग और उसे धारण करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाने** पर विचार कर रही है।
    - इसके अतिरिक्त, विनियामक व्यवस्था को और कठोर बनाते हुए, **कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय** (Ministry of Corporate Affairs: MCA) ने कंपनी अधिनियम के नियमों में संशोधन किए हैं और **कंपनियों के लिए क्रिप्टोकरेंसी में अपने निवेश का प्रकटन अनिवार्य कर दिया है।**
- यह उपाय उस **सरकारी एजेंडे** के अनुरूप है, जिसमें **बिटकॉइन जैसी निजी वर्चुअल मुद्रा पर रोक लगाने** तथा साथ ही आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने की मांग की गई है।

3.4. बॉण्ड यील्ड्स (Bond Yields)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका के **10 वर्षीय ट्रेजरी बॉण्ड** से होने वाले लाभ (कमाई) में काफी वृद्धि देखी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका **भारतीय अर्थव्यवस्था पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव** पड़ेगा।

बॉण्ड्स क्या हैं?

एक बॉण्ड किसी निर्धारित आय वाले लिखत की तरह होता है, **जो किसी निवेशक द्वारा उधारकर्ता (सामान्य रूप से कॉर्पोरेट या सरकार) को दिए गए ऋण का सूचक होता है।** दूसरे शब्दों में, बॉण्ड भी ऋण के समान ही होता है, लेकिन यह उधारदाताओं और उधारकर्ताओं के बीच एक ऐसा अनुबंध माना जाता है जिसमें ऋण और इसके भुगतान का विवरण सम्मिलित होता है।

बॉण्ड्स की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं होती हैं:

- **फेस वैल्यू (अंकित मूल्य)** वह धनराशि होती है, जो परिपक्वता पर मिलनी होती है। यह वह संदर्भ राशि भी होती है जिसका प्रयोग ब्याज भुगतान की गणना के लिए किया जाता है।
- **कूपन रेट** वह ब्याज दर होती है, जो बॉण्ड जारीकर्ता या निर्गमनकर्ता (Bond issuer) बॉण्ड पर भुगतान करता है। उदाहरण के लिए, 5 प्रतिशत कूपन रेट का अर्थ होता है कि **बॉण्ड धारक** बॉण्ड की फेस वैल्यू का 5% ब्याज के रूप में प्राप्त करेगा।

- **परिपक्वता तिथि (maturity date)** वह तिथि होती है, जब बॉण्ड परिपक्व होता है। इसी तिथि पर बॉण्ड जारीकर्ता बॉण्ड धारक को बॉण्ड की फेस वैल्यू का भुगतान करता है।

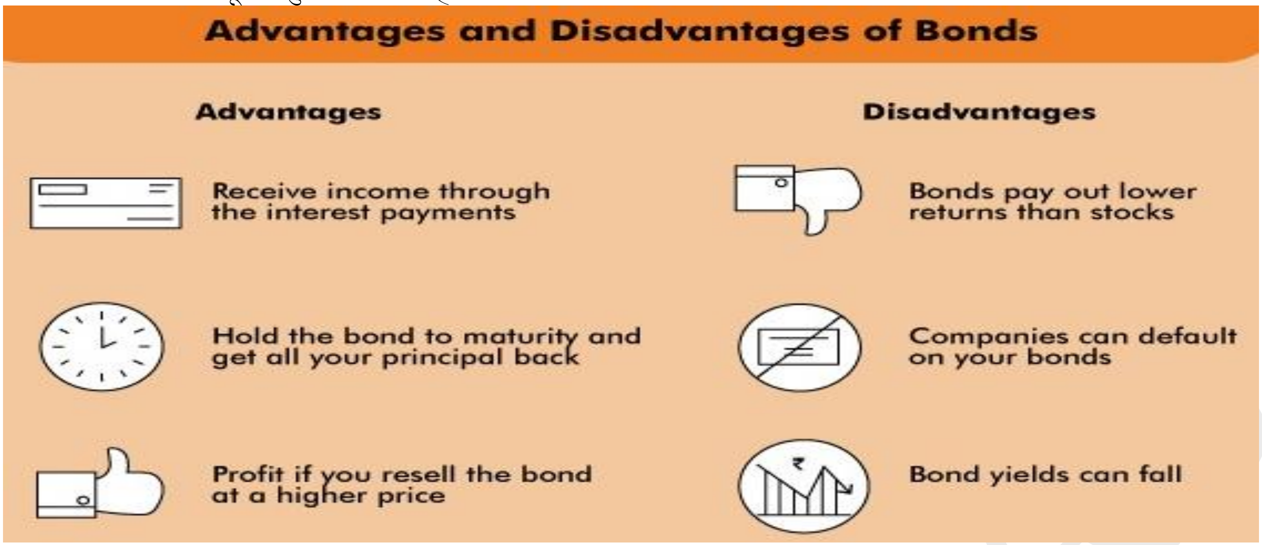

बॉण्ड्स कई प्रकार के होते हैं जैसे कि कॉर्पोरेट बॉण्ड्स, म्यूनिसिपल बॉण्ड्स, एजेंसी आधारित बॉण्ड्स एवं सरकारी बॉण्ड्स। आम बोलचाल में, **बॉण्ड्स और बॉण्ड यील्ड पर चर्चा से निरपवाद रूप से सरकारी बॉण्ड्स का बोध होता है** (अधिकतर स्थितियों में 10 वर्ष की अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियां)। **यहाँ से आगे की चर्चा सरकारी बॉण्ड्स के संदर्भ में की गयी है।**

बॉण्ड यील्ड या बॉण्ड से प्राप्त प्रतिफल या आय (Bond Yields) क्या है और उन्हें कैसे निर्धारित किया जाता है?

- **बॉण्ड यील्ड से उस वित्तीय कमाई का बोध होता है,** जो बॉण्ड का मालिक एक निश्चित समय के बाद प्राप्त करता है। साधारण रूप से यील्ड या प्रतिफल की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जाती है:
    - **यील्ड = [कूपन राशि x 100]/मूल्य।** यदि बॉण्ड का मूल्य स्थिर रहता है (अर्थात् फेस वैल्यू के समान), तब बॉण्ड की यील्ड या उससे प्राप्त आय कूपन रेट के बराबर होती है।
- **परंतु, बॉण्ड का मूल्य** कदाचित ही स्थिर रहता है और **कुछ कारकों जैसे कि अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, ब्याज दर आदि के कारण इसमें प्रतिदिन परिवर्तन होता रहता है।** (हम अगले खंड में इस संबंध को देखेंगे) बॉण्ड्स के मूल्य में उतार-चढ़ाव दो स्थितियों में होते हैं:
    - **प्रीमियम पर बॉण्ड्स की ट्रेडिंग:** यदि बॉण्ड्स की ट्रेडिंग इसकी फेस वैल्यू से अधिक मूल्य पर होती है, तो कहा जाता है कि इसकी ट्रेडिंग प्रीमियम पर हो रही है। इस स्थिति में, **बॉण्ड की यील्ड या उससे प्राप्त आय कूपन रेट से कम होती है।**
    - **डिस्काउंट पर बॉण्ड की ट्रेडिंग:** यदि बॉण्ड की ट्रेडिंग इसकी फेस वैल्यू से कम मूल्य पर होती है, तो कहा जाता है कि इसकी ट्रेडिंग डिस्काउंट पर हो रही है। इस स्थिति में, **बॉण्ड की यील्ड कूपन रेट से अधिक होती है।**

उदाहरणस्वरुप, जब बॉण्ड के मूल्य में वृद्धि होती है, तो बॉण्ड से होने वाली आय (Bond yields) कम हो जाती है; तथा जब बॉण्ड के मूल्य में कमी आती है, तो बॉण्ड से होने वाली आय बढ़ जाती है। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि **बॉण्ड के मूल्य का बॉण्ड यील्ड से व्युत्क्रम/उल्टा संबंध है।**

अन्य प्रमुख आर्थिक चरों का बॉण्ड यील्ड पर क्या प्रभाव पड़ता है?

- **ब्याज दर और मौद्रिक नीति:** बाजार में प्रचलित ब्याज दरों से अप्रत्यक्ष रूप से यह निर्धारित होता है कि निवेश के एवज में क्या प्राप्त होगा (अर्थात् मार्केट रेट ऑफ़ रिटर्न क्या होगा)। बॉण्ड यील्ड की गणना इसी **मार्केट रेट ऑफ़ रिटर्न** के अनुसार की जाती है।
  - उदाहरण के लिए, यदि मार्केट रेट ऑफ़ रिटर्न 10 प्रतिशत है और बॉण्ड का कूपन रेट 5 प्रतिशत है, तो निवेशकों को बॉण्ड आकर्षक नहीं लगेगा और उसके मूल्य में गिरावट आएगी। दूसरी ओर, यदि मार्केट रेट ऑफ़ रिटर्न 1 प्रतिशत है और बॉण्ड का कूपन रेट 5 प्रतिशत है, तो निवेशकों को बॉण्ड आकर्षक लगेगा और उसके मूल्य में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, बॉण्ड के मूल्य में वृद्धि से बॉण्ड यील्ड में गिरावट आएगी या इससे विपरीत स्थिति होगी।

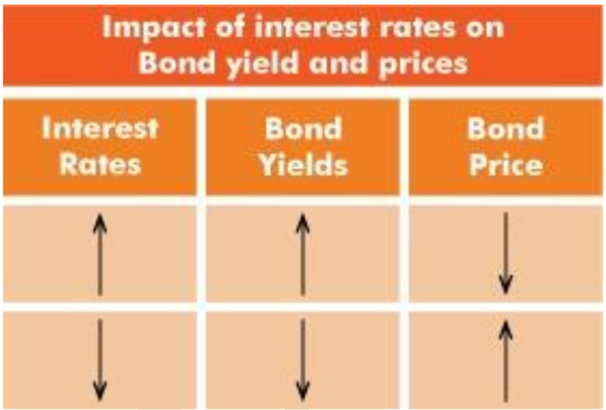

- **स्टॉक प्राइस:** ज्ञातव्य है कि सरकारी बॉण्ड की यील्ड या उससे प्राप्त आय बाजार में निवेश या अन्य शेयरों या ऋण-पत्रों में निवेश को प्रभावित करती है। इसलिए, यदि सरकारी बॉण्ड की यील्ड अधिक होती है, तो स्टॉक मार्केट द्वारा प्रदत्त रिटर्न कम आकर्षक हो जाता है, इस प्रकार से सामान्य रूप से मांग में कमी आ जाती है और स्टॉक के मूल्य में गिरावट आ जाती है। इसके विपरीत यदि सरकारी बॉण्ड की यील्ड कम है, तो ठीक इसके विपरित निष्कर्ष सामने आएंगे।
  - बॉण्ड की उच्च यील्ड अर्थात् उससे प्राप्त आय अप्रत्यक्ष रूप से **कंपनियों के साथ-साथ लोगों के लिए भी ऋण लेने की लागत को बढ़ा देती है।** इससे शेयरधारकों की लाभांश के रूप में होने वाली कमाई कम हो जाती है और प्रत्यक्ष रूप से खुदरा उधारकर्ताओं का बजट प्रभावित होता है।

अमेरिकी बॉण्ड के मूल्य में वृद्धि के कारण

- कोविड-19 संकट से गंभीर रूप से प्रभावित होने के पश्चात् **अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई रिकवरी।**
- अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा मौद्रिक नीति को कठोर बनाना और उसके परिणामस्वरूप **अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का बढ़ना।**
- इन कारणों का यह परिणाम सामने आया है कि **अमेरिका में 10 वर्षीय ट्रेजरी बॉण्ड/नोट की यील्ड में वृद्धि हुई है।**

अमेरिका की बढ़ती हुई बॉण्ड यील्ड का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

चूंकि पूंजी का एक देश से दूसरे देश में प्रवाह होता है, इसलिए किसी बड़ी अर्थव्यवस्था के बाजार में बड़े बदलाव का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर भी प्रभाव पड़ता है। अमेरिकी बॉण्ड्स के बढ़ते मूल्य का निम्नलिखित प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं:

- **निवेश के प्रवाह में कमी:** संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत सहित अन्य देशों के इक्विटी बाजार में प्रवाह का एक स्रोत है और अमेरिका में दरों में बढ़ोतरी से **वहाँ के निवेशकों के लिए घरेलू बॉण्ड्स में धन रखना या निवेश करना अधिक आकर्षक होगा।**
- **रुपये का संभावित मूल्यह्रास (Potential depreciation of Rupee):** बढ़ती यील्ड्स के कारण पूंजी का प्रवाह कम होने का वर्तमान रुपये-डॉलर बाजार संतुलन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा और इससे रुपये का मूल्यह्रास हो सकता है।
- **घरेलू उधार की लागत में वृद्धि:** यदि अमेरिका में बॉण्ड यील्ड के समान भारत में भी बॉण्ड यील्ड बढ़ती है, तो इससे कंपनियों का प्रतिफल प्रभावित होगा क्योंकि उनकी उधार लागत बढ़ जाएगी।

आगे की राह

अमेरिकी बॉण्ड्स की बढ़ती यील्ड का भारतीय अर्थव्यवस्था पर विचारणीय प्रभाव पड़ेगा। परंतु, साथ ही, अधिकतर विशेषज्ञों का मानना है कि **विश्व के केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति उदार रहेगी और इसलिए वैश्विक बॉण्ड यील्ड व्यापक रूप से कम रहेगी।** इसके लिए मौद्रिक एवं राजकोषीय प्रबंधन के परिदृश्य में बहुत संतुलित और धैर्यपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना होगा।

3.5. पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वित्त विधेयक, 2021 के माध्यम से **पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax: CGT)** से संबंधित विनियमों में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

* संशोधन में इस बात का प्रस्ताव है कि **किसी कंपनी के साझेदार के कंपनी से सेवानिवृत्त होने पर उनको प्राप्त होने वाली किसी परीसंपत्ति या शेयर पर CGT** आरोपित होगा।
    * संबंधित दिशानिर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जब किसी साझेदार को फर्म/एसोसिएशन के विघटन होने या पुनर्गठन होने पर धन या अन्य कोई परिसंपत्ति प्राप्त होती है तो उससे होने वाले लाभ या कोई प्राप्ति **'पूंजीगत लाभ'** के अंतर्गत शुल्क योग्य होंगे।
* इसके अतिरिक्त, अनुमानित लाभ (notional gain) पर कर लगेगा। अनुमानित लाभ वह लाभ होता है, जो परिसंपत्ति के अंतरण की स्थिति में उचित बाजार मूल्य (fair market value) से वास्तविक लागत को घटाने के बाद प्राप्त होता है।

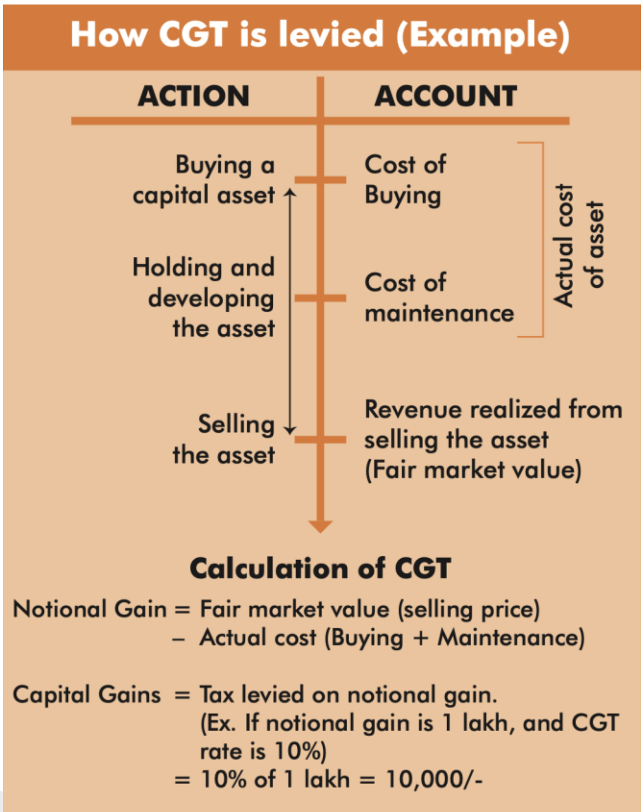

पूंजीगत लाभ कर (CGT) क्या है?

किसी व्यक्ति और निगम द्वारा किए गए निवेशों का विक्रय करने पर निवेश की मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप जो लाभ प्राप्त होता है उसे **पूंजीगत लाभ** कहते हैं। दूसरे शब्दों में, पूंजीगत लाभ एक प्रकार का लाभ होता है, जो किसी व्यक्ति को पूंजीगत संपत्ति (जैसे- शेयर, बॉण्ड, रियल स्टेट आदि) की बिक्री के माध्यम से प्राप्त होता है। इस लाभ पर लगने वाले कर को **पूंजीगत लाभ कर (CGT)** कहते हैं। भारत में लगने वाले CGT की निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

* **जिन निवेशों का विक्रय नहीं हुआ है उन पर यह कर नहीं लगता है।** इसलिए स्टॉक शेयर जिनके मूल्य में प्रतिवर्ष वृद्धि होती है उन पर पूंजीगत लाभ कर नहीं लगेगा, जब तक कि उनका विक्रय न किया जाए, इसके तहत धारण अवधि की कोई सीमा नहीं है।
* **पूंजीगत लाभ कर केवल 'पूंजीगत परिसंपत्तियों'** जैसे कि स्टॉक, बॉण्ड, आभूषण, सिक्कों के संग्रहण और रियल एस्टेट जैसी परिसंपत्ति पर लागू होता है। यह केवल पूंजीगत प्रकृति के लेन-देन, जिनके परिणामस्वरूप परिसंपत्ति या दायित्वों में परिवर्तन होता है, पर लागू होता है।
* पूंजीगत लाभ कर **विरासत में मिली परिसंपत्ति** के स्वामित्व के अंतरण **पर लागू नहीं होता है, क्योंकि इसमें विक्रय करने संबंधी गतिविधियां शामिल नहीं होती हैं।** लेकिन परिसंपत्ति को विरासत के रूप में प्राप्त करने वाला व्यक्ति यदि उसका विक्रय करता है तो उस पर **पूंजीगत लाभ कर** लागू होगा।
* CGT फ्रेमवर्क में पूंजी को धारण करने की अवधि के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है:
    * **लघुकालीन पूंजीगत परिसंपत्ति पर लघुकालीन पूंजीगत लाभ कर (Short-term Capital Gains Tax: STCG):** जब कोई परिसंपत्ति 36 महीने या उससे कम समय अवधि तक धारण रहती है, तो उसे लघुकालीन पूंजीगत परिसंपत्ति कहा जाता है।
        * 36 महीने की अवधि को अचल परिसंपत्तियों जैसे कि भूमि, भवन एवं घर के लिए कम करके 24 महीने कर दिया गया है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने घर को 24 महीने की धारण अवधि से पहले विक्रय करते हैं तो उससे होने वाली आय को लघुकालीन पूंजीगत लाभ माना जाएगा।
    * **दीर्घकालीन पूंजीगत परिसंपत्ति पर दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ कर (Long-term Capital Gains Tax: LTCG):** जब कोई परिसंपत्ति 36 महीने से अधिक समय अवधि तक धारण रहती है, तो उसे दीर्घकालीन पूंजीगत परिसंपत्ति कहा जाता है।

3.6. इलेक्ट्रिक वाहन वित्तपोषण (Electric Vehicle Financing)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी संगठन) ने **'भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के लिए वित्तपोषण को संगठित करना (Mobilising Electric Vehicle Financing in India)'** नामक एक नई रिपोर्ट जारी की है।

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- इस रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles: EVs) की दिशा में भारत के रूपांतरण के लिए अगले दशक में EVs, चार्जिंग अवसंरचना और बैटरियों हेतु **कुल 266 अरब डॉलर के पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी।**
- **EV वित्तपोषण उद्योग के लिए वर्ष 2030 तक 50 अरब डॉलर का बाजार उपलब्ध होगा,** जो भारत के वर्तमान खुदरा वाहन वित्तपोषण उद्योग के आकार, जिसका मूल्य 60 अरब डॉलर है, का लगभग 80 प्रतिशत है।

मांग सृजन	घरेलू विनिर्माण
फेम इंडिया (FAME India) योजना, वर्ष 2015 में भारी उद्योग विभाग द्वारा **इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण को गति प्रदान करने** के लिए आरंभ की गई थी।	फेम-II दिशा-निर्देशों के तहत **आर्थिक प्रोत्साहन, केवल पूर्वनिर्धारित स्थानीयकरण के स्तर को प्राप्त करने पर, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उपलब्ध हैं।**
MoRTH ने **इलेक्ट्रिक वाहनों को परमिट संबंधी अर्हताओं से छूट प्रदान की है** और साथ ही, राज्यों से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पथ कर में कमी करने या माफ़ करने की अनुशंसा भी की है।	घरेलू स्तर पर बैटरी विनिर्माण में वृद्धि करने के लिए **"परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय मिशन"।**
बैटरी सहित विक्रय किए जाने वाले **इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।**	**उन्नत रसायन सेल** के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए **उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना।**
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने निजी और व्यावसायिक भवनों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए **भवन निर्माण उपविधि (Model Building Bye Laws) में संशोधन किया है।**	विभिन्न राज्यों ने इलेक्ट्रिक वाहनों के विक्रय और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन संबंधी नीतियों को अधिसूचित किया है।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के अंगीकरण के समक्ष बाधाएं

साधारणतः विमर्शगत बाधाएं

तकनीकी लागत

EVs की उच्च अग्रिम लागत, इसके अंगीकरण की गति को मंद कर रही है।

विनिर्माण एवं आपूर्ति

उत्पाद संबंधी विविधता में हो रही वृद्धि के बावजूद भी वर्तमान में अधिक अनुकूलित उत्पाद और मॉडल को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

उपलब्ध अवसंरचना

उन्नत बैटरी और लंबी दूरी तय करने में सक्षम वाहनों के विकास ने दूरी तक यात्रा करने से जुड़ी ग्राहकों की चिंताओं को दूर किया है।

उपभोक्ता व्यवहार/ प्रवृत्ति

अधिक किफायती EV उत्पादों की मांग अपेक्षित है, क्योंकि उपभोक्ताओं ने अपनी व्यय करने की प्रवृत्ति में कोविड-19 के कारण अल्पावधि के लिए सीमित किया है।

इलेक्ट्रिक वाहनों के वित्तपोषण से संबंधित तथ्य

उच्च ब्याज दरें

EVs हेतु ऋण के लिए ब्याज दरें आंतरिक दहन इंजन (ICI) वाहनों की तुलना में अधिक होती हैं। इससे समान मासिक किस्त (EMI) में वृद्धि हो जाती है।

ऋण-मूल्य अनुपात (Loan-to-Value ratio: LTV) का निम्न स्तर

बैंक EVs के लिए केवल आंशिक वित्तपोषण और जोखिम को कम करने के लिए निम्न LTV अनुपात पर ऋण प्रदान करते हैं।

वित्तपोषण के सीमित विकल्प

भारत में अधिकांश वित्तीय संस्थान, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विशेष उत्पाद या योजनागत सुविधाएं (SBI ग्रीन कार ऋण योजना को छोड़कर) प्रदान नहीं करते हैं।

उच्च बीमा लागत

उदाहरण के लिए, दिल्ली में व्यावसायिक रूप से पंजीकृत एक EV कार के लिए बीमा की लागत 0.29 रुपये/ कि.मी.है। हालांकि, एक समकक्ष डीजल वाहन के लिए, यह लागत 0.18 रुपये/ कि.मी. है।

इस रिपोर्ट में, आवश्यक पूंजी की पूर्ति को प्रोत्साहित करने के लिए समाधानों के कुछ निश्चित टूलकिट की पहचान की गई है:

अल्पावधि हेतु	मध्यावधि हेतु	दीर्घावधि हेतु	इलेक्ट्रिक वाहन हेतु तंत्र के समर्थनकारी घटक
• बैंकों को इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में ऋण का विस्तार करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए **इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** संबंधी दिशानिर्देशों **में शामिल करना।** • ऋणों की वहनीयता में सुधार हेतु **ब्याज दर सहायता योजना।**	• इलेक्ट्रिक वाहन के मॉडलों से जुड़ी अनिश्चितता को कम करने के लिए **उत्पाद की गारंटी और वारंटी प्रदान करना।** • आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों के वित्तपोषण से जुड़े संभावित हानि को कवर करने हेतु **जोखिम-साझाकरण तंत्र (सरकार और बहुपक्षीय नेतृत्व में)** स्थापित करना, जो इस क्षेत्रक में विश्वसनीयता का निर्माण करेगा।	• **द्वितीयक बाजार का विकास, जैसे-** उद्योग -आधारित पुनः खरीद (buyback) कार्यक्रम, बैटरी - पुनः प्रयोजन योजनाओं का विकास करना, जो EV के अवशिष्ट मूल्य में सुधार करेंगी।	• **डिजिटल रूप से ऋण प्रदान करना:** यह इलेक्ट्रिक वाहन के वित्तपोषण की परिचालन और लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियों को दूर करने में सहायता करके EV संबंधी ऋणों की समस्या का समाधान कर सकता है। • **बिजनेस मॉडल इनोवेशन:** दीर्घकालिक पूंजी प्रवाह इस क्षेत्रक की क्षमता को प्रदर्शित कर सकता है। • **इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मुक्त डेटा संग्रह:** वित्तीय संस्थाओं को EV संबंधी विस्तृत जानकारी, वास्तविक दशाओं में संचालन चक्र, चार्जिंग केंद्रों की वास्तविक लागत और परिचालन व्यय से संबंधित डेटा तक पहुंच की आवश्यकता होती है।

3.7. वाहन स्क्रैपिंग नीति (Vehicle Scrapping Policy: VSP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने वाहन स्क्रैपिंग नीति (VSP) की घोषणा की है।

वाहन स्क्रैपिंग नीति (VSP) में मुख्य प्रस्ताव

- **वाहनों का वि-पंजीकरण:**
  - **15 वर्ष पुराने वाणिज्यिक वाहन** यदि फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो उन्हें **वि-पंजीकृत (de-registered)** कर दिया जाएगा।
  - **20 वर्ष पुराने निजी वाहन** यदि फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करने में विफल रहते हैं या पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराने में विफल रहते हैं तो उन्हें **वि-पंजीकृत कर दिया जाएगा।**
  - **सभी सरकारी वाहनों** को पंजीकरण की तिथि से 15 वर्ष बाद वि-पंजीकृत या स्क्रैप किया जा सकता है।
- पंजीकृत स्क्रैपिंग केंद्रों (Registered Scrapping Centres: RSCs) के माध्यम से **पुराने और अनफिट वाहनों को स्क्रैप करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन।**
  - स्क्रैपिंग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर नए निजी वाहनों और वाणिज्यिक वाहनों के लिए क्रमशः 25% और 15% तक की सड़क कर की छूट राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाएगी।
  - नए वाहनों की खरीद करते समय स्क्रैपिंग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर विनिर्माताओं द्वारा 5% की छूट प्रदान की जाएगी।
  - स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर नए वाहन की खरीद पर पंजीकरण शुल्क भी माफ हो सकता है।
- सार्वजनिक और निजी भागीदारी प्रोत्साहित कर संपूर्ण भारत में **अत्यधिक विशेषीकृत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (Registered Vehicle Scrapping Facilities: RVSF) की स्थापना करना।**

- MoRTH ने संपूर्ण भारत में **पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए प्रारूप नियमों की भी घोषणा की है।**

वाहन स्क्रैपिंग क्या है?

- **इस प्रक्रिया में सामान्यतः अपनी कार्यशील अवधि पूर्ण (अर्थात् जो वैध रूप से पंजीकृत नहीं रह गए हैं या जिन्हें स्वचालित फिटनेस केन्द्रों के माध्यम से अयोग्य घोषित कर दिया गया है) कर चुके वाहनों {End of life – vehicles (ELV)} को सामान्यतः** कतरनी मशीन का उपयोग कर धातु के छोटे-छोटे टुकड़ों में कतर दिया जाता ताकि इनका पुनर्चक्रण किया जा सके।
    - इसमें **प्रदुषण समाप्त करने वाली, विघटन, सामग्री का पृथक्करण, गैर-पुन:प्रयोज्य भागों का सुरक्षित निस्तारण** आदि जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

इस नीति के उद्देश्य

- पुराने और खराब हो चुके वाहनों की संख्या को कम करना।
- भारत की जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण में कमी लाना।
- सड़क और वाहन संबंधी सुरक्षा में सुधार करना।
- बेहतर ईंधन दक्षता प्राप्त करना।
- वर्तमान में अनौपचारिक वाहन स्क्रैपिंग उद्योग को औपचारिक रूप प्रदान करना।
- मोटरवाहन, स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए कम लागत वाले कच्चे माल की उपलब्धता को बढ़ावा देना।

    - यदि वर्ष 1990 को आधार वर्ष के रूप में माना जाए तो **लगभग 37 लाख वाणिज्यिक वाहन (Commercial Vehicles: CV) और 52 लाख व्यक्तिगत वाहन (PV) स्वेच्छा से स्क्रैपिंग के पात्र हैं।**
- ELV का अर्थ:
    - **ऐसे वाहन जो वैध रूप से पंजीकृत नहीं रह गए हैं,**
    - ऐसे वाहन जिनका पंजीकरण मोटर यान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत या किसी न्यायिक आदेश के कारण रद्द कर दिया गया हैं,
    - ऐसे वाहन जिन्हें विधि सम्मत पंजीकृत वहान मालिक द्वारा किसी भी परिस्थिति आग, क्षति, प्राकृतिक आपदा, दंगों, दुर्घटना आदि कारण ख़राब वाहन के रूप में स्व-घोषित किया गया हो।

संबंधित तथ्य

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने **पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर "हरित कर" आरोपित करने प्रस्ताव** को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
- हरित कर लगाते समय **पालन किए जाने वाले मुख्य सिद्धांत** इस प्रकार हैं:
    - **8 वर्ष से अधिक पुराने परिवहन वाहनों पर** उनके फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीकरण के समय सड़क कर के 10 से 25% की दर से हरित कर **आरोपित किया जा सकता है।**
    - **अत्यधिक प्रदूषित शहरों में पंजीकृत वाहनों** पर उच्च हरित कर (सड़क कर का **50%**)।
    - ईंधन (पेट्रोल/डीजल) और वाहन के प्रकार के आधार पर कर की दर अलग-अलग होंगी।
    - **हरित कर** से प्राप्त राजस्व का **उपयोग प्रदूषण से निपटने संबंधी उपायों में किया जाएगा।**
- **हरित कर के लाभों में शामिल हैं:**
    - लोगों को पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले वाहनों का उपयोग करने से हतोत्साहित करना।
    - लोगों को नए कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले वाहन के उपयोग के प्रति प्रेरित करना।
    - हरित कर से प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी और प्रदूषण उत्पन्न करने वाले प्रदूषक को भुगतान करना पड़ेगा।

इस नीति के समक्ष चुनौतियां

- **संबद्ध अवसंरचना का अभाव:** भारत में वर्तमान में बहुत कम स्वचालित फिटनेस परीक्षण केंद्र हैं इस प्रकार यह बाजार की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए अपर्याप्त हैं।
- **जटिल विपंजीकरण प्रक्रिया:** वाहनों को विपंजीकृत कराने की वर्तमान प्रक्रिया कई वाहन मालिकों को हतोत्साहित करती है, जो अपने पुराने वाहनों को बेचने या स्क्रैप करने के इच्छुक होते हैं।
- **पर्यावरणीय चुनौतियां:** भारी धातुओं, अपशिष्ट तेल, शीतलक, ओजोन क्षयकारी पदार्थों आदि की उपस्थिति के कारण ELV से निकलने वाली लगभग **25%** अपशिष्ट सामग्री संभावित पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करती है।

- **आम सहमति का अभाव:** वर्ष 2018 में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने **वर्ष 2020** से वाहन स्क्रैपिंग को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा। हालांकि प्रधान मंत्री कार्यालय इससे सहमत नहीं था और PMO द्वारा MoRTH को इस योजना को स्वैच्छिक बनाने और राज्यों से परामर्श करने का निर्देश दिया गया।
- **अनिश्चित संख्या:** पुराने और ELV वाहनों की निश्चित संख्या निर्धारित करना अत्यधिक कठिन कार्य है, क्योंकि भारत में वाहन पंजीकरण संबंधी डेटाबेस में निरंतर वृद्धि होती रहती है और इसे सामान्यतः गैर-प्रयोज्य और स्क्रैपेज वाहनों के अनुसार दक्षतापूर्वक संशोधित नहीं किया जाता है।
- **प्रयुक्त वाहनों की बिक्री पर प्रभाव:** पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग से प्रयुक्त वाहनों के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। इससे सभी निर्धन कार मालिक प्रभावित होंगे।

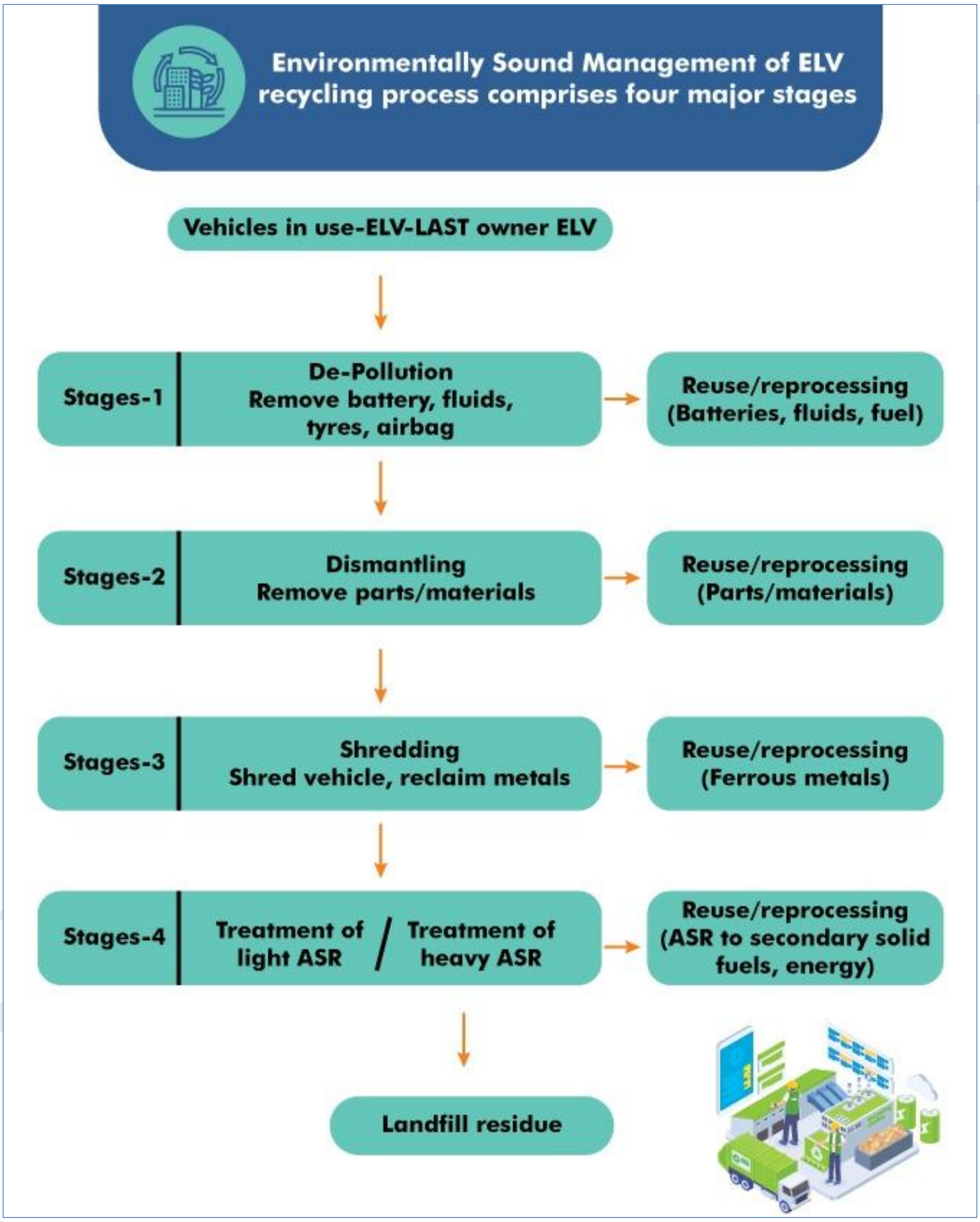

आगे की राह

- इस नीति के तहत **पुराने हैवी ड्यूटी वाहनों को BS-VI वाहनों से प्रतिस्थापित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज** प्रदान करने की आवश्यकता है।

- **विनिर्माता/उत्पादक के उत्तरदायित्व के संदर्भ में नवीन नियमों को अधिसूचित करना चाहिए** ताकि वाहनों में निर्दिष्ट शर्तों के अलावा सीसा, पारा, कैडमियम या हेक्सावेलेंट क्रोमियम जैसी विषैली धातुएं न हों।
- अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण और पुनर्चक्रण के लिए इस्पात, एल्यूमीनियम और प्लास्टिक आदि जैसी सामग्री की पुन: प्राप्ति के लिए **संपूर्ण देश में पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल वाहन स्क्रैपेज अवसंरचना में वृद्धि करना चाहिए।**
- **अनौपचारिक क्षेत्रक को एकीकृत करना चाहिए,** क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्रक ELV के संग्रहण, विघटन और पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- सभी क्षेत्रों में पुराने वाहनों की सटीक संख्या का अनुमान लगाने के लिए **वाहन पंजीकरण संबंधी डेटाबेस को अद्यतित करना चाहिए।** क्रियाशील वाहन के परमिट और पंजीकरण के लिए ऑनलाइन VAHAN डेटाबेस सृजित करने की MoRTH की पहल एक महत्वपूर्ण कदम है।
- संबंधित विनियामक ढांचे और इसके कार्यान्वयन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए विशेष रूप से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, MoRTH और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मध्य **बेहतर समन्वय** होना चाहिए।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर अर्थव्यवस्था से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

4. सुरक्षा (Security)

4.1. महत्वपूर्ण अवसंरचना (Critical Infrastructure)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power: MoP) ने दावा किया है कि विभिन्न भारतीय विद्युत केंद्रों (Power Centers) को चीन प्रायोजित हैकर समूहों द्वारा लक्षित किया गया था।

अन्य संबंधित तथ्य

- विद्युत मंत्रालय ने दावा किया है कि इन हमलों के दौरान किसी भी प्रकार की डेटा संबंधी सेंध/डेटा की क्षति नहीं हुई है क्योंकि सरकारी साइबर एजेंसियों द्वारा उनकी गतिविधियों के बारे में चेतावनी देने के बाद इन समूहों के प्रयासों को विफल कर दिया गया था।
  - हालांकि शैडो पैड (Shadow Pad) नामक मैलवेयर द्वारा उत्पन्न होने वाले खतरों / जोखिमों के संबंध में **राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (National Critical Information Infrastructure Protection Centre: NCIIPC)** द्वारा चेतावनी प्रदान की गई थी।
- इसके अतिरिक्त, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीन की सरकार द्वारा प्रायोजित एक हैकर समूह (रेड इको नामक) ने शैडो पैड मैलवेयर के माध्यम से भारत की महत्वपूर्ण विद्युत ग्रिड प्रणाली को लक्षित किया था। शैडो पैड मैलवेयर एक त्रुटिपूर्ण/विकृत सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है जो किसी प्रोग्राम योग्य उपकरणों, सेवा या नेटवर्क को क्षति/नुकसान पहुंचाने या उसका अनुचित प्रयोग करने के लिए निर्मित किया गया है।

महत्वपूर्ण अवसंरचना (Critical Infrastructure: CI) के बारे में

- महत्वपूर्ण अवसंरचना (CI) उन सभी भौतिक और साइबर प्रणालियों तथा परिसंपत्तियों को संदर्भित करता है जो किसी देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं तथा उनकी गैर परिचालन अथवा कार्यात्मक अवरोध की स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा और राज्य के आर्थिक और सामाजिक कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं।
  - **केमिकल्स (रासायनिक पदार्थ), बांध, आपातकालीन सेवाएं, विद्युत और ऊर्जा, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं, सरकारी सुविधाएं, स्वास्थ्य देखभाल, सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन, परमाणु रिएक्टर आदि** को देश के महत्वपूर्ण अवसंरचना का एक भाग माना जाता है।
- **महत्वपूर्ण अवसंरचना (CI) का महत्व:**
  - महत्वपूर्ण अवसंरचना की कार्यप्रणाली में किसी भी प्रकार का विलंब, अवरोध या व्यवधान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या राष्ट्रीय अस्थिरता उत्पन्न करने के साथ अन्य महत्वपूर्ण अवसंरचना को भी व्यापक स्तर पर नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
  - साथ ही, इन अवसंरचनाओं को प्रभावित करने वाले हमले या व्यवधान, **आबादी के बड़े हिस्से को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं।**
  - इसके अतिरिक्त, राष्ट्रों के मध्य टकराव की स्थिति में यदि महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं पर साइबर संबंधी हमलें किए जाते हैं तो उनके व्यापक आर्थिक परिणाम हो सकते हैं।

संबंधित तथ्य

साइबर स्वयंसेवक कार्यक्रम (Cyber Volunteer Program: CVP)

- **साइबर स्वयंसेवक कार्यक्रम (CVP)** के संबंध में गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs: MHA) ने यह सूचित/निर्दिष्ट किया है कि **साइबर सुरक्षा गतिविधियों को सुदृढ़ बनाने के लिए इस कार्यक्रम को आरंभ किया गया है:**
  - यह देश में **साइबर अपराध के विरुद्ध लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान हेतु नागरिकों को एकजुट करने में मदद करेगा।**
  - यह साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए **राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की LEAs** (कानून प्रवर्तन एजेंसियों) के मध्य समन्वय को बढ़ावा देगा।
- **साइबर स्वयंसेवक कार्यक्रम** की परिकल्पना **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (Indian Cyber Crime Coordination Centre: I4C)** द्वारा की गई है।
  - I4C, गृह मंत्रालय के तहत, **साइबर अपराध के विरुद्ध लड़ाई में राष्ट्रीय स्तर पर एक नोडल बिंदु के रूप में** कार्य करता है।

- यह साइबर अपराध को रोकने, पता लगाने, जांच और अभियोजन में **शिक्षाविद, उद्योग, जनता और सरकार को एकजुट करता है।**

भारत में महत्वपूर्ण अवसंरचना संरक्षण केंद्र (Critical Infrastructure protection in India)

- वर्ष 2014 में देश के महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (Critical Information Infrastructure: CIIs) को विनियमित और संरक्षित करने के उद्देश्य से भारत द्वारा एक **राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (National Critical Information Infrastructure Protection Centre: NCIIPC)** को स्थापित किया गया था।
    - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के निहित प्रावधानों के तहत महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना ऐसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर संसाधन होते हैं, यदि इनकी कार्यप्रणाली या इनका परिचालन बाधित हो जाए तो यह सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रकों में राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, लोक स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेंगे।
    - महत्वपूर्ण अवसंरचना संगठन वस्तुतः विद्युत और यूटिलिटीज, दूरसंचार एवं परिवहन तथा रणनीतिक और सार्वजनिक उद्यमों जैसे अनेक क्षेत्रकों में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्य करते हैं।
    - इन दिशा-निर्देशों में सामान्यतः योजना, कार्यान्वयन, संचालन, आपदा के बाद बहाली और व्यवसाय निरंतरता योजना के साथ-साथ रिपोर्टिंग और जवाबदेही सहित सम्पूर्ण साइबर सुरक्षा जीवन-चक्र को शामिल किया गया है।
- **भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (Indian Computer Emergency Response Team: CERT-In):** यह कंप्यूटर सुरक्षा संबंधी घटनाओं/गतिविधियों के प्रत्युत्तर हेतु एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय** के तहत **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (National Cyber Security Coordinator : NCSC)** मुख्यतः साइबर सुरक्षा मामलों में राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय को सुनिश्चित करता है।
- **राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र** मुख्य रूप से साइबर सुरक्षा संबंधी जोखिमों के बारे में आवश्यक परिस्थितिजन्य जागरूकता का सृजन करने तथा सक्रिय, निवारक और सुरक्षात्मक कार्रवाई के लिए समय पर सूचना के साझाकरण को सक्षम बनाता है।
- साइबर और सूचना सुरक्षा के लिए **गृह मंत्रालय के तहत एक नए प्रभाग को गठित किया गया है।**
- इसके अतिरिक्त मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (Chief Information Security Officers: CISOs) को विशेषकर अनुप्रयोगों/अवसंरचना और अनुपालन को सुनिश्चित करने संबंधी महत्वपूर्ण भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के बारे में भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
- दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों का पता लगाने और उन्हें रोकने के उद्देश्य से मुफ्त टूल्स प्रदान करने के लिए **साइबर स्वच्छता केंद्र (बॉटनेट क्लीनिंग एंड मैलवेयर एनालिसिस सेंटर)** को आरंभ किया गया है।

महत्वपूर्ण अवसंरचना (CI) से जुड़े जोखिम	
प्राकृतिक	• भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, चरम मौसमी घटनाएं (चक्रवात, बाढ़, सूखा), अग्नि। • उदाहरण के लिए- कश्मीर में वर्ष 2014 में आई बाढ़ ने सभी राज्य स्वामित्व वाली और निजी दूरसंचार नेटवर्क को प्रभावित किया था।
मानवीय कारण	• आतंकवाद, दंगा, उत्पाद को विकृत करना, बमबारी, वित्तीय अपराध, आर्थिक जासूसी। • उदाहरण के लिए- वर्ष 2008 में जॉर्जिया पर रूस द्वारा किए गए साइबर हमले, जहा मैलवेयर द्वारा ईरानी परमाणु प्रतिष्ठान में उपयोग किए जाने वाले सेंट्रीफ्यूज को क्षति पहुंचाई गई थी।
आकस्मिक या तकनीकी	• अवसंरचना और खतरनाक सामग्री विफलताएं और दुर्घटनाएं, पावर-ग्रिड विफलताएं, जल-उपचार सुविधा से जुडी विफलताएं, जल-मार्ग बाधित होना, सुरक्षा-प्रणालियां विफलताएं आदि।

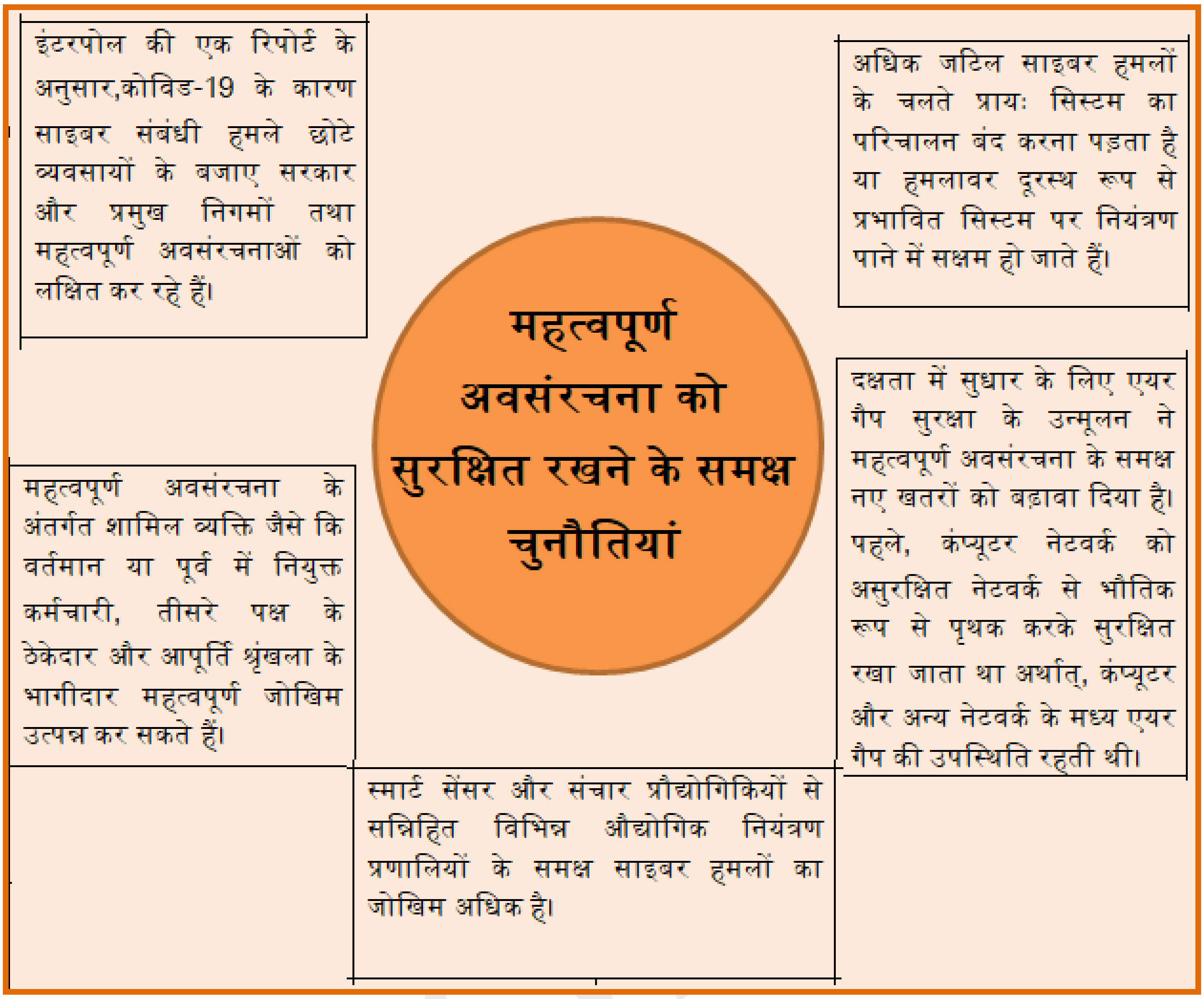

आगे की राह

- महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा के लिए **सुरक्षा संबंधी रणनीतियों, नीतियों, सुभेद्यता मूल्यांकन और अंकेक्षण के तरीकों तथा योजनाओं** का विकास कर उनके प्रसार और कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- **सरकार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग रणनीतियों का विकास और उनके निष्पादन को सुनिश्चित करना चाहिए** तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रक के भागीदारों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए ताकि महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा और लचीलेपन में सुधार को सुनिश्चित किया जा सके।
- **प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम** तथा महत्वपूर्ण अवसंरचना के संरक्षण के लिए अंकेक्षण और प्रमाणन एजेंसियों को बढ़ावा और उनके विकास को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- पर्याप्त कौशल और प्रतिभा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए **साइबर कार्यबल का निर्माण और विकास** पर बल दिया जाना चाहिए।
- **एकीकृत और सतत आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा उद्देश्य को** व्यावसायिक योजनाओं, अनुबंधों और संचालन में शामिल किया जाना चाहिए।

4.2. विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम {Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

गृह मंत्रालय ने निर्दिष्ट किया है कि वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2019 में **विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम** अर्थात् UAPA से संबंधित मामलों की संख्या में 72% से अधिक की वृद्धि हुई है।

UAPA के बारे में

- विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 को **व्यक्तियों और संगठनों के कतिपय** विधिविरुद्ध क्रिया-कलापों **का अधिक प्रभावी निवारण** तथा **आतंकवादी गतिविधियों और तत्संगत विषयों** से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था।

- यह अधिनियम **व्यक्ति/व्यक्तियों या संगठन (व्यष्टि या संगम) द्वारा की गई ऐसी किसी भी कार्रवाई को, जो भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग पर आधिपत्य या नियंत्रण स्थापित करती हो, भारत की संप्रभुता को खंडित या भारत की अखंडता को बाधित करता हो,** उसे **विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप या गैरकानूनी गतिविधि (Unlawful activity)** के रूप में परिभाषित करता है।
- इस अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार किसी व्यक्ति या संगठन को आतंकवादी/आतंकी संगठन के रूप में घोषित कर सकती है, यदि वह:
    - **आतंकवादी कार्य करता है या उसमे भाग लेता है,**
    - **आतंकवाद के लिए स्वयं को तैयार करता है,**
    - **आतंकवाद में अभिवृद्धि करता है या उसे बढ़ावा देता है, या**
    - **अन्यथा आतंकवाद में संलिप्त है।**
- यह अधिनियम केंद्र सरकार को **'गैरकानूनी'** घोषित किए गए संगठनों को **अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान करता** है। यह प्रतिबंधित व्यक्ति/संगठनों को **अधिकरण की सहायता से अपील की सुनवाई के लिए भी अधिकार** प्रदान करता है।
- इस अधिनियम के तहत **भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों पर मुकदमा चलाया** जा सकता है। इसके अलावा, यदि भारत के बाहर **विदेशी भूमि पर अपराध** किया गया है, तो इस अधिनियम के तहत उसी रीति से अपराधियों पर क़ानूनी कार्यवाही की जाती है।
- इस अधिनियम के तहत ऐसे मामलों की जांच **राज्य पुलिस और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (National Investigation Agency: NIA)** दोनों के द्वारा की जा सकती है।

वर्तमान समय में भारत के संदर्भ में UAPA कानून का महत्व

- **भारत से आतंकवाद को पूर्णतः समाप्त करना:** आतंकवादियों और विद्रोहियों को भारत में कई स्रोतों से सामग्री और धन संबंधी सहायता (आतंकवाद के मुख्य संचालक) प्राप्त होती रही है। उदाहरणस्वरूप, वर्ष 2001 के बाद से, 8,473 भारतीय आतंकवादियों के द्वारा मारे गए हैं।
- **व्यक्ति पर भी केंद्रित:** एकल व्यक्ति या व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित न करना, उन्हें कानून के प्रावधानों में व्याप्त कमियों का फायदा उठाकर बच निकलने का अवसर प्रदान करता था तथा वे ऐसी स्थिति में भिन्न-भिन्न नाम के संगठनों के तहत एकत्रित होकर आतंकी गतिविधियों को संपादित करते रहते थे। यह विशेषकर लोन वुल्फ अटैक (इसमें एकल व्यक्ति पूरी घटना को अंजाम देता है) के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जो किसी भी संगठन से संबंधित नहीं होता है। इसलिए, UAPA में वर्ष 2019 में किए गए संशोधन के तहत अब एकल व्यक्ति को भी आतंकवादी के रूप में नामित किया जा सकता है।
- **न्याय वितरण की प्रक्रिया को तीव्र करने के संदर्भ में:** इस अधिनियम के तहत मामलों की जांच करने के लिए इंस्पेक्टर रैंक और उससे ऊपर के रैंक (UAPA में वर्ष 2019 में किए संशोधन से पहले DSP और उससे ऊपर के रैंक के अधकारी इसके लिए अधिकृत थे)के अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। हालांकि इंस्पेक्टर-रैंक के अधिकारियों ने समय के साथ UAPA से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए पर्याप्त क्षमता हासिल कर ली है और इस कदम से आवश्यक मानव-संसाधन संबंधी कमी की पूर्ति होगी जिससे ऐसे मामलों के न्याय वितरण में तीव्रता आएगी।
- **संपत्ति जब्त करने संबंधी विलंब को कम कर सकता है:** इस अधिनियम में NIA के अधिकारी को मामले की जांच के दौरान पुलिस महानिदेशक की स्वीकृति के बिना आतंकवाद से जुड़ी संपत्ति को जब्त (अभिग्रहण) करने की शक्ति प्रदान की गई है।

UAPA अधिनियम, 2019 से जुड़ी चुनौतियां

- **अस्पष्ट और संदिग्ध परिभाषाएं:** यह अधिनियम आतंकवाद को परिभाषित नहीं करता है तथा साथ ही, इस अधिनियम में **"गैरकानूनी गतिविधि"** को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि यह लगभग प्रत्येक हिंसक कृत्य को समाहित करती है चाहे वह राजनीतिक हो या गैर-राजनीतिक प्रकृति के हों।
- **अत्यधिक विवेकाधीन शक्तियां:** किसी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कोई वस्तुनिष्ठ मापदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं और किसी को आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए सरकार को **"निर्बाध शक्तियां"** प्रदान की गई हैं।
- **अनुच्छेद 14, 19 (1) (a), 21 जैसे मूल अधिकारों को चुनौती:** यह अधिनियम आतंकवादी के रूप में संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तारी से पूर्व अपने पक्ष को सही ठहराने के लिए कोई अवसर प्रदान नहीं करता है। साथ ही, जिस सूचना के आधार पर किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया गया है वह जानकारी/सूचना 6 महीने तक आतंकी घोषित व्यक्ति तक उपलब्ध कराए जाने से रोकी जा

सकती है। इस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों को बिना चार्जशीट फाइल किए 180 दिन तक कैद में रखा जा सकता है।

- **'दोषी साबित होने तक निर्दोष' जैसे सिद्धांत के विपरीत:** यह अधिनियम मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (Universal Declaration of Human Rights) और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार बाचा (Universal Declaration of Human Rights) के अधिदेश का उल्लंघन करता है, जो **इस सिद्धांत को एक सार्वभौमिक अधिकार के रूप में मान्यता** प्रदान करता है।
- **अनुचित उपयोग:** वर्ष 2016-2019 के दौरान अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए 5,922 व्यक्तियों में से केवल 2.2% को ही न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है।
- **अपील प्रक्रिया से जुड़ी चुनौतियाँ:** इस अधिनियम के अंतर्गत अपील हेतु प्रावधान किया गया है, हालांकि अपील संबंधी तीन सदस्यीय पुनरवलोकन समिति का गठन स्वयं सरकार द्वारा किया जाएगा, जिनमें दो सेवारत नौकरशाह शामिल होंगे।

UAPA में संशोधन

- **वर्ष 2004 में संशोधन:** किसी आतंकवादी गतिविधियों या किसी आतंकवादी संगठन की सदस्यता आदि के लिए निधि जुटाकर आतंकवादी संगठन का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करना।
- **वर्ष 2008 में संशोधन:** इसके तहत आतंकी अपराधों के वित्तपोषण की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए "निधि" संबंधी प्रावधान के दायरे को बढ़ाया गया था।
- **वर्ष 2012 में संशोधन:** इसके तहत देश की आर्थिक सुरक्षा के समक्ष जोखिम उत्पन्न करने वाले अपराधों को शामिल करने के लिए **"आतंकवादी कृत्य (terrorist act)"** की परिभाषा को विस्तारित कर दिया गया था।
- **वर्ष 2019 में संशोधन:**
    - इस संशोधन के तहत **एकल व्यक्ति या व्यक्तियों को भी आतंकवादी के रूप में नामित** करने की शक्ति सरकार को सौंप दी गई। इससे पहले, केवल संगठनों को आतंकवादी संगठनों के रूप में नामित किया जा सकता था।
    - इसके अतिरिक्त यदि जांच, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (National Investigation Agency : NIA) के अधिकारी द्वारा की जाती है, **तो आतंकवाद से जुड़ी संपत्ति को जब्त करने के लिए NIA के महानिदेशक की स्वीकृति अनिवार्य होगी।** (इससे पहले, पुलिस महानिदेशक की स्वीकृति अनिवार्य होती थी)।
    - इसके तहत मामलों की जांच के लिए इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के **NIA** के अधिकारी को अधिकृत किया गया है।
    - इस अधिनियम के तहत अनुसूची में परमाणु आतंकवाद संबंधी कृत्यों का दमन करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (International Convention for Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, 2005) के प्रावधानों को शामिल किया गया है।

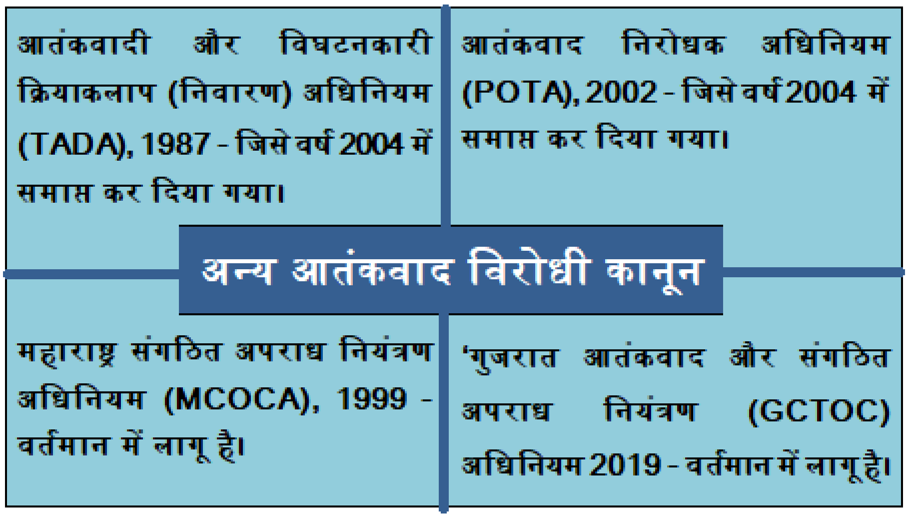

निष्कर्ष

- आतंकवाद का सामना करने के लिए कठोर कानूनों की आवश्यकता है ताकि अधिकारी आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही करते समय विधिक रूप से शक्तिहीन महसूस न करें। लेकिन इसके साथ-साथ **मानवाधिकारों और संवैधानिक मूल्यों को भी संतुलित करने की**

आवश्यकता है। जैसा कि किसी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में चिन्हित करने के संबंध में निर्णय लेने से पहले यह अधिनियम **चार स्तरीय अनुवीक्षण का प्रावधान करता है।**

- आतंकी मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए यह अधिनियम महत्वपूर्ण है। हालांकि, कानून की उचित प्रक्रिया का प्रत्येक स्तर पर अधिनियम के तहत शामिल एजेंसियों द्वारा पालन किया जाएगा। साथ ही, ऐसे कानूनों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए न्यायपालिका की भूमिका सर्वोपरि है।

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. जल शक्ति अभियान: कैच द रेन अभियान (Jal Shakti Abhiyan: Catch the Rain)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन (National Water Mission: NWM) ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के नेहरू युवा केंद्र संगठन (NYKS) के सहयोग से **"जल शक्ति अभियान II: कैच द रेन"** नामक जागरूकता सृजन अभियान आरंभ किया है।

जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (वर्षा के जल का संचयन) अभियान के बारे में

- यह अभियान **"वर्षा के जल का संचयन, जहाँ भी हो, जब भी हो (catch the rain, where it falls, when it falls)"** की टैग लाइन के साथ आरंभ किया गया है। यह अभियान 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 तक संचालित किया जाएगा। इसका अभियान का उद्देश्य जलवायविक दशाओं और उप-मृदा संस्तर के लिए उपयुक्त **वर्षा जल संचयन संरचनाओं (Rainwater Harvesting Structures: RWHS)** का निर्माण करने के लिए सभी हितधारकों को प्रेरित करना है।
- इन गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए, राज्यों से **प्रत्येक जिले में** –कलेक्ट्रेट/नगर पालिकाओं या ग्राम पंचायत कार्यालयों में **"वर्षा केंद्र (Rain Centers)"** खोलने का अनुरोध किया गया है।
  - इस अवधि के दौरान, इन वर्षा केंद्रों में **एक समर्पित मोबाइल फोन नंबर होगा** और इन्हें किसी इंजीनियर या RWHS में कुशल रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।
  - ये केंद्र सभी जिले के लिए "वर्षा के जल का संचयन, जहाँ भी हो, जब भी हो," के संबंध में **तकनीकी मार्गदर्शन केंद्र** के रूप में कार्य करेंगे।
- **नेहरू युवा केंद्र संगठनों** की इसलिए सहायता ली जा रही है ताकि इस अभियान के प्रभावी संचालन और सूचना, शिक्षा एवं संचार (Information, Education & Communication: IEC) गतिविधियों के माध्यम से इसके कार्यान्वयन के लिए **जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़ा जा सके।**
- इस अभियान के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियां:
  - जल संचयन गड्ढे, रूफटॉप RWHS और चेक डैम (रोधक बांध) के निर्माण को **प्रोत्साहित करना;**
  - संचयन की भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए तालाबों से **अतिक्रमण और गाद को हटाना;**
  - जलग्रहण क्षेत्रों से जल की आपूर्ति करने वाले जलमार्गों में विद्यमान **अवरोधों को हटाना;**
  - **पारंपरिक जल संचयन संरचनाओं,** जैसे- सीढ़ीदार कुओं की मरम्मत और जलभृतों में पुनः जल आपूर्ति के लिए निष्क्रिय बोरवेल और पुराने कुओं का उपयोग करना।

वर्षा जल संचयन के बारे में

वर्षा जल के संचयन के तहत वर्षा के जल का पुन: उपयोग करने के लिए उसका यथास्थाने संचयन और भंडारण किया जाता है। इसके तहत वर्षा के जल को कम से कम अपवाहित या बर्बाद होने दिया जाता है। **वर्षा जल संचयन संरचनाओं (RWHS)** की सामान्य विधियों में शामिल हैं:

- **रूफटॉप वर्षा जल संचयन (Rooftop Rainwater harvesting):** इस विधि में घरों और भवनों की छतों पर एकत्रित जल का उपयोग किया जाता है। यह विधि कस्बों और शहरों के आवासीय क्षेत्रों में बेहतर रूप से प्रयुक्त होती है।
- **वर्षा जल के धरातलीय अपवाह का संचयन (Surface run-off rainwater harvesting):** इस विधि का उपयोग सड़कों, मैदानों, पहाड़ी आदि जैसे खुले स्थानों से होकर प्रवाहित होने वाले वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। इसके तहत जल को भूमिगत रूप से संग्रहित किया जाता है और इसका उपयोग बगीचों में, सड़क किनारे लगे पेड़ों को पानी देने, साफ़-सफाई या सौन्दर्यीकरण करने आदि जैसे सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- **पुनर्भरण करने में सक्षम गड्ढे (Recharge pit):** सामान्यतः पहाड़ियों के निकट या खेतों में जल का संग्रह करने के लिए तालाब के आकार के बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं। इनका सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकता है। इनसे जलभृतों का पुनर्भरण करने संबंधी एक अतिरिक्त लाभ भी होता है।
- **अवनालिका डाट (Gully Plugs):** अवनालिका डाट खुले क्षेत्र में नियमित अंतराल पर बनाए गए छोटे-छोटे गड्ढे होते हैं जहाँ से होकर वर्षा जल के प्रवाहित होने की संभावना होती है। इससे वर्षा जल का कई स्थलों पर संचयन सुनिश्चित होता है।
- **समोच्च (Contours):** समोच्च सामान्यतः अवनालिका डाट जैसे ही होते हैं लेकिन ये आकार में संकरे और लंबे होते हैं।

पारिस्थितिकीय क्षेत्र	पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणाली
ट्रांस-हिमालयी क्षेत्र	जिंग
पश्चिमी हिमालय	कुल, नौला, कुहल, खत्रि
पूर्वी हिमालय	अपतानी
उत्तर-पूर्वी पर्वतमाला	आबो (Zabo)
ब्रह्मपुत्र घाटी	डोंग/डुंग/जाम्पोई
सिंधु-गंगा का मैदान	अहार-पइन, बंगाल के जलभराव चैनल, दिघी, बावली
थार रेगिस्तान	कुंड, कुई/बेरि, बावड़ी/बेर/झालरा, नदी, तोबा, टंका, खादिन, वाव/बावड़ी, विरदा, पार
मध्यवर्ती उच्चभूमि	तलाब, बंधिस, संझा कुआ, जोहड़, नाडा/बांध, पत, रापट, चंदेल टैंक, बुंदेल टैंक
पूर्वी उच्चभूमि	कटा/मुंडा/बंधा
दक्कन का पठार	चेरुवु, कोहली टैंक, भंडारा, फड, केरे, रामटेक मॉडल
पश्चिमी घाट	सुरंगम
पश्चिम तटीय मैदान	विरदास
पूर्वी घाट	कोराम्बू
पूर्वी तटीय मैदान	इरी/ऊरानी
द्वीपसमूह	जैक कुएं

वर्षा जल संचयन संरचनाओं (RWHS) का महत्व

- **भूजल पुनर्भरण:** वर्ष 2007 और 2017 के मध्य भारत में भूजल स्तर में 61 प्रतिशत की गिरावट आई है। RWHS से भूजल स्तर में वृद्धि हो सकती है और अंत: स्रवण (percolation) के माध्यम से इसकी गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।
- **वर्षा आधारित कृषि का समर्थन:** भारत में लगभग 61 प्रतिशत किसान वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर हैं। भारत के सकल बुवाई क्षेत्र का 55 प्रतिशत हिस्सा वर्षा आधारित कृषि के अंतर्गत आता है। वर्षा की विफलता या कमी की दशा में वर्षा आधारित फसलें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप फसल भी बर्बाद हो जाती है। RWHS फसलों को जलवायु संबंधी आघात से संरक्षण प्रदान कर सकता है।
- **जल की कमी का समाधान:** जल की उच्च मांग का सामना कर रहे शहरों में घरेलू और औद्योगिक जल आपूर्ति के लिए RWHS महत्वपूर्ण हो सकता है।
- **पारिस्थितिकीय लाभ:** नियमित और कुशल जल संचयन प्रणाली से मृदा अपरदन में कमी और हरित आवरण में वृद्धि होगी। केवलादेव जैसे पारंपरिक RWHS कई प्रवासी आर्द्रभूमि पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं और इस प्रकार जैव विविधता के संरक्षण में सहायता करते हैं।

- **निम्न-लागत वाला विकल्प:** वर्षा जल के संचयन में प्रायः सूक्ष्म बांधों का निर्माण किया जाता है और सामान्यतः भूजल या मृदा जल भंडारण जैसी हरित अवसंरचनाओं का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में यह बड़े बांधों का एक उपयुक्त विकल्प हो सकता है।
- **पर्यावरण के लिए न्यूनतम व्यवधान:** पारंपरिक RWHS सामान्यतः मौसमी नदी प्रवाह के प्राकृतिक मार्गों का अनुसरण करते हैं और साथ ही इनका निर्माण भूमि की समोच्च रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

- **अन्य लाभ:** इसके अन्य लाभों में बाढ़ का प्रबंधन, जल का उपचार, मत्स्य पालन, मनोरंजन और पर्यटन शामिल हैं। भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए वर्षा जल संग्रह प्रणाली को डिजाइन और स्थापित करने संबंधी गतिविधियां संधारणीय रोजगार प्रदान कर सकती हैं।

निष्कर्ष

सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से RWHS, जल संरक्षण के लिए प्रकृति आधारित समाधानों का हिस्सा बन सकती है। RWHS पर्यावरणीय संबंधी महत्वपूर्ण द्वितीयक सह-लाभ अर्थात् जल-संबंधी और अन्य पारितंत्र सेवाओं जैसी कई संयोजक सेवाएं भी प्रदान करने में सक्षम है।

5.2. राष्ट्रीय नदी-जोड़ो परियोजना (National River-Linking Project: NRLP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व जल दिवस (22 मार्च) के अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री तथा मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इसका उद्देश्य केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना या केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट (KBLP) को कार्यान्वित करना है।

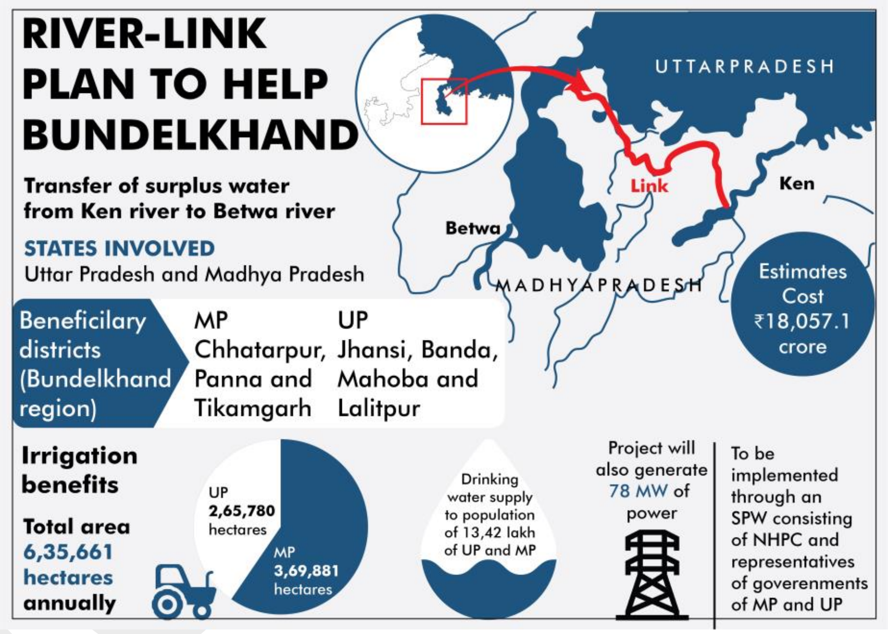

अन्य संबंधित तथ्य

- KBLP, राष्ट्रीय नदी-जोड़ो परियोजना (NRLP) के अंतर्गत स्वीकृत प्रथम परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत, **केन नदी के जल को बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा।** ये दोनों नदियां **यमुना की सहायक नदियां हैं।**
- इसे निम्नलिखित दो चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा:
    - **प्रथम चरण:** दौधान बांध परिसर तथा इसके उपभागों, यथा- निम्न तल वाली सुरंग, उच्च तल वाली सुरंग, केन-बेतवा नदी को जोड़ने वाली नहर तथा विद्युत संयंत्र के निर्माण को पूरा किया जाएगा।
    - **द्वितीय चरण:** लोअर ओर बांध (Lower Orr dam), बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना तथा कोठा बैराज का निर्माण किया जाएगा।
- इसके तहत केंद्र एक **विशेष प्रयोजन साधन** (Special Purpose Vehicle: SPV) के रूप में **'केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना प्राधिकरण'** का गठन करेगी। इस प्राधिकरण का लक्ष्य आठ वर्षों में इस परियोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा तथा **केंद्र सरकार संपूर्ण लागत का 90% वहन करेगी।**

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (National Water Development Agency: NWDA)

- इसकी स्थापना **वर्ष 1982** में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत **एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में** की गयी थी।
- यह **जल-शक्ति मंत्रालय** के अंतर्गत कार्य करती है।
- आरंभिक रूप से इसका उद्देश्य **प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली** में जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु वैज्ञानिक तथा यथार्थवादी आधार पर **जल संतुलन तथा अन्य अध्ययन** संपन्न करना था।
- **कार्य:**
    - NRLP के **तीन घटकों के प्रबंधन का कार्य।**
    - **प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत जल संसाधन परियोजनाओं** को पूर्ण करना।
    - परियोजनाओं के निष्पादन के लिए **बैंकों/अन्य संस्थाओं से उधार ली गई निधि के कोष** के रूप में कार्य करना।

राष्ट्रीय नदी-जोड़ो परियोजना (NRLP) के बारे में

- भारत में नदियों को आपस में जोड़ने का विचार सर्वप्रथम **वर्ष 1850 में सर आर्थर कॉटन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसे पुनः भारत के तत्कालीन ऊर्जा एवं सिंचाई मंत्री के. एल. राव द्वारा वर्ष 1972** में प्रस्तुत किया गया।
- औपचारिक रूप से **राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (National Perspective Plan)** के नाम से जाने जाने वाले **NRLP के अंतर्गत, कुल 30 नदियों (या रिवर लिंक)** की पहचान की गयी है, जिन्हें आपस में जोड़ा जाना है।
- इसके अंतर्गत अंतर-नदी घाटी जल स्थानांतरण परियोजनाओं (inter-basin water transfer projects) की सहायता से **अधिशेष जल की उपलब्धता वाली नदी घाटियों से जल की अल्पता/सूखे के प्रति प्रवण नदी घाटियों में जल के स्थानांतरण** की परिकल्पना की गई है।
- इसका प्रबंधन **राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (National Water Development Agency: NWDA)** के द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना को **अंतर-नदी घाटी जल स्थानांतरण** भी कहा जाता है तथा इसमें निम्नलिखित तीन घटक सम्मिलित हैं:
    - उत्तरी हिमालयी नदियों को आपस में जोड़ना;
    - दक्षिणी प्रायद्वीपीय नदियों को आपस में जोड़ना; तथा
    - अंतर-राज्यीय नदियों को आपस में जोड़ना।

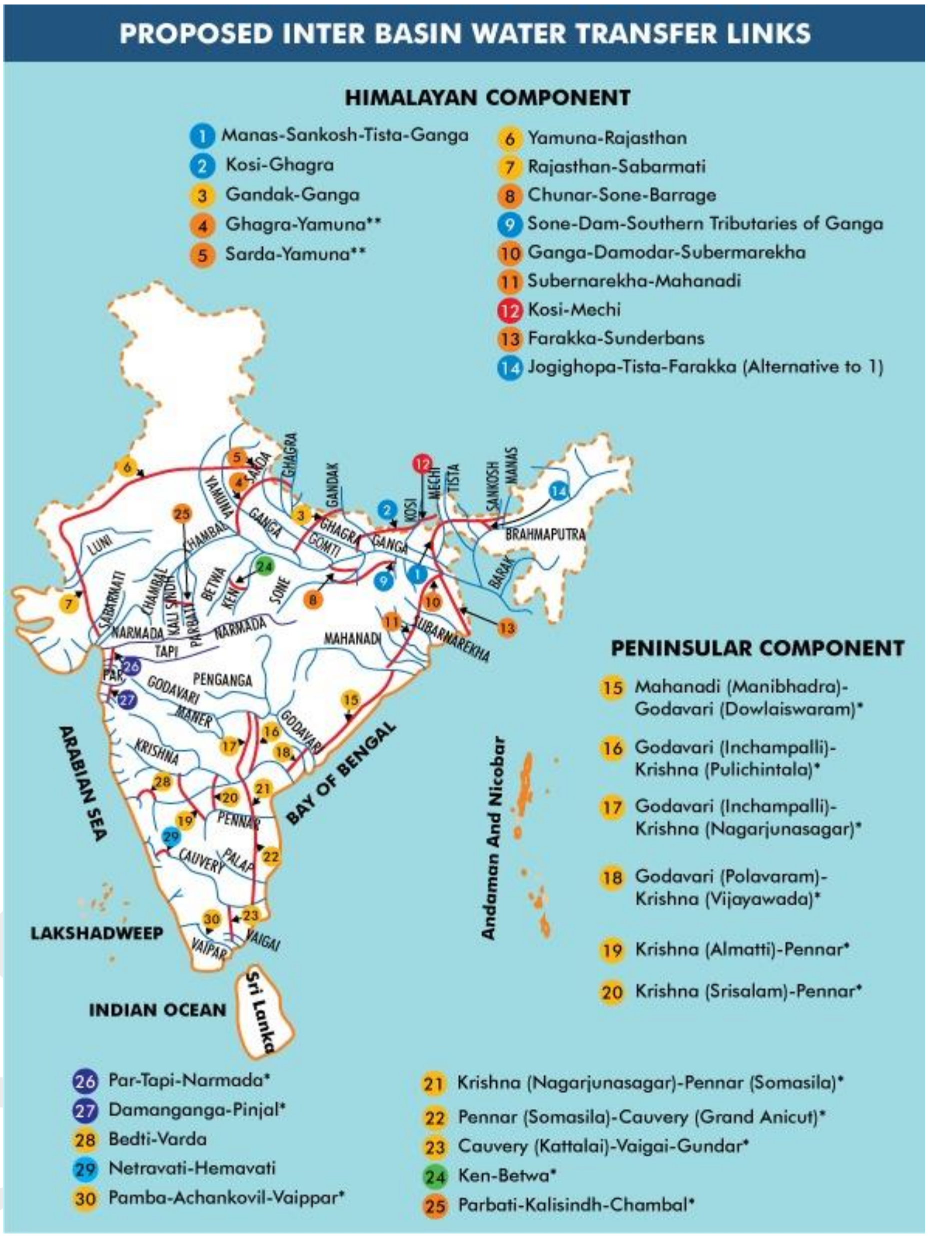

- इस परियोजना के पूर्ण होने पर देश में **30 नदी लिंक, 3,000 जलाशय संरचना,** 15,000 किलोमीटर लम्बाई वाली नहर नेटवर्क संरचना उपलब्ध होंगी। इससे **34 गीगावाट जल-विद्युत का उत्पादन** और 87 मिलियन एकड़ सिंचित भूमि का सृजन हो सकेगा तथा इसके द्वारा प्रति-वर्ष 174 ट्रिलियन लीटर जल का स्थानांतरण भी संभव होगा।

NRLP को सफल बनाने के समक्ष चुनौतियां

- **प्रतिकूल मानव-पारिस्थितिकीय प्रभाव:**
    - **लोगों का विस्थापन एवं पुनर्वास:** नदियों को जोड़ने की परियोजना के कारण लगभग 5,80,000 लोगों के समक्ष विस्थापन का ख़तरा उत्पन्न हो जाएगा। इतनी व्यापक संख्या में लोगों का पुनर्वास करना प्रशासन के समक्ष एक अभूतपूर्व चुनौती प्रस्तुत करेगा। यहाँ, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत के दो सबसे पुराने भांखड़ा तथा पोंग बांधों के द्वारा विस्थापित लोगों का पूर्ण रूप से पुनर्वासन अभी तक नहीं हो पाया है।

- **पारितंत्र पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव:** जलवायु परिवर्तन या नदियों से जल निकासी की मात्रा के कारण भारतीय नदियों के जल-विज्ञान संबंधी प्रारूप में बदलाव हो सकता है। इससे अधिशेष जल की उपलब्धता वाली नदियों में जल की मात्रा आवश्यकता से कम हो सकती है।
  - इसके अतिरिक्त, इन परियोजनाओं के कारण **विशाल भू-भाग, वन, प्राणी तथा पादप क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे।** इस प्रकार इससे पारितंत्र संबंधी व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक आकलन के अनुसार KBLP के कारण पन्ना टाइगर रिजर्व के 10,500 हेक्टेयर वनीय पर्यावास की क्षति होगी।

- **क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियां:**
  - **उच्च आर्थिक लागत:** KBLP पर अनुमानित लागत लगभग 38,000 करोड़ रुपये आएगी। इसके साथ ही संपूर्ण नदी जोड़ो परियोजना पर आने वाली आरंभिक लागत 5.6 लाख करोड़ रुपये रहने की संभावना है।
  - **सभी राज्यों के साथ सहमति निर्माण:** इस परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए केंद्र सरकार को सभी राज्यों को एक मंच पर लाने के लिए सहमत करना होगा, क्योंकि जल राज्य सूची का एक विषय है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के मध्य जल के बंटवारे तथा संबंधित अन्य लाभों के साझाकरण को लेकर विवाद रहा है।
  - **वैधानिक चुनौतियां:** इन परियोजनाओं के तहत अधिदेशित सभी 4-5 प्रकार की स्वीकृतियों (clearances) को प्राप्त करना कठिन कार्य होगा। इस प्रकार, स्वीकृतियां/मंजूरी प्राप्त होने में विलंब से परियोजना की लागत में वृद्धि हो सकती है। ये स्वीकृतियां निम्नलिखित हैं:
    - तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति (इसे केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त करना होगा);
    - वन विभाग की स्वीकृति तथा पर्यावरण संबंधी स्वीकृति (इसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त करना होगा);
    - जनजातीय आबादी हेतु पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्वास (Resettlement and Rehabilitation: R&R) योजना (इसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय से प्राप्त करना होगा); तथा
    - वन्य जीव संबंधी स्वीकृति {इसे केंद्रीय सशक्त समिति (Central Empowered Committee) से प्राप्त करना होगा}।
- **बुरे अंतर्राष्ट्रीय अनुभव:** चीन बार-बार सूखे और बाढ़ संबंधी घटनाओं का सामना कर रहा था। इसलिए चीन ने दक्षिणी भाग से अतिरिक्त/अधिशेष जल को सूखे से प्रभावित उत्तरी भाग में स्थानांतरित करने की योजना पर काम करना आरंभ किया। इस परियोजना के कारण किसान विस्थापित हुए तथा दक्षिणी प्रांत के कुछ हिस्सों में जहां नदियों में पहले से ही जल का अभाव था वहां सूखे की घटना में भी वृद्धि देखी गई है।

आगे की राह

- **क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों का समाधान करना:**
  - **विशिष्ट क्रियान्वयन निकाय:** वर्ष 2014 में उच्चतम न्यायालय ने सरकार को यह निर्देश दिया था कि वह इस विशाल परियोजना के नियोजन, निर्माण तथा क्रियान्वयन के लिए एक उपयुक्त निकाय का निर्माण करे। ऐसे निकाय को संस्थागत रूप प्रदान करने से इस परियोजना के तीव्र क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी।
  - **संबंधित राज्यों को इस समझौते पर आगे बढ़ कर पहल करना होगा:** इस संबंध में राज्यों के मध्य विवाद को सभी संबंधित राज्यों के लिए कुछ हानि तथा कुछ लाभ सुनिश्चित कर सुलझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, KBLP में उत्तर प्रदेश ने अधिक हिस्सेदारी संबंधी अपनी मांग को त्याग दिया तथा मध्य प्रदेश को भी ऊपरी जल-ग्रहण क्षेत्र में दौधान बांध के अतिरिक्त जल की संपूर्ण मात्रा का उपयोग करने की अनुमति भी नहीं दी गयी है।
- **वैकल्पिक उपायों की खोज:** कुछ विशेषज्ञों की राय है कि ऐसी विशाल अवसंरचना वाली परियोजनाएं ही भारत के समक्ष उपलब्ध एकमात्र विकल्प नहीं हैं। इस संबंध में अन्य विकल्प भी हैं जिनसे जल सुरक्षा संबंधी समान या बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। छोटे स्तर पर जल-संरक्षण, यथा- जल संरक्षण से संबंधित पारंपरिक तरीकों का उपयोग, जो प्रभावी होने के साथ-साथ पर्यावरण के लिए भी अनुकूल हैं, को अपनाकर सूखे की समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है। इनमें निम्नलिखित उपाय सम्मिलित हैं:
  - सिंचाई संबंधी कुशलता में वृद्धि करना,
  - संबंधित क्षेत्र विशेष की जलवायु दशाओं के लिए उपयुक्त फसलों की खेती करना,
  - जल की मांग का दक्षतापूर्वक प्रबंधन करना,
  - वर्षा जल के संचयन में वृद्धि करना,
  - विद्यमान अवसंरचना का कुशल प्रबंधन और उसका प्रभावी परिचालन सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष

NRLP के अपने लाभ और हानि हैं। इसलिए परंपरागत जल संरक्षण विधियों का नदी जोड़ो परियोजना के साथ सामंजस्य स्थापित कर संतुलित मार्ग का अनुसरण किया जा सकता है। साथ ही, नदी जोड़ो परियोजनाओं को आख़िरी विकल्प के रूप में देखा जाना चाहिए।

5.3. बाढ़ प्रबंधन (Flood Management)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **नीति आयोग** ने देश में **बाढ़ प्रबंधन रणनीति (Strategy for Flood Management)** पर एक रिपोर्ट ज़ारी की है।

अन्य संबंधित तथ्य

ज्ञातव्य है कि नीति आयोग द्वारा गठित एक समिति ने यह रिपोर्ट तैयार की है, जिसका कार्य था- संपूर्ण देश में बाढ़ प्रबंधन संबंधी कार्यों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित नदी प्रबंधन गतिविधि और कार्यों के लिए रणनीति का निर्माण करना (2021-26) {Formulation of Strategy for Flood Management Works in Entire Country and River Management Activities and Works Related to Border Areas (2021-26)}

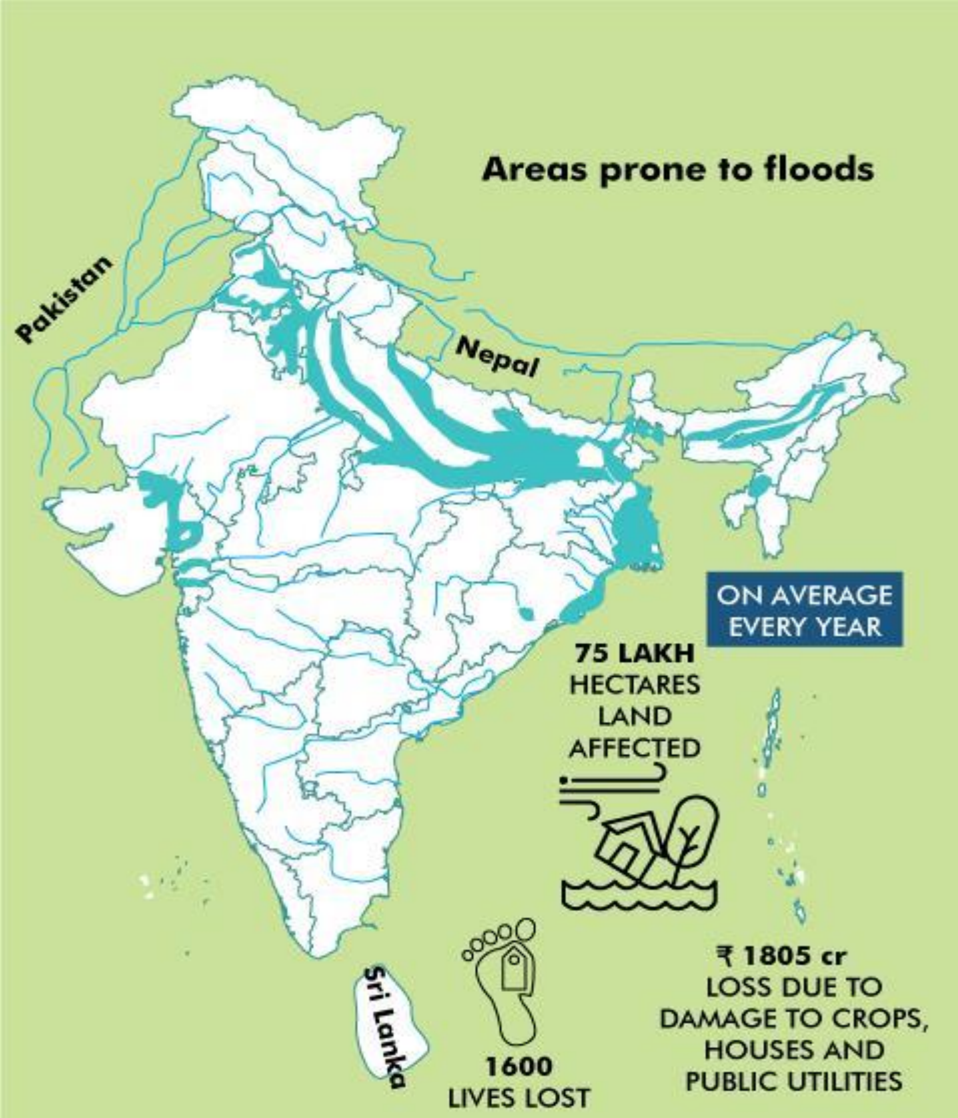

भारत में बाढ़ की स्थिति

- जब नदी में ऊपरी जल-ग्रहण क्षेत्र से **जल का उच्च प्रवाह** आता है और **नदी के किनारे या तट** इस उच्च प्रवाह को **नदी में बनाए रखने में अक्षम हो जाते हैं** तब यह अतिरिक्त जल नदी के तटबंधों या किनारों को पार कर बाहर की ओर प्रवाहित होने लगता है **जिससे बाढ़ के रूप में जाना जाता है।**
- मानसून के दौरान बाढ़ आना एक सामान्य प्रक्रिया है। यह कुछ आवश्यक प्राकृतिक प्रक्रियाओं, जैसे- खेतों में जलोढ़ मृदा की आपूर्ति, भूमिगत जल के स्तर में वृद्धि तथा जल निकायों में जल की पुनःपूर्ति आदि को संपन्न करती है।
- भारत, बाढ़ के प्रति अत्यंत सुभेद्य है। 329 मिलियन हेक्टेयर (mha) के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में से, **40 mha (भारत के संपूर्ण भू-क्षेत्र का लगभग 12%) से अधिक क्षेत्र बाढ़ के प्रति प्रवण है।**
- हालिया समय में, **बाढ़ से होने वाली क्षति में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गयी है।** इसके साथ ही बाढ़ की घटनाएं उन क्षेत्रों में भी घटित हो रही हैं जिन्हें पूर्व में बाढ़-प्रवण क्षेत्र नहीं समझा जाता था।
- **पिछले 10 वर्षों में आने वाली सबसे व्यापक बाढ़ संबंधी आपदाओं में** वर्ष 2013 की उत्तराखंड की घटना, वर्ष 2014 में कश्मीर की घटना, वर्ष 2015 में चेन्नई की घटना, वर्ष 2018 तथा वर्ष 2019 में केरल की घटना तथा वर्ष 2019 में ही पटना तथा पूर्वोत्तर-भारत की घटना आदि सम्मिलित हैं।

- केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, **बाढ़ प्रबंधन संबंधी व्यय** दसवीं पंच-वर्षीय योजना (2002-07) के 43.44 अरब रुपये से बढ़ कर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में 171.30 अरब रुपये तक पहुँच गया था।

भारत में विद्यमान बाढ़ प्रबंधन तंत्र

- **वैधानिक प्रावधान:**
  - **बाढ़ नियंत्रण (flood control) का विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की तीनों सूचियों में से किसी में भी शामिल नहीं है।**
  - हालांकि, प्रथम सूची (संघ सूची) की 56वीं प्रविष्टि के अधीन रहते हुए, **जल-निकास तथा तटबंधों का निर्माण** जैसे दो उपायों का उल्लेख सातवीं अनुसूची की **द्वितीय सूची** (राज्य सूची) **की 17वीं प्रविष्टि** में किया गया है।

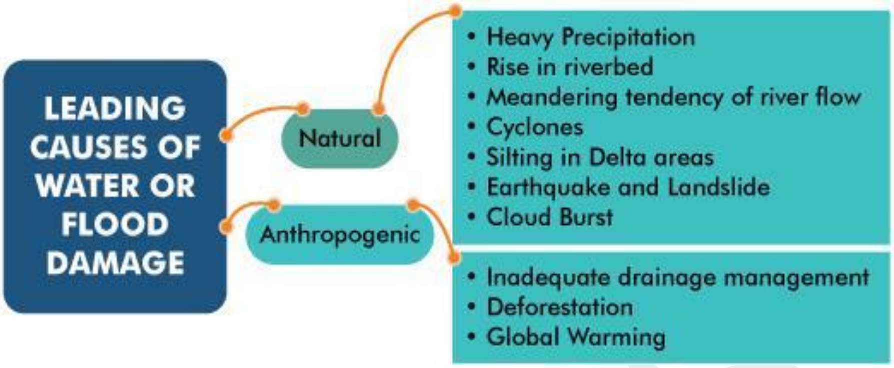

Central Government
- Central Water Commission
- Ganga Flood Control Commission (GFCC)
- Brahmaputra Board (BB)
- National Disaster Management Authority (NDMA)

State Government
- Water Resources Departments
- State Techincal Advisory Committees (STAC)
- Flood Control Boards
- Irrigation Departments
- Public Works Departments

  - इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि **बाढ़ नियंत्रण का प्राथमिक उत्तरदायित्व तथा "बाढ़ प्रबंधन" विषय राज्य के कार्यक्षेत्र में आते हैं।** इसलिए, राज्यों के द्वारा बाढ़ नियंत्रण संबंधी योजनाओं को उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार तथा राज्यों के पास उपलब्ध संसाधनों के आधार पर नियोजित, अन्वेषित तथा कार्यान्वित किया जाता है।
  - **इस संबंध में केंद्र सरकार की भूमिका तकनीकी, परामर्शी, उत्प्रेरक तथा सहायक प्रवृत्ति की होती है।**
    - इसके तहत केंद्र सरकार ने कई पहलें की है तथा बाढ़ से निपटने वाले कई संगठनों या निकायों का गठन भी किया है। इसमें सर्वाधिक उल्लेखनीय प्रयास **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005** को अधिनियमित करना है तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority: NDMA) का गठन करना है। NDMA को बाढ़ सहित सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने का दायित्व सौंपा गया है।
- **बाढ़ प्रबंधन का वर्तमान दृष्टिकोण:** बाढ़ से होने वाली क्षति को कम करने तथा बाढ़कृत मैदानों का संरक्षण करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए गए हैं। कार्य की प्रकृति के अनुसार, बाढ़ से संरक्षण तथा बाढ़ का प्रबंधन संबंधी उपायों को व्यापक रूप से संरचनागत तथा गैर-संरचनागत वर्गों में बाँटा जा सकता है:
  - **संरचनागत तरीकों में सम्मिलित हैं:**
    - नदी पर बांध बनाकर **कृत्रिम जलाशय का निर्माण करने** से आने वाली बाढ़ की तीव्रता को कम किया जा सकता है तथा उसके समय का भी निर्धारण किया जा सकता है।
    - सामान्यतः प्राकृतिक गड्ढों/दलदलों तथा झीलों द्वारा निर्मित **संरोध जलाशय (Detention basins) / आर्द्र भूमियों** की क्षमता में वृद्धि करके संग्रहित जल के निर्गमन संबंधी प्रक्रिया को विनियमित किया जा सकता है।
    - नदी में अत्यधिक जल-प्रवाह की मात्रा को किसी अन्य नदी या नदी घाटी की ओर दिक्परिवर्तन करना जहाँ इस अतिरिक्त जल से किसी प्रकार की क्षति की संभावना न हो।
    - बाढ़ की संभावना वाली नदियों के जल को किसी नगर तक पहुँचने से रोकने के लिए संबंधित शहर आस-पास **एक समानांतर जलमार्ग का निर्माण करना।**
    - **तटबंधों का निर्माण कर** नदी के तटों या किनारों की ऊंचाई में कृत्रिम रूप से वृद्धि करना ताकि तटबंधों को तोड़कर या पार करके होने वाले प्रवाह को रोका जा सके।
    - **नदी के जल-मार्गों तथा जल-निकास में सुधार संबंधी कार्य करना** जो कृत्रिम रूप से बाढ़ के जल-स्तर को कम कर देते हैं। इससे जल नदी के तटों के मध्य सीमित रहता तथा तटबंधों को पार करके प्रवाहित नहीं होता है।
  - **गैर-संरचनात्मक / प्रबंधन संबंधी उपायों में सम्मिलित हैं:**

- आने वाली बाढ़ की अग्रिम चेतावनी (जैसे- संकटमय जल-प्लावन के बारे में बाढ़ की चेतावनी, बाढ़ का पूर्वानुमान) के आधार पर बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्रों से समय पर लोगों की निकासी तथा उनकी चल संपत्ति को अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित स्थान पर ले जाना।
- प्रायः बाढ़ की निरंतर संभावना वाले क्षेत्रों में लोगों को मूल्यवान परिसंपत्ति का निर्माण करने या वहां स्थायी रूप से बसने से रोकना, **अर्थात् बाढ़कृत मैदानों के क्षेत्रीकरण (flood plain zoning) संबंधी विनियमन को लागू करना।**

बाढ़ प्रबंधन के समक्ष चुनौतियां

- बाढ़कृत मैदानों के क्षेत्रीकरण को लागू करने वाले दृष्टिकोण का **राज्यों के द्वारा विरोध किया जाता है।** बाढ़कृत मैदानों के क्षेत्रीकरण के लिए मॉडल प्रारूप विधेयक, 1975 सहित संभव विधानों को लागू करने में राज्यों द्वारा निष्क्रिय प्रतिरोध किया जाता है।
- विद्यमान तटबंधों के प्रदर्शन का मूल्यांकन संबंधी किए गए अत्यल्प अध्ययनों के कारण **तटबंधों के निर्माण की उपयोगिता संबंधी पक्षों में विविधता विद्यमान** है। ऐसा देखा गया है कि जहाँ कुछ तटबंधों के द्वारा बाढ़ के विरुद्ध संधारणीय संरक्षण प्रदान किया गया है, वहीं कुछ अन्य तटबंधों ने नदी के आधारतल में वृद्धि कर बाढ़ की समस्या को और अधिक गंभीर बना दिया है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2007 में बिहार की कोसी नदी की बाढ़ ने नदी के तटबंध को 30 से अधिक स्थानों पर तोड़ दिया था।
- **भूमि-उपयोग संबंधी नीति:** विविध राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक कारणों से भारत की भू-नीति कभी भी प्रभावी रूप से बाढ़ प्रबंधन करने के लिए अनुकूल नहीं रही है। आधुनिक भूमि उपयोग के कारण प्राकृतिक परिवेश में अवैध अतिक्रमण ने बाढ़ संबंधी ख़तरे के सभी तीन आयामों, यथा- जोखिम/संकट, सुभेद्यता तथा व्याप्तता (exposure) को प्रभावित किया है।
- **समेकित दृष्टिकोण का अभाव:** बाढ़ संरक्षण संबंधी कार्य समेकित तरीके अर्थात् संपूर्ण नदी या उसकी सहायक नदी या संबंधित नदी के मुख्य भाग पर कार्यवाई करने की बजाय जब और जहाँ बाढ़ आती है केवल वहीं किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त तटीकरण/तटबंध निर्माण संबंधी परियोजनाओं का क्रमशः खण्डों में क्रियान्वयन करने के पहले संपूर्ण नदी की आकारिकी का अध्ययन नहीं किया जाता है।
- **संस्थाओं के मध्य समन्वय का अभाव:** संपूर्ण देश में बाढ़ प्रबंधन से संबंधित विविध संगठन विभिन्न स्तरों पर कार्यरत हैं। इन संस्थाओं के मध्य समकालीन, सहयोग तथा समन्वय संबंधी अभाव संस्थाओं के प्रभावी और कुशल कार्यकरण को प्रभावित करते हैं।
- **आप्रसंगिक आकलन:** बाढ़-प्रवण क्षेत्रों के आकलन से संबंधित आंकड़े (अर्थात् 40 से 50 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र) बहुत पुराने हो चुके हैं तथा यह केवल अधिसूचित नदी जनित बाढ़ से संबंधित है। जबकि, विगत कुछ वर्षों में बाढ़ के स्वरूप तथा उसकी व्यापकता में कई परिवर्तन हो चुके हैं, जैसे- शहरी क्षेत्रों में बाढ़ आने की घटनाओं में काफ़ी वृद्धि हुई है। इसलिए सटीक या यथार्थ जानकारी प्राप्त करने के लिए समस्त बाढ़-प्रवण क्षेत्रों का पुनः मानचित्रण किए जाने की आवश्यकता है।

हाल में उठाए गए कदम

- NDMA ने **राष्ट्रीय जल नीति, 2012** को ज़ारी किया है। इसके तहत सलाह दी गई है कि जलाशय की परिचालन संबंधी प्रक्रियाओं का विकास तथा क्रियान्वयन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि वे बाढ़ से संरक्षण प्रदान करें तथा बाढ़ के मौसम में गाद को कम से कम मात्रा में एकत्रित करें।
  - इसमें संभावित जलवायु परिवर्तन के आलोक में बांधों की जल संचयन क्षमता में वृद्धि करने संबंधी रणनीति को सम्मिलित करने की सलाह भी दी गई है।
- **NDMA ने भारत में शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए कुछ दिशा-निर्देश ज़ारी किए हैं।** इसमें अग्रिम चेतावनी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय जल-मौसम विज्ञान नेटवर्क का निर्माण करना, सभी शहरी क्षेत्रों में डॉप्लर मौसम रडार का उपयोग किया जाना, तूफ़ान जनित जल की निकासी हेतु विद्यमान तंत्र की विस्तृत सूची तैयार करना इत्यादि सम्मिलित हैं।
- पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने बाढ़ से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए **एक सुदृढ़ अग्रिम बाढ़ चेतावनी प्रणाली** के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया है।
  - चेन्नई कुशल बाढ़ चेतावनी प्रणाली स्थापित करने वाला भारत का पहला नगर बन गया।
  - जून, 2020 में मुंबई को एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली (इनफ्लो/INFLOWS) प्राप्त हुई।
  - टेरी (TERI) द्वारा असम के लिए भी उपर्युक्त के समान ही बाढ़ पूर्वानुमान को आरंभ किया जा रहा है। इसे भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) तथा NDMA के सहयोग से तैयार किया गया है।

नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में की गयी अनुशंसाएं

- **राष्ट्रीय जल मॉडल:** इस मॉडल का उपयोग निर्णय लेने संबंधी सहायक प्रणाली हेतु सूचना उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकता है। यह वर्षण तथा बाढ़ का पूर्वानुमान एवं अन्य जल-संबंधी घटनाओं का पूर्वानुमान प्रदान कर देश को इस संबंध में सहायक सेवाएं प्रदान कर सकती है।

- **बाढ़ प्रबंधन एवं सीमावर्ती कार्यक्रम (FMBAP) का विस्तार:** समिति ने इस योजना के अंतर्गत नदियों के लिए नई परियोजनाओं के समावेश के प्रावधान के साथ वर्ष 2021-26 की अवधि में FMBAP का विस्तार करने का प्रस्ताव किया है।
- **बांध की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक कार्रवाई:** बांध सुरक्षा विधेयक को प्राथमिकता के साथ पारित किया जाना चाहिए तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए समेकित जलाशय परिचालन (Integrated Reservoir Operation: IRO) को केंद्र सरकार द्वारा अग्र-सक्रिय भूमिका तथा अधिदेश के साथ बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **बाढ़-प्रबंधन योजनाओं का निर्माण करना:** यह बाढ़ के दौरान तथा उसके पश्चात् बचाव एवं राहत कार्यों के परिचालन में सहायता प्रदान कर सकता है।
    - बाढ़-ग्रस्त मैदानों को उनकी पूर्व की स्थिति में लाने के कुछ सफल उदाहरण राइन डेल्टा (नीदरलैंड में) तथा स्कर्न नदी (यूनाइटेड किंगडम में) आदि हैं।
- बाढ़ का पूर्वानुमान तथा चेतावनी संबंधी प्रणालियों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उपग्रहों, सुदूर-संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली जैसी **उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल दिया जाना चाहिए।**
- **नगर नियोजन में सुधार करना:** शहरी बाढ़ के ख़तरे पर निगरानी रखने के लिए प्रत्येक शहर के पास स्वयं की बाढ़ शमन योजनाएं (बाढ़कृत मैदान, नदी घाटी, सतह-जल आदि के लिए) होनी चाहिए। इसे सकल भूमि उपयोग नीति तथा शहर की मास्टर प्लानिंग के साथ एकीकृत कर उपयोग में लाया जाना चाहिए।
    - **चीन के ताइझाऊ में योंगनिंग नदी उद्यान को सामयिक बाढ़ के लिए** आर्द्रभूमि या बाढ़ के मैदान के रूप में डिज़ाइन किया गया है।
- **संरचनागत तथा गैर-संरचनागत उपायों के मध्य संतुलन की स्थापना:** बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए गैर-संरचनागत उपायों, यथा- बाढ़ का पूर्वानुमान, बाढ़कृत मैदानों के क्षेत्रीकरण, बाढ़ के प्रभाव को कम करने वाली विधियों इत्यादि को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही, दीर्घावधि एवं मध्यावधि संरचनागत उपायों का उपयोग वहीं किया जाना चाहिए जहां वे अपरिहार्य हों।
- **एकीकृत बाढ़ प्रबंधन** के लिए परांपरागत, खंडित एवं स्थानीय दृष्टिकोण से पूरी तरह भिन्न दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है। यह किसी नदी घाटी में उपलब्ध संसाधनों के समग्र उपयोग की अनुशंसा करता है तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नदी घाटी संगठन की स्थापना की भी अनुशंसा करता है।
    - उदाहरण के लिए, प्लवनशील भवन (Buoyant buildings) या "उभयचर भवन (Amphibian houses)" भू-भाग पर स्थित होते हैं किन्तु बाढ़ के दौरान उर्ध्वाधर रूप से प्लवनशील होते हैं। ऐसे भवनों का निर्माण **मासबोम्मेल (नीदरलैंड्स)** में किया गया है।
    - **आंकड़ों का संचयन:** जल-मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़ों का संचयन करने, बाढ़ का पूर्वानुमान करने तथा पूर्वानुमान के प्रसार के तरीके में आधुनिकीकरण लाने के लिए निरंतर प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, राज्यों द्वारा सरलीकृत आंकड़ा प्रसार नीति का विकास किया जाना चाहिए, विशेषतः उन नदियों के लिए जो राज्य की सीमा के बाहर भी प्रवाहित होती हैं।

बाढ़ प्रबंधन तथा सीमावर्ती कार्यक्रम (Flood Management and Border Areas Programme: FMBAP)

- FMBAP योजना का निर्माण बारहवीं योजना की दो योजनाओं "बाढ़ प्रबंधन योजना (Flood Management Programme: FMP)" तथा "सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित नदी प्रबंधन गतिविधियों और कार्यों (River Management Activities and Works related to Border Areas: RMBA) के घटकों का विलय करके किया गया है।
- इस योजना का उद्देश्य संरचनात्मक तथा गैर-संरचनात्मक उपायों के मेल का इष्टतम उपयोग तथा संबंधित क्षेत्र में राज्य/केंद्र सरकार के अधिकारियों की क्षमता में वृद्धि कर **बाढ़ के विरुद्ध उचित सीमा तक संरक्षण प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों की सहायता करना है।**
- इस योजना के अंतर्गत जल-मौसम विज्ञान संबंधी पर्यवेक्षण, बाढ़ संबंधी पूर्वानुमान और पड़ोसी देशों के साथ साझा नदियों पर जल-संसाधन परियोजनाओं, यथा- नेपाल में पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, सप्त कोसी सन कोसी परियोजना के सर्वेक्षण और अन्वेषण की आवश्यकता पूरी की जाती है।

5.4. जलवायु-प्रत्यास्थ अनाज (Climate-Resilient Grains)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को **मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष (International Year of Millets)** घोषित करने के भारतीय प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत ने वर्ष 2023 को **मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष** के रूप में मनाने का प्रस्ताव वर्ष 2018 में खाद्य तथा कृषि संगठन (FAO) के समक्ष प्रस्तुत किया था।
- **मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का महत्व:**
    - इससे मोटे अनाजों के उपभोग के पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी लाभों तथा प्रतिकूल एवं परिवर्तित जलवायविक दशाओं में इनकी खेती करने की उपयुक्तता के बारे में जागरूकता संबंधी वृद्धि करने एवं संबंधित प्रत्यक्ष नीतिगत कार्रवाई में सहायता मिलेगी।
    - इससे मोटे अनाजों से संबंधित शोध एवं विकास हेतु निवेश में वृद्धि करने तथा अन्य अतिरिक्त सेवाओं की ओर ध्यान आकर्षित करने में सहायता मिलेगी।

मोटे अनाजों के बारे में

- मोटे अनाज छोटे बीज वाले शस्यों के एक ऐसे समूह हैं जिन्हें अनाज की फसलों या मानव आहार या पशु-चारे के रूप में व्यापक स्तर पर उगाया जाता है।
- इन्हें इनके दाने के आकार के आधार पर **मुख्य मोटे अनाजों (Major millets) तथा गौण मोटे अनाजों (Minor millets) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।**

मुख्य मोटे अनाज (Major millets)	गौण मोटे अनाज (Minor millets)	छद्म मोटे अनाज (Pseudo millets)
ज्वार (sorghum), बाजरा (pearl millet), रागी (finger millet)	कंगनी (foxtail), कुटकी (little), कोदो (kodo), चीना (proso) तथा सावां (barnyard)	राजगिरा (Amaranth) तथा कुट्टू (Buckwheat) • ये वास्तविक रूप से अनाज (true grains) माने जाने वाले पादप कुल के अंग नहीं हैं। हालांकि, ये पोषण के मामले में वास्तविक अनाजों के समतुल्य होते हैं और इनका उपयोग भी वास्तविक अनाजों की भांति किया जाता है।

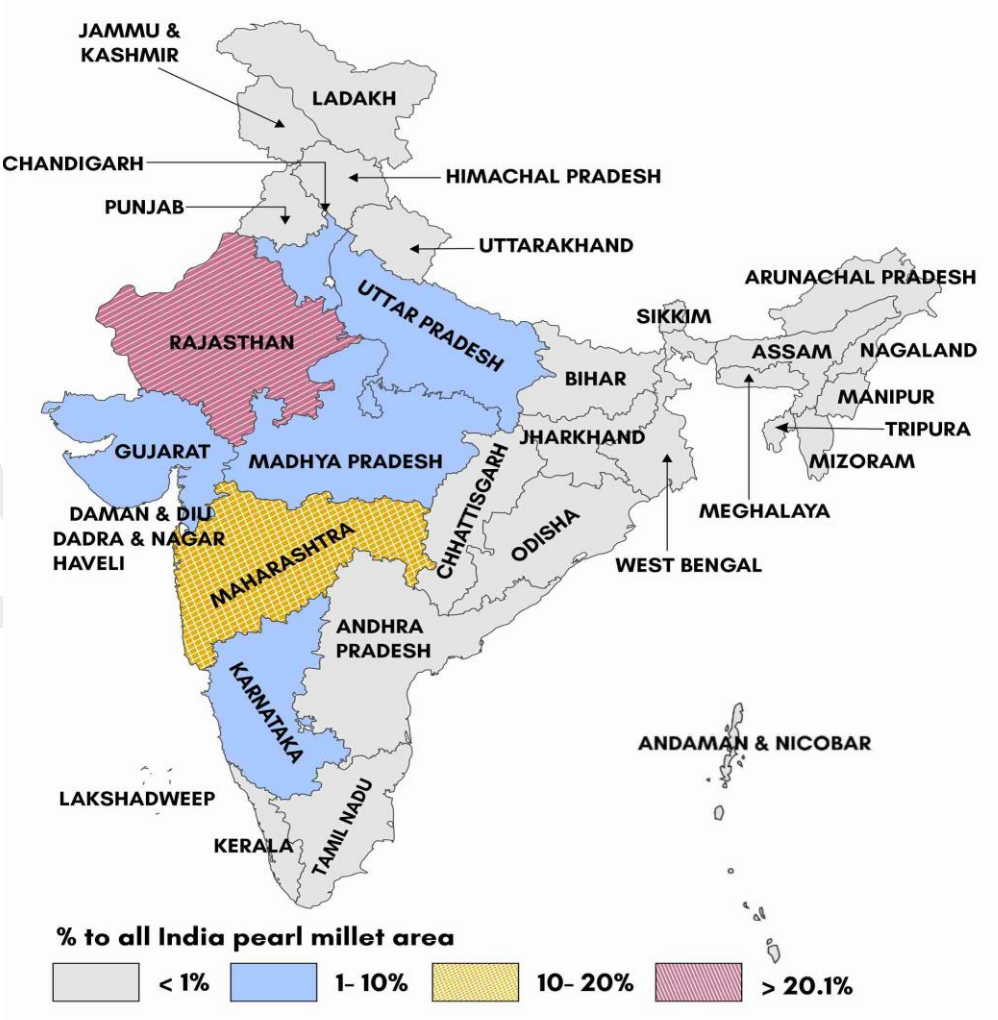

भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज

- भारत, विश्व में **मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक** है तथा **विश्व बाज़ार में इसकी हिस्सेदारी 41.0%** है। भारत में वर्ष 2020 में **11.5 मिलियन टन मोटे अनाज** का उत्पादन हुआ था।
- वर्ष 2017-18 के दौरान, **मोटे अनाजों की खेती के तहत सर्वाधिक क्षेत्र राजस्थान में था। इसके बाद महाराष्ट्र तथा कर्नाटक क्रमशः दूसरे तथा तीसरे स्थान पर थे।**
- **मुख्य मोटे अनाजों,** यथा- बाजरा, रागी (अनाज) और ज्वार **की खेती खरीफ़ के मौसम (जुलाई से अक्टूबर) में की जाती है।**

मोटे अनाजों के उत्पादन से लाभ

स्वास्थ्य संबंधी लाभ	पारिस्थितिकीय तंत्र से संबंधित लाभ	आर्थिक सुरक्षा
• ये **फाइबर, खनिज तथा विटामिनों से समृद्ध** होते हैं तथा इनमे **पोषक तत्वों की अधिक मात्रा** होती है। **इसलिए ये कुपोषण संबंधी समस्या का समाधान करने में सहायता करते हैं।** उदाहरण के लिए, रागी में गेहूं और चावल की तुलना में क्रमशः 839% तथा 3,440% कैल्शियम की मात्रा होती है। • ये ग्लूटेन-मुक्त होते हैं इसलिए मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए लाभप्रद होते हैं। • ये कैंसरकारक-रोधी तथा उच्च-रक्तचाप रोधी खाद्य पदार्थ होते हैं। ये मोटापा और हृदय से संबंधित रोगों की रोकथाम में सहायता करते हैं। • ये **प्रदाह (inflammation)** को कम करते हैं एवं **पाचन प्रक्रिया में सुधार** लाते हैं।	• **मोटे अनाज वाली फसलें वायुमंडल से कार्बन का स्थिरीकरण करती हैं** जबकि **धान के खेतों से मीथेन गैस** उत्सर्जित होती है जो कि एक ग्रीनहाउस गैस है। • मोटे अनाजों की खेती में **कम जल की आवश्यकता** होती है। उदाहरण के लिए, एक **धान के पौधे के लिए मोटे अनाज की अधिकांश किस्मों के एक पौधे की अपेक्षा 2.5 गुना जल की आवश्यकता होती है।** • ये **कठोर वातावरण, सूखे और तापमान को सहन करने में सक्षम** फसलें होती हैं। ये **कीटों एवं रोगों को भी सहन करने में अधिक दक्ष होती हैं।** • मोटे अनाज **ऐसे क्षेत्रों में उगाए जा सकते हैं जहाँ 350 मिली मीटर से कम वर्षा होती है** तथा इनका कृषि चक्र 70 से 100 दिनों में ही पूरा हो जाता है। • ये फसलें **निम्न उर्वरा शक्ति वाली मृदा में भी उगाई जा सकती हैं।** इन फसलों में से अधिकांश को मृदा की उर्वरा शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए भी उगाया जाता है।	• मोटे अनाजों को **सूखे के विरुद्ध संचय (Famine reserves)** की संज्ञा दी जाती है चूंकि इनकी फसल चक्र (65 दिनों) की अवधि कम होती है तथा इनका दो या दो से अधिक वर्षों तक भंडारण भी किया जा सकता है। • इनकी खेती करने के लिए **निम्न निवेश** की आवश्यकता होती है क्योंकि इनकी खेती करने हेतु रासायनिक खादों की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए, कर्नाटक के सूखे से ग्रस्त जिलों में गौण मोटे अनाजों की खेती हेतु **प्रति हेक्टेयर केवल 5,000 रुपये की आवश्यकता होती है।** • **निर्यात हेतु अत्यधिक मांग:** FAO के अनुसार, वैश्विक स्तर पर मोटे अनाजों का उत्पादन वर्ष 2019 में 28.4 मिलियन मीट्रिक टन अनुमानित था।

मोटे अनाजों के उत्पादन के समक्ष चुनौतियां

- **चावल एवं गेहूं पर असंगत रूप से बल दिया जाना:** हरित क्रांति के परिणामस्वरूप संपूर्ण ध्यान दो मुख्य किन्तु कम पोषण युक्त फसलों पर केन्द्रित हो गया। ज्ञातव्य है कि वर्ष 1950-51 में सभी मुख्य अनाजों में लगभग एक-तिहाई हिस्सा मोटे अनाजों का था जो वर्ष 2018-19 तक केवल 15% तक सीमित हो गया। इसके अतिरिक्त, मोटे अनाजों की खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल वर्ष 1965-66 के 37 मिलियन हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2016-17 में 14.72 मिलियन हेक्टेयर तक सीमित हो गया।
- **जागरूकता की कमी:** पारंपरिक समुदायों में रागी, ज्वार, बाजरा आदि जैसे मोटे अनाजों के महत्व के बारे में पर्याप्त जानकारी का अभाव है। पहले इन्हें मोटे दानों वाले अनाजों (coarse grains) के रूप में पहचान प्राप्त थी इसलिए इन्हें कम महत्व का समझ कर निर्धनों के आहार के रूप में देखा जाता था।
- **आहार संबंधी आदतों में परिवर्तन:** 1960 के दशक के मध्य से लेकर वर्ष 2010 के बीच भारत के शहरी क्षेत्रों में गेहूं का प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत उपभोग 27 किलोग्राम से बढ़कर 52 किलोग्राम (लगभग दोगुनी वृद्धि) हो गया। इसी दौरान ज्वार तथा मोटे अनाजों का प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत उपभोग 32.9 किलोग्राम से घटकर 4.2 किलोग्राम प्रति व्यक्ति हो गया। मोटे अनाजों पर आधारित खाने के लिए तैयार उत्पादों की कमी के कारण भी इनके उपभोग में गिरावट हुई है।

- **फसल कटाई के पश्चात् मोटे अनाजों का प्रबंधन:** मोटे अनाजों के लिए अन्य फसलों की अपेक्षा प्रक्रमण (processing) संबंधी अधिक आवश्यकता होती है। किन्तु इसके लिए आवश्यक मशीनें अभी भी किसानों तक नहीं पहुंच पाई हैं।
- **कम उत्पादकता:** अधिकांश मोटे अनाजों की खेती शुष्क एवं अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में की जाती है। इसलिए इन्हें खेती हेतु जल की आवश्यकता के लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है।
- **रागी की एकल कृषि:** मोटे अनाजों में अधिक ध्यान रागी की खेती पर दिया जाता है क्योंकि यह आर्थिक रूप से लाभकारी होती है। साथ ही इससे मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है तथा इसे अन्य फसलों के साथ भी उगाया जा सकता है। इसलिए अन्य मोटे अनाजों की खेती पर कम ध्यान जाता है जिससे कृषि-जैवविविधता को खतरा हो सकता है।
- **अपर्यात या लगभग नहीं के बराबर उत्पादन संबंधी सहयोग:** अन्य फसलों को मिलने वाली सहायता की तुलना में मोटे अनाजों के लिए आदान संबंधी आपूर्ति तथा सब्सिडी (बीज तथा पोषक तत्वों पर), सिंचाई संबंधी सहायता, विपणन संबंधी सहायता तथा आधुनिक तकनीकी संबंधी सहायता अपर्याप्त है।

सरकार द्वारा मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपाय

- **मोटे अनाजों के गहन संवर्धन के माध्यम से पोषण संबंधी सुरक्षा हेतु पहल (Initiative for Nutritional Security through Intensive Millet Promotion: INSIMP)** का शुभारम्भ वर्ष 2011-12 में मोटे अनाजों को पोषक-अनाज के रूप में बढ़ावा देने के लिए तथा भारत की पोषण संबंधी सुरक्षा में सुधार करने के लिए किया गया था। यह **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** का एक अंग है।
- कृषि योजनाओं के वृहद प्रबंधन के अंतर्गत **मोटे दाने वाले अनाजों के लिए एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम का आरंभ,** विशिष्ट फसल आधारित प्रणाली के अंतर्गत समग्र उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किया गया था।
- सरकार ने **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) तथा मध्याह्न भोजन योजना** के अंतर्गत **"पोषक अनाजों" के समावेश** की अनुमति प्रदान कर दी है।
- सरकार **मोटे अनाजों (बाजरा, ज्वार, तथा रागी) के न्यूनतम समर्थन मूल्यों** में पर्याप्त रूप से निरंतर वृद्धि करती रही है ताकि किसानों को विशेषतः सूखा-प्रवण क्षेत्रों में मोटे अनाजों की खेती करने हेतु प्रोत्साहन मिलता रहे।
- सरकार ने **वर्ष 2018 को मोटे अनाजों का राष्ट्रीय वर्ष** घोषित किया है।

आगे की राह

- मोटे अनाजों का **वाणिज्यिक/डिब्बाबंद खाद्य-पदार्थों में उपयोग करने** से किसानों को मोटे अनाजों की खेती करने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार यह किसानों के लिए नए अवसर उपलब्ध करेगा तथा इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगा।
- **अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य-स्तरीय** भोजन या खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाले कार्यक्रमों में मोटे अनाज आधारित खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने से विकासशील देशों में विद्यमान पोषक तत्वों, यथा- प्रोटीन, कैल्शियम एवं लौह की कमी को पूरा करने में सहायता मिलेगी।
- नीति आयोग के अनुसार, **मोटे अनाजों** को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं का अन्य योजनाओं के साथ सुदृढ़ एकीकरण करने की आवश्यकता है, जैसे- **एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के साथ स्थानीय स्तर पर उगाए गए मोटे अनाजों को समावेशित करना।** उदाहरण के लिए, उड़ीसा द्वारा स्थानीय मोटे अनाजों का ICDS में समावेश किया गया है।
- गढ़वाल हिमालय, **मध्य प्रदेश में मांडला तथा डिंडोरी,** उड़ीसा में मलकानगिरी तथा तमिलनाडु में कोली की पहाड़ियां मोटे अनाजों की खेती के हॉट स्पॉट हैं। इन स्थानों को **विविधता आधारित कृषि के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।**
- मोटे अनाज स्वाद के मामले में उतने अच्छे या अनुकूल नहीं होते हैं। **इस समस्या का समाधान मोटे अनाजों से बने आटे** को अन्य अधिक स्वीकृत अनाजों के आटे के साथ मिला कर तथा मिश्रित व्यंजन बना कर किया जा सकता है।

5.5. पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकन प्रणाली (SEEA) पारितंत्र लेखांकन {System of Environmental Economic Accounting (SEEA) Ecosystem Accounting (EA)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने **पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकन प्रणाली इकोसिस्टम एकाउंटिंग (SEEA EA)** नामक एक नवीन **राष्ट्रीय सांख्यिकीय रूपरेखा** का क्रियान्वयन किया है। इसके अंतर्गत उन सेवाओं का मापन किया जाता है जो प्राकृतिक पारितंत्र द्वारा पर्यावरणीय निम्नीकरण का सामना करने तथा संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की जाती हैं।

 ©Vision IAS

पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकन प्रणाली इकोसिस्टम एकाउंटिंग (SEEA EA) के बारे में

- SEEA EA **पर्यावास एवं भूदृश्य संबंधी डेटा का संयोजन करने, पारितंत्र संबंधी सेवाओं का मापन करने और पारितंत्र संबंधी परिसंपत्तियों में परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए एक एकीकृत सांख्यिकीय रूपरेखा है** तथा यह इन सूचनाओं को आर्थिक एवं अन्य मानव संबंधी गतिविधि से जोड़ता है।
    - हाल ही में, SEEA EA को **संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग (United Nations Statistical Commission)** द्वारा भी **सांख्यिकीय मानक** के रूप में अपनाया गया है।
- **SEEA EA निम्नलिखित पांच मुख्य लेखों या गणनाओं (एकाउंट्स) पर निर्मित है:**

पारिस्थितिक तंत्र के विस्तार का लेखा	पारिस्थितिक तंत्र की दशा का एकाउंट्स	पारिस्थितिक तंत्र की सेवा-प्रवाह का लेखा (भौतिक और मौद्रिक)	मौद्रिक पारिस्थितिक तंत्र परिसंपत्ति एकाउंट्स	विषयगत एकाउंट्स
यह पारिस्थितिक तंत्र लेखांकन के लिए एक साझा प्रारंभिक बिंदु के रूप में कार्य करता है।	इसके तहत विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों की दशाओं के आधार पर जैव-भौतिक सूचनाओं को व्यवस्थित किया जाता है।	इसके तहत पारिस्थितिक तंत्र की परिसंपत्तियों (घटकों) द्वारा की गई पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं की आपूर्ति और आर्थिक इकाइयों जैसे कि परिवारों, सरकार आदि द्वारा उन सेवाओं के उपयोग को रिकॉर्ड किया जाता है।	इसके तहत पारिस्थितिक तंत्र के परिसंपत्तियों (घटकों) के भंडारों और उन भंडारों में परिवर्तन (वृद्धि और कमी) के आधार पर सूचनाओं को रिकॉर्ड किया जाता है।	इसके तहत विशिष्ट नीतिगत प्रासंगिक विषयों के आधार पर डेटा को व्यवस्थित किया जाता है।
इसके तहत क्षेत्रफल के संदर्भ में किसी देश के भीतर विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र (उदाहरण के लिए- वनों, आर्द्रभूमियों, कृषि-संबंधित क्षेत्रों, समुद्री क्षेत्रों) के विस्तार से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित किया जाता है।	यह समय के विशिष्ट बिंदुओं पर चयनित पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताओं से संबंधित डेटा को व्यवस्थित करता है।		इसमें पारिस्थितिक तंत्र में निम्नीकरण और संवर्धन की गणना करने से संबंधित लेखांकन किया जाता है।	प्रासंगिक विषयों के उदाहरणों में जैव-विविधता, जलवायु परिवर्तन, महासागर और शहरी क्षेत्र शामिल हैं।
	यह पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य के संबंध में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है।			

पारितंत्र लेखांकन (Ecosystem Accounting)

- पारितंत्र लेखांकन **पारिस्थितिकीय डेटा को व्यवस्थित करने का एक सुसंगत फ्रेमवर्क** है। **पारितंत्र लेखांकन के तहत** पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र के विस्तार और दशा में हुए परिवर्तन की निगरानी की जाती है, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को मापा जाता है और इस सूचना को आर्थिक एवं अन्य मानव गतिविधि से जोड़कर एक सांख्यिकीय ढांचा या विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य पारितंत्र और उसकी सेवाओं से समाज को मिलने वाले लाभों का वर्णन करना है।
- पारितंत्र लेखांकन, जैसा कि SEEA EA में उल्लेख किया गया है, **लेखांकन के ऐसे दृष्टिकोण पर आधारित है जो यह मानता है कि मृदा, जल जैसे संसाधन एक व्यापक प्रणाली तथा** एक दिए गए भू-क्षेत्र के अंतर्गत **संयोजन के साथ कार्य करते हैं।**

महत्वपूर्ण शब्दावलियां तथा परिभाषाएं

प्राकृतिक पूँजी (Natural Capital)

- इसे विश्व की प्राकृतिक परिसंपत्तियों के भंडार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें **भूगर्भीय पदार्थ, मृदा, हवा, जल तथा सभी सजीव** सम्मिलित होते हैं।
- इस प्राकृतिक पूँजी से ही मनुष्यों को व्यापक प्रकार की सेवाएं प्राप्त होती हैं जिसने मानव जीवन को संभव एवं सुगम बनाया है। इन सेवाओं को प्रायः **पारितंत्र सेवाएं (ecosystem services)** भी कहा जाता है।
- प्राकृतिक परिसंपत्तियों के योगदान की मात्रा निर्धारित करने एवं उनका मूल्यांकन करने से राष्ट्रों को प्राकृतिक संसाधनों के **अति दोहन का पता लगाने में और पारितंत्र का संरक्षण एवं उसे पुर्वावस्था में लाने** हेतु निवेश करने में सहायता प्राप्त हो सकती है।

प्राकृतिक पूँजी लेखांकन (Natural Capital Accounting)

- यह एक साधन है जिससे **किसी देश की प्राकृतिक परिसंपत्तियों के संपूर्ण विस्तार को मापने** में सहायता मिलती है। यह अर्थव्यवस्था, पारितंत्र एवं पर्यावरण के मध्य संयोजक कड़ी के संबंध में दृष्टिकोण प्रदान करता है।
- इसके तहत ऐसी वस्तुओं का लेखांकन भौतिक या मौद्रिक रूप में हो सकता है।

भारत की SEEA EA रूपरेखा

- भारत उन 90 देशों में से एक है जिन्होंने सफलतापूर्वक SEEA EA की नवीन रूपरेखा सहित पारितंत्र लेखांकन प्रणाली को अपनाया है।
- भारत के इस प्रयास को **प्राकृतिक पूंजी लेखा तथा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन (Natural Capital Accounting and Valuation of Ecosystem Services: NCAVES) परियोजना** के अंतर्गत **सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI)** द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में पारितंत्र लेखांकन के सिद्धांत एवं व्यवहार को उन्नत करना है।
    - NCAVES राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तर पर डेटा आधारित निर्णय लेने तथा नीति-निर्माण में **प्राकृतिक पूंजी लेखांकन तथा पारितंत्र सेवाओं के मूल्यांकन को मुख्यधारा से जोड़ता है।**
    - NCAVES **यूरोपीय संघ के द्वारा वित्त-पोषित** परियोजना है तथा इसे संयुक्त रूप से निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित किया गया है:
        - **संयुक्त राष्ट्र संख्यिकी विभाग (United Nations Statistics Division: UNSD),**
        - **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme: UNEP),** तथा
        - **जैविक विविधता अभिसमय का सचिवालय (Secretariat of the Convention of Biological Diversity: CBD)।**
    - भारत में, **NCAVES परियोजना** को **MoSPI** द्वारा **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC)** तथा **राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (National Remote Sensing Centre: NRSC)** के निकट सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है।

निम्नलिखित के लिए पर्यावरणीय लेखांकन को समझना महत्वपूर्ण है:

- **पारितंत्र तथा उससे प्राप्त होने वाली सेवाओं** द्वारा अर्थव्यवस्था, सामाजिक कल्याण, रोज़गार तथा आजीविका **में योगदान के बारे में समझने के लिए।**
- **पारितंत्र तथा जैवविविधता की दशा, स्वास्थ्य और उनकी समग्रता** में समय के साथ परिवर्तन को समझने के लिए।

- **पारितंत्र के किस भाग को नुकसान / लाभ पहुँच रहा है, के बारे में अवगत होने के लिए।**
- **पारितंत्र से संबंधित निरंतर सेवाएं एवं लाभ,** जैसे- ऊर्जा, खाद्यान्न आपूर्ति, जलापूर्ति, बाढ़ नियंत्रण की सुविधा आदि प्राप्त करने के लिए **किस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों एवं परितंत्रों को** सर्वोत्तम रूप से प्रबंधित किया जाए।
- **दीर्घकालिक संधारणीयता तथा समानता प्राप्त करने के लिए विभिन्न भूमि उपयोग** (कृषि, खनन, आवास संबंधी विकास, पर्यावास संबंधी संरक्षण, पुनर्निर्माण) के संबंध में **दुविधा को समझने के लिए।**

पर्यावरणीय लेखांकन के समक्ष चुनौतियां

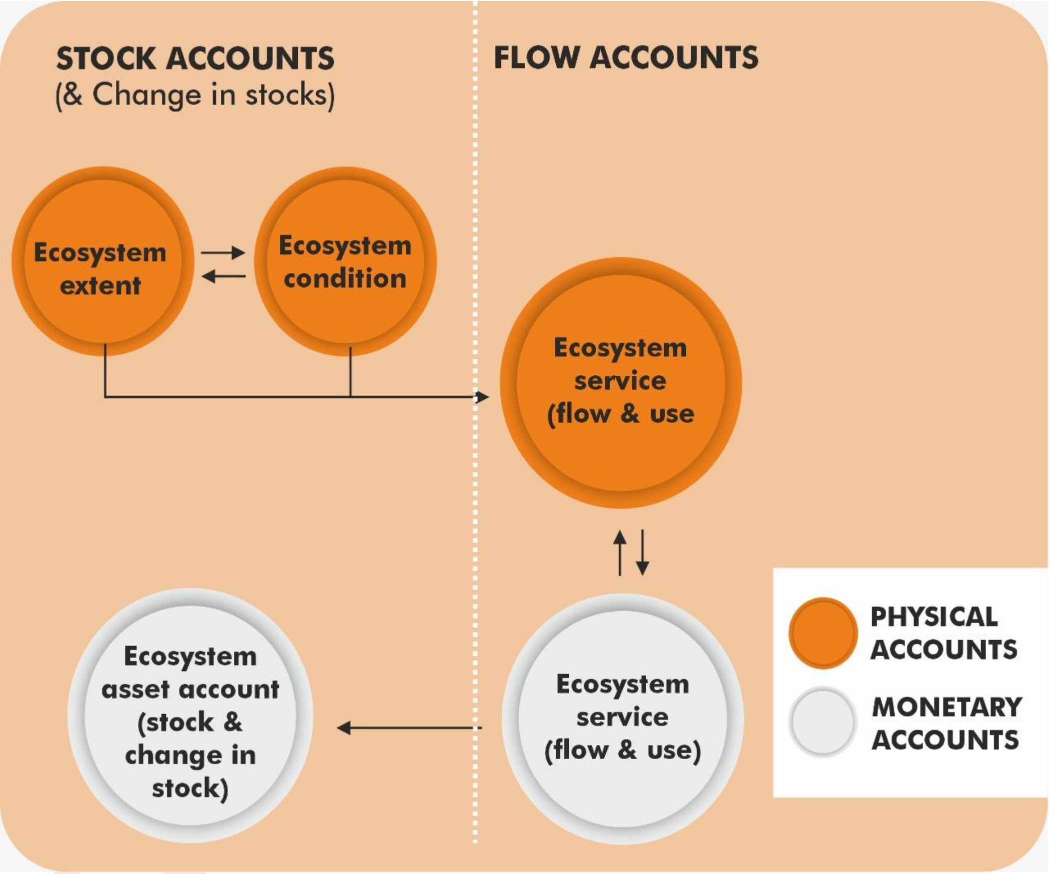

- **संबद्ध लागत:** पर्यावरणीय लेखांकन तथा रिपोर्टिंग के लिए अतिरिक्त श्रमबल एवं लागत की आवश्यकता होगी। बाध्य उद्यमों के अतिरिक्त अन्य बहुत से उद्यम इस अतिरिक्त लागत को वहन करने के प्रति हतोत्साहित भी हो सकते हैं। इस प्रकार, यह अतिरिक्त लागत EA के कार्यान्वयन के समक्ष समस्या प्रस्तुत कर सकती है।
- **कुशल श्रमबल की कमी:** प्राकृतिक/पर्यावरणीय लेखांकन के प्रभावी एवं कुशल क्रियान्वयन हेतु शिक्षित लोगों एवं कौशलयुक्त श्रमिकों का अत्यधिक महत्व होता है। कुशल श्रमबल का अभाव पर्यावरण संरक्षण संबंधी पर्यावरणीय लेखांकन के क्रियान्वयन के समक्ष बाधा उत्पन्न कर सकता है।
- **पर्यावरणीय लेखांकन के प्रति समझ का अभाव:** विनिर्माणकारी संस्थाओं द्वारा पर्यावरणीय लेखांकन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सही आंकड़ों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। कई संस्थाएं जान-बूझ कर पृथक पर्यावरणीय लेखांकन से बचती हैं।
- **समन्वय का अभाव:** पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित विभिन्न हितधारकों के मध्य समन्वय का अभाव इसके यथोचित क्रियान्वयन को प्रभावित करती है।

पर्यावरणीय लेखांकन के लाभ

- **संरक्षण में सहायक:** प्राकृतिक संरक्षण संबंधी आर्थिक अनुमान (उदाहरण के लिए, ग्रीनहाउस गैस विनियमन तथा बाढ़ से संरक्षण) का भारांश निजी लाभों (उदाहरण के लिए, कृषि और इमारती लकड़ी के उत्पादन से होने वाला लाभ) की तुलना में अधिक होता है।
- **पारितंत्र का पुनर्स्थापन (Ecosystem restoration):** पर्यावास या पारितंत्र की स्थिति में किसी भी स्तर तक परिवर्तन होने के बावजूद यथोचित संरक्षण तथा पारितंत्र का पुनर्स्थापन करने से सार्वजानिक प्राकृतिक संपत्ति एवं सामूहिक संसाधनों को निवल लाभ ही पहुँचता है। यह कार्य प्रायः पर्यावरणीय लेखांकन के पश्चात् आरंभ होता है।
- **केस स्टडी:** नेपाल में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, यदि नेपाल के **शिवपुरी-नागार्जुन राष्ट्रीय उद्यान** को प्रदत्त संरक्षण को हटा लिया जाए तथा इसे वन से कृषि-भूमि में परिवर्तित कर दिया जाए तो इससे अन्य लागतों के अतिरिक्त **कार्बन के संग्रहण में 60 प्रतिशत की कमी आएगी तथा जल की गुणवत्ता में 88 प्रतिशत की गिरावट होगी।** साथ ही, इससे प्रति वर्ष 11 मिलियन डॉलर की हानि भी होगी।

- **बेहतर निर्णय-निर्माण:** इस सूचना का उपयोग सरकारी निर्णय-निर्माण संबंधी प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए किया जा सकता है। प्राकृतिक पूँजी का कुल मूल्य ज्ञात होने से निर्धनता संबंधी मुद्दे का समाधान भी किया जा सकता है।

निष्कर्ष

भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह सूचना से संबंधित विद्यमान अंतरालों का समाधान करने में दशकों का समय नहीं लेगी तथा SEEA को लघु अवधि में ही क्रियान्वित करने हेतु उपयुक्त कदम उठाएगी। यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर पर्यावरण से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

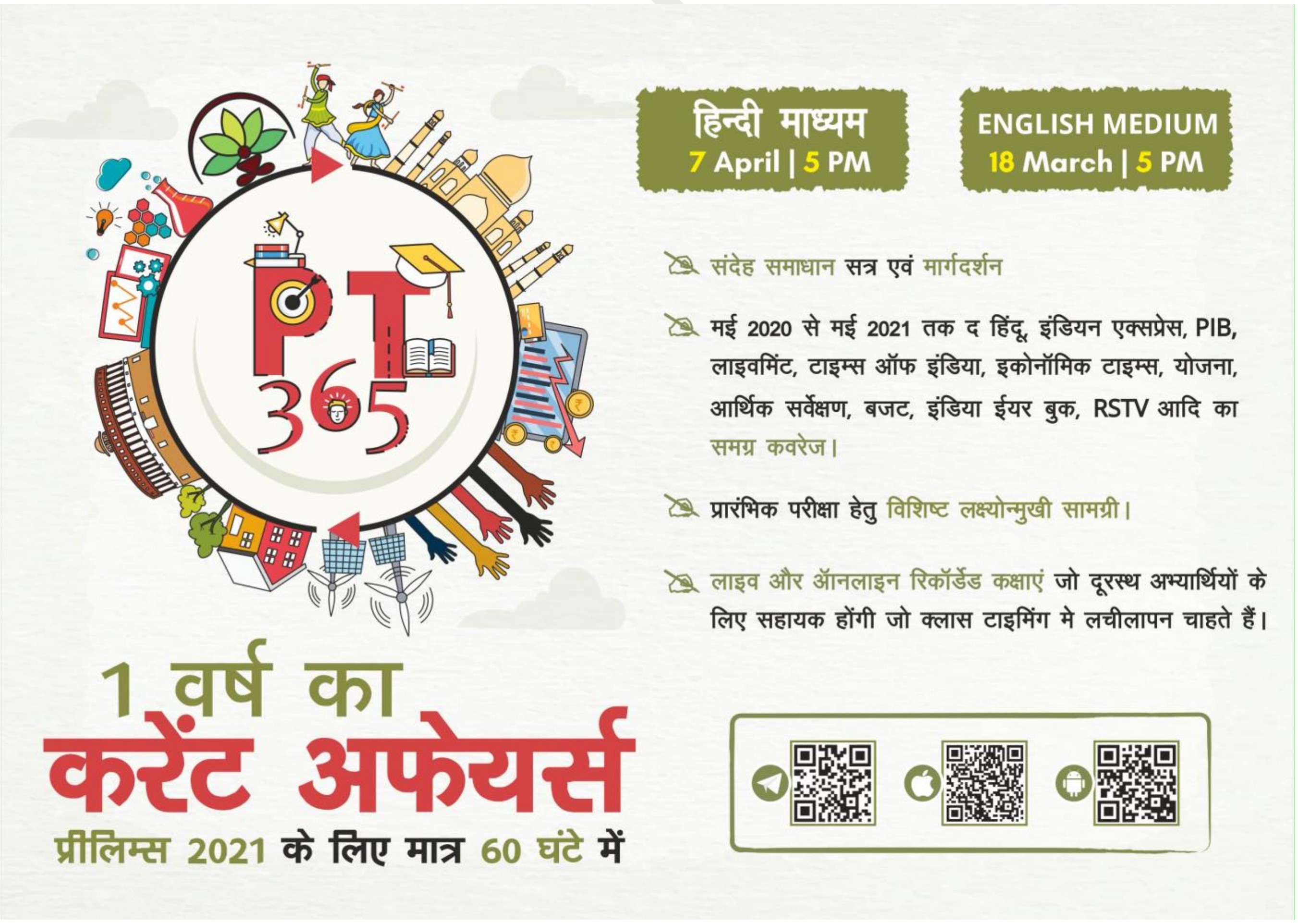

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2020 {Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, 2020}

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, राज्य सभा ने **गर्भ का चिकित्सकीय समापन (Medical Termination of Pregnancy: MTP) (संशोधन) विधेयक, 2020** पारित किया।

गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2020 के बारे में

- यह विधेयक **गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971** में उन प्रावधानों में संशोधन करने का प्रयास करता है, जिनके अंतर्गत गर्भ को समाप्त किया जा सकता है और जिस समयावधि के भीतर गर्भपात कराया जा सकता है, उस समयावधि में वृद्धि करता है (यह अवधि 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह की कर दी गई है)।
- भ्रूण से संबंधित गंभीर असामान्यता के मामले में 24 सप्ताह के उपरांत गर्भ की समाप्ति के लिए राज्य-स्तरीय मेडिकल बोर्ड का परामर्श लेना आवश्यक होगा।

MTP अधिनियम, 1971 और MTP (संशोधन) विधेयक, 2020 के बीच तुलना

विशेषताएं	MTP अधिनियम, 1971	MTP (संशोधन) विधेयक, 2020
गर्भधारण के बाद से 12 सप्ताह तक का समय	• **एक चिकित्सक** की सलाह	• **एक चिकित्सक** की सलाह
गर्भधारण के पश्चात से 12 से 20 सप्ताह का समय	• **दो चिकित्सक** की सलाह	• **एक चिकित्सक** की सलाह
गर्भधारण के उपरांत से 20 से 24 सप्ताह का समय	• **अनुमति नहीं**	• कुछ श्रेणियों की गर्भवती महिलाओं के लिए **दो चिकित्सकों की सलाह**
गर्भधारण के बाद से 24 सप्ताह से अधिक का समय	• **अनुमति नहीं**	• बहुत अधिक भ्रूण असामान्यता की स्थिति में चिकित्सा बोर्ड का गठन किया जाता है।
गर्भधारण के दौरान किसी भी समय	• यदि गर्भवती महिला का जीवन बचाने के लिए तुरंत आवश्यक हो, तो **एक चिकित्सक द्वारा सद्भाव से परिपूर्ण परामर्श देना।**	• यदि गर्भवती महिला का जीवन बचाने के लिए तुरंत आवश्यक हो, तो **एक चिकित्सक द्वारा सद्भाव से परिपूर्ण परामर्श देना।**
गर्भनिरोधक विधि या युक्ति की विफलता के कारण समापन	• **विवाहित महिला द्वारा 20 सप्ताह की अवधि तक** गर्भ का समापन किया जा सकता है	• यह विधेयक **अविवाहित महिलाओं को** भी इस कारण से **गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देता है।**
चिकित्सा बोर्ड	• ऐसा कोई प्रावधान नहीं, **केवल पंजीकृत चिकित्सक ही** गर्भ का समापन करने का **निर्णय ले** सकते हैं।	• **केवल चिकित्सा बोर्ड द्वारा ही सुनिश्चित किया जाएगा** कि क्या बहुत अधिक भ्रूण असामान्यताओं के कारण **24 सप्ताह के उपरांत गर्भ का समापन किया जा सकता है।** • सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सरकार चिकित्सा बोर्ड का गठन करेंगी। इस बोर्ड में स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट/ सोनोलॉजिस्ट और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य सदस्य शामिल होंगे।
गोपनीयता और दंड	• कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर किसी भी विनियमन की आवश्यकताओं का	• **पंजीकृत चिकित्सक द्वारा** जिस महिला की गर्भावस्था समाप्त हो गई है, उसकी जानकारी केवल

	उल्लंघन करता है या जानबूझकर पालन करने में विफल रहता है, तो उस व्यक्ति को **अर्थदंड से दंडित किया जाएगा जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है।**	विधि द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को ही प्रदान की जा सकती है। ○ उल्लंघन करने पर **एक वर्ष तक का कारावास, अर्थदंड या दोनों** से दंडनीय होगा।

MTP (संशोधन) विधेयक, 2020 का महत्व

- **सुरक्षित, वहनीय और सुलभ गर्भपात:** यह गर्भावस्था के समय बहुत देर से भ्रूण असामान्यता पता चलने पर और महिलाओं द्वारा सामना की गई लैंगिक हिंसा के कारण गर्भावस्था की स्थिति में **महिलाओं को सुरक्षित, वहनीय एवं सुलभ गर्भपात सेवाएं** प्रदान करता है।
- **ऊपरी गर्भावधि सीमा बढ़ाना:** सुरक्षित गर्भपात के लिए चिकित्सा प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ, विशेष रूप से सुभेद्य महिलाओं और गर्भावस्था में बहुत देर से पता चली भ्रूण असामान्यताओं के लिए गर्भ समापन हेतु ऊपरी गर्भावधि सीमा को बढ़ा दिया गया है।
- **मातृ मृत्यु दर और रुग्णता कम करेगा:** यह असुरक्षित गर्भपात और इसकी जटिलताओं के कारण होने वाली मातृ मृत्यु एवं रुग्णता को कम करने के लिए महिलाओं की कानूनी एवं सुरक्षित गर्भपात सेवा तक पहुंच बढ़ाता है।

MTP (संशोधन) विधेयक, 2020 से संबंधित मुद्दे

- **जो महिलाएं 20-24 सप्ताह के बीच गर्भ का समापन कर सकती हैं, उनकी श्रेणियां निर्दिष्ट नहीं की गई हैं:** विधेयक में यह श्रेणी निर्दिष्ट नहीं की गई है, जबकि इन श्रेणियों को अधिसूचित करने हेतु केंद्र सरकार को प्रत्यायोजित किया गया है।
- **चिकित्सा बोर्ड के निर्णय के लिए समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है:** यह विधेयक वह समय सीमा तय नहीं करता है, **जिसके भीतर बोर्ड को** 24 सप्ताह के उपरांत गर्भ समापन का निर्णय लेना चाहिए।
  - चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्णय लेने में विलंब के परिणामस्वरूप **गर्भवती महिला के लिए और अधिक जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं।**
- **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बारे में कोई स्पष्टता नहीं:** कुछ चिकित्सा अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि ऐसे मामले भी हो सकते हैं, जिनमें **ट्रांसजेंडर (न कि महिला) के रूप में पहचाने गए व्यक्ति** महिला से पुरुष बनने के लिए हार्मोन थेरेपी करवाने के उपरांत भी **प्रेग्नेंट हो सकते हैं** और उन्हें समापन सेवाओं की आवश्यकता हो सकती है।
  - **विधेयक में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों** को इस विधेयक के अंतर्गत समाहित किया जाए या नहीं।
- **गर्भ समाप्त करने के लिए योग्य चिकित्सकों की अनुपलब्धता: अखिल भारतीय ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (2018-19)** से ज्ञात होता है कि संपूर्ण भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य क्लीनिकों में 1,351 स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं तथा संख्या के अनुसार 4,002 की कमी है, अर्थात् योग्य चिकित्सकों का 75% अभाव है।
  - **राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार सर्वेक्षण (2015-16) के अनुसार, केवल 53% गर्भपात ही पंजीकृत चिकित्सक द्वारा किए जाते हैं** और शेष नर्स, सहायक नर्स प्रसाविका, परिवार के सदस्य या स्वयं द्वारा किए जाते हैं।
- **स्वतंत्रता का अधिकार:** यह विधेयक अभी भी **महिलाओं को निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है,** क्योंकि 24 सप्ताह से अधिक गर्भ की स्थिति में चिकित्सा बोर्ड से अनुमति की आवश्यकता होगी।
  - यह भी वर्णित किया गया है कि, क्या राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए जब गर्भवती महिला अपने जीवन के बारे में, भ्रूण के सर्वोत्तम के बारे में और इसमें सन्निहित सामाजिक कलंक के भाव के बारे में चिंतित है?
- **विस्तृत समीक्षा का अभाव:** यह विधेयक विस्तृत समीक्षा के लिए **संसदीय चयन समिति को प्रेषित नहीं किया गया था।** साथ ही, यह हितधारकों के साथ परामर्श को भी प्रतिबिंबित नहीं करता है।

आगे की राह

- **महिलाओं की श्रेणियां:** जो महिलाएं 20-24 सप्ताह के मध्य गर्भ का समापन करवाने में समर्थ हैं, उनकी श्रेणियाँ संसद द्वारा बनाये गए कानून द्वारा निर्दिष्ट की जानी चाहिए न कि सरकार को प्रत्यायोजित की जानी चाहिए।
- **चिकित्सा बोर्ड के लिए समय सीमा:** 24 सप्ताह के उपरांत गर्भ की समाप्ति हेतु चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्णय लिए जाने के लिए निश्चित समयावधि होनी चाहिए, ताकि विलंब से बचा जा सके और गर्भवती महिला हेतु जटिलताओं की रोकथाम की जा सके।
- **ट्रांसजेंडर व्यक्ति:** भारत में **उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019** अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम ट्रांसजेंडर को एक अतिरिक्त लिंग के रूप में मान्यता प्रदान करता है। इसलिए, इस पर विचार करते हुए विधेयक के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शामिल करने की आवश्यकता है।

* **विस्तृत समीक्षा:** विधेयक को संसदीय चयन समिति की विस्तृत संवीक्षा से गुजरना चाहिए। साथ ही, इसे और अधिक व्यापक बनाने के लिए शामिल विभिन्न हितधारकों से परामर्श प्राप्त करना चाहिए।

6.2. गैर-संचारी रोग (Non-Communicable Diseases)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (UN Institute for Training & Research: UNITAR) ने गैर-संचारी रोगों से समय पूर्व मृत्यु दर कम करने में भारत की उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है।

गैर-संचारी रोगों (Non-Communicable Diseases: NCDs) के बारे में

* NCDs, को वस्तुतः दीर्घावधि के चिरस्थायी रोगों (chronic diseases) के रूप में भी जाना जाता है। **ये आनुवंशिक, शारीरिक, पर्यावरणीय और व्यवहार संबंधी कारकों के संयोजन का परिणाम होते हैं।**
* **NCDs के मुख्य प्रकार** हृदय संबंधी रोग (जैसे हृदयाघात), कैंसर, चिरस्थायी श्वसन रोग {जैसे दीर्घस्थायी प्रतिरोधी पल्मोनरी रोग (फेफड़ों संबंधी) और अस्थमा} तथा मधुमेह से संबंधित हैं।
    * **वैश्विक स्तर पर सभी मृत्युओं में NCDs का योगदान लगभग 71% और भारत में लगभग 60% है।**
    * NCDs **निम्न और मध्यम आय वाले देशों** में लोगों को विषम रूप से प्रभावित करते हैं जहां वैश्विक स्तर पर तीन चौथाई से अधिक मृत्यु NCDs से होती हैं।

UNITAR के बारे में
* **संयुक्त राष्ट्र के नव-स्वतंत्र सदस्य राज्यों के युवा राजनयिकों को प्रशिक्षित तथा सन्नद्ध करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (UN Institute for Training & Research: UNITAR)** की स्थापना वर्ष 1963 में की गई थी।
* UNITAR वैश्विक निर्णय निर्माण क्षमता बढ़ाने और राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई का समर्थन करने के लिए **व्यक्तित्वों, संगठनों एवं संस्थाओं को नवीन अधिगम समाधान प्रदान करता है।**

भारत में गैर-संचारी रोग की स्थिति

* WHO की वैश्विक स्वास्थ्य वेधशाला के अनुसार, भारत ने **वर्ष 2015 से वर्ष 2019** के बीच **समय से पूर्व होने वाली** NCDs से संबंधित मृत्यु दर को **प्रति 1 लाख की आबादी पर 503** से **490** तक लाने में सफल रहा।
* कई विकसित देशों में **NCDs** आमतौर पर **55** वर्ष या अधिक आयु के व्यक्तियों में होता है, किन्तु **भारत में इसकी शुरुआत एक दशक पूर्व (≥ 45 वर्ष की आयु) ही हो जाती है।**
* **हृदय रोग, श्वसन रोग और मधुमेह से वार्षिक लगभग 40 लाख भारतीयों की मृत्यु** (जैसा कि 2016 में था) होती है और इनमें से अधिकांश मृत्यु 30–70 वर्ष की आयु के भारतीयों की होती है।

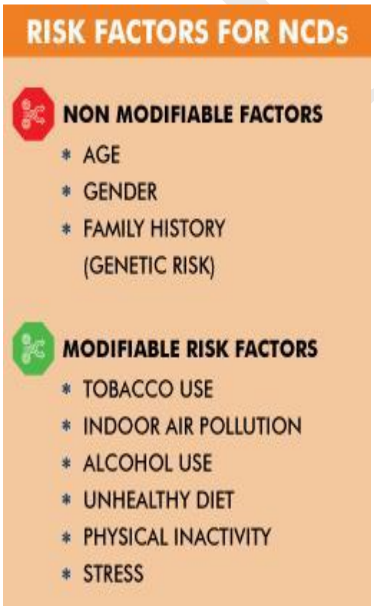

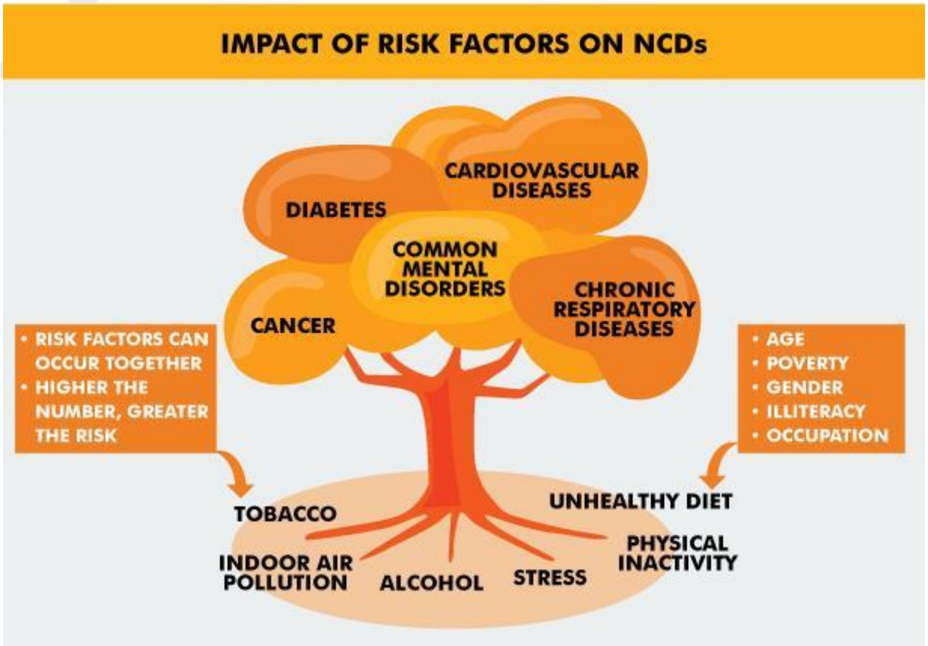

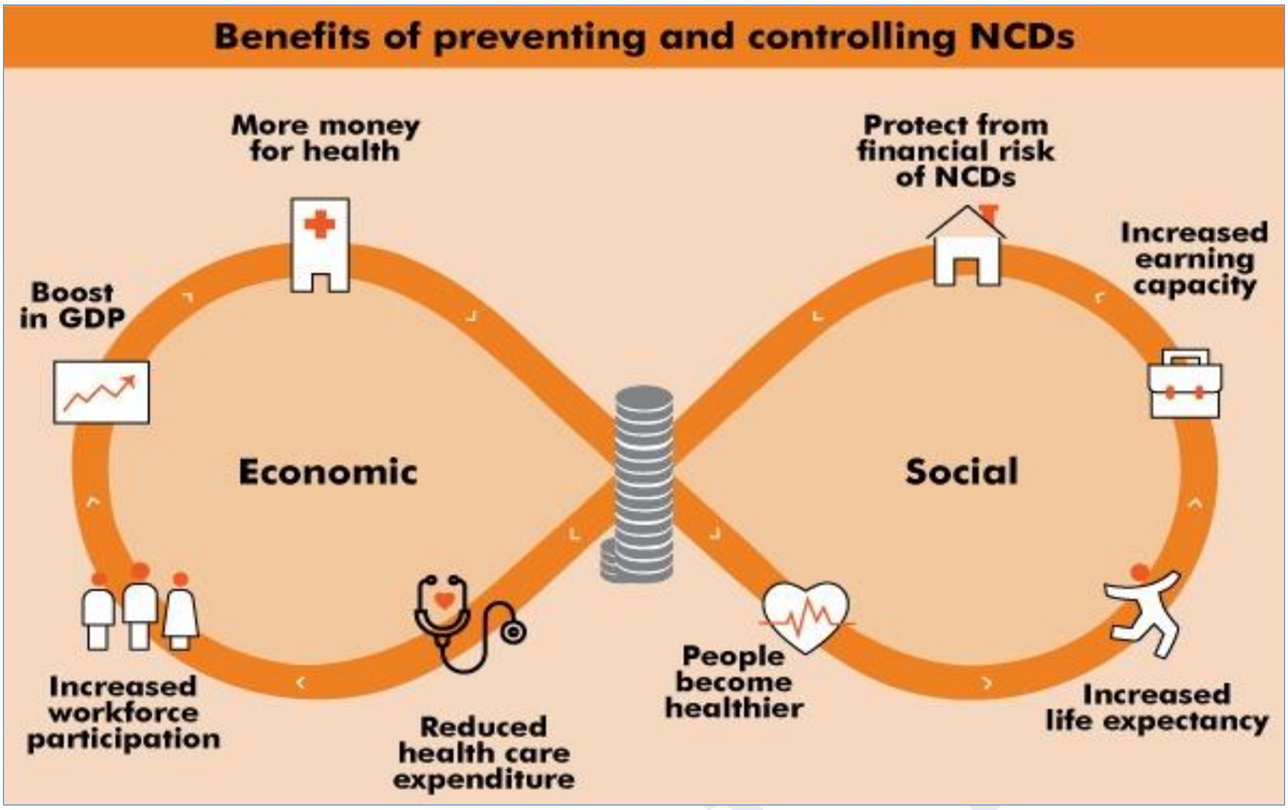

NCDs को नियंत्रित करने के लिए वैश्विक उपाय

- **NCD** को **संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास 2030 के एजेंडे में एक प्रमुख वैश्विक चुनौती के रूप में पहचाना गया है।**
- **WHO** ने **वर्ष 2013-2020 तक NCD की रोकथाम और नियंत्रण के लिए वैश्विक कार्य योजना** विकसित की है, जो नौ वैश्विक लक्ष्य निर्दिष्ट करती है।

NCD को नियंत्रित करने के अन्य कार्यक्रम

- राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम।
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम।
- राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम।
- राष्ट्रीय बधिरता रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम।
- राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम।
- राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम।
- राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम।

NCD को नियंत्रित करने के लिए भारत द्वारा किए गए उपाय

- **राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग और आघात रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम** (National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke: NPCDCS) **वर्ष 2010** में आरंभ किया गया था। इसमें अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य संवर्धन, शीघ्र निदान, प्रबंधन और रेफरल पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- NCD की रोकथाम और नियंत्रण के लिए WHO की वैश्विक कार्य योजना 2013-2020 के प्रति अनुक्रिया में, **भारत वर्ष 2025 तक** NCDs से होने वाली वैश्विक समयपूर्व मृत्युओं की संख्या 25% तक कम करने के लिए **विशिष्ट राष्ट्रीय लक्ष्य विकसित करने वाला प्रथम देश है।**

- **भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)** ने अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों पर कर और विज्ञापन प्रतिबंध का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
    - FSSAI ने सार्वजनिक स्वास्थ्य बेहतर बनाने और जीवन शैली से संबद्ध रोगों से संघर्ष करने के लिए नकारात्मक पोषण संबंधी प्रवृत्तियों से निपटने हेतु **'ईट राइट इंडिया' आंदोलन** आरम्भ किया है। इसके अतिरिक्त, खाद्य आपूर्ति में औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस-फैट के उन्मूलन के लिए **जनसंचार मीडिया अभियान 'हार्ट अटैक रिवाइंड' भी प्रारंभ किया है।**
- **अन्य प्रयास:**
    - **आयुष्मान भारत अभियान** का उद्देश्य अपने निवारक स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार लाना है।
    - **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना** जैसी योजनाएँ घर के भीतर वायु प्रदूषण कम करने पर लक्षित हैं। इस प्रकार, कैंसर और फेफड़ों की चिरकालिक बीमारियों का खतरा कम करने में सहायता प्राप्त होती है।
    - योग जैसी गतिविधियों के माध्यम से **सक्रिय जीवन को बढ़ावा दिया जा रहा है,** जिससे हृदय रोगों का जोखिम दूर हो सकता है।

आगे बढ़ते हुए और क्या किया जा सकता है?

- **जाँच सेवाओं की क्रॉस-लिंकिंग:** राष्ट्रीय HIV निवारण सेवाओं और सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम सेवाओं को एकीकृत करने का जाम्बिया का प्रयास एक दृष्टान्त है। यह विगत 5 वर्षों में सर्वाइकल कैंसर के लिए 100,000 से अधिक महिलाओं की जांच करने में सहायक सिद्ध हुआ है।
- **NCDs से निपटने हेतु डिजिटल तकनीक का उपयोग करना:** यह विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की योजना निर्माण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन एवं उत्तम रीतियां प्रदान कर सकता है।
- **चीनी पर कर लगाना:** मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका आदि सहित कई देशों ने चीनी से मीठा बनाए गए पेय पदार्थों की खपत कम करने के लिए कराधान का उपयोग किया है और इस प्रकार मोटापे व अन्य NCDs से निपट रहे हैं।
- **प्राथमिक देखभाल में मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक सहायता को एकीकृत करना:** यह सामुदायिक एवं व्यक्तिगत अनुकूलन को सशक्त बनाकर व्यक्तियों एवं उनके समुदायों के मनोवैज्ञानिक व सामाजिक कल्याण को बढ़ाएगा।

निष्कर्ष

गैर-संचारी रोग प्रमुख जोखिम कारक हैं और **ये विशेष रूप से कोविड-19 रोगियों के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।** नियमित स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान और चिकित्सीय आपूर्ति जोखिमों से NCD रोगियों की रुग्णता, नि:शक्तता और परिहार्य मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। इसलिए, **NCD जोखिमों का प्रबंधन** समग्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य रणनीति और विशेष रूप से **कोविड-19 प्रतिक्रिया रणनीति** का अभिन्न अंग होना चाहिए।

6.3. प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi: PMSSN)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, मंत्रिमंडल ने **प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (PMSSN)** के गठन को स्वीकृति प्रदान की है।

प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (PMSSN) के बारे में

- यह लोक लेखे में एक **गैर-व्यपगत आरक्षित निधि** (non-lapsable reserve fund) होगी।
- यह वित्त अधिनियम, 2007 के अंतर्गत **अधिरोपित स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की आय** से **लोक लेखे में स्वास्थ्य के लिए गठित कोष** है।
    - **वर्ष 2018-19 के बजट में पूर्ववर्ती 3% शिक्षा उपकर** (cess) के स्थान पर **4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर** आरोपित किया गया है, ताकि ग्रामीण व निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त धन संग्रहित किया जा सके।
- **PMSSN का प्रशासन एवं रखरखाव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health & Family Welfare : MoHFW)** को सौंपा गया है।
- किसी भी वित्तीय वर्ष में, **MoHFW की योजनाओं पर व्यय आरंभ में PMSSN से और उसके उपरांत सकल बजटीय सहायता (Gross Budgetary Support: GBS)** से किया जाएगा।

- **GBS केंद्रीय योजना के लिए सरकार द्वारा प्राप्त सहायता है,** जो वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्र सरकार के योजनाबद्ध परिव्ययों को पूर्ण करने के लिए निर्धारित किया जाता है। इसमें कर आय और सरकार द्वारा संग्रहित किए गए राजस्व के अन्य स्रोत शामिल हैं।

- **PMSSN के लाभ**
  - यह निर्धारित संसाधनों की उपलब्धता के माध्यम से **सार्वभौमिक और वहनीय स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच बढ़ाएगा।**
  - **यदि राशि वित्तीय वर्ष के अंत में व्यपगत नहीं होती तो वह** आगामी वित्तीय वर्ष में उपयोग के लिए आगे बढ़ा दी जाएगी।
  - बेहतर स्वास्थ्य उत्पादकता में सुधार लाता है तथा शैक्षिक उपलब्धियों एवं आय पर प्रभाव उत्पन्न करता है।
  - बेहतर स्वास्थ्य स्थितियों के साथ जनसंख्या की जीवन प्रत्याशा अतिरिक्त एक वर्ष बढ़ने से **प्रति व्यक्ति GDP 4% तक बढ़ जाती है।**
  - स्वास्थ्य में निवेश अत्यावश्यक स्वास्थ्य कार्यबल के विस्तार के माध्यम से लाखों लोगों, मुख्यतः महिलाओं को रोजगार प्रदान करता है।

6.4. स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 {Swachh Survekshan (SS) 2021}

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** (Ministry of Housing and Urban Affairs: MoHUA) ने **स्वच्छ सर्वेक्षण (SS) 2021 के क्षेत्र मूल्यांकन** का शुभारंभ किया। यह भारत सरकार द्वारा आयोजित वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का छठा संस्करण है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के बारे में

- स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में वृहद पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए शहरों को शहरी स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाने के लिए **प्रतिस्पर्धी ढांचे** के रूप में आरंभ किया गया था।

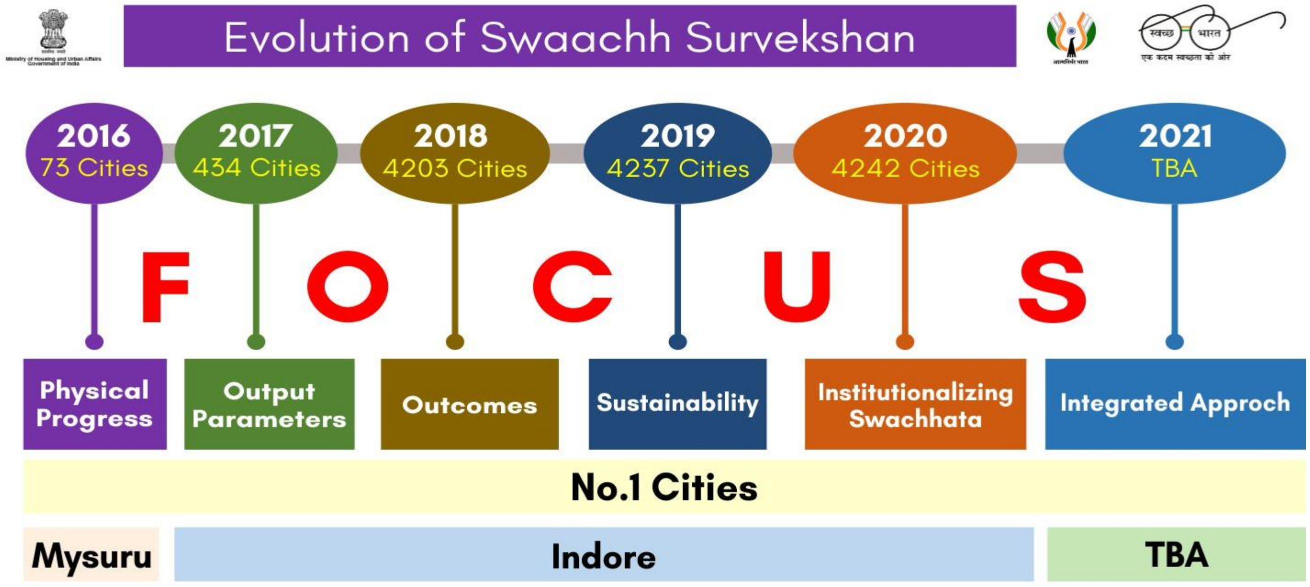

- इस सर्वेक्षण के कार्यान्वयन भागीदार के रूप में **भारत की गुणवत्ता परिषद के साथ आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)** द्वारा इसका संचालन किया जाता है।
- 'स्वच्छ सर्वेक्षण-2021' के संकेतकों का मुख्य फोकस 'अपशिष्ट जल का उपचार और पुन: उपयोग करने से संबंधित मापदंडों और मल-गाद की गंदगी के निपटान पर केंद्रित है।
- इस संस्करण में **विरासत अपशिष्ट प्रबंधन और भूमि भराव के निवारण** के महत्वपूर्ण मुद्दों को भी प्रस्तुत किया गया है।
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 ने एक नई निष्पादन श्रेणी **प्रेरक दौर सम्मान (Prerak DAUUR Samman)** का समावेशन किया है। इसमें निम्नलिखित सात मानदंडों के आधार पर पांच निष्पादन श्रेणियाँ (प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज तथा कॉपर) होंगी:
    - अपशिष्ट का पृथक्करण (गीला, शुष्क और परिसंकटमय);
    - उत्पन्न गीले अपशिष्ट के विरुद्ध प्रसंस्करण क्षमता;
    - गीले अपशिष्ट का प्रसंस्करण;
    - शुष्क अपशिष्ट का प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण;
    - निर्माण और ध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण;
    - भूमि भराव में जाने वाले अपशिष्ट का प्रतिशत; तथा
    - वर्तमान स्वच्छता स्थिति (28.02.2021 तक)।
- शहरों और राज्यों की रैंकिंग करने के अतिरिक्त, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 जिलों (उनके शहरों के प्रदर्शन के आधार पर) की भी रैंकिंग करेगा।

- GFC- कचरा मुक्त शहर।
- ODF+ जल के साथ शौचालय, रखरखाव और स्वच्छता पर केंद्रित है।
- ODF++ मल-गाद और सेप्टेज प्रबंधन के साथ शौचालयों पर केंद्रित है।
- वाटर + सुनिश्चित करता है कि अनुपचारित अपशिष्ट जल वातावरण में निर्गमित न किया जाए।

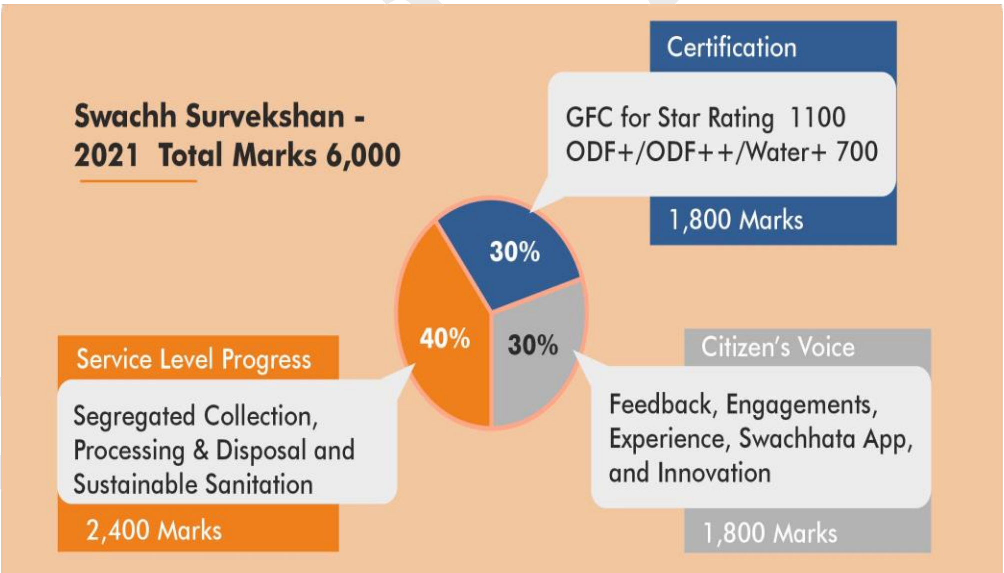

भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India: QCI)

- यह **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय** द्वारा भारतीय उद्योग के साथ संयुक्त रूप से स्थापित किया गया एक **स्वायत्त निकाय है।**
    - भारतीय उद्योग का प्रतिनिधित्व **तीन प्रमुख उद्योग संघों** अर्थात् एसोचैम (ASSOCHAM), भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और फेडरेशन ऑफ़ इंडियन चैम्बर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की/FICCI) द्वारा किया जाता है।
- इसका उद्देश्य **राष्ट्रीय प्रत्यायन संरचना** को स्थापित करना और संचालित करना तथा **राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान** के माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ावा देना है।
- QCI गैर-लाभकारी सोसायटी के रूप में पंजीकृत है और **सरकार, उद्योग एवं उपभोक्ताओं के समान प्रतिनिधित्व** के साथ एक परिषद द्वारा शासित है।
- यह **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)** के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
- **परिषद के अध्यक्ष को सरकार द्वारा भारतीय उद्योग की अनुशंसा पर प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त** किया जाता है।

6.5. असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक {Commitment To Reducing Inequality (CRI) Index}

सुर्खियों में क्यों?

रोजगार और श्रम मंत्रालय ने **असमानता घटाने की प्रतिबद्धता (CRI) सूचकांक 2020** की आलोचना की है। इस सूचकांक में श्रमिकों के अधिकार के संदर्भ में भारत को 151वां स्थान प्रदान किया गया है और **समग्र रूप से 158 देशों में 129वां स्थान** दिया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **मंत्रालय** ने तर्क दिया है कि रैंकिंग में अपनाई गई पद्धतियों में **श्रम संहिता** में उपबंधित किए गए विभिन्न प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा गया है।
  - मजदूरी संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2019 को संसद द्वारा पारित एवं अधिसूचित किया गया है।
  - इन संहिताओं के अंतर्गत **29 केंद्रीय श्रम कानून सम्मिलित किए गए हैं**। ये संहिताएं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। इन सुरक्षाओं में **सांविधिक न्यूनतम मजदूरी, स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए योजनाओं का निर्माण, कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन** आदि शामिल हैं।
- इसके अतिरिक्त, भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के दो अभिसमयों का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। वे दो अभिसमय हैं- **संघ की स्वतंत्रता एवं सम्मेलन के आयोजन के अधिकार के संरक्षण हेतु अभिसमय (87)** और **संगठित होने एवं सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार अभिसमय (98)**।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation: ILO) के विषय में

- इसे **वार्साय की संधि** के एक भाग के रूप में वर्ष 1919 में स्थापित किया गया था।
- यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी है, जो सरकारों, नियोक्ताओं और कामगारों को परस्पर संयुक्त करती है।
- **8 प्रमुख अभिसमय हैं:**
  - बलात् श्रम पर अभिसमय, 1930 (संख्या 29)
  - बलात् श्रम के उन्मूलन पर अभिसमय, 1957 (संख्या 105)
  - न्यूनतम आयु पर अभिसमय, 1973 (संख्या 138)
  - बाल श्रम के विकृत स्वरूप पर अभिसमय, 1999 (संख्या 182)
  - समान पारिश्रमिक पर अभिसमय, 1951 (संख्या 100)
  - भेदभाव (रोजगार एवं व्यवसाय) पर अभिसमय, 1958 (संख्या 111)
  - **संघ की स्वतंत्रता एवं सम्मेलन के आयोजन के अधिकार के संरक्षण हेतु अभिसमय, 1948 (संख्या 87)**
  - **संगठित होने एवं सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार पर अभिसमय, 1949 (संख्या 98)**
- भारत ILO का संस्थापक सदस्य है और **संख्या 87 एवं संख्या 98 को छोड़कर** पहले छह मूल अभिसमयों का अभिपुष्टिकर्ता है।

असमानता घटाने की प्रतिबद्धता (CRI) सूचकांक के बारे में

- CRI सूचकांक यह निगरानी करता है कि **सरकार** असमानता घटाने की प्रतिबद्धता के लिए **अपनी नीति के माध्यम से क्या कर रही है।**
- इसे **डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल और ऑक्सफैम इंटरनेशनल के मध्य भागीदारी** के माध्यम से विकसित एवं वितरित किया जाता है।
- वर्ष 2020 का सूचकांक **CRI सूचकांक का तीसरा संस्करण है।** इस सूचकांक में विश्व भर की **158 सरकारों** को असमानता घटाने की उनकी प्रतिबद्धता पर उन्हें रैंक प्रदान की जाती है।
- यह **तीन क्षेत्रों** में सरकार की नीतियों और कार्यों का मूल्यांकन करता है। यह सिद्ध हुआ है कि ये तीन क्षेत्र असमानता घटाने के प्रयोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं।

- **जन सेवाएं (स्वास्थ्य,शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा);**
- **कराधान तथा**
- **श्रमिकों का अधिकार।**

- वर्ष 2020 के सूचकांक में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि कैसे **कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए विश्व के अधिकांश देश अपेक्षित रूप से तैयार नहीं थे।** उन देशों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा पर अत्यल्प व्यय किया है और उनकी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली कमजोर है। भारत को **158 देशों में 129वां स्थान** प्राप्त हुआ है। भारत को निम्नलिखित स्थान प्राप्त हुए हैं-
  - **श्रमिकों के अधिकार के संदर्भ में 151वां स्थान;**
  - **लोक सेवाओं के संदर्भ में 141वां स्थान; तथा**
  - **प्रगतिशील कर के संदर्भ में 19वां स्थान।**

भारत की रैंकिंग में गिरावट के कारण

- **अपर्याप्त स्वास्थ्य बजट:** भारत का स्वास्थ्य बजट विश्व में **चौथा सबसे कम** है।
  - **स्वास्थ्य पर लगभग 70% व्यय** आउट ऑफ़ द पॉकेट है, जो विश्व के सर्वाधिक स्तरों में से एक है।
  - केवल लगभग **55% लोगों को ही आवश्यक बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो पाती हैं।**
- **सामाजिक सुरक्षा का अभाव:** अधिकांश श्रमिक न्यूनतम मजदूरी का आधे से भी कम अर्जित करते हैं। **71%** श्रमिकों के पास कोई लिखित नौकरी संविदा नहीं होती है और **54%** को सवेतन अवकाश नहीं मिलते हैं।
  - **भारत** में केवल **लगभग 10% कार्यबल औपचारिक क्षेत्र में है,** जिन्हें सुरक्षित कार्य दशाएं और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हैं।
  - भारत **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ (International Trade Union Confederation: ITUC) सूचकांक में श्रमिकों के लिए 10 सबसे खराब देशों** में शामिल है। ITUC वैश्विक अधिकार सूचकांक **श्रमिकों के अधिकारों के प्रति सम्मान के आधार पर देशों को रैंक** प्रदान करता है।

6.6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (National Food Security Act: NFSA, 2013)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, नीति आयोग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 {National Food Security Act (NFSA), 2013} में संशोधन का प्रस्ताव किया है।

NFSA, 2013 की समीक्षा की आवश्यकता

- **केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP) की वैधता:** इन सब्सिडी युक्त मूल्य **को अधिनियम लागू होने की तिथि से तीन वर्षों (जुलाई 2016 तक) की अवधि के लिए निर्धारित किया गया था।** हालांकि, केंद्र द्वारा इसमें संशोधन (वर्ष 2013 से) किया जाना अभी शेष है।
- **खाद्य सब्सिडी बिल का बढ़ना:** जिस न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर भारतीय खाद्य निगम (FCI) चावल और गेहूं (भंडारण का व्यय आदि भी शामिल) क्रय करता है, वह CIP की तुलना में अति उच्च होता है। CIP वह मूल्य होता है, जिस पर जन वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न वितरित किया जाता है। इससे खाद्य सब्सिडी बिल बहुत बढ़ जाता है।
- **अधिशेष स्टॉक के रखरखाव का बोझ:** उच्च उत्पादन और MSP में वृद्धि के साथ CIP में कोई परिवर्तन नहीं होने से FCI के पास अतिरेक स्टॉक संचित हो गया है। ये अधिशेष स्टॉक परिचालनगत और रणनीतिक भंडार आवश्यकताओं से अधिक है और इसमें वृद्धि हो गई है। इन अधिशेष स्टॉक के रखरखाव ने खाद्य सब्सिडी बिल पर अतिरिक्त बोझ उत्पन्न कर दिया है।
- **बाजार असंतुलन:** यदि CIP में संशोधन नहीं हुआ तो, जनसंख्या में वृद्धि के कारण लाभार्थियों की कुल संख्या (कुल जनसंख्या का **67%**) भी बढ़ेगी।
  - अत्यधिक सब्सिडीयुक्त मूल्यों पर उच्च कोटा और अति आपूर्ति से खाद्यान्नों का बाजार मूल्य और कम होगा।
  - जो किसान सरकारी एजेंसियों को खाद्यान्न विक्रय करने में अक्षम हैं, उनकी आय में गिरावट आएगी।

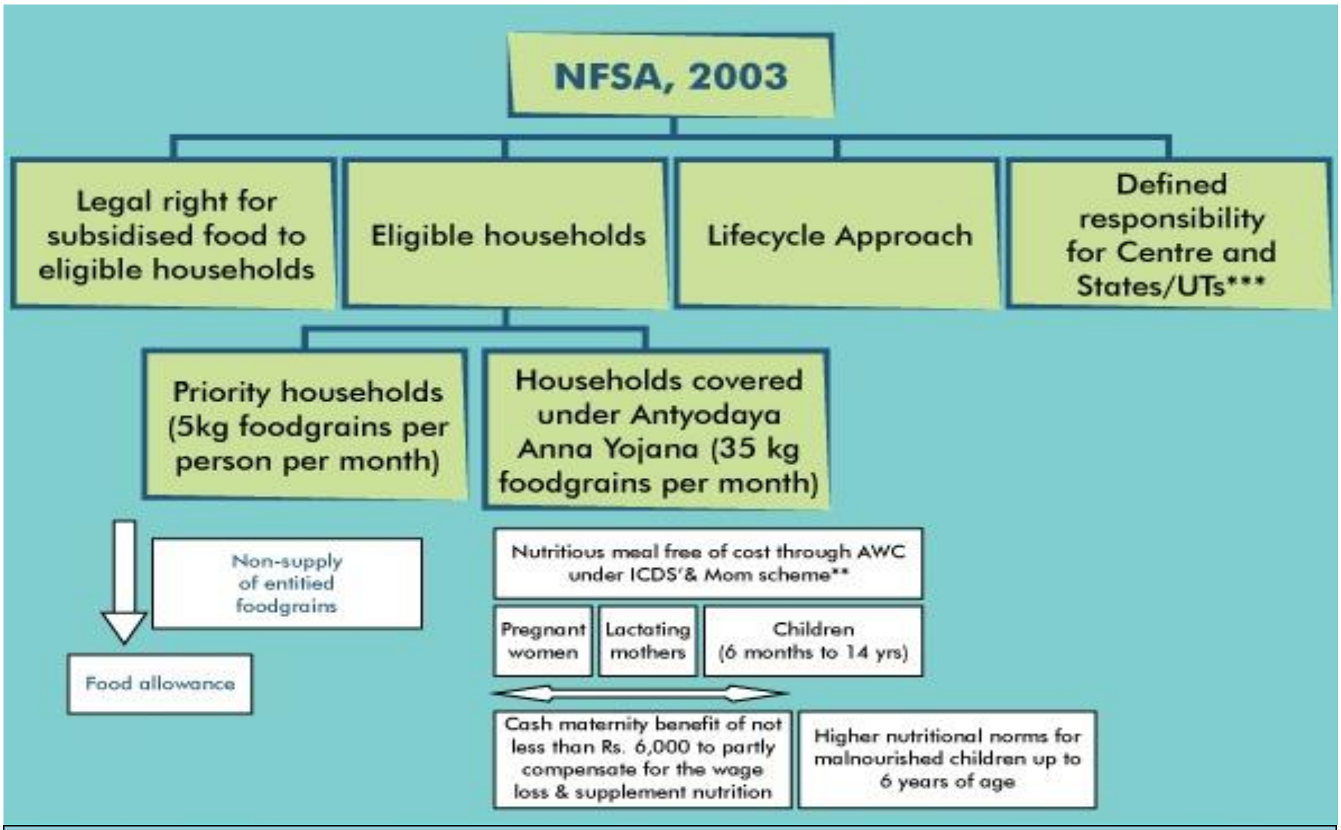

- एकीकृत बाल विकास सेवाएं (ICDS) के तहत आंगनबाड़ी केंद्र ** मध्याह्न भोजन (MDM) योजना *** उत्तरदायित्व *
- **केंद्र:** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आवंटन। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में निर्दिष्ट डिपो तक खाद्यान्नों का परिवहन। भारतीय खाद्य निगम (FCI) के निर्दिष्ट गोदामों से उचित मूल्य की दुकानों (Fair Price Shops: FPSs) तक खाद्यान्न के वितरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना।
- **राज्य और संघ राज्य क्षेत्र:** पात्र परिवारों की पहचान करना, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, FPSs के माध्यम से पात्र परिवारों को खाद्यान्न का वितरण करना, FPS डीलरों को लाइसेंस जारी करना तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) को मजबूत करने के लिए प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करना।

NFSA, 2013 में प्रस्तावित संशोधन की आलोचना

- **उद्देश्यपरक मूल्यांकन का अभाव:** संशोधन इसकी कार्यप्रणाली और इसकी प्रभावशीलता के उद्देश्यपरक मूल्यांकन पर आधारित नहीं है, बल्कि यह खाद्य सब्सिडी कम करने की आवश्यकता पर आधारित है।
- **दक्षता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं:** उच्च खाद्य सब्सिडी वास्तव में सरकार द्वारा खाद्य खरीदारी और भंडारण में कुप्रबंधन का परिणाम है। परंतु, इस प्रकार के कुप्रबंधन से निपटने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।
- **खाद्य और पोषण सुरक्षा का कमजोर होना:** सुधारों के प्रस्ताव से NFSA के कवरेज के प्रसार के लक्ष्य को उपेक्षित कर दिया जाएगा और इसे अर्द्ध-सार्वभौमिक बना दिया जाएगा। PDS के लाभार्थियों की संख्या घटाना लक्षित वितरण के युग की पुनरावृत्ति होगी, जो न केवल असक्षम और लीकेज संभावित था, बल्कि निर्धनों की एक ऐसी बड़ी संख्या लाभ से भी वंचित थी, जिन्हें वास्तव में सरकारी सहायता की आवश्यकता थी।
  - राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के नवीनतम आंकड़ों से यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हुआ है कि **पोषण के मोर्चे पर गतिहीनता की स्थिति उत्पन्न हुई है और कई स्थितियों में प्राप्त उपलब्धियां व्युत्क्रमित हो गई हैं।** यह स्थिति खाद्य सुरक्षा और आजीविका संबंधी परिस्थितियों द्वारा आगे और गहन होगी।

आगे की राह

- **सुधार अधिनियम के स्वतंत्र मूल्यांकन पर आधारित होने चाहिए:** यद्यपि कार्यान्वयन के छह वर्षों के उपरांत NFSA में प्रस्तावित सुधार स्वागतयोग्य हैं, परंतु इस प्रकार की प्रक्रिया को अधिनियम में उल्लिखित उद्देश्यों के संदर्भ में अधिनियम की कार्यशैली के **स्वतंत्र मूल्यांकन** पर आधारित होना चाहिए।

- **लाभार्थियों को उचित रूप से लक्षित करना:** NFSA को सबसे नीचे से 20% लोगों तक ही सीमित करने की आवश्यकता है और अन्यों के लिए CIP को खरीदारी मूल्यों से संबद्ध किया जा सकता है।

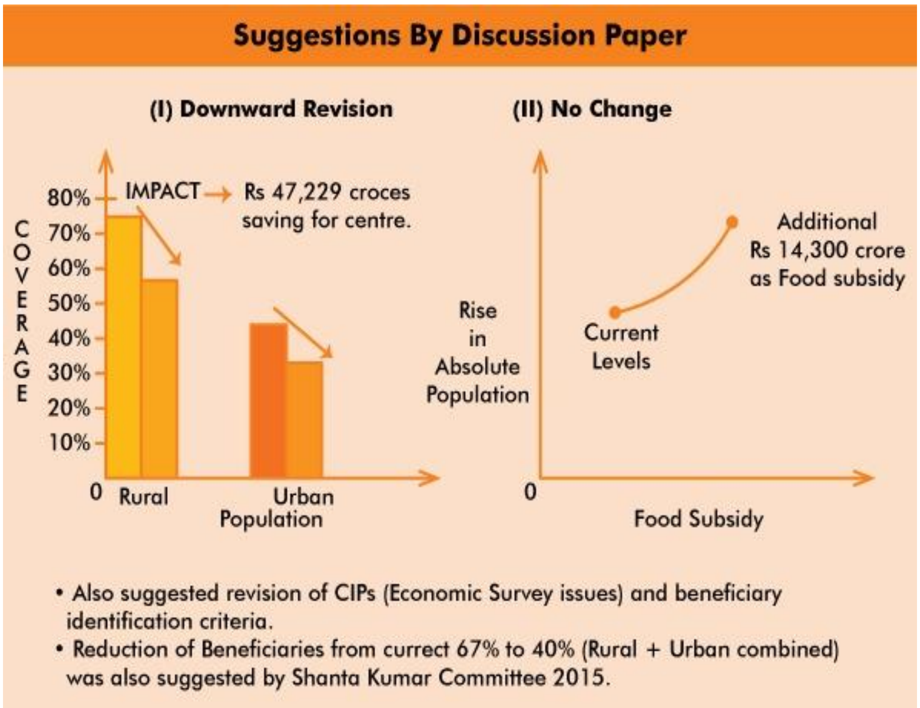

- **एक राष्ट्र, एक राशन (ONOR) कार्ड को प्राथमिकता:** इस पहल से NFSA के लाभार्थी (विशेषकर प्रवासी कामगार) निर्बाध रीति से वर्तमान राशन कार्ड के माध्यम से देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकानों या राशन दुकानों पर या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से खाद्यान्न की पात्रता का दावा करने में सक्षम हो सकेंगे। इस प्रकार से, यह पहल प्रभावी ढंग से लोगों को लक्षित कर लाभ प्रदान करने और इसके होने वाले दुरुपयोग को कम करने में सहायक होगी।
  - अब तक लगभग 32 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने इसे कार्यान्वित किया है।
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):** सब्सिडीयुक्त खाद्य सामग्री का उत्तम विकल्प DBT के माध्यम से उपभोक्ताओं को धन का अंतरण होगा।
- **अधिशेष स्टॉक का उचित प्रबंधन:** निम्नलिखित उपायों से FCI को अत्यधिक अधिशेष को कम करने में सहायता प्राप्त होगी और बाजार में भी कोई असंतुलन उत्पन्न नहीं होगा।
  - **"मूल्य न्यूनता" भुगतान योजना:** किसानों को चयनित फसलों हेतु सरकार द्वारा घोषित MSPs और उनके वास्तविक बाजार मूल्य के बीच जो अंतर है, उसके लिए प्रतिकर दिया जा सकता है।
  - FCI को गेहूं और चावल के विक्रेता के रूप में **कमोडिटी एक्सचेंज में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।** इससे बाजार में तरलता बढ़ेगी और बाजार असंतुलन कम होगा।

निष्कर्ष

NFSA एक कानून है, जिसे संसद द्वारा पारित किया गया है। इसलिए, सरकार और संसद दोनों को इसके प्रावधानों में किसी भी प्रकार के संशोधन से पूर्व भलीभांति विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2011 में निर्धारित की गई लाभार्थियों की संख्या कुछ शर्तों पर आधारित है। इसलिए, सम्मिलित किए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या में संशोधन आंकड़ों के उचित विश्लेषण के आधार पर होना चाहिए।

6.7. भुखमरी और कुपोषण (Hunger and Malnourishment)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) रिपोर्ट की कार्य पद्धति और डेटा की सटीकता व प्रतिदर्श आकार पर प्रश्न चिन्ह आरोपित किए हैं। सरकार ने आरोप लगाया है कि भारत को रैंकिंग प्रदान करने में इस सूचकांक की गणना के दौरान स्वस्थ बच्चों को भी शामिल किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत को वर्ष **2020 के वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) में 94वां स्थान प्रदान किया गया है।** भारत का स्थान पड़ोसी देशों जैसे **बांग्लादेश और पाकिस्तान** से भी नीचे है।
- GHI 2020 में भारत को 100 पॉइंट पैमाने पर 27.2 स्कोर दिया गया है, जिस कारण भारत को **भुखमरी की "गंभीर" श्रेणी** में रखा गया है।

- GHI के अनुसार, समग्र अल्पपोषण के संदर्भ में,
    - भारत की 14% आबादी को पर्याप्त कैलोरी नहीं मिलती है।
    - लगभग **35%** भारतीय बच्चे **ठिगनेपन** (stunted) से ग्रसित हैं।
    - पांच वर्ष से कम आयु के **17.3%** भारतीय बच्चे अपनी आयु की तुलना में **दुबले** (wasted) हैं।
    - पांच वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों की **मृत्यु दर 3.7%** है।

वैश्विक भुखमरी सूचकांक के बारे में

- GHI समकक्षों द्वारा समीक्षा की गई एक वार्षिक रिपोर्ट है, जिसे संयुक्त रूप से **कंसर्न वर्ल्डवाइड (अंतर्राष्ट्रीय लोकोपकारी संगठन)** और **वेल्थंगरहिल्फ़ (जर्मनी का निजी सहायता प्राप्त संगठन)** द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- GHI स्कोर 100 पॉइंट वाले पैमाने पर निर्धारित किया जाता है। 0 को सर्वोत्तम स्कोर (शून्य भुखमरी) और 100 को भुखमरी की सबसे निम्नतम स्थिति माना जाता है। प्रत्येक देश के स्कोर को गंभीरता के अति निम्न से अत्यधिक चिंताजनक तक के स्तर में वर्गीकृत किया जाता है।

GHI की संरचना
3 आयाम और 4 संकेतक

 अपर्याप्त खाद्य आपूर्ति ***अल्प पोषण %***	 **बाल अल्पपोषण** ***पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर %***	 **बाल मृत्यु दर** ***दुबलापन %*** ***ठिगनापन %***
• यह आयाम अपर्याप्त खाद्य आपूर्ति / उपलब्धता का मापन करता है, जो भुखमरी का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। • बच्चों और वयस्कों अर्थात् संपूर्ण जनसंख्या को संदर्भित करता है। • SDGs सहित भुखमरी से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए एक प्रमुख संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है।	• मृत्यु वस्तुतः भुखमरी का सर्वाधिक गंभीर परिणाम है तथा बच्चे इसके प्रति अधिक सुभेद्य होते हैं। • यह सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को प्रतिबिंबित करने के लिए वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) की क्षमता में सुधार करता है। • दुबलापन और ठिगनापन, अल्पपोषण से जुड़े मृत्यु के जोखिम को केवल आंशिक रूप से निरूपित करते हैं।	• यह कैलोरी की उपलब्धता के अतिरिक्त अन्य पहलुओं को भी शामिल करता है, जैसे- यह आहार की गुणवत्ता और उसके उपभोग के पहलुओं को भी शामिल करता है। • विशेष रूप से बच्चे पोषक तत्वों की कमी के प्रति सुभेद्य होते हैं। • यह परिवार में भोजन के असमान वितरण को भी प्रतिबिंबित करता है। • दुबलापन और ठिगनापन, SDGs के लिए पोषण संबंधी संकेतक हैं।

भारत में भुखमरी और कुपोषण की स्थिति

- वर्ष 2017-18 में संकलित **व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण (CNNS)** में प्रतिदर्श आंकड़ों के आधार पर उल्लेख किया गया था कि पांच वर्ष से कम आयु वर्ग के 36% बच्चे ठिगनेपन से ग्रसित हैं अर्थात् उनकी लंबाई उनकी आयु के अनुसार कम है। 29% दुर्बलता से प्रभावित हैं अर्थात् उनकी लंबाई के अनुसार उनका वजन कम है। 45% का वजन कम है अर्थात् उनकी आयु के अनुसार वजन कम है।

 ©Vision IAS

- इसके अतिरिक्त, स्कूल जाने से पूर्व की आयु वाले 41% बच्चे, स्कूल जाने की आयु वाले 24% बच्चे और 28% किशोर रक्ताल्पता से ग्रसित थे।

- वर्ष 2015-16 के **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-4 के आंकड़ों** की तुलना में CNNS में दुबले, ठिगने और कुपोषित बच्चों में क्रमश: 4%, 3.7% और 2.3% सुधार दृष्टिगोचर हुआ है।

कुपोषण का प्रभाव

- कुपोषित बच्चे और किशोरों को **दुर्बल शारीरिक वृद्धि, निम्न रोग प्रतिरोधक क्षमता, निम्नस्तरीय मानसिक विकास एवं मृत्यु** का अधिक खतरा होता है।
- अत्यधिक वजन और मोटापे की स्थितियों से **गैर-संचारी रोगों जैसे कि मधुमेह, हृदय रोग एवं हाइपरटेंशन का अधिक खतरा रहता है।**
- **सूक्ष्म पोषक तत्वों की अल्पता रुग्णता और मृत्यु का महत्वपूर्ण कारक है।** इसके कारण विशेषतया नवजातों और स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चों में दिव्यांगता-समायोजित जीवन वर्षों (Disability Adjusted Life Years DALYs) की अत्यधिक हानि होती है।
- रक्ताल्पता जैसी स्थिति **मनोप्रेरणा (Psychomotor) और मस्तिष्क के विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है।** इससे कमजोरी, थकान और निम्नस्तरीय उत्पादकता जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। साथ ही, इससे लोगों में संक्रमण की प्रवृत्ति में भी वृद्धि होती है।

संबंधित अवधारणाएं

- **भुखमरी (Hunger) का संबंध सामान्यतः** पर्याप्त कैलोरी के अभाव वाले संकट से है। संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन (FAO) भोजन से वंचना या अल्पपोषण को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित करता है, जहां किसी व्यक्ति के लिंग, आयु, कद और शारीरिक गतिविधि के स्तर को देखते हुए वह व्यक्ति एक स्वस्थ एवं उत्पादक जीवन जीने तथा शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए बहुत कम कैलोरी ग्रहण करता है।
- **अल्पपोषण (Undernutrition),** कैलोरी के उपभोग के संकट से भी बड़ी समस्या है। यह **ऊर्जा, प्रोटीन, और/या आवश्यक विटामिन व खनिज** में से कोई या सभी की कमी को संदर्भित करता है। अल्पपोषण, या तो मात्रा या गुणवत्ता के आधार पर भोजन की पर्याप्त मात्रा ग्रहण न करना, संक्रमण या अन्य रोगों के कारण शरीर द्वारा पोषकों तत्वों का निम्नस्तरीय उपयोग या इन सभी कारकों का संयुक्त परिणाम हो सकता है।
- **कुपोषण (Malnutrition):** यह अधिक व्यापक रूप से अल्पपोषण (खाद्य के अभाव के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं) और अत्यधिक पोषण (असंतुलित आहार से उत्पन्न होने वाली समस्याएं) दोनों से संबंधित है।
- **रक्ताल्पता (Anemia):** यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं या उनकी ऑक्सीजन वहन क्षमता शरीर की कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में अपर्याप्त होती हैं। शरीर-क्रियात्मक आवश्यकताएं आयु, लिंग, कद, धूम्रपान की आदत और गर्भावस्था के दौरान भिन्न-भिन्न होती हैं।

पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **पोषण (POSHAN) अभियान:** इसे वर्ष 2018 में आरंभ किया गया था। यह कई मंत्रालयों के समन्वय पर आधारित मिशन है। इसका उद्देश्य **वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत** के लक्ष्य को चरणबद्ध रूप से प्राप्त करना है। इसे समन्वित और परिणामोन्मुखी कार्यप्रणाली को अपनाकर जीवन चक्र प्रबंधन दृष्टिकोण के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।
- **मध्याह्न भोजन:** आंगनवाड़ी के साथ-साथ प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के माध्यम से बच्चों (और गर्भवती के साथ-साथ दूध पिलाने वाली माताओं को भी) को निशुल्क भोजन प्रदान किया जाता है। इसने कुपोषण कम करने के लिए निगरानी करने और साथ ही कुपोषण कम करने संबंधी प्रयासों में महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभाई है।
- **भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने प्रसंस्करित खाद्य उत्पादों** जैसे कि नाश्ते में उपयोग होने वाले अनाज, बिस्किट, ब्रेड आदि **की क्षमता और गुणवत्ता बढ़ाने (फोर्टिफाइड) के लिए सूक्ष्मपोषक तत्वों के अनुमेय स्तर** के उपयोग के लिए नियम अधिसूचित किए हैं। इसका उद्देश्य सूक्ष्म पोषक तत्वों से समृद्ध उत्पादों का संतुलित उपभोग सुनिश्चित करना है।
  - कंपनियां अपने उत्पादों की क्षमता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आयरन, फोलिक एसिड, जिंक, विटामिन बी12, विटामिन ए और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग कर सकती हैं।

 ©Vision IAS

- **एनीमिया (रक्ताल्पता) मुक्त भारत अभियान** का उद्देश्य वर्ष 2018 और वर्ष 2022 के दौरान बच्चों, किशोरों और प्रजनन क्षमता आयु (15-49 वर्ष) वर्ग वाली महिलाओं के मध्य रक्ताल्पता की व्यापकता में प्रति वर्ष 3 प्रतिशत की दर से कमी करना है।
- **समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) योजना** भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। इसका लक्ष्य 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में सुधार करना है।
- **झारखंड सरकार का एनीमिया और कुपोषण के उन्मूलन के लिए रणनीतिक कार्रवाई (SAAMAR-Strategic Action for Alleviation of Malnutrition and Anemia Reduction) अभियान:** इसका उद्देश्य रक्ताल्पता से ग्रस्त महिलाओं और कुपोषित बच्चों की पहचान करना है और राज्य में जहाँ भी कुपोषण की समस्या गंभीर है वहां उससे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना है। इस अभियान का लक्ष्य मुख्य रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (Primarily Vulnerable Tribal Groups) को भी इसमें सम्मिलित करने का प्रयास करना है।

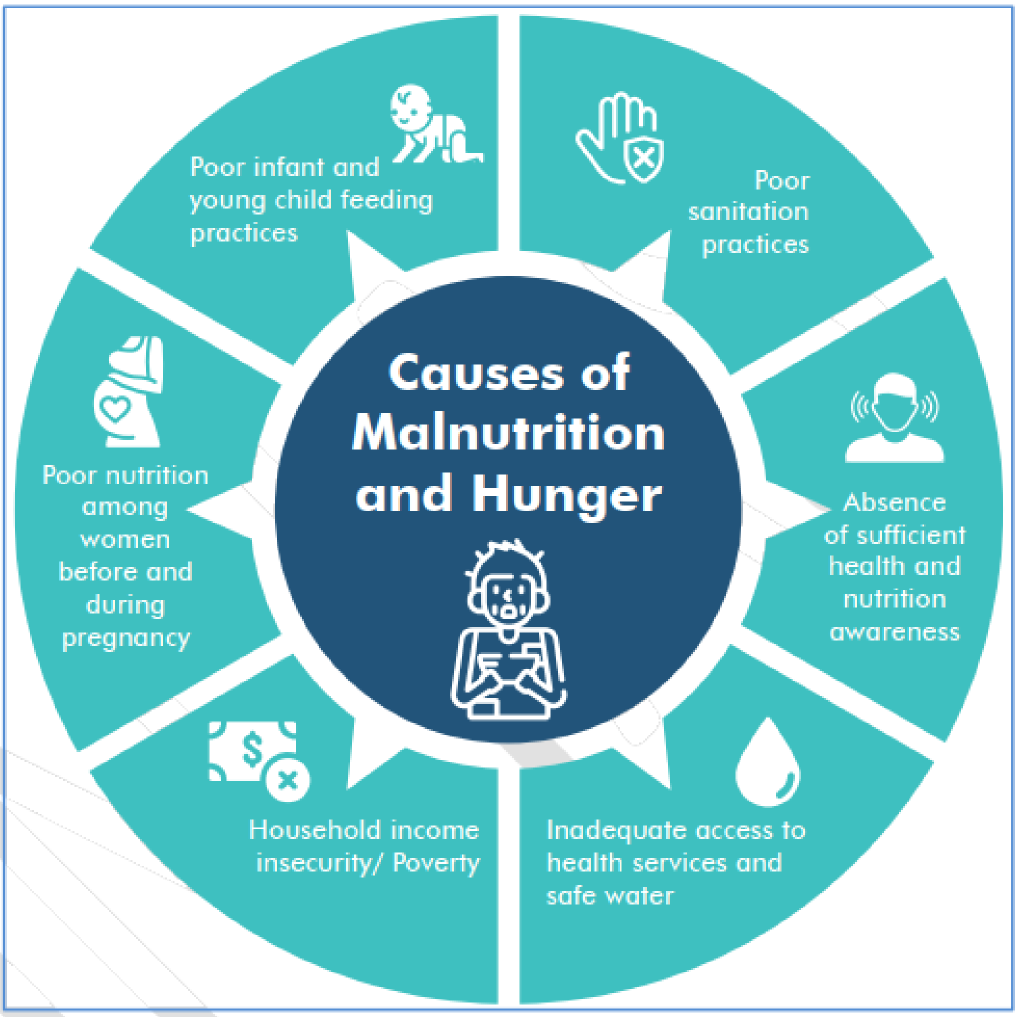

भारत में कुपोषण से निपटने के प्रयासों के समक्ष चुनौतियां

- **योजनाओं का अकुशल कार्यान्वयन:** शीर्ष-पाद उपागम (अर्थात् शीर्ष अधिकारियों द्वारा योजनाएं बनाना और उसे अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कार्यान्वित करना) कार्यशैली, निम्नस्तरीय कार्यान्वयन प्रक्रियाएं, प्रभावी निगरानी का अभाव व कुपोषण से निपटने में सरकारी योजनाओं में समन्वय की कमी सामान्यतः निम्नस्तरीय पोषण सूचकांक के रूप में प्रकट होता है।
- **योग्य मानव संसाधन का अभाव:** कई कामगार निम्न वेतन और अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण पोषण की समस्या का समाधान करने में प्रभावी भूमिका निभाने में असक्षम होते हैं।
- **कोविड-19 वैश्विक महामारी ने वैश्विकृत खाद्य प्रणाली की दुर्बलता को प्रकट किया है:** इसके कारण निम्न और मध्यम आय वाले देशों की खाद्य आयात पर निर्भरता में वृद्धि हुई है; स्थानीय किसानों, किसान संघों और लघु जोत-धारक उन्मुखी मूल्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में अपर्याप्त निवेश हुआ है तथा आहार से संबंधित गैर-संचारी रोगों की दरों में वृद्धि हुई है।
- **खाद्य पदार्थों का अपव्यय:** भारत में कुल वार्षिक खाद्य उत्पादन का 7% और फल एवं सब्जियां का 30% भंडार गृह व शीत भण्डारण की अपर्याप्त सुविधा के कारण बर्बाद हो जाता है।
- **महिलाओं की स्थिति:** भारतीय महिलाएं बच्चों की पोषण, स्तनपान और देखभाल को पर्याप्त रूप से पूर्ण नहीं कर पाती हैं। इसका कारण समाज में उनकी प्रस्थिति जैसे कि अल्प आयु में विवाह, गर्भावस्था के दौरान अल्प वजन और उनका शिक्षा का निम्न स्तर है।

 ©Vision IAS

- **आहार और जीवनशैली में परिवर्तन:** बाजार की व्यापकता के कारण उच्च वसा, शर्करा और नमक युक्त भोजन व पेय पदार्थ सस्ते हो गए हैं और साथ ही, इन उत्पादों की उपलब्धता भी सुगम हो गई है। इसके परिणामस्वरूप, अधिक वजन वाले और आहार से संबंधित गैर संचारी रोगों जैसे हृदय रोग व मधुमेह के प्रति सुभेद्य बच्चों एवं वयस्कों की संख्या में वृद्धि हुई है।
- **सामाजिक संरचना:** कई योजनाओं का लाभ समाज के वृहद भाग विशेषकर हाशिए पर स्थित जनजातियों और दलितों तक नहीं पहुंचता है, जिससे वे वितरण प्रणाली से स्वयं को वंचित अनुभव करते हैं।

संबंधित सुर्ख़ियाँ: भुखमरी का हॉटस्पॉट (Hunger Hotspots)

- संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) और विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ने 20 देशों में अतिशीघ्र लोक कल्याणकारी कार्य करने के संबंध में पूर्व चेतावनी जारी की है। **इन देशों की व्यापक आबादी के समक्ष भोजन संबंधी तीक्ष्ण उच्च असुरक्षा की बदतर स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है।** इससे उनका जीवन और आजीविका दोनों के समक्ष संकट उत्पन्न हो जाएगा, FAO ने इन देशों को **"हॉटस्पॉट"** कहा है।
- इन देशों में **भुखमरी को बढ़ावा देने वाले कई कारणों से भोजन संबंधी तीक्ष्ण उच्च असुरक्षा की स्थिति** के और गंभीर होने की संभावना है। भुखमरी को बढ़ावा देने वाले ये कारक परस्पर संबद्ध हैं या एक-दूसरे के प्रभाव को प्रभावित भी करते हैं। इनमें, मुख्य रूप से संघर्षों के कारण उत्पन्न स्थिति, आर्थिक समस्याएं, कोविड-19 द्वारा उत्पन्न सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, मौसम संबंधी चरम घटनाएं और पादप संबंधी कीटों व प्राणियों के रोगों का प्रसार सम्मिलित है।

आगे की राह

- **कुपोषण के आरंभिक लक्षणों की पहचान:** सरकार को बच्चों में दुबलेपन के लक्षणों का आरंभ में ही पता लगाने और उनका उपचार करने के लिए संबंधित सेवाओं को पुनः सक्रिय करना चाहिए और उनकी संख्या में भी वृद्धि करनी चाहिए। भुखमरी का पता लगाने और उससे निपटने के लिए सरकारों को ऐसा डाटा उपलब्ध कराना चाहिए जो सामयिक हो, व्यापक हो और साथ ही आय, स्थान एवं लिंग के अनुसार वर्गीकृत किया गया हो।
- **नियमित उन्मुखीकरण कार्यक्रमों का आयोजन:** संबंधित कर्मचारियों को प्रत्येक बच्चे की वृद्धि का पता लगाने के लिए उपलब्ध नई तकनीकों से अवगत कराने और संबंधित योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन में उनकी सहायता हेतु आवश्यक कार्यक्रमों का आयोजन भी करना चाहिए।
- **महिलाओं और किशोरियों पर ध्यान देना:** सभी किशोरियों और महिलाओं को पोषण से संबंधित व्यवहारों की समझ के प्रति प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही, उन्हें उपयुक्त आयु में विवाह करने के संबंध में निर्णय लेने के लिए शिक्षा एवं कौशल प्रदान करने संबधी अवसर भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- **अधिक दक्ष एकीकृत प्रणाली को तैयार और विकास करना:** खाद्य पदार्थों के देश के लोगों की बदलती जीवन-शैली के अनुरूप उत्पादन, प्रसंस्करण, संरक्षण और वितरण के लिए अधिक दक्ष एकीकृत प्रणाली को तैयार एवं विकास करना चाहिए।
- **अत्यधिक सुभेद्य बच्चों की खाद्य सुरक्षा के लिए उनके अधिवास पर ही देखभाल की सुविधा:** गावों से मौसमी प्रवास करने वाले प्रवासियों के बच्चों के लिए उनके गांव के स्कूल को समुदाय आधारित अस्थायी रिहायशी स्कूल में परिवर्तित कर देना चाहिए। इससे बच्चों को भोजन और शिक्षा दोनों प्राप्त हो सकेंगी तथा उन्हें प्रत्येक वर्ष अपने अभिभावकों के साथ प्रवास नहीं करना पड़ेगा।
- **कृषि और पोषण के संबंध में औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना:** इसके तहत औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा को स्थानीय दशाओं के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए।

6.8. विश्व के देशज लोगों की स्थिति (State of the World's Indigenous Peoples)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा **विश्व के देशज लोगों की स्थिति: भूमि, क्षेत्रों तथा संसाधनों पर उनके अधिकार (State of the world's indigenous peoples: Rights to Land, territories and resources)** नामक रिपोर्ट जारी की गई है ।

रिपोर्ट के निष्कर्ष

- रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2030 तक निर्धनता उन्मूलन एवं संधारणीय विकास हेतु सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति के लिए **देशज लोगों के भूमि संबंधी अधिकारों और भूधृति को मान्यता प्रदान करना तथा उसका संरक्षण करना** अत्यंत महत्वपूर्ण है।

- आधुनिक युग के संपूर्ण विश्व में ऐसे समुदायों की संसाधनों तक पहुँच एवं उन पर अधिकार का धीरे-धीरे समाप्त होने का इतिहास रहा है।
- इस रिपोर्ट में UN से **संधारणीय विकास संबंधी रूपरेखा में देशज लोगों तथा उनके संगठनों को सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।**
- इस संदर्भ में, भारत में देशज लोगों की दशा/स्थिति का विश्लेषण तथा अध्ययन आवश्यक है।

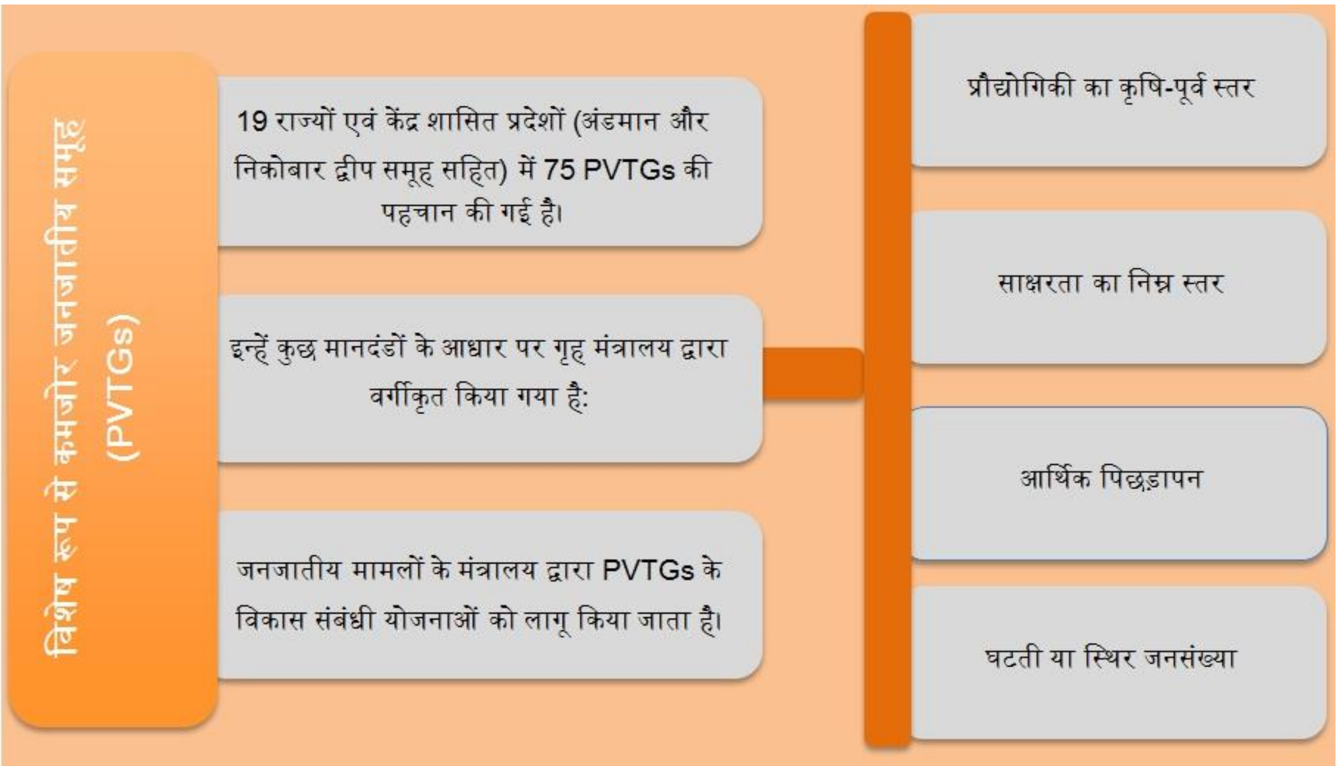

देशज लोगों (Indigenous peoples) के बारे में

- देशज लोग वस्तुतः **लोगों एवं पर्यावरण से संबंधित विशिष्ट संस्कृतियों और रीतियों के उत्तराधिकारी व उपयोगकर्ता** होते हैं।
- इन्होंने अपनी अनूठी **सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विशेषताओं** को बनाए रखा है, जो उन समाजों की विशेषताओं से पूर्णतया पृथक है, जिसमें वे रहते हैं।
- भारत के देशज लोगों की जनसंख्या **लगभग 104 मिलियन या संपूर्ण जनसंख्या का 8.6% है। इनमें से लगभग 90% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।**
    - भारत में, **705 नृजातीय समूहों को अनुसूचित जनजातियों (STs) के रूप में अधिसूचित किया गया है।** ये भारत में 30 राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में अधिवासित हैं। इन्हें **भारत के देशज लोग** समझा जाता है। इनमें से **75 को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Groups: PVTGs)** के रूप में चिन्हित किया गया है।
    - **देशज लोगों के जन्मजात अधिकार:**
        - इसमें उनके पूर्वजों की भूमि, क्षेत्रों तथा संसाधनों पर उनका **सामूहिक एवं व्यक्तिगत अधिकार** सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त इसमें भूमि, क्षेत्रों तथा संसाधनों का प्रबंधन एवं नियंत्रण करने का अधिकार भी शामिल है।
        - अपनी भूमि तथा क्षेत्रों की सीमा में **स्वयं की संस्थाओं द्वारा स्वशासन।**
        - अपनी भूमि, क्षेत्रों, संसाधनों तथा लोगों को संलग्न करते हुए किए गए संरक्षण संबंधी तथा विकासात्मक कार्यवाहियों से प्राप्त लाभ का **उचित एवं समान साझाकरण।**
        - अपने परम्परागत ज्ञान का **संरक्षण, विकास, उपयोग तथा सुरक्षा करना।**

भारत में देशज लोगों के समक्ष चुनौतियाँ

- **शिक्षा तक पहुँच का अभाव:** देशज लोगों की उनकी भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक रूप से हाशिए की स्थिति के कारण शिक्षा तक पहुंच का अभाव है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा प्रणालियाँ तथा पाठ्यक्रम देशज लोगों की विविधतापूर्ण संस्कृतियों का सम्मान नहीं करती हैं।

 ©Vision IAS

- **स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ:** देशज लोगों द्वारा मुख्यधारा की जनसंख्या की तुलना में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं तक सीमित पहुँच के कारण स्वास्थ्य संबंधी कई चुनौतियों जैसे कीटनाशक एवं निष्कर्षण संबंधी उद्योगों के परिचालन से होने वाले रोग, कुपोषण, मधुमेह, HIV/AIDS इत्यादि का सामना किया जाता है।
- **मानवाधिकार का उलंघन:** अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों की स्थापना संबंधी विकास के बावज़ूद भी देशज लोगों के मानवाधिकारों का गंभीर उलंघन (प्रायः उनके अधिकारों, भूमि तथा उनके समुदायों की रक्षा करने के दौरान) होता है।
- **भूमि से वंचित होना:** आर्थिक नीतियों, वैश्वीकरण, कृषि हेतु उपजाऊ भू-क्षेत्रों की खोज तथा प्राकृतिक संपदा संबंधी आवश्यकताओं के कारण देशज लोगों को उनकी परम्परागत भूमि या क्षेत्रों से वंचित करना देशज लोगों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं में से एक मुख्य समस्या है।
- **देशज परंपरागत ज्ञान का क्षय, ह्रास तथा संबंधित ख़तरे:** देशज लोगों के परम्परागत ज्ञान तथा उनकी प्रथाओं को निम्नतर समझा जाता है और उनकी उपेक्षा की जाती है। इससे इस ज्ञान के समक्ष नष्ट होने, लुप्त होने या दुरुपयोग किए जाने का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके परिणामस्वरूप, बाजार में देशज संस्कृति से संबंधित उपलब्ध नकली व मिथ्या निरूपण वाले उत्पादों का प्रसार और इसमें संलग्न कथित संघों द्वारा लाभ संबंधी उद्देश्यों हेतु देशज संस्कृति का वस्तुकरण एक गंभीर समस्या बन गई है।
- **वन संबंधी मुद्दे:** वन, देशज लोगों को निर्वाह हेतु सुरक्षित साधनों तक पहुंच प्रदान करके उनके भौतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्थिक विकास को ध्यान में रख कर बनाए गए वन सबंधी क़ानून देशज लोगों के लिए महत्वपूर्ण वन अधिकार अधिनियम को अक्षम करते हैं।
    - वर्ष 2019 में, उच्चतम न्यायालय ने 8 मिलियन आदिवासियों तथा वन निवासियों को विस्थापित करने का आदेश दिया था।
- **विधिक दोष:** विधिक दोष, विद्यमान रक्षोपायों का निम्नस्तरीय प्रवर्तन, नौकरशाही की उदासीनता तथा कारपोरेट द्वारा देशज लोगों के मानवाधिकारों की उपेक्षा करना आदि अन्य चुनौतियां हैं। इसके अतिरिक्त, उनकी मांगों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रावधान

- **देशज तथा आदिवासी जन अभिसमय (Indigenous and Tribal Peoples Convention), 1957:**
    - यह स्वतंत्र देशों में देशज लोगों तथा आदिवासी एवं अर्द्ध-आदिवासी जनसंख्या के संरक्षण एवं एकीकरण संबंधी देशज लोगों के अधिकारों का प्रबंधन करने वाली प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
    - **अनुच्छेद 1** में यह उपबंध किया गया है कि देशज या आदिवासी के रूप में स्व-पहचान को ही उन समूहों के निर्धारण के लिए एक मौलिक मानदंड माना जाएगा, जिन पर अभिसमय के प्रावधान लागू होते हैं।
    - इसे **देशज तथा आदिवासी जन अभिसमय** (Indigenous and Tribal Peoples Convention), **1989** द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
- **देशज लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples):** इस घोषणा का **अनुच्छेद 33** स्व-पहचान (**self-identification**) की महत्ता को रेखांकित करता है। इसके अनुसार **देशज लोगों स्वयं ही देशज के रूप में पहचान को निर्धारित करते हैं।**

इस समस्या के समाधान हेतु आवश्यक उपाय

- **शिक्षा:** समुदाय आधारित शिक्षा तथा भाषा संबंधी कार्यक्रमों के लिए राज्यों द्वारा पर्याप्त वित्तपोषण उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। साथ ही, देशज समुदायों और राज्यों की शिक्षा संरचनाओं तथा नीति निर्माताओं के मध्य साझेदारी से विश्वविद्यालय संबंधित पाठ्यक्रम के विकास में सहायता कर सकते हैं।
- **स्वास्थ्य देखभाल:** देशज लोगों को बिना किसी भेदभाव के सभी सामाजिक एवं स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त करने का अधिकार है, जिन्हें सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, देशज लोगों को सतत रूप से स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों, योजनाओं, परियोजनाओं तथा नीतियों में समावेशित करने की आवश्यकता है।
- **विधियों का कार्यान्वयन:** सरकार द्वारा इस संदर्भ में व्याप्त बाधाओं एवं अंतरालों का तत्काल समाधान करना चाहिए तथा **अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम (FRA) तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम (LARR)** का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही, **आदिवासी** क्षेत्रों में किसी भी अवसंरचनात्मक विकास संबंधी कार्यक्रम व खनन संबंधी योजनाओं को प्रतिपादित करने से पहले अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुसार **संबंधित आदिवासी समुदायों की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए।**

- **राष्ट्रीय कार्य योजना:** सरकार को आदिवासी समुदाय के साथ सार्थक परामर्श के माध्यम से व्यवसाय और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) के कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करनी चाहिए।
- **विवादों का समाधान:** भूमि, क्षेत्रों तथा संसाधनों पर देशज लोगों के अधिकारों को पर्याप्त रूप से मान्यता प्रदान करने, उनका सम्मान करने तथा उनका प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए राज्यों को प्रासंगिक विवादों का समाधान करने के उद्देश्य से एक प्रभावी, सुलभ तथा किफायती व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए।

भारत में देशज लोगों के अधिकारों का संरक्षण करने वाले प्रावधान

- **भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची (अनुच्छेद 244)**
  - यह चार राज्यों यथा असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम से भिन्न अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के रूप में निर्दिष्ट क्षेत्रों हेतु प्रशासन एवं प्रबंधन की विशिष्ट प्रणाली की अवधारणा प्रस्तुत करती है।
  - **पांचवी अनुसूची वाले क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था।**
    - संबंधित राज्यों के राज्यपाल के साथ परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा करता है।
    - जनजातीय सलाहकार परिषद।
    - अनुसूचित क्षेत्रों को लागू विधि के मामले में राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विशिष्ट अधिनियम को किसी अनुसूचित क्षेत्र में लागू न करें।
    - संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करेगा।
- **संविधान की छठी अनुसूची**
  - यह **चार राज्यों यथा असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम** राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करता है।
- **भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम (LARR)**
  - इस अधिनियम के अंतर्गत, किसी निजी परियोजना के लिए 80% भू-स्वामियों की सहमति अनिवार्य होती है, सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) वाली परियोजनाओं के लिए 70% भू-स्वामियों की सहमति अनिवार्य होती है तथा सरकारी परियोजनाओं के लिए किसी भी सहमति की अनिवार्यता नहीं होती है।
  - यह अधिनियम 13 विधियों (जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 तथा रेलवे अधिनियम, 1989 आदि) को इसकी परिधि से बाहर रखता है।
  - यदि इस अधिनियम के अंतर्गत अर्जित कोई भूमि, कब्ज़ा लेने की तिथि से पांच वर्षों तक अनुपयोजित रहती है, तो उसे भू-स्वामियों या भूमि बैंक को वापस किया जाएगा।
  - इस अधिनियम के अंतर्गत प्रभावित परिवार के किसी एक सदस्य को पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन संबंधी अधिनिर्णय के एक भाग के रूप में रोज़गार का विकल्प प्रदान किया गया है।
  - इस अधिनियम के अंतर्गत **भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण (LARR)** की स्थापना का प्रावधान किया गया है। किसी व्यक्ति के अधिनियम के अधीन प्रदत्त अधिनिर्णय से संतुष्ट न होने की स्थिति में इस प्राधिकरण से संपर्क किया जा सकता है।
- **अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006**
  - इसका उद्देश्य वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासी के **वन अधिकारों तथा उपजीविका को मान्यता प्रदान करना एवं निहित करना है।**

6.9. विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 (World Happiness Report 2021)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क** (Sustainable Development Solution Network: SDSN) द्वारा **विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021** जारी की गयी।

सतत विकास समाधान नेटवर्क (Sustainable Development Solutions Network)

- यह संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्वावधान में **वर्ष 2012 से परिचालन में है।**
- सतत विकास लक्ष्य (SDG) और पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन सहित सतत विकास के लिए व्यावहारिक समाधान को बढ़ावा देने हेतु **SDSN वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक तथा तकनीकी विशेषज्ञता जुटाने का कार्य करता है।**

- SDSN वार्षिक **SDG सूचकांक तथा डैशबोर्ड वैश्विक रिपोर्ट (Dashboards Global Report) का प्रकाशन भी करती है।**

विश्व खुशहाली रिपोर्ट, 2021 के बारे में

- विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 (World Happiness Report 2021), **खुशहाली पर कोविड-19 के प्रभावों और इस रोग के कारण होने वाली मृत्युओं को कम करने में देशों की सफलताओं में व्याप्त भिन्नताओं तथा संयोजित व स्वस्थ समाजों को बनाए रखने में उनकी क्षमताओं की विविधताओं** पर केंद्रित है।
- इस वर्ष **रिपोर्ट में दो रैंकिंग प्रदान की गयी हैं:**
  - सामान्य रैंकिंग, गैलप (अमेरिकी विश्लेषणात्मक तथा परामर्शक कंपनी) द्वारा वर्ष 2018-2020 के दौरान के **औसत तीन वर्ष के सर्वेक्षण पर आधारित** है।
  - **दूसरी रैंकिंग केवल वर्ष 2020 पर आधारित है।** इसका उद्देश्य व्यक्तिपरक खुशहाली पर वैश्विक महामारी के प्रभाव तथा महामारी के परिणामों को खुशहाली के समर्पित कारकों ने किस प्रकार प्रभावित किया है, जैसे विषयों को समझने में सहायता प्रदान करना है।
- इस सर्वेक्षण के तहत उत्तरदाताओं को **उनके स्वयं के जीवन को 0 से 10 के पैमाने पर मूल्यांकन करने को कहा गया** (10: सर्वोत्तम संभव तथा 0: निम्नतम संभव) है।

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष पाँच देश, यथा-** फिनलैंड **(लगातार चौथे वर्ष** सूची में शीर्ष पर रहा), आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड तथा नीदरलैंड थे।
- **कुल 149 देशों की सूची में भारत का स्थान 139वाँ है, जो विगत वर्ष (2020 में 144वां स्थान) की अपेक्षा कुछ बेहतर स्थिति को इंगित करता है।**
- भारत के पड़ोसी देशों में **पाकिस्तान का स्थान 105वां, बांग्लादेश का स्थान 101वाँ तथा चीन का स्थान 84वाँ है।**
- **इस रिपोर्ट में अफगानिस्तान को निम्नतम खुशहाली वाला देश माना गया है।**
- यद्यपि यह आश्चर्यजनक है कि **जब लोगों से उनके स्वयं के जीवन का मापन करने को कहा गया,** तो प्राप्त परिणामों से औसत रूप से **खुशहाली के संबंध में गिरावट नहीं देखी गयी।**

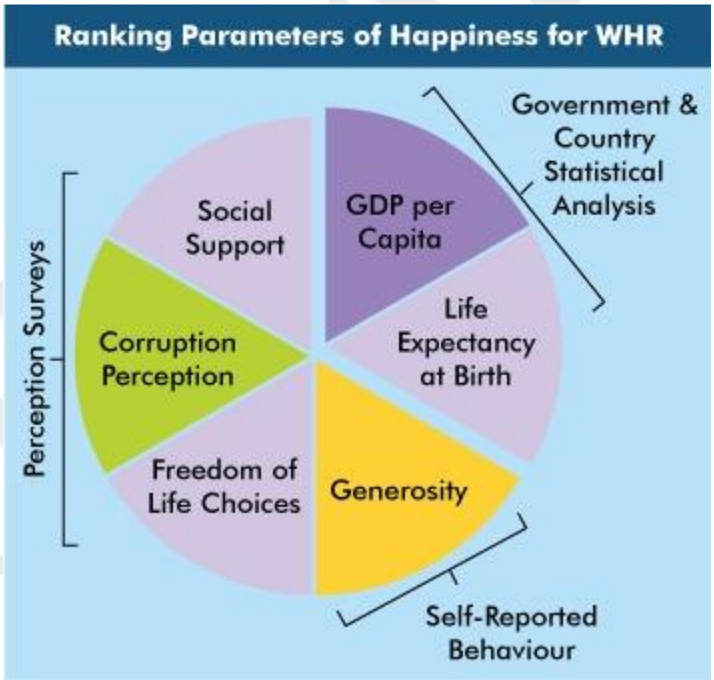

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- **वैश्विक महामारियों तथा** उनके परिणामस्वरूप अधिरोपित लॉकडाउन **दोनों से मानसिक स्वास्थ्य को सर्वाधिक क्षति पहुंची है।** वैश्विक महामारी के प्रकोप के साथ ही संपूर्ण विश्व के अधिकतर देशों में मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में व्यापक पैमाने पर तथा तत्काल गिरावट दर्ज की गयी।
- **एशिया-प्रशांत क्षेत्र में गैर-औषधीय हस्तक्षेपों (Non-Pharmaceutical Interventions: NPIs) की सफलता** ऐसे उपायों के परिणामस्वरूप प्राप्त की गई थी, जो सरकार की सुदृढ़ नियंत्रण नीतियों की व्यवस्था के साथ **शीर्ष से निम्न** (top-down) तथा सरकार को समर्थन देने वाली सामान्य जनता के साथ **ऊर्ध्वगामी** (bottom up) दोनों थे।।
- **उत्तरी अटलांटिक देशों की अधिक व्यक्तिवादी संस्कृति** और सामाजिक मानदंडों की सापेक्षिक शिथिलता ने भी NPIs के लिए लोक समर्थन कम करने में योगदान दिया है।
- **कार्य कर पाने में असमर्थता का लोगों की खुशहाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।** इस वैश्विक महामारी के दौरान व्याप्त बेरोज़गारी से लोगों को जीवन से मिलने वाली संतुष्टि में 12% की गिरावट हुई है तथा नकारात्मक प्रभाव में 9% की वृद्धि हुई है।
- इस रिपोर्ट में, **सामाजिक प्रगति का मूल्यांकन करने तथा प्रभावी नीति निर्माण के लिए** दोनों पहलुओं यथा **जीवन की गुणवत्ता (the quality of life) तथा जीवन अवधि (length of life)** पर ध्यान देने का सुझाव दिया गया है।

- नीति-निर्माताओं को जन्म ले चुके सभी व्यक्तियों की संपूर्ण खुशहाली या कल्याण को ध्यान में रखते हुए **जीवन-अवधि के साथ खुशहाली को समायोजित** करने का अधिकतम लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।

रिपोर्ट के अनुसार, सफल कोविड-19 रणनीतियों का समर्थन करने वाले कारक:

- **सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास**: विश्वस्त सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा सही रणनीति का चयन करने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक थी तथा साथ ही, संबंधित जनसंख्या ने वांछित कार्रवाइयों का समर्थन भी किया।
- **आय की असमानता** ने आंशिक रूप से सामाजिक विश्वास के लिए एक प्रॉक्सी का कार्य किया।
- **सार्स तथा** अन्य पूर्व की वैश्विक महामारियों **से प्राप्त अनुभव।**
- क्या **सरकार की प्रमुख एक महिला थी।**

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर सामजिक मुद्दे से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence: AI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **संयुक्त राज्य अमेरिका- भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (U.S. India Artificial Intelligence: USIAI)** पहल को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रारंभ किया गया है।

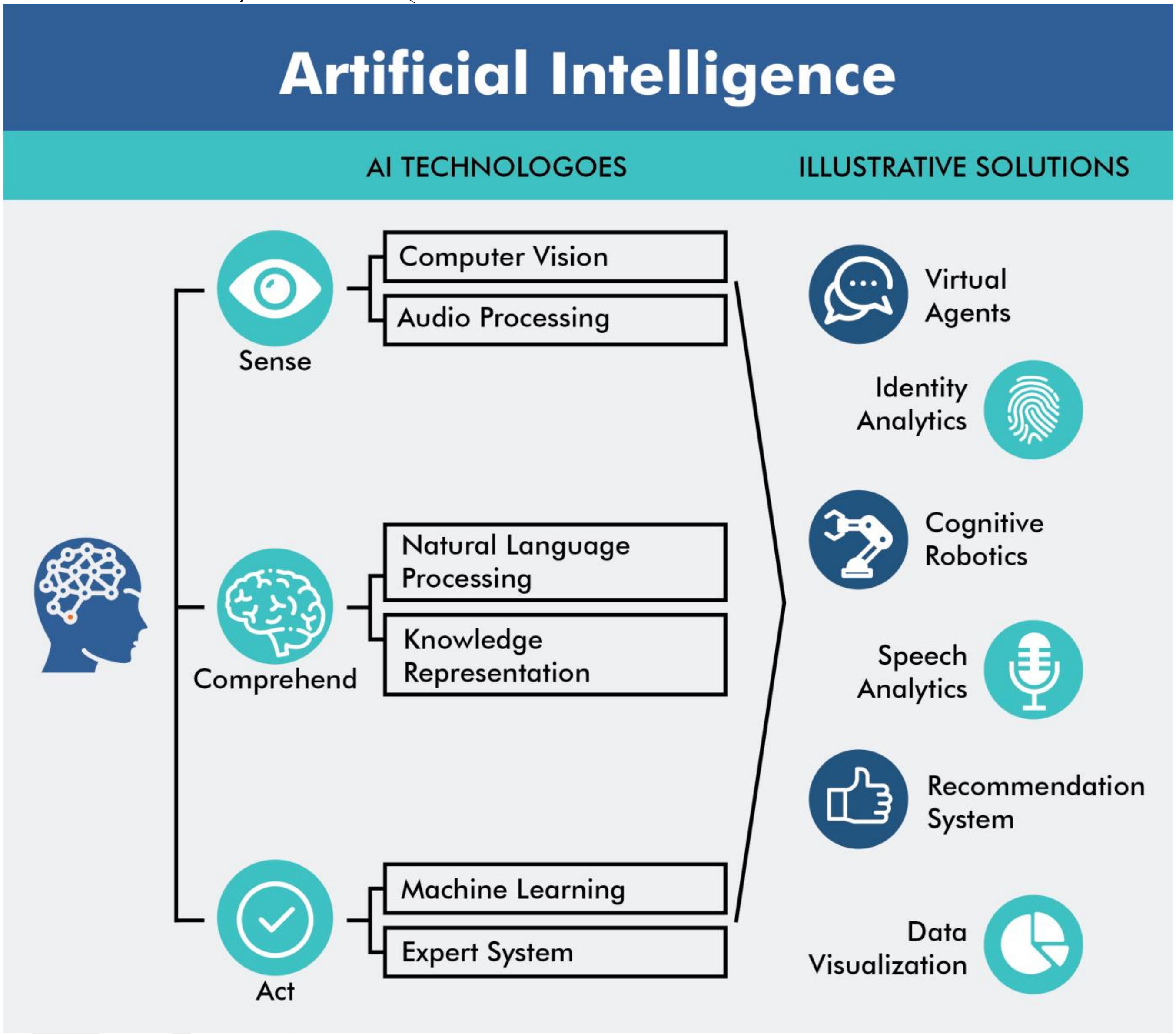

भारत-अमेरिका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंच (Indo-U.S. Science and Technology Forum: IUSSTF)

- इसकी स्थापना मार्च 2000 में **भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारों के मध्य हुए एक समझौते के तहत** हुई थी।
- यह एक **स्वायत्तशासी द्विपक्षीय संगठन है,** जिसे दोनों सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है। इसका उद्देश्य **विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी तथा नवोन्मेष** को सरकारों, शैक्षणिक समुदाय तथा उद्योग जगत के मध्य विचारों के आदान-प्रदान के माध्यम से बढ़ावा देना है।
- इसका परिचालन **दो द्विपक्षीय समझौतों,** यथा- **भारत-अमेरिका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंच (IUSSTF)** तथा **संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रोन्नयन निधि (United States-India Science and Technology Endowment Fund: USISTEF)** के माध्यम से होता है।

- USISTEF का उद्देश्य संयुक्त रूप से विकसित प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण के माध्यम से लोक कल्याण हेतु **संयुक्त रूप से किए गए अनुसंधान एवं विकास (R&D) का सहयोग और प्रोत्साहन करना है।**
- **IUSSTF के लिए** भारत सरकार का **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग** तथा **यू. एस. डिपार्टमेंट ऑफ़ स्टेटस संबंधित केन्द्रीय एजेंसियाँ हैं।**

अन्य संबंधित तथ्य

- संयुक्त राज्य अमेरिका- भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (USIAI), **IUSSTF द्वारा संचालित एक पहल है।**
- **USIAI निम्नलिखित हेतु अवसरों, चुनौतियों के संबंध में चर्चा करने हेतु एक मंच के रूप में कार्य करेगा:**
    - द्विपक्षीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) R&D सहयोग के क्षेत्र में,
    - AI संबंधी नवोन्मेष सक्षम करने में,
    - AI कार्यबल का विकास करने के लिए विचार साझा करने में, और
    - साझेदारियों को बढ़ाने के लिए तंत्र की अनुशंसा करने में।
- इससे विभिन्न क्षेत्रकों यथा कृषि, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, किफायती आवास तथा स्मार्ट शहरों के लिए महत्वपूर्ण समाधान प्राप्त होंगे।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के बारे में

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की शाखा है, जो **मानव बुद्धिमत्ता की नक़ल करने वाले कम्प्यूटरों का निर्माण करती है।** सामान्य हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के विपरीत, AI किसी मशीन को परिवर्तनशील परिवेश को समझने एवं उसके अनुसार प्रतिक्रिया करने में समर्थ बनाता है।
- AI में राष्ट्रीय संवृद्धि दर में 1.3% की वृद्धि करने की क्षमता मौजूद है। साथ ही, यह भी संभावना व्यक्त की गई है कि AI वर्ष 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था में 957 अरब अमेरिकी डॉलर का योगदान कर सकता है।
- **मानव-AI सहयोग/भागीदारी:**
    - **सहयोगात्मक मोड:** मानव द्वारा निर्णय लेने के संदर्भ में पूर्वानुमान संबंधी परिणाम प्रदान कर AI, मानव के साथ कार्य कर सकता है।
    - **कार्य की पुनर्कल्पना:** AI द्वारा ऐसी गतिविधियों को संपन्न किया जाता है जो मानव की संज्ञानात्मक क्षमता के परे हैं। उदाहरण के लिए, जैवसूचना विज्ञान में व्यापक पैमाने पर जीनोम संबंधी अध्ययन।
    - **AI द्वारा मानव को प्रतिस्थापित करना:** यह विशेषतः मानव के लिए संभावित रूप से हानिकारक या खतरनाक स्थितियों जैसे कि नाभिकीय रिएक्टरों के परिवेश एवं त्वरित अनुक्रिया प्रणाली हेतु उपयोगी है।

AI के लाभ एवं अनुप्रयोग

स्वास्थ्य देखभाल	• AI, विशेष रूप से उन ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों का समाधान कर सकता है, जो निम्नस्तरीय कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित आपूर्ति से पीड़ित हैं। • कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारा संचालित नैदानिक प्रक्रिया से संभावित महामारियों की आरंभिक पहचान और इमेजिंग डायग्नोस्टिक्स के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल को सुनिश्चित किया जा सकता है।
शिक्षा और कौशल निर्माण	• AI, भारतीय शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त गुणवत्ता की समस्या और उपलब्धता संबंधी मुद्दों का समाधान कर सकता है। • साथ ही यह व्यक्तिगत अधिगम, स्वचालन और प्रशासनिक कार्यों को गति प्रदान करने के माध्यम से सीखने के अनुभवों में वृद्धि करने और उसे बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है।
कृषि	• AI की मदद से फसल उत्पादन में सुधार करके भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खाद्य क्रांति को प्रारंभ किया जा सकता है। • समयोचित (रियल टाइम) परामर्श के माध्यम से सिंचाई, कीटनाशकों और उर्वरकों के दुरुपयोग से संबद्ध

	चुनौतियों के समाधान में भी सहयोग कर सकता है।
विनिर्माण	• इंजीनियरिंग, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, उत्पादन और गुणवत्ता आश्वासन आदि के क्षेत्र में AI आधारित समाधानों के आधार पर विनिर्माण उद्योग AI के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक हो सकता है।
ऊर्जा	• स्मार्ट मीटर द्वारा सक्षम इंटेलिजेंस ग्रिड के माध्यम से AI ऊर्जा के भंडारण को सक्षम/सुनिश्चित कर सकता है और फोटोवोल्टिक ऊर्जा की विश्वसनीयता और वहनीयता में भी सुधार कर सकता है। • AI को ग्रिड अवसंरचना के अनुमानित रखरखाव के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है।
वित्तीय सेवाएं	• AI द्वारा वित्तीय प्रणालियों में व्याप्त वित्तीय जोखिम और प्रणालीगत विफलताओं का शीघ्र पता लगाया जा सकता है और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों, जैसे- बाजार में हेरफेर, नियम विरुद्ध व्यापार आदि को हतोत्साहित करने के लिए स्वचालन के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है।
रक्षा और सुरक्षा	• AI का उपयोग आसूचना एकत्र करने, साइबर सुरक्षा, जोखिमपूर्ण क्षेत्र के विश्लेषण, मनुष्यों में असामान्य व्यवहार का पता लगाने आदि के लिए किया जा सकता है।
कानून का प्रवर्तन	• कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा भी AI प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा सकता है जिसमें चेहरे की पहचान, आवाज की पहचान, संभावी विश्लेषण आदि शामिल हैं।
आपदा प्रबंधन	• AI में मानव जनित और पर्यावरणीय आपदाओं के उपरांत सुधारात्मक (राहत संबंधी) उपाय और नियंत्रण (बचाव) संबंधी उपाय प्रदान करने की क्षमता है। • उदाहरण के लिए, बुनियादी ढांचे के नुकसान के आकलन में छवि प्रसंस्करण (image processing) और पहचान के साथ मानव रहित ड्रोन और उपग्रह से प्राप्त जानकारी का संयुक्त रूप से उपयोग किया जा सकता है।

भारत में AI के लिए उठाए गए कदम

- भारत साइबर ख़तरों से निपटने तथा डाटा संरक्षण के लिए **वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019** के साथ उचित दिशा में अग्रसर है। इस विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा गया है।
    - इसके अतिरिक्त, भारत ने सुरक्षित, संरक्षित, विश्वसनीय तथा प्रत्यास्थी साइबर स्पेस के निर्माण हेतु **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति, 2020** को भी अपनाया है।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence for Artificial Intelligence)** की स्थापना **राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (National Informatics Center-NIC)** के द्वारा AI के संबंध में नवोन्मेषी नवीन समाधानों के लिए की गई है। यह केंद्र तथा राज्य स्तर NIC द्वारा आरंभ की गई परियोजनाओं के संबंध में समाधानों के परीक्षण एवं विकास करने की व्यवस्था करेगा।
- **INDIAai भारत का राष्ट्रीय AI पोर्टल है।** यह भारत तथा उसके बाहर AI के लिए एक केन्द्रीय हब है। यह **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग (National e-Governance Division) तथा NASSCOM की एक संयुक्त पहल थी।**
- **राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एवं सेवा कंपनी संघ (NASSCOM) ने 'भविष्य संबंधी कौशल हेतु प्रमुख पहल (Future Skills Prime initiative)' की शुरुआत की है।** इसका उद्देश्य एक ऐसे पारितंत्र को बढ़ावा देना है, जो दूरस्थ और स्वयं के समय अनुसार अध्ययन करने जैसे विकल्पों के माध्यम से कौशल के उपयुक्त समुच्चय के साथ भारत की डिजिटल प्रतिभा में सुधार और वृद्धि करता हो।
- **भारत के पास स्वयं का प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशिष्ट क्लाउड कंप्यूटिंग अवसंरचना "ऐरावत" (AI रिसर्च, एनालिटिक्स और नॉलेज एसिमिलेशन प्लेटफॉर्म-AIRAWAT) है।** इसका विकास उन्नत AI प्रोसेसिंग क्षमताओं के साथ बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए क्लाउड कम्प्यूटिंग से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए किया गया था।

- एक नीति संबंधी रूपरेखा के निर्माण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए पारितंत्र के विकास के लिए MeitY ने चार **समितियों का गठन किया है जिनमें AI के सभी पहलू समाहित हैं।**
    - AI के लिए प्लेटफ़ॉर्म तथा डाटा से संबंधित समिति;
    - महत्वपूर्ण क्षेत्रकों में राष्ट्रीय मिशनों की पहचान के लिए AI के उपयोग हेतु समिति;
    - प्रौद्योगिकीय क्षमता, महत्वपूर्ण नीतियों को सक्षमता प्रदान करने वाले कारकों, कौशल निर्माण, पुनःकौशल निर्माण, R&D के मानचित्रण हेतु समिति;
    - साइबर-सुरक्षा, संरक्षा, विधिक तथा नैतिक मुद्दों के लिए समिति।

भारत में AI के अंगीकरण के समक्ष प्रमुख चुनौतियां

भारतीय डाटा सुरक्षा परिषद् (Data Security Council of India: DSCI) ने भारत में AI आधारित समाधानों के व्यापक स्तर पर अंगीकरण के मार्ग में आने वाली प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित किया है। ये निम्नलिखित हैं:

- **डाटा सुरक्षा तथा निजता संबंधी मुद्दे:** AI आधारित समाधान व्यापक मात्रा में गोपनीय डाटा पर आधारित होते हैं जो प्रायः संवेदनशील एवं व्यक्तिगत प्रकृति के होते हैं। इससे साइबर ख़तरों और भू-राजनैतिक ख़तरों जैसी विभिन्न निजता एवं सुरक्षा संबंधी सुभेद्यताओं का सामना करना पड़ सकता है।
- **सीमित AI विशेषज्ञता:** AI के लिए उच्च स्तर पर प्रशिक्षित तथा कुशल पेशेवरों की आवश्यकता होती है, लेकिन उभरती हुई प्रौद्योगिकी होने के कारण इसके लिए आवश्यक दक्ष कार्यबल का अभाव है। मैकिन्से के अनुसार, "किसी कंपनी का डिजिटल कार्यक्रम कितना भी उन्नत क्यों न हो, दक्ष कार्यबल का अभाव AI के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।"
- **निवेश का अभाव:** इसके कार्यान्वयन में आने वाली उच्च लागत के कारण बहुत से संगठन AI आधारित समाधानों को लागू नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी विनिर्माण एवं उत्पादन संयंत्र को मानव संचालित व्यवस्था से स्व-चालित व्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए बहुत अधिक पूँजी निवेश की आवश्यकता पड़ेगी ताकि इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IIoT) तथा उद्योग 4.0 के अन्य घटकों का एकीकरण किया जा सके।
- **AI तथा क्लाउड कम्प्यूटिंग अवसंरचना का अभाव:** AI तथा क्लाउड को पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि AI को सक्षम करने के लिए अत्यधिक डेटा का उपयोग किया जाता है इसलिए इस व्यापक डेटा का संग्रहण करने के लिए अत्यधिक संग्रहण (storage) क्षमता की आवश्यकता होती है। हालांकि, सामर्थ्य होने के बावज़ूद भी भारत में विशेषीकृत कम्प्यूटिंग एवं संग्रहण सुविधाओं की सुलभता का अभाव है।
- **सत्यनिष्ठा एवं नैतिकता का अभाव:** प्रदान किए गए प्रशिक्षण के आधार पर AI अलगोरिथम कार्य करते हैं। यह संग्रहित डाटा तथा स्वयं सीखने संबंधी क्षमता के आधार पर समाधान का पूर्वानुमान प्रस्तुत करता है। यद्यपि कुछ मामलों में AI अलगोरिथम, डाटा की सत्यता की उपेक्षा कर अस्पष्ट परिणाम प्रस्तुत करता है, जो अनैतिक भी हो सकता है।
- **अतिउत्कृष्ट बुद्धिमत्ता:** एक पर्याप्त बौद्धिक AI प्रणाली स्वयं को रि-डिज़ाइन कर सकती है या स्वयं से बेहतर प्रणाली का निर्माण कर सकती है, जिससे भय उत्पन्न हो सकता है। इसलिए अतिउत्कृष्ट बुद्धिमत्ता मानवों के लिए लाभदायक होगी या हानिकारक होगी, चर्चा का विषय है।

आगे की राह

- **अनुप्रयोगों तथा अवसंरचना का विकास:** AI के अनुप्रयोगों के लिए उच्च संगणन क्षमता, विशाल मेमोरी/स्पेस तथा संग्रहण क्षमता की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसी अवसंरचनाओं का निर्माण करने की आवश्यकता है जो AI के विकास में सहायक हों।
    - उदाहरण के लिए, रोगियों को HIV, यौन रोग (STD's), क्षय रोग जैसे मामलों पर उनकी भाषा में परामर्श देने के लिए एक चैटबोट का विकास किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे रोगों को समाज में अछूत रोग समझा जाता है तथा इन मामलों में AI के उपयोग द्वारा इन मुद्दों का समाधान किया जा सकता है साथ ही रोगियों को परामर्श भी प्रदान किया जा सकता है।

- **विनियम तथा नीति:** AI संबंधी अनुप्रयोग मानव जीवन के कई पहलुओं से संबंधित होते हैं, इसलिए लोगों की सुरक्षा, निजता का संरक्षण के लिए विनियमों की आवश्यकता है ताकि लोगों को इस प्रौद्योगिकी से अवगत कराया जा सके और लोगों में इसके प्रति विश्वास भी उत्पन्न किया जा सके।
- **शोध तथा विकास:** R&D और नवोन्मेष संबंधी परियोजनाओं के वितपोषण के लिए सरकार को प्रमुख भूमिका निभानी होगी। भारत को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ इस क्षेत्र में R&D एवं नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कार्यक्रम आरम्भ करने की आवश्यकता है।
  - अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करते समय उद्योग की भागीदारी आवश्यक है। साथ ही, उद्योगों और अन्य हितधारकों से इनपुट प्राप्त करने के लिए अनुसंधान और विकास केंद्रों / शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के मध्य अन्त:क्रिया को सुविधाजन बनाए जाने पर बल दिया जाना चाहिए।
- **मानव संसाधन का विकास:** रोज़गार की हानि से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए कार्यबल को पुनःप्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है ताकि वे प्रक्रियाओं के स्व-चालन से उत्पन्न नवीन रोजगारों को प्राप्त कर सकें।
  - इसके लिए, औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनो ही शिक्षा प्रणालियों का पुनरावलोकन किया जाना चाहिए, ताकि ऐसी श्रम-शक्ति का विकास किया जा सके जो समाज की परिवर्तित होती आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

7.2. लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ब्यूटी एक्सपेरिमेंट {Large Hadron Collider Beauty (LHCb) Experiment}

सुर्ख़ियों में क्यों?

यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख और यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च (सर्न/CERN) के शोधकर्ताओं ने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ब्यूटी (LHCb) एक्सपेरिमेंट में नए परिणाम प्राप्त किए हैं।

लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ब्यूटी (LHCb) एक्सपेरिमेंट के बारे में

- LHCb प्रयोग **जिनेवा के सर्न में स्थित लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC) में किए गए** चार बड़े प्रयोगों में से एक है।
- इसे **'ब्यूटी क्वार्क' युक्त कणों के क्षय का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस क्वार्क** का द्रव्यमान अधिकतम होता है तथा यह पदार्थ की बंधन अवस्था को बनाए रखता है।
  - ब्यूटी क्वार्क का निर्माण सर्न स्थित लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में **उच्च-ऊर्जा प्रोटॉन किरण पुंजों की टक्कर के दौरान होता है।**
    - **क्वार्क मूलभूत अवपरमाणुक कण होते हैं** जो 'शक्तिशाली बल' से एक-दूसरे से अंत:क्रिया करते हैं और साथ ही, यह माना जाता है कि ये **पदार्थ की संरचना के मूलभूत घटकों में से एक हैं।**
    - क्वार्क छह प्रकार के होते हैं जो अपने द्रव्यमान और आवेश संबंधी विशेषताओं के संदर्भ में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इन्हें तीन युग्मों में बांटा गया है, यथा- **अप एंड डाउन (up and down), चार्म एंड स्ट्रेंज (charm and strange), तथा टॉप एंड बॉटम (top and bottom)।**
    - ब्यूटी क्वार्क (बॉटम क्वार्क या बी क्वार्क) **अप एंड डाउन क्वार्क की तुलना में अत्यधिक भारी होते हैं तथा बी क्वार्क युक्त कण भी असामान्य रूप से दीर्घावधि तक अस्तित्व में बने रहते हैं,** जो इन्हे मानक मॉडल के परे भौतिकी संबंधी अनुसंधान करने वाले भौतिकविदों के लिए बहुत उपयोगी बना देता है।
- **मानक मॉडल के अनुसार, क्षय प्रक्रिया में** ब्यूटी क्वार्क का स्ट्रेंज क्वार्क में रूपांतरण होता है और इसके साथ ही, इलेक्ट्रॉन और एंटी-इलेक्ट्रॉन या म्यूऑन और एंटी म्यूऑन का निर्माण होता है।
  - **इलेक्ट्रॉन ऐसे अवपरमाणुक कण होते हैं जो** परमाणु के **नाभिक की परिक्रमा करते हैं** और सामान्यतः इन पर ऋण आवेश होता है। जबकि एंटी-इलेक्ट्रॉन पर धन आवेश होता है जिसे पॉज़िट्रॉन भी कहा जाता है।
  - **म्यूऑन मूलभूत अवपरमाणुक कण होते हैं।** ये **इलेक्ट्रॉन के समान** होते हैं, लेकिन इनसे 207 गुना भारी होते हैं। इनके दो रूप होते हैं- ऋण आवेशित म्यूऑन और धन आवेशित एंटी-म्यूऑन।
- लेकिन **लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ब्यूटी (LHCb) एक्सपेरिमेंट के परिणाम** क्षय प्रक्रिया में मानक मॉडल की तुलना में **विसंगतियों को दर्शाते हैं और चार मूल बलों के अतिरिक्त नए मूल बल की विद्यमानता दर्शाते हैं।**

- मानक मॉडल के चार मूल बल, यथा- **गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व, रेडियोधर्मिता के लिए उत्तरदायी दुर्बल नाभिकीय अंतःक्रिया और पदार्थ को संगठित बनाए रखने वाले प्रबल नाभिकीय बल** हैं।
- इन परिणामों में पाई गयी यह विसंगति **लेप्टोक्वार्क** नामक काल्पनिक कण के संभावित अस्तित्व का संकेत देती है। इलेक्ट्रॉन और म्यूऑन का निर्माण करते हुए ब्यूटी क्वार्क का क्षय होने की प्रक्रिया के दौरान देखे जाने वाले अप्रत्याशित अंतर से लेप्टोक्वार्क का अस्तित्व का अनुमान लगाया गया है।

सर्न (CERN) के बारे में

- यूरोपियन ऑर्गनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च (CERN), वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए विश्व के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। **इसमें पदार्थ के मूल संघटक अर्थात् मूलभूत कणों का अध्ययन करने के लिए** जटिल वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है।
- यहाँ, **अवपरमाणुक कणों को लगभग प्रकाश के समान गति पर एक दूसरे से टकराया जाता है** और उनके मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है ताकि प्रकृति के मूलभूत नियमों के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सके।
- सर्न में उपयोग किए जाने वाले उपकरण निम्नलिखित प्रकार के हैं:
  - कणों के किरण पुंजों को एक दूसरे से टकराने से पूर्व उन्हें उच्च ऊर्जा युक्त गति प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले त्वरक।
  - इन टकरावों के परिणामों को अवलोकन और रिकॉर्ड करने के लिए संसूचक।
- इसकी स्थापना **वर्ष 1954 में, जिनेवा के पास फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड की सीमा पर की गई थी।**
- वर्तमान में सर्न के **23 सदस्य राष्ट्र हैं, हालांकि इसमें भारत एक सहयोगी सदस्य राष्ट्र है।**
- **जापान, रूसी संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और यूनेस्को को** वर्तमान में **पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।**

लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC) के बारे में

- लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC), सर्न के त्वरक परिसर में स्थित **विश्व का सबसे विशाल और सबसे शक्तिशाली कण त्वरक (particle accelerator) है।**
- लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC) में कणों की ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए कई त्वरक संरचनाओं (accelerating structures) सहित 27 किलोमीटर लंबी भूमिगत अतिचालक चुम्बकों से निर्मित वलयाकार संरचना है।
- लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC) के **कणों के किरण-पुंजों को इस वलयाकार त्वरक में चार स्थानों पर एक दूसरे से टकराया जाता है। इन चार स्थानों पर चार कण संसूचकों (particle detectors), यथा- एटलस (ATLAS), CMS, एलिस (ALICE) और LHCb स्थापित हैं।**
- इस परियोजना को आधिकारिक रूप से वर्ष 1997 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसका निर्माण फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड की सीमा पर भूमिगत 16.5 मील (27 किलोमीटर) की लंबाई वाली वलयाकार संरचना के रूप में किया गया है। यह कणों को **प्रकाश के गति के लगभग 99.99 प्रतिशत तक की गति प्रदान कर उनका आपस में टकराव को सक्षम बनाती है।**
- वर्ष 2012 में, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC) के शोधकर्ताओं ने **हिग्स बोसोन की खोज की** घोषणा की, **इस कण का नाम** भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स के नाम पर रखा गया है।
  - हिग्स बोसोन एक ऐसा **मूलभूत कण है जो मूलभूत क्षेत्र (Higgs field) से अपनी अन्तःक्रियाओं के माध्यम से अपना द्रव्यमान प्राप्त करता है।**

7.3. ब्लैक होल का चुंबकीय क्षेत्र (Black Hole's Magnetic Field)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वैज्ञानिकों ने पहली बार किसी ब्लैक होल के चारों ओर विद्यमान चुंबकीय क्षेत्र का अवलोकन किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी और हार्वर्ड कॉलेज ऑब्जर्वेटरी के मध्य सहयोग के तहत कार्य करने वाले खगोलविदों ने पृथ्वी से लगभग 55 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित **M87 या मेसियर 87 नामक मंदाकिनी के केंद्र में सुपरमैसिव (अत्यधिक विशाल) ब्लैक होल की नई तस्वीर** ली है।
- ध्रुवीकृत प्रकाश की तस्वीरें इवेंट होराइजन टेलीस्कोप (EHT) सहयोगात्मक परियोजना द्वारा जारी की गई हैं। यह विश्व के छः विभिन्न स्थानों पर अवस्थित आठ बड़ी रेडियो दूरबीनों का नेटवर्क है।
- वर्ष 2019 में EHT द्वारा ब्लैक होल के छाया वाले अंधेरे क्षेत्र की प्रथम तस्वीर ली गई थी। इस क्षेत्र का आकार ब्लैक होल के इवेंट होराइजन (घटना क्षितिज) के व्यास की तुलना में तीन गुना होने की संभावना है।

घटना क्षितिज (Event horizon)

- **ब्लैक होल का इवेंट होराइजन अर्थात् घटना क्षितिज संबंधित पिण्ड के पलायन वेग से जुड़ा हुआ है। पलायन वेग** किसी पिण्ड की वह गति है जो ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल से बच निकलने के लिए आवश्यक है।
- इवेंट होराइजन, ब्लैक होल के चारों ओर उसे घेरने वाला मंडल होता है जो उस सीमा का निर्धारण करता है जहां **पलायन वेग का मान प्रकाश के वेग से अधिक हो जाता है।**
- **आइंस्टीन के विशिष्ट सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार,** अंतरिक्ष में कुछ भी प्रकाश की गति की तुलना में अधिक तेजी से गमन नहीं कर सकता है।
- इसका अर्थ है कि ब्लैक होल का इवेंट होराइजन (घटना क्षितिज) मूल रूप से **वह बिंदु है जहां से कुछ भी लौट नहीं सकता है** और अर्थात् यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ कुछ भी प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं आ सकता है।

इवेंट होराइजन टेलीस्कोप (EHT)

- EHT एक **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित परियोजना है।** इसे लघु तरंगदैर्ध्यों पर **वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री (VLBI) की क्षमता में सुधार करने हेतु** निरंतर दीर्घकालिक प्रगति को जारी रखने के लिए आरंभ किया गया है।
- इसके तहत यह इवेंट होराइजन वाले दो सुपरमैसिव (अत्यधिक विशाल) ब्लैक होल के उत्सर्जन क्षेत्रों के आकार को मापने के लिए पृथ्वी के आकार के बराबर (इस आभासी आकार को उत्पन्न करने के लिए विश्व के छः विभिन्न स्थानों पर अवस्थित आठ बड़ी रेडियो दूरबीनों को संयोजित रूप से उपयोग किया जाता है) का इंटरफेरोमीटर निर्मित करने के लिए विश्व भर की विभिन्न रेडियो दूरबीनों को संयोजित किया गया है।

ब्लैक होल के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में

- **ब्लैक होल्स अंतरिक्ष में ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक प्रभावी होता है कि प्रकाश भी उससे बाहर नहीं निकल पाता है।** यहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल इसलिए होता है क्योंकि पदार्थ अर्थात् द्रव्य (matter) एक छोटे से स्थान में संकेंद्रित रहता है।
    - वे अदृश्य होते हैं और उन्हें विशेष उपकरणों से युक्त अंतरिक्ष दूरबीनों के माध्यम से ही देखा जा सकता है।
    - ब्लैक होल **बड़े या छोटे** दोनों आकार के हो सकते हैं। सबसे छोटे ब्लैक होल का आकार केवल **एक परमाणु** के बराबर भी हो सकता है।
- इवेंट होराइजन टेलीस्कोप (EHT) से ली गई नई तस्वीर में **ब्लैक होल की परिधि पर पदार्थ द्वारा निर्मित** ध्रुवीकृत प्रकाश, तरंगों का दोलन केवल एक दिशा में दिखाई देता है।
    - जबकि, **अध्रुवित प्रकाश कई भिन्न-भिन्न दिशाओं में दोलन करने वाली प्रकाश तरंगों से बना होता है।**
- **जब प्रकाश कुछ निश्चित माध्यमों से होकर गुजरता है तो यह ध्रुवित हो जाता है।** उदाहरण के लिए, प्रकाश का ध्रुवण, ध्रुवीकृत धूप के चश्मों के लेंस के माध्यम से गुजरने पर होता है या जब प्रकाश अंतरिक्ष के चुंबकीय गर्म क्षेत्रों में उत्सर्जित होता है। यह **ब्लैक होल के चारों ओर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का संकेत देता है।**

- नई ध्रुवीकृत तस्वीरों ने इस बात के नए साक्ष्य प्रस्तुत किए है कि ब्लैक होल के आसपास का चुंबकीय क्षेत्र कितना शक्तिशाली होता है जो अपने कोर से उद्भूत पदार्थ और ऊर्जा की दीप्तिमान धारा को 1,00,000 प्रकाश वर्ष दूर तक प्रक्षेपित करने और बनाए रखने में सक्षम होता है।
- शोध से यह पता चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र इतने प्रबल होते हैं कि ये गर्म गैस को बाहर की ओर धकेल देते हैं और इस प्रकार यह बल गर्म गैसों को ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव का प्रतिरोध करने में सहायता करता है।
    - ब्लैक होल के चुंबकीय क्षेत्र को पार करने वाली गैसें ही इवेंट होराइजन की ओर प्रवाहित हो सकती हैं।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

8. संस्कृति (Culture)

8.1. कुम्भ मेला (Kumbh Mela)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, हरिद्वार (उत्तराखंड) में कुंभ मेला का आयोजन किया गया था।

कुंभ मेले के बारे मे

- पिछले 100 से अधिक वर्षों में पहली बार कुंभ मेला **विशिष्ट शुभ तिथियों के कारण समय से पूर्व आयोजित** किया गया।
    - सामान्यतया, यह **12 वर्ष में एक बार आयोजित** होता है तथा हरिद्वार में पिछला कुंभ वर्ष 2010 में आयोजित किया गया था, जबकि **आगामी वर्ष 2022 में आयोजित किया जाना** था।
- कुंभ मेला तीर्थयात्रियों का एक बड़ा संगम है। ये पवित्र नदी में **स्नान/डुबकी (शाही स्नान) करने** के लिए एकत्रित होते हैं।
    - लोग जाति, पंथ या लैंगिक आधार पर मतभेद किए बिना इस त्यौहार में शामिल होते हैं। वे मानते हैं कि नदी में स्नान करने से व्यक्ति अपने **पिछले पापों (कर्म) से मुक्त** हो जाता है और इस प्रकार व्यक्ति **जन्म एवं मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने का पात्र** बन जाता है।
- कुंभ मेले के भौगोलिक स्थान भारत में **चार शहरों** में स्थित हैं।
    - **प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)** - गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का संगम;

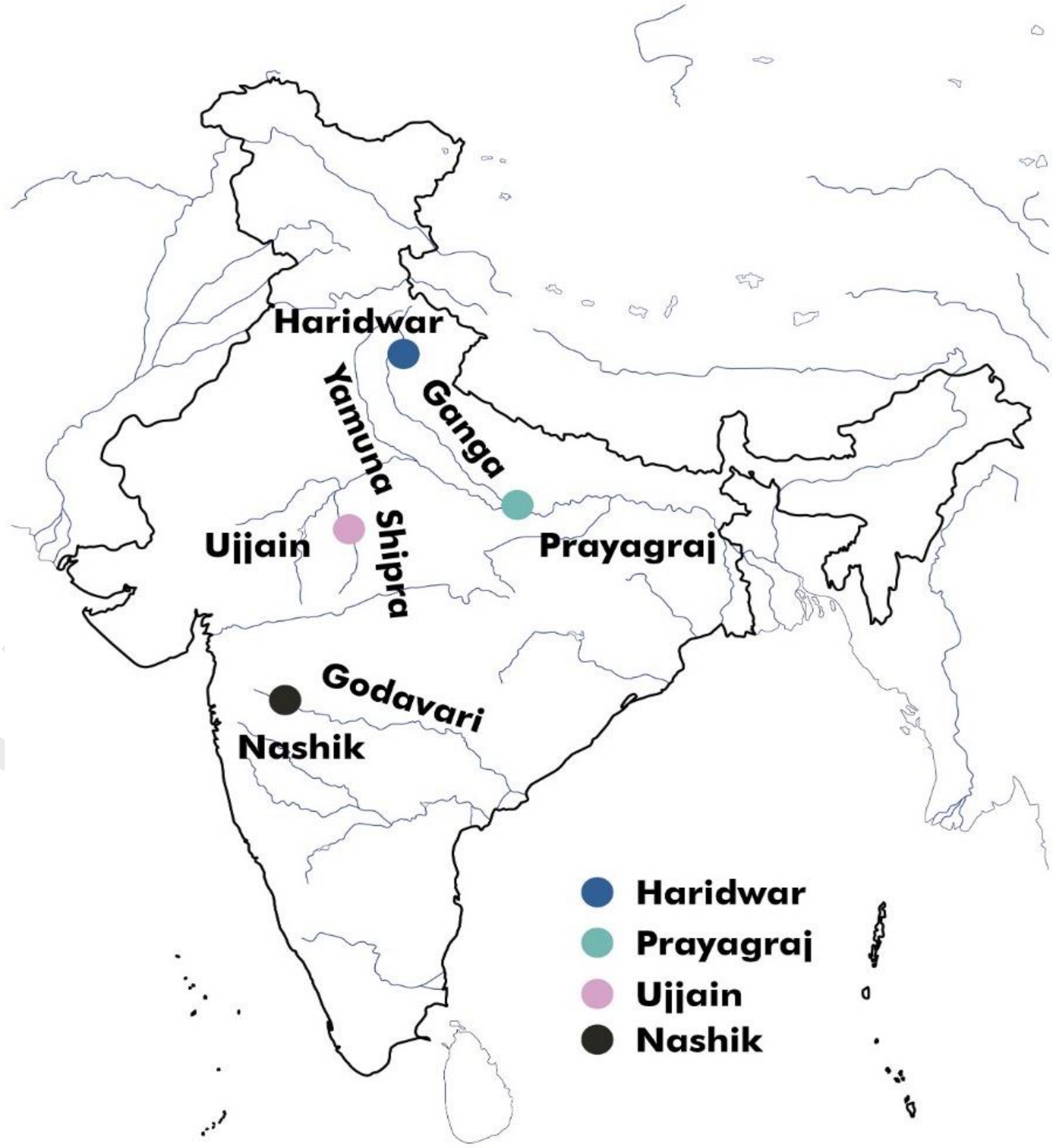

- **हरिद्वार (उत्तराखंड)** - गंगा नदी;
- **नासिक (महाराष्ट्र)** - गोदावरी नदी; तथा
- **उज्जैन (मध्य प्रदेश)** - क्षिप्रा नदी।

- **कुंभ मेले के प्रकार और इसका आयोजन:**
  - **कुंभ मेला:** प्रत्येक 3 वर्ष में **सभी चार स्थानों** पर आयोजित किया जाता है।
  - **अर्ध कुंभ मेला:** प्रत्येक 6 वर्ष में **हरिद्वार** और **प्रयागराज** में आयोजित किया जाता है।
  - **पूर्ण कुंभ मेला: प्रयागराज** में प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है।
  - **महाकुंभ मेला: प्रयागराज** में प्रत्येक 144 वर्ष या 12 पूर्ण कुंभ मेलों के उपरांत आयोजित किया जाता है।
- कुंभ मेला **यूनेस्को** (UNESCO) की **मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची** में शामिल है।
- **भारत में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची इस प्रकार है:**

क्र.स.	अमूर्त सांस्कृतिक विरासत	शामिल होने का वर्ष
1.	वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा।	2008
2.	रामलीला, रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन।	2008
3.	कुटियाट्टम, केरल का संस्कृत रंगमंच।	2008
4.	रम्मन, गढ़वाल क्षेत्र का धार्मिक उत्सव और आनुष्ठानिक रंगमंच।	2009
5.	मुडियेट्टू, केरल का आनुष्ठानिक रंगमंच और नृत्य नाटक।	2010
6.	कालबेलिया, राजस्थान का लोक गीत और नृत्य।	2010
7.	छऊ नृत्य, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का आदिवासी मार्शल आर्ट नृत्य।	2010
8.	लद्दाख का बौद्ध जप।	2012
9.	संकीर्तन, मणिपुर का अनुष्ठानात्मक गायन, ढोल वादन और नृत्य।	2013
10.	जंडियाला गुरु, पंजाब के ठठेरों द्वारा बनाए जाने वाले पीतल और तांबे के बर्तन।	2014
11.	योग।	2016
12.	नवरोज़, पारसी नववर्ष।	2016
13.	कुंभ मेला।	2017

SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर संस्कृति से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. भारत में पुलिस तंत्र में भ्रष्टाचार (Police Corruption In India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त द्वारा दायर एक जनहित याचिका में राज्य में पुलिस स्थानांतरण और नियुक्ति में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया था।

पुलिस करप्शन (पुलिस तंत्र में भ्रष्टाचार) क्या है?

पुलिस करप्शन वस्तुतः पुलिस तंत्र में व्याप्त कदाचार का एक विशिष्ट रूप है जिसे वित्तीय लाभ, अन्य व्यक्तिगत लाभ और/या किसी पुलिस अधिकारी अथवा अधिकारियों के करियर उन्नति हेतु किया जाता है। इसके बदले में पुलिस को अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करने, या चुने हुए कर्तव्यों का ही निर्वहन करने या सार्वजनिक पद का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग करने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है।

पुलिस करप्शन के कारण

- **सुदृढ़ संस्थागत संस्कृति की अनुपलब्धता:** संस्थागत मूल्य प्रणाली वस्तुतः प्रणालीगत व्यवस्था में विभिन्न प्रतिभागियों को व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह स्वप्रेरणा से लोकाचार का पालन करने हेतु प्रोत्साहित करती है और किसी बाहरी या कानूनी प्रवर्तक की आवश्यकता को कम करती है।
    - उदाहरण के लिए, भारतीय सशस्त्र बलों में अपनाई जाने वाली संस्थागत संस्कृति से अनुप्राणित होकर सैनिकों द्वारा कोई बाहरी दबाव के बिना भी सैन्य पारिस्थितिकी तंत्र के बाहर समान रूप से अनुशासन का यथावत पालन किया जाता है।
- **शक्ति और विवेक का दुरुपयोग:** पुलिसकर्मी अपने कार्यों/दायित्वों का निर्वहन करते समय व्यापक शक्तियों और विवेकाधिकार के प्रयोग हेतु अधिकृत होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि पुलिसकर्मी स्वार्थपरक उद्देश्यों से प्रेरित हों तो वे निजी लाभ अर्जित करने के लिए इनका दुरुपयोग कर सकते हैं।
- **कानूनों (विधानों) का अप्रभावी प्रवर्तन:** कुछ अपराधों के संबंध में विधानों में अस्पष्टता होने के साथ-साथ पुलिस को "कार्रवाई करने या न करने के विषय" में विवेकाधिकार प्राप्त होने से, पुलिसकर्मियों को भ्रष्ट आचरण की दिशा में प्रेरित होने के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो जाते हैं।
    - हालांकि, संथानम समिति द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया था कि **प्रशासनिक देरी/विलंब भ्रष्टाचार के प्रमुख कारणों में से एक है** और ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें जानबूझकर देरी/विलंब की गई है।
- **राजनीति का अपराधीकरण:** राजनीतिक संरक्षण के साथ-साथ अंडरवर्ल्ड द्वारा बाहुबल और धनबल का उपयोग, अनेक पुलिस कर्मियों को भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की शक्तियों के साथ साँठ-गाँठ करने हेतु प्रेरित करता है।
    - इसके अलावा, **पुलिस और माफिया संचालकों के बीच सांठगांठ होने के कारण,** उनके द्वारा किए जाने वाले संगठित अपराध, जैसे कि आवधिक रूप से की जाने वाली जबरन वसूली, अपहरण आदि जैसे अपराधों का न्याय प्रणाली के समक्ष प्रकटीकरण नहीं हो पाता है।

 ©Vision IAS

- **पर्यवेक्षण का अभाव:** तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और प्रशासन की मांगों के अनुरूप पुलिसकर्मियों की क्षमता एवं गुणवत्ता में वृद्धि नहीं हुई है, जिसके परिणामस्वरूप पर्यवेक्षण प्रक्रियाएं अप्रभावी रही हैं।
- **रिश्वतखोरी का दुष्चक्र:** जिन पुलिसकर्मियों ने पुलिस सेवा में नौकरी पाने के लिए रिश्वत का प्रयोग किया है, वे जितनी जल्दी हो सके भ्रष्टाचार आदि के माध्यम से उस धनराशि को वापस प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और इसलिए भ्रष्टाचार निवेश पर बेहतर रिटर्न (प्रतिलाभ) प्राप्त करने का साधन बन जाता है।
- **अन्य कारक:** वेतन ढांचे, कार्य की प्रकृति और काम करने के घंटे, समुचित प्रशिक्षण का अभाव, आवास से जुड़ी समस्याएं और कुछ प्रशासनिक एवं संगठनात्मक समस्याएं आदि।

पुलिस में नैतिकता की आवश्यकता

पुलिस प्रणाली, कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा समाज को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक है। यहाँ सभी स्तरों पर कार्य करने की विवेकाधीन शक्ति अत्यंत उच्च है। इस संदर्भ में, आचार संहिता का अभाव ऐसे परिदृश्य को उत्पन्न करता है जहाँ नैतिक रूप से अवसरवादी होना और अनैतिक आचरण को करियर की उन्नति के एक साधन के रूप में उपयोग करना सरल होता है। इसलिए, **"पहरेदार की पहरेदारी कौन करेगा"** वाली पुरानी कठिन परिस्थिति, नागरिकों के साथ व्यवहार करने के विषय में पुलिस कर्मियों के मार्गदर्शन हेतु मूल्यों और पेशेवर नैतिकता के ढांचे की आवश्यकता को अनिवार्य बना देती है।

पुलिस करप्शन को हतोत्साहित करने और रोकने के लिए क्या किया जा सकता है?

- **सामुदायिक पुलिसिंग** जैसी पहलें बेंगलुरु में विवादों को सुलझाने में मदद करने, पुलिस के साथ सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देने, गश्त के दौरान सुरक्षा में सुधार करने और पुलिस की जवाबदेही एवं प्रभावशीलता को बढ़ाने में सफल रही हैं। इसलिए इन्हें अपनाया जा सकता है।
- **स्थानांतरण और पदोन्नति की प्रणाली को पारदर्शी बनाना:** एक ऐसी प्रणाली तैयार की जा सकती है जहाँ निश्चित समय अंतराल के बाद सॉफ्टवेयर प्रणाली द्वारा नियुक्तियों तथा इस हेतु स्थान का निर्धारण स्वतः हो जाता हो। इसी प्रकार, पदोन्नति के लिए भी वस्तुनिष्ठ मानदंडों को व्यवस्थित स्वरूप दिया जा सकता है।
  - उच्चतम न्यायालय (प्रकाश सिंह वाद में) द्वारा पुलिस महानिरीक्षक के लिए न्यूनतम कार्यकाल निर्धारित करने की मांग की गई थी, ताकि राजनेताओं द्वारा मध्यावधि में उनके स्थानांतरण को रोका जा सके।

©Vision IAS

* **अधिक जवाबदेही का समावेश करना:** पुलिस बल के कार्य-प्रदर्शन की निगरानी के लिए सार्वजनिक सुनवाई, विषय आधारित (वस्तुनिष्ठ) कार्य प्रदर्शन और दक्षता संकेतकों के आधार पर आकलन किए जाने की कार्य प्रणाली को आरंभ किया जा सकता है।
    * प्रकाश सिंह वाद में दिए गए निर्णय के तहत एक अन्य निर्देश में राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित करने की अनुशंसा की गई थी, ताकि पुलिस की कार्रवाई से पीड़ित सामान्य जन अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें।
* **बेहतर कार्यस्थल परिस्थितियां:** यह ऐसे पुलिस कर्मियों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने वाले पेशे के निर्वहन के दौरान उत्पन्न होने वाले तनाव, दबाव और कुंठा के कारण अशिष्ट तथा सनकी हो जाते हैं।
* **पुलिस के प्रमुख अधिकारियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना:** पुलिस व्यवस्था में अधिकाधिक लचीलेपन, सहजता और व्यक्तिगत नवाचार तथा पहलों का समावेश किया जाना चाहिए ताकि पुलिस बल के सभी स्तरों पर सार्थक विचार-विमर्श एवं आपसी व्यवहार को संभव हो बनाया जा सके।
* **अभिनव तंत्र:** पुलिस व्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों को नए सिरे से परिभाषित किया जाना चाहिए। ऐसे कर्तव्यों की पहचान की जानी चाहिए और उनके संबंध में कार्यवाही करने के अधिकार को स्पष्ट रूप से हटा दिया जाना चाहिए जो पुलिस व्यवस्था के निचले स्तर के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार की ओर प्रेरित करने के लिए अवसर प्रदान करता हो।
* **सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग:** मामलों की रिपोर्टिंग और उनके विषय में की जाने वाली कार्यवाही पर ध्यान रखने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है क्योंकि शिकायतों का पंजीकरण न होना नागरिकों की सबसे आम शिकायतों में शामिल है।
    * **राजस्थान** सरकार ने पुलिस प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार हेतु **आरक्षी** नामक एक पहल को प्रारम्भ किया है।

9.2. नीतिपरक अर्थ संपदा सृजन (Ethical Wealth Creation)

"धन एक अमोध दीपक है जो प्रत्येक भूमि को गति प्रदान करता है; अपने मालिक के आदेश पर अंधकार को दूर करता है।"

\- तिरुवल्लुवर, तिरुक्कुरल

परिचय

वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण का विषय (थीम) अर्थ संपदा सृजन था। इस अर्थ संपदा सृजन को एक सामाजिक जिम्मेदारी मानकर सृजित किया जाना था। कोविड-19 के प्रकोप ने वर्तमान अर्थ संपदा सृजन प्रणाली की भंगुरता एवं कमियों को उजागर कर इस विचार पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने हेतु प्रेरित किया है। इस संदर्भ में, विभिन्न अर्थशास्त्रियों और विचारकों ने नीतिपरक अर्थ संपदा सृजन की दिशा में अग्रसर होने के लिए कदम उठाए जाने के सुझाव दिए हैं।

नीतिपरक अर्थ संपदा सृजन का क्या अर्थ है?

ऐतिहासिक रूप से, कई सभ्यताओं में धन का प्राथमिक स्रोत **अपने पड़ोसियों से मूल्यवान संपत्ति की चोरी** या **उन्हें जीतने और उन्हें गुलाम बनाने के इर्दगिर्द** केंद्रित रहा है। उदाहरण के लिए, भारतीय उप-महाद्वीप में नादिर शाह द्वारा किए गए आक्रमण। हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी धन संपत्तियों पर अधिपत्य प्राप्त कर लेने से कोई साम्राज्य धन-सम्पन्न साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हो जाए।

इसके विपरीत, **भारतीय उपमहाद्वीप ने स्थिरता के साथ और युद्ध किए बिना भी धन सृजन किया है।** उदाहरण के लिए, प्राचीन काल में मौर्य काल या मध्यकाल में मुगल काल के दौरान। इस परिदृश्य का प्राथमिक कारण यह माना जा सकता है कि **नीतिपरक अर्थ संपदा सृजन हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है।** उदाहरण के लिए, शुभ-लाभ की मान्यता इस विचार का प्रचार करती है कि सामाजिक समृद्धि और व्यावसायिक लाभ दोनों को पृथक रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

लेकिन कैसे नीतिपरक अर्थ संपदा सृजन और गैर-नीतिपरक अर्थ संपदा सृजन में भेद किया जा सकता है? हालांकि नीतिपरक अर्थ संपदा सृजन के प्रमुख तत्वों के रूप में निम्नलिखित को उद्धृत किया जा सकता है:

* **समग्र मानव विकास:** नीतिपरक अर्थ संपदा सृजन, व्यक्ति के समग्र विकास के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, जबकि गैर-नीतिपरक अर्थ संपदा सृजन अन्य क्षेत्रों के विकास को विकृत कर धन अर्जन को बढ़ावा देता है।

- **सभी हितधारकों के लिए लाभदायक:** नीतिपरक अर्थ संपदा सृजन ग्राहकों, व्यवसायों, नागरिकों और सामान्य रूप से संपूर्ण समाज के लिए लाभकारी स्थिति के सृजन पर जोर देता है। जबकि वहीं दूसरी ओर गैर-नीतिपरक अर्थ संपदा सृजन, कुछ वर्गों द्वारा कम शक्तिशाली समूहों के शोषण के आधार पर धन सृजन किए जाने पर केंद्रित है।
- **संधारणीय प्रकृति का होना:** नीतिपरक अर्थ संपदा सृजन आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय होता है, जबकि इसके विपरीत गैर-नीतिपरक अर्थ संपदा सृजन, तत्कालिक लाभ उत्पन्न करने के एकमात्र उद्देश्य से ही किया जाता है।
- **लाभ की निष्पक्ष और न्यायसंगत साझेदारी:** नीतिपरक अर्थ संपदा सृजन, निष्पक्षता और न्यायसंगतता के सिद्धांतों के आधार पर धन के पुनर्वितरण पर जोर देता है। वहीं दूसरी ओर, गैर-नीतिपरक अर्थ संपदा सृजन में होने वाला वितरण कृत्रिम कमियों और आवश्यकताओं को बढ़ावा देता है।

नीतिपरक अर्थ संपदा सृजन की ओर अग्रसर होना महत्वपूर्ण क्यों है?

उन्नत प्रौद्योगिकी, बढती मानव उत्पादकता और मानवों के मध्य परस्पर संपर्क के अत्यधिक विकास के चलते विश्व तीव्र गति से प्रगति की दिशा में अग्रसर है। हालांकि, विकास की गति ने हमारे विकास के मॉडल में निहित कमियों को और अधिक स्पष्टता से उजागर किया है। नीतिपरक अर्थ संपदा सृजन की आवश्यकता पर अधिकाधिक बल दिए जाने की आवश्यकता के प्रमुख कारणों को निम्नलिखित रूप में उद्धृत किया जा सकता है:

- **अर्थ संपदा सृजन तथा मानव कल्याण की असंबद्ध प्रकृति:** दीर्घकालीन मानव कल्याण को अर्थ संपदा सृजन का प्राथमिक प्रेरक तत्व माना जाता है। लेकिन कई अध्ययनों से पता चलता है कि मानव कल्याण और अर्थ संपदा सृजन के मौजूदा मॉडल के बीच पारस्परिक सामंजस्य का अभाव है।
- **नैतिक आधारों के बिना कार्यान्वित किए जाने वाले आर्थिक मॉडल दीर्घ अवधि में अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाते हैं:** लाभ अर्जित करने की प्रेरणा से संचालित होने वाले वर्तमान मॉडल में **मूल्य सृजन (value creation) के स्थान पर मूल्य निष्कर्षण (value extraction) पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है।** इस प्रकार के दृष्टिकोण को प्राप्त प्रोत्साहन स्वार्थपरक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है। उदाहरण के लिए, जानबूझकर ऋण न चुकाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होना।
- **आय असमानता का निरंतर बने रहना:** निरंतर आर्थिक असमानता बने रहने से यह प्रतीत होता है कि मौजूदा आर्थिक मॉडल द्वारा जिस 'रिसाव सिद्धांत (ट्रिकल-डाउन थ्योरी)' (अर्थात् लाभों का उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर स्थानान्तरण का सिद्धांत) का समर्थन किया जाता है, वास्तविकता में देखे तो इन सिद्धांतों के प्रभाव परिलक्षित नहीं हो सके हैं। इस सिद्धांत के अनुसार माना जाता है कि आय पिरामिड के शीर्ष स्तर पर होने वाली आर्थिक वृद्धि के लाभ रिसकर पिरामिड के आधार स्तरों तक जाते हैं।
    - साथ ही, रोजगारों में वृद्धि हुए बिना होने वाली आर्थिक वृद्धि से आय की असमानता की समस्या और अधिक गंभीर हो जाती है, क्योंकि इससे आर्थिक विभाजन और अधिक बढ़ जाता है।
- **पर्यावरणीय संधारणीयता:** वर्तमान मॉडल में पर्यावरणीय संधारणीयता को विकास के संदर्भ में एक बाधा के रूप में देखा जाता है। हालांकि, इस दृष्टिकोण ने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है लेकिन उसके साथ जलवायु परिवर्तन, वैश्विक उष्मण में वृद्धि, जैव विविधता के समक्ष जोखिम आदि जैसी समस्याएं भी पैदा हुई हैं।
- **वित्तीय अस्थिरता:** वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने वर्तमान प्रणाली की वित्तीय भंगुरता को उजागर किया है। कोविड-19 महामारी ने अब आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित खामियों और सामाजिक प्रणाली में आपदा प्रबंधन से जुड़ी निम्नस्तरीय तैयारियों को भी उजागर किया है।

भारत के लिए इन कारणों की व्यावहारिकता दोगुनी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत तीव्र विकास के दौर से गुजर रहा है। यह विकास जितना अधिक नीतिपरक होगा, दीर्घावधि में यह उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। इस संदर्भ में, वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि **नीतिपरक अर्थ संपदा सृजन, भारत को वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने हेतु एक प्रमुख आधार होगा।**

अर्थ संपदा सृजन को अधिकाधिक नैतिक बनाने के लिए क्या किया जा सकता है?

- **बाजार, सरकार और समाज की भूमिका का एकीकरण:** नीतिपरक अर्थ संपदा सृजन का तात्पर्य यह नहीं है कि राज्य-केंद्रित आर्थिक विकास मॉडल की ओर अग्रसर हुआ जाए। इसका तात्पर्य विकास के उद्देश्यों को व्यापक बनाना और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी संस्थानों को शामिल करना है।

  - उदाहरण के लिए, बाजार की अदृश्य शक्तियों और सरकार संचालित विश्वास का संचार करने वाली शक्तियों के एकीकरण संबंधी विचार नीतिपरक अर्थ संपदा सृजन प्रणाली का प्रसार कर सकता है।
- **तीन आधारभूत तत्वों, अर्थात् जन, लाभ तथा पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करना:** आर्थिक विकास, सामाजिक मापदंडों की गतिविधि जैसे कि असमानता का स्तर और पर्यावरण की स्थिति, इन तीन आधारभूत तत्वों के आधार पर निर्मित की जाने वाली योजना, भावी कार्यक्रम हेतु मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है।
- **धन-केंद्रित पूंजीवाद से लोक-केंद्रित पूंजीवाद की ओर बढ़ना:** वर्तमान में, आर्थिक निर्णय केवल वित्तीय मापदंडों के आधार पर ही लिए जाते हैं। ऐसे दृष्टिकोण की ओर कदम बढ़ाए जाने की आवश्यकता है जहां कर्मचारी, ग्राहक और समाज को निर्णयन प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में शामिल किया जा सके। तभी लोक-केंद्रित पूंजीवाद को बढ़ावा मिल सकता है और रोजगारहीन विकास जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।
- **प्रगतिपथ पर अग्रसर होते हुए समग्र रूप से लचीलेपन के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना:** यह कार्य स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत बनाने की दिशा में निवेश करके तथा संधारणीय विकास लक्ष्यों की दिशा में सार्वजनिक एवं निजी निवेश को नियोजित कर और पर्यावरण-सामाजिक-शासन के सिद्धांतों को एकीकृत करके किया जा सकता है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त वर्णित सभी चरण, विकास के समग्र उद्देश्य को व्यापक बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके पीछे अंतर्निहित विचार यह है कि **इन उद्देश्यों को यथासंभव मानव कल्याण के विचार को केंद्र में रखते हुए प्राप्त किया जाना चाहिए।** लेकिन मानव मन और मानव आवश्यकताओं की निरंतर परिवर्तनशीलता हमें मानव कल्याण के विषय में कोई निश्चित धारणा नहीं बनाने देती है।

हालांकि इस संदर्भ में, यह समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि **अर्थ संपदा सृजन और इसकी प्रक्रिया की प्रभावकारिता को सदैव तत्कालीन परिवर्तनशील विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता के आधार पर आंका जाएगा।**

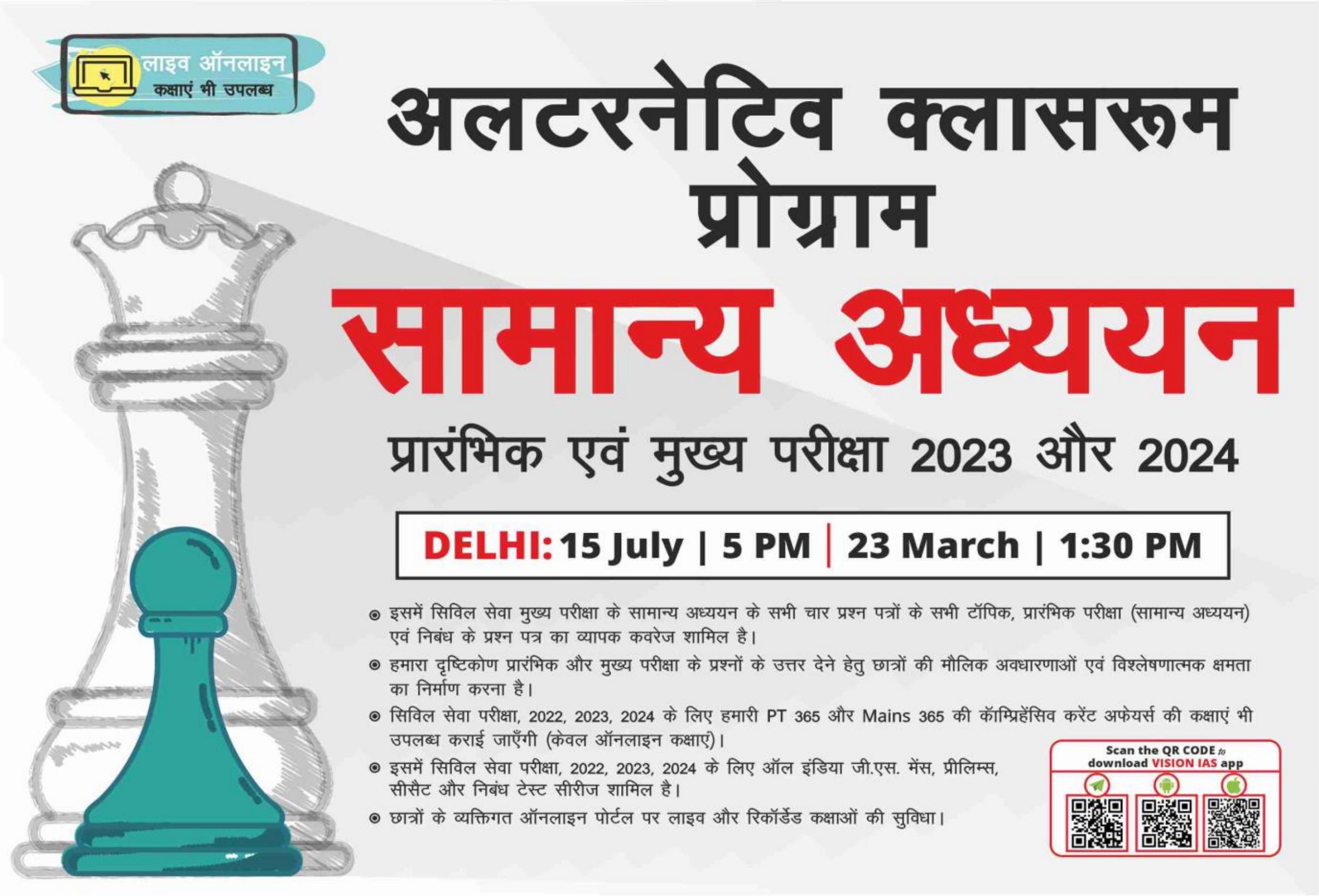

10. सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएँ (Government Schemes in News)

10.1. प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana: PMMVY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्तीय वर्ष 2020 तक, प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 1.75 करोड़ से अधिक पात्र महिलाओं को शामिल किया जा चुका है।

इस योजना के बारे में

<table>
<tr><th>उद्देश्य</th><th>लक्षित लाभार्थी</th><th>प्रमुख विशेषताएं</th></tr>
<tr>
<td>
• गर्भवती महिला के वेतन कटौती के मामलों में, नकद प्रोत्साहन के रूप में आंशिक मुआवजा प्रदान करना ताकि महिला को प्रथम जीवित बच्चे के जन्म से पूर्व और पश्चात् पर्याप्त आराम मिल सके।
• नकद प्रोत्साहन के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (PW&LM) के स्वास्थ्य में सुधार करना।
</td>
<td>
• सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएँ (PW&LM), सिवाय उनके:
○ जो (PW&LM) केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में नियमित रोजगार में हैं, या
○ जो उस समय किसी अन्य कानून के तहत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं।
• एक लाभार्थी केवल एक बार इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु अर्ह/पात्र है।
• गर्भपात या मृतप्रसव (still birth) के मामले में, लाभार्थी भविष्य की गर्भावस्था की स्थिति में शेष किस्त/किस्तों का दावा करने के लिए योग्य होगी।
○ पहली किस्त प्राप्त करने के बाद, यदि लाभार्थी का गर्भपात हो जाता है, तो वह केवल योजना की पात्रता मानदंड और शर्त की पूर्ति के अधीन ही भविष्य की गर्भावस्था की स्थिति में दूसरी और तीसरी किस्त प्राप्त करने के लिए पात्र होगी।
○ इसी प्रकार, यदि पहली और दूसरी क़िस्त प्राप्त करने के बाद लाभार्थी का गर्भपात या मृतप्रसव हो जाता है, तो वह योजना के पात्रता मानदंड और शर्त की पूर्ति के अधीन ही भविष्य में गर्भावस्था की स्थिति में तीसरी क़िस्त प्राप्त करने के लिए पात्र होगी।
</td>
<td>
• तीन किस्तों में 5,000 रुपये का नकद प्रोत्साहन जिसमें गर्भावस्था के पंजीकरण के समय 1,000 रुपये की पहली किस्त प्रदान की जाएगी, 6 महीने की गर्भावस्था के पश्चात् 2,000 रुपये की दूसरी किस्त प्रदान की जाएगी और जब बच्चे के जन्म का पंजीकरण हो जाता है तथा साथ ही बच्चे का BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस-B सहित पहला टीका चक्र पूर्ण हो जाता है तो 2,000 रुपये की तीसरी किस्त प्रदान की जाएगी।
• योग्य लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के लिए जननी सुरक्षा योजना (JSY) के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त होगा और JSY के तहत प्राप्त प्रोत्साहन राशि मातृत्व लाभों की प्राप्ति के लिए होगी। इस प्रकार औसतन एक महिला को 6,000 रुपये प्राप्त होंगे।
• क्रियान्वयन एजेंसी:
○ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नोडल कार्यान्वयन प्राधिकरण है।
○ इस योजना को छत्रक एकीकृत बाल विकास सेवा (Integrated Child Development Services: ICDS) की आंगनवाड़ी सेवा योजना के मंच का उपयोग करके क्रियान्वित किया गया है।
</td>
</tr>
</table>

11. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Short)

11.1. राज्य निर्वाचन आयुक्त (State Election Commissioner: SEC)

- हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने निर्दिष्ट किया है कि **स्वतंत्र व्यक्तियों और सेवानिवृत्त नौकरशाहों** को **राज्य निर्वाचन आयुक्त (SEC)** नियुक्त किया जाना चाहिए।
- **उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में**
  - उच्चतम न्यायालय ने निर्दिष्ट किया है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी अधिकारी को **अनुच्छेद 243K** के तहत **SEC** के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।
    - न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए जारी किया है।
  - उच्चतम न्यायालय ने राज्यों को निर्वाचन आयोगों की स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्यप्रणाली की संवैधानिक योजना का पालन करने का निर्देश दिया।
  - यदि नौकरशाह किसी पद पर कार्यरत (राज्य सरकार के अधीन) हैं, तो उसे निर्वाचन आयुक्त के पद का कार्यभार संभालने से पूर्व उस पद से त्यागपत्र देना होगा।

राज्य निर्वाचन आयुक्त (अनुच्छेद 243K) के बारे में

- पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होगी जो राज्यपाल नियम द्वारा आधारित करे।
- राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उस रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
- अनुच्छेद 243ZA के अनुसार, नगरपालिकाओं के निर्वाचन भी राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होते हैं।

11.2. उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 {Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991}

- उच्चतम न्यायालय ने उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) पर केंद्र सरकार से प्रतिक्रिया मांगी है।
- **उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 के बारे में**
  - यह अधिनियम पूजा के किसी भी स्थान में परिवर्तन करने को प्रतिबंधित करता है और पूजा के किसी भी स्थान की धार्मिक प्रकृति को यथावत बनाए रखने का प्रावधान करता है, जैसा कि यह अगस्त, 1994 के 15वें दिन अस्तित्व में था।
  - उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप के संपरिवर्तन के बारे में कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही, **जो 15 अगस्त, 1947 को लंबित थी, अधिनियम के आरंभ होने पर निरस्त हो जाएगी**। साथ ही, ऐसे किसी मामले के संदर्भ में कोई नया वाद, अपील या अन्य कार्यवाही दायर नहीं की जा सकेगी।
  - हालांकि, 15 अगस्त, 1947 की निर्दिष्ट तिथि के पश्चात् यथास्थिति में परिवर्तन होने पर अधिनियम के प्रारंभ के उपरांत उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप के संपरिवर्तन के संबंध में विधिक कार्यवाही आरंभ की जा सकेगी।
  - **यह अधिनियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा-**
    - अयोध्या में स्थित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद।
    - निर्दिष्ट कोई उपासना स्थल, जो **प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958)** के अंतर्गत प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक या पुरातत्वीय स्थल है।
    - अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व, किसी विवाद का पक्षकारों द्वारा अंतिम रूप से समाधान कर लिया गया हो या किसी स्थल का संपरिवर्तन जो सहमति द्वारा किया गया हो।
- साथ ही, उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या के ऐतिहासिक निर्णय में निर्दिष्ट किया था कि यह अधिनियम **संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को प्रदर्शित करता है और प्रतिगमन को कठोरता से प्रतिबंधित करता है।**

11.3. वर्ल्ड समिट ऑन इनफॉरमेशन सोसायटी फोरम 2021 (World Summit on Information Society Forum 2021)

- हाल ही में, वर्ल्ड समिट ऑन इनफॉरमेशन सोसायटी (World Summit on Information Society: WSIS) फोरम, 2021 का आयोजन किया गया।
- WSIS फोरम का **आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इसका आयोजन** संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU), यूनेस्को (UNESCO), संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (अंकटाड/UNCTAD) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा **ITU की मेजबानी में किया जाता है।**
    - ITU, **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी है।** इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।
- **WSIS,** समुदाय के विकास हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) की विश्व की सबसे बड़ी वार्षिक सभाओं में से एक का प्रतिनिधित्व करता है।
- **यह सतत विकास लक्ष्यों और उद्देश्यों के कार्यान्वयन के साधन के रूप में ICTs की भूमिका** पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है।
- यह एक जन-केंद्रित, समावेशी और विकासोन्मुखी सूचना समाज के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति जानकारी का सृजन कर सकता है, उस तक पहुँच स्थापित कर सकता है, उसका उपयोग कर सकता है और उसे साझा कर सकता है।

11.4. वैक्सीन पासपोर्ट (Vaccine Passport)

- हाल ही में, इज़रायल और अन्य देशों ने वैक्सीन पासपोर्ट का विचार प्रस्तुत किया है।
- वैक्सीन पासपोर्ट, इस प्रमाण के रूप में कार्य करेगा कि संबंधित पासपोर्ट धारक का कोविड-19 संबंधी टीकाकरण हो गया है और इस प्रकार वह "सुरक्षित" है।
- यह एक डिजिटल दस्तावेज़ है और विभिन्न देशों में टीकाकरण रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने में सहायता करेगा।
- वैक्सीन पासपोर्ट कोई **नई अवधारणा नहीं है। कई अफ्रीकी देशों से अमेरिका या भारत आने वाले यात्रियों को यह प्रमाण प्रस्तुत करना होता है** कि उन्हें पीत ज्वर जैसे रोगों के संबंध में टीका लगाया गया है।
- **विभिन्न क्षेत्रों में वैक्सीन पासपोर्ट-**
    - यूरोपीय आयोग द्वारा **डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट।**
    - **वायरस पासपोर्ट-** चीन द्वारा आरंभ किया गया है।
    - **वैक्सीन पासपोर्ट -** इजरायल।
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन** ने कोविड-19 टीकाकरण के प्रमाण के आरंभ का विरोध किया है, क्योंकि संक्रमण के प्रसार को कम करने में **टीकाकरण की प्रभावकारिता के बारे में अभी भी महत्वपूर्ण साक्ष्य अज्ञात हैं।**

11.5. 'फेथ फॉर राइट्स' पहल (Faith for Rights Initiative)

- वर्ष 2017 में बेरूत, लेबनान में **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय** (संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित, मानवाधिकारों पर अग्रणी संयुक्त राष्ट्र इकाई) द्वारा 'फेथ फॉर राइट्स (Faith for rights)' पहल को आरंभ किया गया था।
- इसका उद्देश्य मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और धर्म या आस्था की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए **एक साझा उद्देश्य के माध्यम से भेदभाव व धर्म-आधारित हिंसा का सामना करने हेतु विभिन्न धर्मों के धार्मिक समुदायों को एकजुट करना है।**
- वर्ष 2012 के 'रबात प्लान ऑफ़ एक्शन' पर ठोस कार्रवाई करने के लिए **"बेरुत घोषणा (Beirut Declaration)"** में 18 फेथ फॉर राइट्स प्रतिबद्धताओं को शामिल किया गया था। इसके **तहत घृणा के वर्धन से निपटने हेतु धार्मिक नेताओं के मुख्य उत्तरदायित्व को निर्धारित किया गया था।**
- फेथ फॉर राइट्स प्रतिबद्धताओं में 18 प्रतिबद्धताएं शामिल हैं, **जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं-**
    - किसी व्यक्ति या समूह के साथ भेदभाव करने के लिए **"राज्य का धर्म" की धारणा के उपयोग को प्रतिबंधित करना।**
    - लैंगिक असमानता को जारी रखने वाली धार्मिक व्याख्याओं की पुनः समीक्षा करना।
    - **अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित सभी व्यक्तियों के अधिकारों** के लिए प्रयास करना।
    - हिंसा हेतु उकसाने वाली **घृणा का समर्थन करने वाली सभी घटनाओं की सार्वजनिक रूप से भर्त्सना करना।**
- विगत वर्ष आरंभ की गई **#फेथ फॉर राइट्स (#Faith4Rights) टूलकिट** का उद्देश्य **"फेथ फॉर राइट्स" ढांचे** को व्यवहारिक रूप से पीयर टू पीयर लर्निंग और क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों के लिए परिवर्तित करना था।

11.6. बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2021 {The Insurance (Amendment) Act, 2021}

हाल ही में, संसद ने बीमा संशोधन अधिनियम, 2021 पारित किया है।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान

- यह अधिनियम बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन करता है और इसे 1 अप्रैल, 2021 से लागू किया जाएगा।
- **विदेशी निवेश:** इसमें घरेलू बीमा क्षेत्रक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की 49% की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। साथ ही,**स्वामित्व और नियंत्रण के संबंध में प्रतिबंधों को भी समाप्त कर दिया गया है।**
- हालांकि, ऐसा विदेशी निवेश केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अतिरिक्त शर्तों के अधीन हो सकता है।
- **आस्तियों का विनिधान:** यह अधिनियम बीमाकर्ताओं को आस्तियों में उस न्यूनतम सीमा तक निवेश करना अनिवार्य करता है, जो उनकी बीमा संबंधी देयताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त होगी। यदि बीमाकर्ता भारत के बाहर निगमित या अधिवासित है, तो ऐसी आस्तियां भारत में न्यास के रूप में धृत रखी जाएंगी और उन न्यासियों में विनिहित होंगी, जो भारत में निवासी हों।
    - **यह प्रावधान भारत में निगमित ऐसे बीमाकर्ता पर लागू नहीं होगा, जिसकी**
        - 33% शेयर पूंजी भारत के बाहर अधिवासित निवेशकों के स्वामित्व में है, या
        - शासी निकाय के 33% सदस्य भारत के बाहर अधिवासित हैं।

11.7. प्रधान मंत्री ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया {PM Inaugurates Maritime India Summit 2021 Organised By Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MOPSW)}

- **शिखर सम्मेलन आगामी दशक के लिए भारत के समुद्री क्षेत्र हेतु एक रोडमैप की कल्पना करेगा** और भारत को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में अग्रणी अभिकर्ता के रूप में स्थापित होने के लिए प्रेरित करेगा।
    - समुद्री क्षेत्र **समुद्री परिवहन, वाणिज्यिक मत्स्यन और जलीय कृषि उद्योग, क्रूज एवं मनोरंजक क्षेत्र, खेल व वाणिज्यिक बंदरगाहों, समुद्री ऊर्जा स्रोतों आदि** जैसी गतिविधियों से समृद्ध है।
- **प्रधान मंत्री के संबोधन के प्रमुख निष्कर्ष:**
    - मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का उद्देश्य आगामी 10 वर्षों में भारतीय सामुद्रिक उद्योग को विश्व के शीर्ष मानकों के समकक्ष लाना है।
    - MoPSW ने भारत की 7500 किलोमीटर लंबी तट रेखा को विकसित करने के लिए 31 बिलियन डॉलर की निवेश क्षमता वाली 400 परियोजनाओं की सूची तैयार की है।
    - प्रमुख पत्तनों की क्षमता वर्ष 2014 में 870 मिलियन टन से बढ़कर **वर्तमान में 1550 मिलियन टन** हो गई है।
    - **वधावन, पारादीप तथा कांडला** का दीनदयाल बंदरगाह, विश्वस्तरीय अवसंरचना के साथ **मेगा पोर्ट्स** के रूप में विकसित किए जा रहे हैं।
    - घरेलू पोत निर्माण और पोत की मरम्मत से जुड़े बाजार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- **प्रधान मंत्री ने सागर-मंथन (Sagar-Manthan) का भी शुभारंभ किया: मर्केंटाइल मरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटर** समुद्री सुरक्षा, खोज और बचाव क्षमताओं, सुरक्षा एवं समुद्री पर्यावरण संरक्षण में वृद्धि करने हेतु स्थापित एक सूचना प्रणाली है।
    - विश्व स्तर पर भारतीय पोतों की निगरानी करने के अतिरिक्त, यह भारत की तट रेखा से 1,000 किलोमीटर तक विदेशी पोतों की भी निगरानी कर सकता है।

11.8. केन्द्रीय संवीक्षा केंद्र और IEPFA मोबाइल एप्लिकेशन {Central Scrutiny Centre (CSC) & IEPFA Mobile App}

- **'डिजिटल रूप से सशक्त भारत'** के दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने हेतु दोनों पहलों को कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है।
- **केन्द्रीय संवीक्षा केंद्र के बारे में (Central Scrutiny Centre-CSC)**
    - इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि **डेटा की गुणवत्ता से समझौता न किया जाए और यह त्रुटियों से मुक्त हो।**
    - यह स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस (STP) के तहत उपयोगकर्ताओं द्वारा की गई फाइलिंग की प्राथमिक रूप से संवीक्षा करेगा, डाटा गुणवत्ता मुद्दों एवं अनियमितताओं की पहचान करेगा तथा संबंधित रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इसकी जानकारी देगा।
        - **STP एक स्वचालित प्रक्रिया है**, जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के विशुद्ध रूप से इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से की जाती है।

- **यह डाटा की प्रमाणिकता और शुद्धता को बहाल करने में** सुधारात्मक कदम उठाने में सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही, आवश्यकता अनुभव होने पर इसे अन्य विनियामकों के साथ निर्बाध रूप से साझा भी किया जा सकता है।

IEPFA मोबाइल ऐप

- **यह विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (Investor Education and Protection Fund Authority: IEPFA)** का एक मोबाइल ऐप है।
  - IEPFA **कंपनी अधिनियम, 2013** के प्रावधानों के तहत वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था।
  - इस प्राधिकरण को **विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षा निधि (Investor Education Protection Fund: IEPF) के प्रशासन** का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसके तहत निवेशकों को शेयरों, अदावाकृत लाभांश, परिपक्व जमा राशियों/ ऋणपत्रों आदि का प्रतिदाय किया जाता है और निवेशकों में जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है।
- मोबाइल ऐप का उद्देश्य **निवेशकों में वित्तीय साक्षरता**, निवेशकों की जागरूकता, शिक्षा और संरक्षण का प्रसार करना है।
- ऐप में **IEPF की दावा** प्रतिदाय **प्रक्रिया की स्थिति और प्रगति को ट्रैक** करने की सुविधा होगी।
- यह निवेशकों और सामान्य नागरिकों को **संदिग्ध धोखाधड़ी योजनाओं की रिपोर्ट** करने के लिए एक तंत्र भी प्रदान करेगा।

11.9. प्रत्यक्ष बीज बुवाई चावल तकनीक {Direct Seeded Rice (DSR) Technique}

- **कृषि संबंधी गतिविधियों में ताजे जल संसाधनों का लगभग 78 प्रतिशत उपयोग होता है, जिसमें भूजल का 64%, नहरों का 23%, तालाबों का 2% और अन्य स्रोतों का 11% योगदान होता है।**
- जल उत्पादकता मानचित्रण पर **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक-भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (NABARD-ICRIER)** द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार **चावल एवं गन्ने की कृषि में भारत का लगभग 60% सिंचाई जल का** उपयोग होता है।
  - कृषि लागत और मूल्य आयोग के अनुमान के अनुसार, **1 किलोग्राम चावल के उत्पादन में 3,367 लीटर जल की खपत होती है।**
  - **पंजाब में चावल की भूमि उत्पादकता अधिक है, परन्तु प्रयुक्त सिंचाई** जल उत्पादकता **के संबंध में यह कम है। गन्ने के मामले में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में यही स्थिति है।**
- कृषि में जल का संरक्षण करने के लिए **प्रत्यक्ष बीज बुवाई चावल (DSR) और चावल गहनता प्रणाली (SRI) जैसी** तकनीकों के उपयोग से पारंपरिक बाढ़ सिंचाई की तुलना में 25-30 प्रतिशत जल की बचत की जा सकती है।
  - इसके लिए पंजाब का कृषि विभाग आगामी खरीफ मौसम (जून के मध्य में आरंभ) के दौरान धान की खेती को प्रत्यक्ष बीज बुवाई चावल (DSR) तकनीक के माध्यम से करने की योजना बना रहा है।
  - पंजाब का कृषि विभाग किसानों से धान की PR-126 किस्म की बुवाई करने और पूसा-44 किस्म की बुवाई न करने की अपील कर रहा है, क्योंकि धान की PR-126 किस्म DSR तकनीक के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है।

- **प्रत्यक्ष बीज बुवाई चावल (Direct seeded rice:DSR)**: इसके तहत नर्सरी में विकसित धान के पौधे की खेतों में रोपाई करने की बजाय खेत में प्रत्यक्ष रूप से धान के बीजों की बुवाई करके चावल की कृषि की जाती है।
  - **पूर्व अंकुरित बीज को जल एवं मृदा के मिश्रण वाले खेतों में (आर्द्र दशा में बीज की बुवाई) या खेत में एकत्रित जल (जल में बीज की बुवाई) या बुवाई के लिए तैयार भूमि (शुष्क दशा में बीज की बुवाई) में बुवाई के माध्यम से प्रत्यक्ष बीज बुवाई को किया जा सकता है।**
  - **DSR पद्धति से श्रम की बचत होती है, इसमें जल की कम मात्रा की आवश्यकता होती है, कठिन श्रम की कम आवश्यकता होती है, फसल शीघ्र परिपक्व हो जाती है और उत्पादन लागत भी कम आती है।**
- चावल गहनता प्रणाली (System of Rice Intensification: SRI) सिंचित चावल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक पद्धति है। इसके तहत पौधों की जड़, मृदा, जल और पोषक तत्वों के प्रबंधन को परिवर्तित (विशेष रूप से वृहद जड़ के विकास द्वारा) कर उत्पादकता में वृद्धि की जाती है।
  - यह **बीज की आवश्यकता में बचत, जल की बचत, रासायनिक उर्वरकों का कम उपयोग और अनाज की उपज में वृद्धि** करके चावल उत्पादन को **अधिक कुशल व टिकाऊ** बनाता है।

11.10. आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, 2021 (Economic Freedom Index, 2021)

- इसे अमेरिकी रूढ़िवादी थिंक-टैंक **"द हेरिटेज फाउंडेशन"** द्वारा प्रकाशित किया गया है।

- इस सूचकांक के तहत अग्रलिखित चार श्रेणियों, यथा- **विधि का शासन** (Rule of Law), **सरकार का आकार** (size of government), **विनियामकीय दक्षता** (regulatory efficiency) और **मुक्त बाजार** (open markets) के आधार पर विभिन्न राष्ट्रों की रैंकिंग निर्धारित की जाती है। ज्ञातव्य है कि इन चार श्रेणियों को आगे **12 संकेतकों** में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें शामिल हैं- **संपत्ति संबंधी अधिकार, वित्तीय स्वतंत्रता** आदि।
- **एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 40 देशों में से भारत 26वें स्थान** पर है और **विश्व स्तर पर भारत की रैंक 184 देशों में 121वीं** है।
  - **न्यायिक प्रभावशीलता** और अन्य संकेतकों में गिरावट आने के कारण **व्यावसायिक स्वतंत्रता** में प्राप्त अंक प्रतिसंतुलित (या समायोजित) हो गए हैं।
- **इस सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है।** उसके उपरांत **न्यूजीलैंड** और **ऑस्ट्रेलिया** ने क्रमशः दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त किया है।

11.11. मंत्रिमंडल ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति प्रदान की (Cabinet Approves Production Linked Incentive Scheme For Food Processing Industry)

- इसे "भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ावा देने हेतु आत्मनिर्भर भारत अभियान" के तहत नीति आयोग की उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive Scheme: PLI) के आधार पर तैयार किया गया है।

परिव्यय, अवधि और कवरेज	• वर्ष 2021-22 से वर्ष 2026-27 तक के लिए 10,900 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। • अखिल भारतीय स्तर पर लागू होगी।
उद्देश्य	• **प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार और विदेशों में ब्रांडिंग के लिए** खाद्य विनिर्माण संस्थाओं का समर्थन करना। • वैश्विक स्तर पर **खाद्य विनिर्माण इकाइयों को अग्रणी बनने में** सहायता प्रदान करना। • कृषि क्षेत्र से इतर **रोजगार अवसरों में** वृद्धि करना • कृषि उपज के **उपयुक्त लाभकारी मूल्य** सुनिश्चित करना।
शामिल घटक	• **पकाने के लिए तैयार/ खाने के लिए तैयार** (Ready to Cook/ Ready to Eat: RTC/ RTE) भोजन, प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां, समुद्री उत्पाद और मोजरेला चीज़। • **लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) के जैविक उत्पाद**, जिनमें अंडे, कुक्कुट मांस व अंडे उत्पाद भी ऊपरी घटक में शामिल हैं।
कार्यान्वयन	• इसे एक **परियोजना प्रबंधन अभिकरण** (Project Management Agency: PMA) के माध्यम से लागू किया जाएगा। • **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय**, योजना के अंतर्गत सम्मिलित होने हेतु आवेदकों के चयन को स्वीकृति प्रदान करेगा।
अपेक्षित प्रभाव	• 33,494 करोड़ रुपये का प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन करने के लिए प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार होगा। • वर्ष 2026-27 तक लगभग 2.5 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन होगा।
समन्वयकारी ढांचा	• PLI-योजना के अंतर्गत शामिल होने वाले आवेदकों की पात्रता **अन्य योजनाओं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी।**

11.12. अटल नवाचार मिशन-प्राइम (नवाचार, बाजार-तत्परता और उद्यमिता पर शोध कार्यक्रम) {AIM-PRIME (Program For Researchers on Innovations, Market-Readiness & Entrepreneurship)}

- **हाल ही में, AIM-PRIME को नीति आयोग द्वारा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन(BMGF) के सहयोग से आरंभ किया गया था।**
- यह पहल **स्टार्टअप्स को समर्थन प्रदान करने के लिए अटल नवाचार मिशन (AIM) द्वारा स्थापित बुनियाद पर आधारित है।** यह उद्योग को अनुसंधान से संबद्ध विशेष सेवाएं प्रदान करेगा।
- यह संपूर्ण भारत में **विज्ञान-आधारित गहन प्रौद्योगिकी स्टार्टअपों और उद्यमों को प्रोत्साहित एवं सहायता** करने की एक पहल है।
  - इस पहल का क्रियान्वयन **वेंचर सेंटर** द्वारा किया जाएगा। यह एक गैर-लाभकारी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर है।
  - इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और पुणे नॉलेज क्लस्टर के अन्तर्गत किया जाना है।
- **यह कार्यक्रम निम्नलिखित के लिए उपलब्ध है:**

- **सुदृढ़ विज्ञान-आधारित गहन प्रौद्योगिकी व्यापार विचारों वाले प्रौद्योगिकी विकासकर्ताओं** (शुरुआती-चरण वाले गहन प्रद्योगिकी स्टार्ट-अप, और वैज्ञानिकों/इंजीनियरों/चिकित्सकों) **के लिए।**
    - गहन प्रौद्योगिकी उद्यमियों का समर्थन कर रहे **अटल नवाचार मिशन (AIM) द्वारा अनुदान प्राप्त अटल इन्क्यूबेशन सेंटर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ प्रबंधकों** के लिए।
- **AIM के बारे में**
    - यह देश में **नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा** देने के लिए नीति आयोग की प्रमुख पहल है। इसे वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था।
    - **उद्देश्य:**
        - अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों में **नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रमों और नीतियों को विकसित** करना है।
        - विभिन्न हितधारकों के लिए **मंच उपलब्ध करवाना और सहयोग करने का अवसर प्रदान करना।**
        - देश के **नवाचार और उद्यमशील पारितंत्र के पर्यवेक्षण के लिए एक व्यापक संरचना का सृजन करना।**
    - **AIM के तहत की गई पहलें:** अटल टिंकरिंग लैब, अटल इन्क्यूबेशन सेंटर, मेंटर इंडिया, अटल न्यू इंडिया चैलेंजेज, अटल समुदाय नवाचार केंद्र, आत्मनिर्भर भारत-लघु उद्यमों के लिए अटल अनुसंधान और नवाचार (ARISE) आदि।

11.13. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत द्वारा हथियारों के आयात में कमी की गई {Arms Imports By India Falls: Report By Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)}

- SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार, भारत द्वारा हथियारों के आयात में वर्ष 2011-15 और वर्ष 2016-20 के बीच **33% की कमी की गई** है।
    - **वर्ष 2016-20 के दौरान भारत के शीर्ष तीन हथियार आपूर्तिकर्ता थे: रूस** (भारत के 49% आयात के लिए उत्तरदायी), **फ्रांस** (18%) और **इजरायल** (13%)।
    - **इस दौरान भारत का प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता देश रूस सर्वाधिक प्रभावित देश था,** हालांकि भारत में अमेरिकी हथियारों के आयात में भी कमी हुई है।
    - वर्ष 2016-20 के दौरान विश्व के **पांच शीर्ष हथियार निर्यातक देश थे: अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और चीन।** विश्व के पांच **शीर्ष हथियार आयातक देश सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन** थे।
- **भारत में हथियारों के आयात में गिरावट के कारण-**
    - सरकार ने वर्ष 2025 तक रक्षा विनिर्माण में **1.75 लाख करोड़ रुपये के टर्नओवर का लक्ष्य** निर्धारित किया है।
    - **101 वस्तुओं की एक ऋणात्मक सूची** तैयार की गई है, जिन्हें आयात के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा।
    - **पूंजी खरीद बजट का** घरेलू और विदेशी खरीद के मध्य **विभाजन** किया गया है।
    - **रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में स्टार्टअप्स** तथा **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए** 10,000 करोड़ रुपये मूल्य के एक **"फंड ऑफ फंड्स"** का गठन किया गया है।
    - **प्रारूप रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 (Defence Acquisition Procedure 2020)** में खरीद के लिए **स्वदेशी सामग्री अनुपात** में वृद्धि की गई है। उदाहरणार्थ: भारत में स्थापित होने वाली विदेशी उत्पादन सुविधाओं को प्रोत्साहित करने के लिए नई खरीद (भारत में वैश्विक-विनिर्माण) श्रेणी निर्मित की गई है।
    - **खरीद प्रक्रिया** में एकरूपता लाने के लिए **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ** (Chief of Defence Staff: CDS) पद की स्थापना की गई है।

11.14. सुर्ख़ियों में रहे सैन्य अभ्यास (Military Exercises In News)

दस्तलिक II (DUSTLIK II)	• यह **भारत और उज्बेकिस्तान** के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
वज्र प्रहार (VAJRA PRAHAR)	• हाल ही में, **भारत और अमेरिका के विशेष बलों के संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास वज्र प्रहार 2021 का 11वां संस्करण** आयोजित किया गया था। • यह **भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य एकान्तर रूप से (बारी-बारी से) आयोजित** किया जाता है।

11.15. अर्थ ऑवर 2021 (Earth Hour 2021)

- वर्ष 2021 के अर्थ ऑवर को 27 मार्च को मनाया गया था। **इस वर्ष इसकी थीम "पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन (Climate change to Save Earth)" थी।**
- इस वर्ष के **आयोजन में प्रकृति के विनाश और कोविड -19 जैसी रोगों के बढ़ते प्रकोप** के मध्य संबंधों को रेखांकित किया गया था।
- **आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली ने अर्थ ऑवर के दौरान 334 मेगावाट विद्युत की बचत की थी।**
- **अर्थ ऑवर के बारे में:**
    - **इसका आयोजन विश्व वन्यजीव कोष (World Wildlife Fund:WWF) द्वारा संपूर्ण विश्व में मार्च के अंत में एक घंटे के लिए (8:30-9:30 PM) लाइट आउट इवेंट के रूप में मनाया जाता है।**
    - यह व्यक्तियों, परिवारों, समुदायों और व्यवसायों को **पृथ्वी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में एक घंटे के लिए गैर-आवश्यक विद्युत के उपयोग को बंद** करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
    - **यह वर्ष 2007 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में लाइट आउट इवेंट** के रूप में आरंभ हुआ था और तब से इसे 185 देशों में समर्थन प्राप्त हो चुका है।
    - इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के मुद्दों पर कार्रवाई करने और पृथ्वी का संरक्षण करने के लिए एकजुट करना है।
- **अब तक की उपलब्धियां:**
    - WWF- **युगांडा** ने विश्व के प्रथम अर्थ ऑवर वन (Earth Hour Forest) का निर्माण किया है I
    - WWF ने **पराग्वे** में निर्वनीकरण को कम करने हेतु काष्ठ या अन्य आवश्यकताओं के लिए वनों की कटाई संबंधी स्थगन (logging moratorium) का विस्तार करने के संबंध में सार्वजनिक समर्थन का निर्माण करने हेतु अर्थ ऑवर मंच का उपयोग किया था।
    - **भारत में गैर-विद्युतीकृत तीन गांवों में सौर ऊर्जा से संचालित लाइटें स्थापित की गई हैं।**
- **WWF के बारे में**
    - यह एक **अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन** है। इसकी स्थापना वर्ष **1961** में हुई थी और इसका मुख्यालय **ग्लैंड, स्विट्जरलैंड** में स्थित है।
    - यह विश्व का अग्रणी संरक्षण संगठन है। इसका उद्देश्य प्रकृति के संरक्षण और पृथ्वी पर जीवन की विविधता के समक्ष उत्पन्न सर्वाधिक गंभीर खतरों को कम करना है।
    - WWF द्वारा संचालित एक अन्य पहल **ट्रैफिक (TRAFFIC)** है। यह एक अग्रणी गैर-सरकारी संगठन है। यह जैव विविधता के संरक्षण और सतत विकास दोनों के संदर्भ में वन्य प्राणियों एवं पादपों के व्यापार के क्षेत्र में वैश्विक रूप से कार्य कर रहा है।
    - **WWF द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट:** लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट आदि।

11.16. अर्ध-प्रतिध्वनित प्रवर्धन (Quasi-Resonant Amplification: QRA)

- **हालिया अध्ययन के अनुसार, "अर्ध-प्रतिध्वनि प्रवर्धन" (Quasi-Resonant Amplification:QRA) और भारत में लू (heatwaves) की परिघटना के मध्य सहसंबंध पाया गया है।**
    - इस अध्ययन के तहत किए गए अनुसंधान में पहली बार यह दर्शाया गया है **कि QRA के परिणामस्वरूप भारत में लू की परिघटना घटित होगी।**
    - वर्ष **2003 की यूरोप में हीटवेव्स की घटना, वर्ष 2010 में पाकिस्तान में आई बाढ़ और रूसी में हीटवेव्स की घटना तथा** पशु एवं मानव जीवन को प्रभावित करने वाली अन्य चरम घटनाओं के लिए QRA क्रियाविधि को उत्तरदायी कारक के रूप में दर्शाया गया है।
- **वैश्विक तापन के परिणामस्वरूप आर्कटिक के तापवर्धन** के कारण QRA क्रियाविधि का निर्माण होता है।
- **अन्य संबंधित तथ्य**
    - इस तथ्य के सुदृढ़ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि **QRA वसंत ऋतु (अप्रैल-मई) में भी घटित होती है,** जब भारत में लू की परिघटना घटित होती है।

- वैश्विक औसत की तुलना में आर्कटिक क्षेत्र में तापमान **दोगुनी गति से बढ़ रहा है।**
- वैश्विक तापन के कारण तापमान में किसी भी प्रकार की वृद्धि का आर्कटिक के तापन पर प्रभाव पड़ता है, **जो भारत (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित) में लू का कारण बनता है।**
- शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि भारत में लू का पूर्वानुमान **कम से कम चार दिन पहले लगाया जा सकता है।**

- **लू (Heat wave या उष्ण लहर) के बारे में**
  - गुणात्मक रूप से देखें तो लू वायु के तापमान की एक स्थिति है, जिसके संपर्क में आना मानव शरीर के लिए घातक होता है।
  - मात्रात्मक रूप से देखें तो, इसे वास्तविक/तात्कालिक तापमान या सामान्य तापमान से विचलन के संदर्भ में किसी **क्षेत्र की तापमान की अधिकतम सीमा** के आधार पर परिभाषित किया जाता है।
  - भारत में, लू की स्थिति तब मानी जाती है, जब **मैदानी क्षेत्रों में किसी स्थान का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पहुँच जाता है और पहाड़ी क्षेत्रों में किसी स्थान का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुँच जाता है।**
  - **सामान्य तापमान से विचलन के आधार पर**
    - **लू:** जब सामान्य तापमान से विचलन 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक होता है।
    - **गंभीर लू की स्थिति:** जब सामान्य तापमान से विचलन 6.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है।
  - **वास्तविक/तात्कालिक अधिकतम तापमान के आधार पर**
    - **लू:** जब वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होता है।
    - **लू की गंभीर स्थिति:** जब वास्तविक अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होता है।
  - यदि उपर्युक्त मानदंड **कम से कम लगातार दो दिनों के लिए किसी मौसम विज्ञान उप-विभाग के कम से कम 2 स्टेशनों (स्थान) में मिलते हैं,** तब दूसरे दिन संबंधित उप-विभाग के स्टेशन को लू प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है।

11.17. एल्युमीनियम-एयर बैटरी (Aluminium-Air Batteries)

- **इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड** ने इजराइल-स्थित बैटरी प्रौद्योगिकी स्टार्टअप फ़िनर्जी (Phinergy) के साथ **एक संयुक्त उद्यम आरंभ किया है। यह उद्यम इलेक्ट्रिक वाहनों और स्थैतिक भंडारण के साथ-साथ** हाइड्रोजन भंडारण के समाधान के लिए एल्यूमीनियम-वायु प्रौद्योगिकी-आधारित बैटरी प्रणाली विकसित करने के लिए प्रारंभ किया गया है।

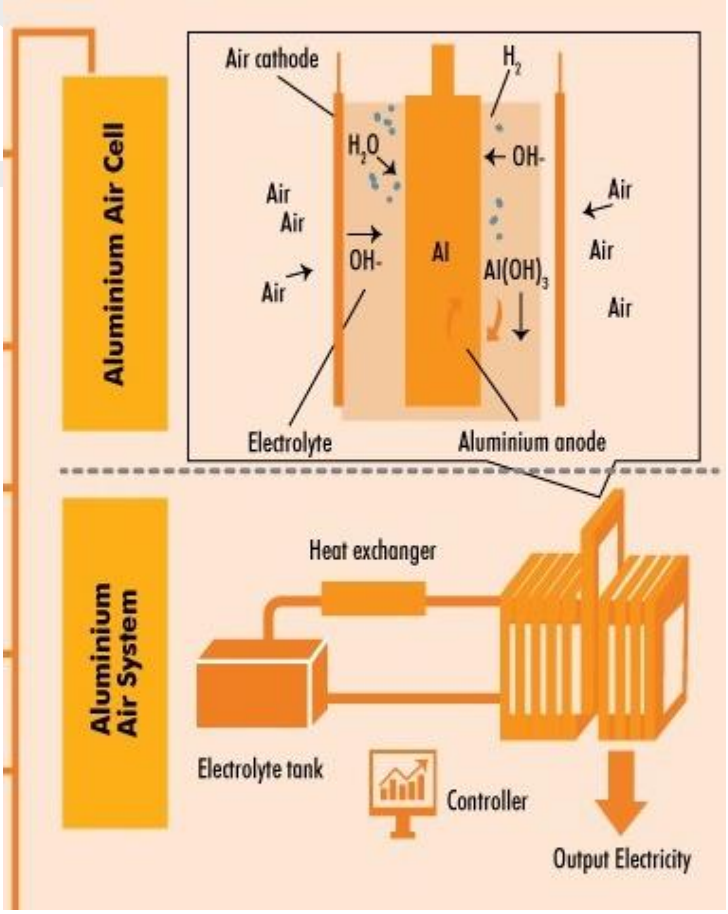

- एल्युमिनियम-एयर बैटरियां **वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं, जो (ऑक्सीजन) एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड घोल के साथ अभिक्रिया** करके एल्युमिनियम को ऑक्सीकृत करती है और विद्युत उत्पन्न करती है।
  - **धातु-एयर बैटरियों में** उपयुक्त इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से **धातु एनोड और वायु का श्वसन करने वाले कैथोड** (air-breathing cathode) लगे होते हैं।
  - एल्युमिनियम-एयर बैटरियों के अतिरिक्त अन्य धातु-एयर बैटरियां जिनका व्यापक पैमाने पर अध्ययन किया गया है, वे हैं; **सोडियम (Na)-एयर, पोटेशियम (K)- एयर, जिंक (Zn)- एयर, मैग्नीशियम (Mg)- एयर बैटरियां आदि।**
- **लिथियम-आयन बैटरियों की तुलना में एल्युमिनियम-एयर बैटरियों के लाभ:**
  - **यह अत्यधिक वहनीय, हल्का और अधिक ऊर्जा-सघन** विकल्प है।

- प्रत्येक पूर्ण चार्ज पर प्रति बैटरी के आधार पर लिथियम आयन बैटरी (150-200 किलोमीटर) की तुलना में एल्यूमीनियम-एयर बैटरी की क्षमता **(400 किमी या अधिक किमी तक) अधिक होती है।**
- अन्य बैटरियों के विपरीत, एल्यूमीनियम-एयर बैटरी में लगी एल्यूमिनियम प्लेट को प्रत्यक्ष रूप से **पुनः चक्रित और उद्योगों में भी प्रयुक्त किया जा सकता है।**

- **एल्युमीनियम-एयर बैटरियों की एक प्रमुख कमी यह है कि इन्हें लिथियम आयन बैटरियों की भांति पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है।**

11.18. मियावाकी शहरी वन प्रबंधन तकनीक (Miyawaki Technique of Urban Forest Management)

- हाल ही में, **महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सहित** कई राज्यों ने शहरी क्षेत्रों में वनों के सृजन के लिए मियावाकी तकनीक को बढ़ावा देना आरंभ किया है।
- **मियावाकी तकनीक (Miyawaki technique) के बारे मे**
    - **यह 1980 के दशक में जापानी वनस्पतिशास्त्री अकीरा मियावाकी (Akira Miyawaki) के कार्य पर आधारित वनीकरण की एक विधि है।**
    - इस तकनीक के तहत **छोटे भू-खंडों पर वन के विभिन्न स्तरों यथा झाड़ियां, वृक्षों व वितानों को एक साथ समाहित कर संबंधित भू-खंडों** को लघु वनों में परिवर्तित कर दिया जाता है।
- **मियावाकी तकनीक की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं**
    - स्थानीय प्रजातियों का स्थानीय दशाओं के अनुकूल उपयोग करके, **प्रति वर्ग मीटर में तीन से चार पौधों का रोपण करना।**
    - पादपों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां **(आदर्श रूप से 30 या अधिक पादप प्रजातियाँ)** प्राकृतिक वनों के स्तरों को पुन: निर्मित करने के लिए रोपित की जाती हैं।
    - **मल्चिंग, प्राकृतिक जल प्रतिधारण और पारगम्य सामग्री जैसे चावल की भूसी** तथा जैविक खाद का उपयोग पादपों की वृद्धि में सहयोग करने के लिए किया जाता है।
    - इस स्थल (भूखंड) की **निगरानी और प्रबंधन 2 से 3 वर्षों की अवधि** के लिए किया जाता है, जिसके पश्चात ये स्थल अपना अस्तित्व स्वयं बनाए रख सकते हैं।
- **मियावाकी तकनीक के लाभ -**
    - मृदा और जलवायु परिस्थितियों के बावजूद भी यह प्रभावी ढंग से कार्य करती है।
    - इस तकनीक के तहत निर्मित लघु वन (पारंपरिक तरीकों द्वारा रोपित पादपों की तुलना में) 10 गुना तेजी से वृद्धि करते हैं, 30 गुना अधिक सघन होते हैं और 100 गुना अधिक जैव-विविध होते हैं।
    - **इनसे शहरों में कंक्रीट की इमारतों द्वारा निर्मित ऊष्मीय प्रभाव (Heat islands) को कम करने में सहायता मिलती है।**
        - हीट आइलैंड ऐसे शहरीकृत क्षेत्र होते हैं, जो बहिर्वर्ती क्षेत्रों की तुलना में उच्चतर तापमान का अनुभव करते हैं। इसका कारण यह है कि शहरी अवसंरचना प्राकृतिक परिदृश्य की तुलना में सूर्य की ऊष्मा को अधिक अवशोषित और अधिक पुन: उत्सर्जित करती है।
    - **वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करती है तथा स्थानीय पक्षियों एवं कीटों को आश्रय प्रदान करती है। साथ ही, कार्बन सिंक का निर्माण भी करती है।**
        - पारंपरिक वन की तुलना में ये **30 गुना या अधिक कार्बन-डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं।**
    - **मियावाकी वनों को लघु अवधि में भूमि में पुनर्सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है,** जबकि **प्राकृतिक रूप से वनों द्वारा यह कार्य निष्पादन करने में 70 वर्षों से अधिक का समय** लगता है।
- हालांकि, ऐसे वनों में प्राकृतिक वनों की तुलना में कुछ गुणों **जैसे औषधीय गुण और वर्षा करवाने की क्षमता का अभाव होता है।**

11.19. ईंट निर्माण क्षेत्र के लिए ऊर्जा दक्षता उद्यम (ई-3) प्रमाण-पत्र कार्यक्रम {Energy Efficiency Enterprise (E3) Certifications Programme for Brick Manufacturing Sector}

- विद्युत मंत्रालय द्वारा E3 प्रमाणन योजना को प्रारंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य **ईंट निर्माण क्षेत्र में विशाल ऊर्जा प्रभाव क्षमता का दोहन करना है।**
    - यह योजना **ऊर्जा कुशल ईंटों के निर्माण हेतु अधिक कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए नेतृत्व प्रदान करेगी।** इस प्रकार निर्मित ईंटें ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (Energy Conservation Buildings Code: ECBC) की प्रमुख अर्हताओं को पूरा करने में उपयोगी सिद्ध होंगी।

- ईंट क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग **0.7% का योगदान करता है और 1 करोड़ से अधिक श्रमिकों के लिए मौसमी रोजगार** प्रदान करता है।

11.20. राइट टू रिपेयर (Right to Repair)

- यूरोपीय संघ (EU) द्वारा **EU में चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु 'राइट टू रिपेयर' कानूनों को स्थापित करने के लिए एक सुदृढ़ कानून लागू किया गया है।**
- **राइट टू रिपेयर** के तहत, उपकरणों के विनिर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स (कलपुर्जे) एक दशक (10 वर्ष) तक उपलब्ध रहेंगे।
- बाजार में नए उपकरणों को **मरम्मत नियमावली (repair manuals)** के अंतर्गत ही लाया जाएगा। साथ ही, इन **उपकरणों को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाएगा कि** जब मरम्मत करके भी उनको ठीक करना संभव न हो तो उन्हें पारंपरिक साधनों का उपयोग करके **विघटित किया जा सके**, जिससे उपकरणों के पुनर्चक्रीकरण में सुधार हो।

11.21. सरकार रैखिक से चक्रीय अर्थव्यवस्था में रूपांतरण के लिए प्रयासरत है (Government Driving Transition From Linear To Circular Economy)

- **बढ़ती जनसंख्या, तीव्र शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण के बीच, सरकार एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने** के लिए नीतियां एवं परियोजनाएं तैयार कर रही है।
    - **भारत का संसाधन निष्कर्षण 1,580 टन/ एकड़ है (वैश्विक औसत 450 टन/ एकड़)**। एक ओर यूरोप अपने उपभोग की वस्तुओं में से 70% का पुनर्चक्रण करता है, जबकि भारत केवल 20% का ही पुनर्चक्रण करता है।

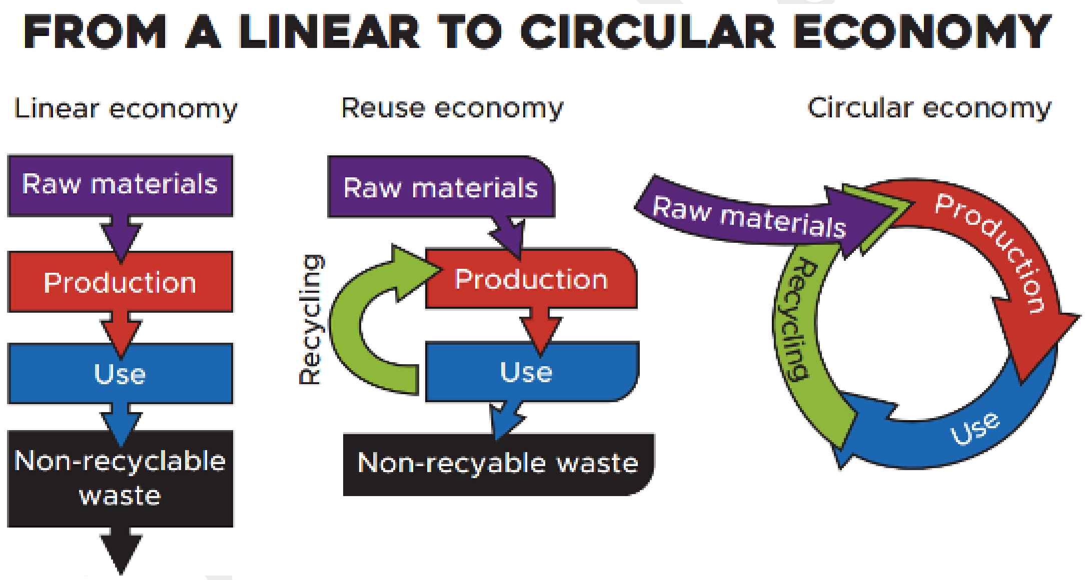

- रैखिक अर्थव्यवस्था **ग्रहण-निर्माण-उपभोग-परित्याग प्रतिरूप (take-make-consume-throw away)** पर आधारित होती है।
- चक्रीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों को यथासंभव दीर्घावधि तक उपयोग में रखा जाता है, उपयोग में लाए जाने वाले उत्पादों व सामग्रियों का अधिकतम दोहन किया जाता है और प्रत्येक कार्यशील अवधि के अंत में उन्हें पुनः प्राप्त एवं पुनरुत्पादित किया जाता है।
    - चक्रीय अर्थव्यवस्था के **5R सिद्धांत हैं- कम करना** (Reduce), **पुन: उपयोग करना** (Reuse), **पुनर्चक्रण करना** (Recycle), **पुनर्निर्माण करना** (Remanufacture) तथा **मरम्मत / नवीनीकरण करना** (Repair/Refurbish)।
- **किए गए उपाय:**
    - विभिन्न नियमों की अधिसूचना, जैसे कि **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम आदि जारी की गई हैं।**
    - नीतियां जैसे **शून्य प्रभाव, शून्य दोष, राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना** आदि संचालित की जा रही हैं।
    - अन्य क्षेत्रों में इस्पात उद्योग में उत्पादित फ्लाई ऐश और स्लैग (धातुमल) के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- देश को एक रैखिक अर्थव्यवस्था से एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए **11 समितियां** गठित की गई हैं। इनमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) तथा नीति आयोग के अधिकारी शामिल हैं। इन समितियों का विशेष ध्यान **11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों** जैसे नगरपालिका ठोस एवं तरल अपशिष्ट, स्क्रैप धातु आदि के कुशल निपटान पर रहता है।

11.22. आपदा अनुकूल अवसंरचना के लिए गठबंधन की वार्षिक बैठक का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया {3rd Edition of The Annual Conference of the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) held}

- ऐसा बुनियादी ढाँचा, जिस पर किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा का लगभग नगण्य प्रभाव पड़ता है, उसे **आपदा अनुकूल संरचना (DRI)** के रूप में जाना जाता है। **इसमें शामिल हैं:**
    - **संरचनात्मक उपायों** में आपदा जोखिमों को प्रतिबिंबित करने के लिए अभियांत्रिकी डिजाइन और मानकों को समायोजित करना सम्मिलित है, जैसे **बाढ़ नियंत्रण प्रणाली, इमारतों की रेट्रोफिटिंग** आदि।
    - **गैर-संरचनात्मक उपायों** में जोखिम-संवेदनशील योजना, संस्थागत ढांचे को लागू करना, आपदा मानचित्रण, पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित प्रबंधन और आपदा जोखिम वित्तपोषण आदि शामिल हैं।

- **आपदा अनुकूल अवसंरचना के लिए गठबंधन (CDRI) के बारे में:**
    - यह एक स्वैच्छिक बहु हितधारक अंतर्राष्ट्रीय समूहन है, जिसमें **सरकार, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां, निजी क्षेत्र** आदि शामिल हैं। यह गठबंधन बुनियादी ढांचा प्रणालियों में **जलवायु और आपदा संबंधी जोखिमों के प्रति अनुकूलता (लचीलेपन) का विकास** करते हैं।
        - इसकी घोषणा, भारत के प्रधान मंत्री द्वारा **संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन-2019** के दौरान की गई थी।
    - CDRI, सदस्य देशों के लिए **आपदा से होने वाली मृत्यु एवं आर्थिक हानि को कम करने संबंधी लक्ष्यों का निर्धारण** करेगा और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने हेतु उन्हें प्रेरित भी करेगा।
        - यह **आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क और पेरिस जलवायु समझौते** के मध्य की कड़ी के रूप में भी कार्य करेगा।
    - CDRI की शासी परिषद इसका सर्वोच्च नीति-निर्माण निकाय है। भारत और ब्रिटेन इसके सह-अध्यक्ष हैं।

11.23. नवीन प्रजातियों की खोज (Species Discovered)

- भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में लाल समुद्री शैवाल की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है।
    - **हाइपिना इंडिका** (Hypnea indica) की खोज तमिलनाडु के कन्याकुमारी और गुजरात के सोमनाथ पाटन और शिवराजपुर में की गई थी।
    - **हाइपिना बुलाटा** (Hypnea bullata) की खोज कन्याकुमारी और दमन और दीव के द्वीप से की गई थी।
    - वे समुद्र के **अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में** विकसित होती हैं।
- पश्चिमी घाट में अगस्त्यमलाई में एक नई तितली प्रजाति **नाकाडुबा सिंहला रामास्वामी सदाशिवन** (Nacaduba sinhala ramaswamii Sadasivan) की खोज की गई है।

11.24. IUCN की रेड लिस्ट में अफ्रीकी हाथी की प्रजातियां अब एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत (African elephant species now Endangered and Critically Endangered - IUCN Red List)

- वर्तमान में, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की रेड लिस्ट में सवाना हाथी (savanna elephant) को एंडेंजर्ड और वन हाथी (forest elephant)को क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में अधिसूचित किया गया है। वन हाथी सवाना हाथी की तुलना में छोटा व अल्प वजनी होता है।
    - ये दोनों, **अफ्रीकी हाथियों की उप-प्रजातियां** हैं।
    - **दोनों प्रजातियों को हाथीदांत के लिए अवैध शिकार और मानव अतिक्रमण के खतरे का सामना करना पड़ रहा है।**
- **अफ़्रीकी सवाना हाथी और अफ़्रीकी वन हाथी के बारे में**
    - **वन हाथी मध्य अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वनों में** और पश्चिम अफ्रीका के विभिन्न पर्यावासों में पाए जाते हैं।
    - सवाना हाथी **उप-सहारा अफ्रीका में घासभूमियों और रेगिस्तानों सहित विभिन्न प्रकार के पर्यावासों** में पाए जाते हैं।
- **एशियाई हाथी (भारत में पाए जाते हैं) का आकार अफ्रीकी हाथियों की तुलना में छोटा होता है।** साथ ही, एशियाई हाथियों के कान अफ्रीकी प्रजातियों के हाथियों के पंखे जैसे बड़े आकार के कानों की तुलना में छोटे होते हैं।
    - **केवल कुछ नर एशियाई हाथियों के ही हाथी दाँत** होते हैं, जबकि अफ्रीकी नर और मादा दोनों हाथियों के हाथी दाँत होते हैं।
    - **एशियाई हाथियों की 3 उप-प्रजातियां यथा भारतीय, श्रीलंका और सुमात्रा हैं।**
- भारतीय हाथी के बारे में,
    - **हाथियों के झुंड का नेतृत्व सदैव सबसे बुजुर्ग हथनी करती** है।
    - मादा हाथी **60 से 70 वर्षों** तक जीवित रहती है।
- **हाथियों का गर्भकाल 22 महीने तक** का होता है। हाथी का गर्भकाल **सभी स्तनधारियों में सबसे लंबा होता है।**

प्रजातियाँ	पुरानी स्थिति	नई स्थिति
वन हाथी (लॉक्सोडोंटा साइक्लोटिस) {Forest Elephant (Loxodonta cyclotis)}	वल्नरबल (सुभेद्य) VU	क्रिटिकली एंडेंजर्ड (गंभीर रूप से संकटग्रस्त) CR
सवाना /बुश हाथी (लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना) {Savanna/ Bush elephant (Loxodonta africana)}	वल्नरबल VU	एंडेंजर्ड (संकटग्रस्त) EN
एशियाई हाथी (Asian Elephant)	एंडेंजर्ड EN	

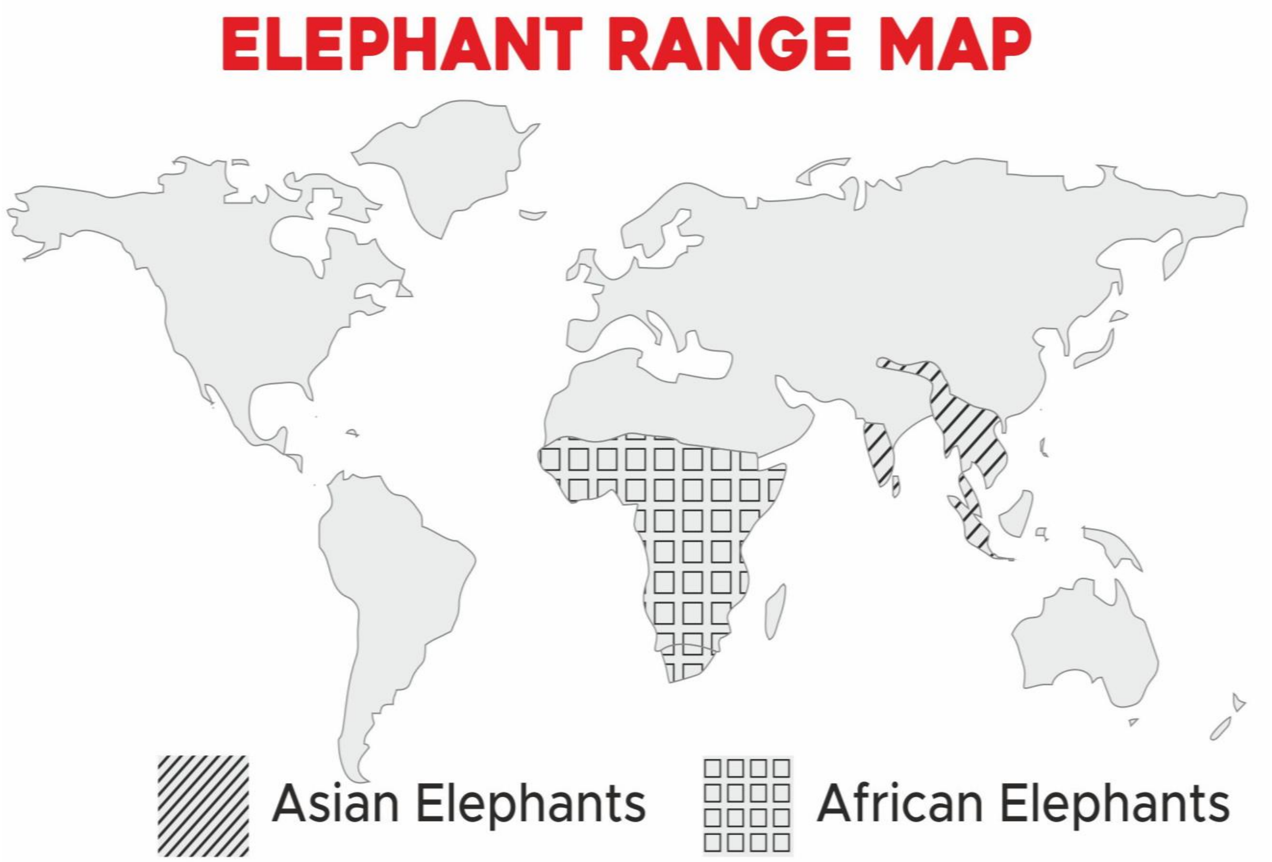

11.25. विद्युत मंत्रालय ने सभी के लिए किफायती एल.ई.डी. के माध्यम से उन्नत ज्योति योजना (उजाला/UJALA) कार्यक्रम का शुभारंभ किया {Ministry Of Power Launches Gram Unnatjyoti By Affordable Leds For All (UJALA) Programme}

- सभी के लिए किफायती एलईडी के माध्यम से उन्नत ज्योति योजना (उजाला) (Gram Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All: UJALA) कार्यक्रम के तहत, **कार्यशील तापदीप्त बल्बों (incandescent bulbs) को जमा करवाने पर ग्रामीण उपभोक्ताओं को 3 वर्ष की वारंटी के साथ 7 वाट और 12-वाट के एलईडी बल्ब प्रदान किए जाएंगे।**
    - ये बल्ब **एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL)** की सहायक कंपनी **कन्वर्जेन्स एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL)** द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं।
    - योजनाओं के प्रथम चरण में ग्रामीण उपभोक्ता **एलईडी बल्बों के लिए अधिकतम पांच बल्बों** का विनिमय कर सकते हैं।
    - भाग लेने वाले ग्रामीण परिवारों में बल्बों के उपयोग की गणना के लिए उनके घरों में मीटर भी संस्थापित किए जाएंगे।

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) के बारे में

- विद्युत मंत्रालय के तहत EESL ऊर्जा दक्षता को मुख्यधारा में लाने के लिए कार्य कर रहा है। उल्लेखनीय है कि यह देश में विश्व के सबसे बड़े ऊर्जा दक्षता पोर्टफोलियो को लागू कर रहा है।
- **EESL के अन्य ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम**
    - स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (SNLP),
    - कृषि मांग पक्ष प्रबंधन (AgDSM) कार्यक्रम,
    - भवन ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम,
    - राष्ट्रीय स्मार्ट मीटर कार्यक्रम तथा
    - सुरक्षा और दक्षता हेतु घरेलू वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए एयर कंडीशनिंग की रेट्रो फिटिंग (RAISE)।

- **वित्त पोषण:** योजना में कोई सरकारी सहायता या सब्सिडी प्रदान नहीं की जा रही है और इसे पूर्णतः कार्बन क्रेडिट के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा।
    - कार्बन क्रेडिट को **शाइन प्रोग्राम ऑफ ऐक्टिविटीज़** के अंतर्गत **स्वैच्छिक कार्बन मानक (Voluntary Carbon Standard)** के तहत सत्यापन के एक विकल्प के साथ तैयार किया जाएगा। इसमें खरीदारों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा।

- **कार्बन क्रेडिट** क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एक तंत्र है। यह **पर्यावरण हितैषी परियोजनाओं** द्वारा कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण के आधार पर उन्हें **भुनाने योग्य (encashable) पॉइंट्स या कार्बन उत्सर्जन कटौती (carbon emission reduction: CERs) प्रदान करता है।**
- **कार्यक्रम के लाभ:**
    - कार्बन फुटप्रिंट को कम करना।
    - ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा पहुंच में सुधार करना।
    - वहनीय कीमत पर बेहतर प्रकाश उपलब्धता आदि।

11.26. भारत की प्रथम अंतर्राज्यीय बाघ स्थान-परिवर्तन परियोजना विफल हो गई (India's First Interstate Tiger Translocation Project Fails)

- वर्ष 2018 में भारत की प्रथम अंतर्राज्यीय बाघ स्थान-परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश से ओडिशा लाई गई एक बाघिन को हाल ही में वापस उसके मूल स्थान भेज दिया गया।
    - इस परियोजना के तहत, **मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिज़र्व से एक नर बाघ (महावीर) और बांधवगढ़ से एक मादा बाघ (सुंदरी)** को **ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिज़र्व** में स्थानांतरित किया गया था।
- बाघों के स्थान-परिवर्तन (Translocation) का लक्ष्य **निम्नलिखित दो उद्देश्यों की पूर्ति करना था:**
    - बाघों की अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में उनकी संख्या को कम करने से बाघों के मध्य क्षेत्रीय संघर्षों को न्यून करना।
    - उन क्षेत्रों में बाघों को पुन: अधिवासित करना, जहां उनकी संख्या विभिन्न कारणों से काफी कम हो गई है।
- **परियोजना से संबद्ध मुद्दे:**
    - **सतकोसिया रिज़र्व के समीप रहने वाले ग्रामीणों द्वारा बाघों के वहाँ आगमन का तीव्र विरोध** किया गया था।
        - बाघों के स्थान-परिवर्तन से पूर्व **वन विभाग और ग्रामीणों के मध्य विश्वास उत्पन्न करने के उपायों का अभाव** था।
    - शिकार की अल्प उपलब्धता बाघों को मानव बहुल क्षेत्र में जाने के लिए विवश कर देती है, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है।
    - **अवैध शिकार के कारण नर बाघ की मृत्यु** हो गई थी।
    - स्थान-परिवर्तन जल्दबाजी में किया गया था। फील्ड स्टाफ और टाइगर रिज़र्व प्रबंधन इसके लिए तैयार नहीं थे।

11.27. फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 (Food Waste Index Report 2021)

- यह रिपोर्ट **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)** द्वारा जारी की गई है।
- इसके अनुसार, **वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कुल खाद्य के 17% के बराबर (लगभग 931 मिलियन टन) खाद्य, व्यर्थ हो गया था।**
- **भारत में** नष्ट हुए खाद्य की मात्रा **50 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष थी**। यह **नाइजीरिया** की तुलना में कम थी, जहां **189 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष** खाद्य नष्ट हुआ था।
- रिपोर्ट के अनुसार **खाद्य की बर्बादी को कम करने से खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा**। साथ ही, यह जलवायु परिवर्तन की समस्या को भी संबोधित करेगा। इससे **धन की बचत होगी** और **पर्यावरण पर कम दबाव** पड़ेगा।

11.28. महिला और बाल विकास मंत्रालय की सभी प्रमुख योजनाएं को 3 छत्रक योजनाओं के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया गया है (All Major Schemes of Ministry of Women and Child Development Classified Under 3 Umbrella Schemes)

- **इस वर्गीकरण से विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में निम्नलिखित प्रकार से सहायता प्राप्त होगी:**
    - अंतर-मंत्रालयी और अंतर-क्षेत्रक अभिसरण (convergence) को प्रोत्साहन प्राप्त होगा।
    - कार्य के दोहराव संबंधी मामलों को कम किया जा सकेगा।
    - लाभार्थियों की बेहतर पहचान, उनका लक्ष्यीकरण और अल्प संसाधनों का कुशल उपयोग संभव हो पाएगा।

छत्रक योजना (Umbrella Scheme)	**विलय की गई योजनाओं की प्रकृति**	**सम्मिलित योजनाएं**
सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (Saksham	• सक्षम आंगनवाड़ी का उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों को शिशुगृह (क्रेच) जैसी अतिरिक्त	• इसमें समेकित बाल विकास सेवा (Integrated Child Development

Anganwadi and POSHAN 2.0)	सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ स्मार्ट शिक्षण और अधिगम (लर्निंग) सहायता प्रदान करके उन्हें पारस्परिक रूप से सक्रिय व और अधिक बाल-अनुकूल बनाना है। • भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करने, उनके वितरण, उन तक पहुँच एवं अन्य सकारात्मक परिणामों के लिए **अनुपूरक पोषण कार्यक्रम** और **पोषण अभियान** का विलय करके **मिशन पोषण 2.0** का प्रारंभ किया जाएगा। ○ पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन वस्तुतः बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण परिणामों में सुधार करने हेतु संचालित किया जा रहा एक प्रमुख कार्यक्रम है।	Services: ICDS) योजना और इसके घटकों, यथा- आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना, राष्ट्रीय शिशुगृह (क्रेच) योजना आदि को शामिल किया गया है।
मिशन वात्सल्य (Mission VATSALYA)	• यह **बच्चों की सुरक्षा और खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए** आरंभ की गई एक पहल है।	• **बाल संरक्षण सेवाएं** और **बाल कल्याण सेवाएं**।
मिशन शक्ति (Mission Shakti)	• इसके अंतर्गत **महिलाओं के संरक्षण और सशक्तीकरण के लिए** नीतियां और योजनाएं शामिल की जाएंगी। • यह मिशन अन्य मिशनों / छत्रक योजनाओं के साथ समन्वित रूप में संचालित किया जाएगा।	• **संबल** (SAMBAL) (वन स्टॉप सेंटर, महिला पुलिस स्वयंसेवक, महिला हेल्पलाइन / स्वाधार / उज्ज्वला/ विधवा आश्रय स्थल इत्यादि)। • **सामर्थ्य** (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिशुगृह, प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना / जेंडर बजटिंग / शोध आदि)।

11.29. विश्व टीकाकरण और लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन (World Immunisation & Logistics Summit)

- हाल ही में, **भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** ने अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की मेजबानी में आयोजित इस दो दिवसीय आभासी शिखर सम्मेलन में **डिजिटल रूप से भाग लिया।**
- इस सम्मेलन का आयोजन **संयुक्त अरब अमीरात के होप (HOPE) सहायता संघ** द्वारा **कोविड-19 से निपटने वाले वैश्विक दृष्टिकोण में सहयोग बढ़ाने** तथा सभी के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।
- इस शिखर सम्मेलन में कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने हेतु एकीकृत वैश्विक दृष्टिकोण का अन्वेषण करने के लिए **प्रतिष्ठित वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल और परोपकारी नेताओं, निर्णय निर्माताओं, विशेषज्ञों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों** द्वारा भागीदारी की गई।
- इस सम्मेलन में **वैश्विक महामारी से संबंधित अनुक्रिया के आगामी चरण** पर प्रकाश डाला गया। इसमें वैश्विक स्तर पर टीके का वितरण करना और साथ ही, टीके के वितरण से संबंधित चुनौती का प्रभावी परिवहन एवं प्रौद्योगिकी (जिसमें डेटा-सक्षम आपूर्ति श्रृंखला व ब्लॉकचेन संबंधी समाधान शामिल हैं) के माध्यम से समाधान करना सम्मिलित है।
- **होप सहायता संघ (HOPE Consortium) के बारे में**
  - **यह संयुक्त अरब अमीरात स्थित एक सार्वजनिक-निजी साझेदारी है, जिसे नवंबर, 2020 में आरंभ किया गया था।**
  - यह वैक्सीन के परिवहन, मांग की योजना निर्मित करने, स्रोत पर प्रशिक्षण देने और डिजिटल प्रौद्योगिकी अवसंरचना तथा **वैश्विक स्तर पर वैक्सीन की उपलब्धता को सुविधाजनक** बनाने संबंधी समाधान करने के लिए **एक संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला समाधान** की परिकल्पना करता है।
  - **मध्य पूर्व में अबू धाबी के बंदरगाह शीत श्रृंखला और अत्यधिक-शीत भंडारण की सबसे बड़ी क्षमता से युक्त हैं।**

- पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाली आपूर्ति श्रृंखला के प्रवेश द्वार के रूप में, अबू धाबी के माध्यम से मध्य पूर्व और व्यापक विश्व की सेवा करने के लिए UAE एक नवाचार केंद्र के रूप में अपनी क्षमताओं का लाभ उठाएगा।

11.30. स्टॉप टी.बी. पार्टनरशिप (Stop TB Partnership)

- इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। इस साझेदारी का मिशन **टीबी के प्रति सुभेद्य प्रत्येक व्यक्ति की सेवा करना है।** इसके अतिरिक्त, इसे उन सभी के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण निदान, उपचार और देखभाल सुनिश्चित करना है, जिन्हें इसकी आवश्यकता है।
- **वर्तमान में इसके 1700 से अधिक भागीदार हैं** जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय और तकनीकी संगठन, सरकारी कार्यक्रम, अनुसंधान एवं वित्त पोषण एजेंसियां, फाउंडेशन, गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज तथा सामुदायिक समूह व निजी क्षेत्र शामिल हैं।
- **केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को** स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड (टीबी रोको साझेदारी बोर्ड) के **अध्यक्ष** के रूप में नियुक्त किया गया है।
  - यह बोर्ड **नेतृत्व और दिशा** प्रदान करता है। साथ ही, सहमत नीतियों, योजनाओं के कार्यान्वयन और साझेदारी की गतिविधियों आदि की निगरानी करता है।

11.31. स्वच्छता सारथी फेलोशिप (Swachhta Saarthi Fellowships)

- इसे भारत सरकार के **प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय** द्वारा **'वेस्ट टू वेल्थ मिशन'** {प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद, (Prime Minister's Science, Technology, and Innovation Advisory Council: PM-STIAC) के नौ राष्ट्रीय मिशनों में से एक} के तहत आरंभ किया गया।
- **वैज्ञानिक और संधारणीय रूप से अपशिष्ट प्रबंधन के सामुदायिक कार्य के लिए पुरस्कारों की तीन श्रेणियां हैं:**
  - **श्रेणी ए :** 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए,
  - **श्रेणी-बी:** कॉलेज के छात्रों के लिए (स्नातक, स्नातकोत्तर, शोध छात्रों हेतु) तथा
  - **श्रेणी-सी:** इसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के माध्यम से समुदाय में कार्य कर रहे नागरिकों, नगर निगम कर्मियों और स्वच्छता कर्मी जो अपने उत्तरदायित्व से आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं शामिल हैं।

11.32. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने "सुगम्य भारत ऐप" लॉन्च किया (Minister of Social Justice and Empowerment Launches "Sugamya Bharat App")

- **सुगम्य भारत ऐप-** यह एक क्राउड सोर्सिंग मोबाइल एप्लीकेशन है। भारत में **सुगम्य भारत अभियान** (Accessible India Campaign) के 3 स्तंभों में संवेदनशीलता और सुगम्यता को बढ़ाने का एक साधन है, **अर्थात्:**
  - निर्मित पर्यावरण सुगम्यता;
  - परिवहन प्रणाली सुगम्यता तथा
  - सूचना और संचार से संबंधित परिवेश में सुगम्यता।
- यह ऐप **दिव्यांगजनों और यहां तक कि वृद्धजनों को भी इमारतों, परिवहन के साधनों या किसी भी बुनियादी ढांचे पर सुगम्यता (पहुंच) संबंधी समस्याओं की तस्वीरें अपलोड करने की सुविधा प्रदान कर शिकायतों को दर्ज करने में सक्षम** करेगा।
  - वे ऐप के माध्यम से सुगम्यता-संबंधी मुद्दों पर जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।
- **सुगम्य भारत अभियान** को दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (Department of Empowerment of Persons with Disabilities: DEPwD) द्वारा सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में परिकल्पित किया गया है।

* **सुगम्य भारत अभियान के तहत अन्य पहलें हैं:**
  * सार्वजनिक और निजी दोनों संगठनों को सुगम्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए **अपनी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधि का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित** किया जाता है।
  * सरकार द्वारा **'समावेशी और सुगम्यता सूचकांक'** (Inclusiveness and Accessibility Index) का उपयोग विभिन्न उद्योगों द्वारा अपने कार्यस्थल को दिव्यांगजनों (PwD) के अनुरूप तैयार करने के प्रयासों का आकलन करने हेतु किया जाता है।
  * **"सुगम्य पुस्तकालय"** सुगम्य भारत अभियान के हिस्से के रूप में मुद्रित सामग्रियों की पठन संबंधी अक्षमता से पीड़ित दिव्यांगजनों के लिए एक ऑनलाइन पुस्तकालय है।

11.33. सीमांत प्रौद्योगिकियों में भारत एक बेहतर प्रदर्शनकर्ता (India an Over Performer in Frontier Technologies)

* **संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD)** द्वारा जारी **' प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट (Technology and Innovation Report) 2021** 'के अनुसार, विकासशील देशों में सीमांत प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, अपनाने और अनुकूलन में तत्परता के मामले में भारत शीर्ष **"बेहतर प्रदर्शनकर्ता (OVER PERFORMER)"** है।
  * रिपोर्ट के अनुसार **कुछ विकासशील राष्ट्र अपनी प्रति व्यक्ति GDP (सकल घरेलू उत्पाद) की क्षमता की तुलना में सीमांत तकनीकों का उपयोग करने, अपनाने और अनुकूलन के प्रति सुदृढ़ क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं।**
* **'सीमांत प्रौद्योगिकियां"** नई प्रोद्योगिकियों का एक समूह हैं। यह **डिजिटलीकरण और कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं का लाभ उठाती** हैं, जो उन्हें अपने प्रभावों में वृद्धि करने के लिए संयोजित रूप से सक्षम बनाती है।
  * सीमांत प्रौद्योगिकियों में **कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स, बिग डेटा, ब्लॉकचेन, पांचवीं पीढ़ी की मोबाइल टेलीफोनी, त्रिआयामी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, ड्रोन (दूरस्थ रूप से नियंत्रित उड़ानें), जीन-एडिटिंग, नैनो-प्रौद्योगिकी और सौर ऊर्जा** शामिल हैं, जो डिजिटलीकरण व कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं।
* इन **प्रौद्योगिकियों का उपयोग उत्पादकता बढ़ाने और आजीविका में सुधार करने** के लिए किया जा सकता है।

अंकटाड (UNCTAD) के बारे में

* **अंकटाड वर्ष 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है।**
* इसका **मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में** स्थित है।
* **यह विकासशील देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लाभों का अधिक निष्पक्ष और प्रभावी रूप से उपयोग करने का समर्थन करता है।**
* अंकटाड द्वारा प्रकाशित अन्य **उल्लेखनीय रिपोर्ट:**
  * **विश्व निवेश रिपोर्ट (World Investment Report)।**
  * **व्यापार और विकास रिपोर्ट (Trade and Development Report)।**

11.34. एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सलरेटर (ACT Accelerator)

* **एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स (ACT) एक्सलरेटर कोविड-19 परीक्षण, उपचार और टीकों के विकास, उत्पादन तथा उन तक न्यायसंगत पहुँच में तेजी लाने के लिए एक वैश्विक सहयोग है।**
  * एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स (Access to COVID-19 Tools: ACT) **सरकारों,** एक्सेलेरेटर **वैज्ञानिकों, व्यवसायों, नागरिक समाज और परोपकारी एवं वैश्विक स्वास्थ्य संगठनों** {बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रेपरेडनेस इनोवेशन (CEPI), फाउंडेशन फॉर इनोवेटिव न्यू डायग्नोस्टिक (FIND), वैश्विक टीका व टीकाकरण गठबंधन (GAVI), द ग्लोबल फंड, यूनिटेड, वेलकम, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), और विश्व बैंक} **को एकजुट करता है।**
* वर्ष 2021 में ACT-एक्सलरेटर उभरते हुए वायरल संबंधी जोखिमों का प्रबंधन करते हुए, आवश्यक कोविड-19 उपकरणों के वितरण में समता और वृद्धि करने के लिए अपने अभियान को तीव्रता प्रदान करेगा। इन प्रमुख बदलावों का समाधान करने और अपने अभियान की गति बनाए रखने के लिए ACT-एक्सेलेरेटर ने वर्ष 2021 के लिए चार रणनीतिक प्राथमिकताओं को परिभाषित किया है।
* **वर्ष 2021 के लिए** ACT-एक्सलरेटर **लिए रणनीतिक प्राथमिकताएं':**
  * **टीकों की कम से कम 2 बिलियन खुराक के वितरण** में तेजी से वृद्धि करना।

- इष्टतम उत्पादों और वायरस के भिन्न स्वरूपों का सामना करने के लिए शोध एवं विकास, मूल्यांकन व विनियामकीय आधारों को सुदृढ़ करने हेतु उनमें सुधार करना।
  - **कोविड-19 परीक्षण, उपचार और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) के त्वरित और प्रभावी उपयोग को प्रोत्साहित करना।**
  - निम्न आय वाले देशों और निम्न-मध्यम आय वाले देशों (LICs/LMICs) के लिए आवश्यक परीक्षणों, चिकित्सकीय एवं PPE की **सुदृढ़ आपूर्ति को सुनिश्चित करना।**
- वर्तमान में यह **गंभीर निधि संकट का सामना कर रहा है** और वर्ष **2020-21 तक** अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इसे **22.1 बिलियन डॉलर की अतिरिक्त** आवश्यकता है।

11.35. अल सल्वाडोर मलेरिया मुक्त घोषित (El Salvador Certified as Malaria-Free)

- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा मलेरिया उन्मूलन का प्रमाणन** तब प्रदान किया जाता है, जब कोई देश निस्संदेह यह प्रमाणित कर देता है कि **कम से कम विगत 3 वर्षों से** देशव्यापी स्तर पर रोग के स्थानीय प्रसार की श्रृंखला को बाधित कर दिया गया है।
- वैश्विक स्तर पर, कुल 38 देश एवं क्षेत्र यह उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं।
- हालिया वर्षों में अल साल्वाडोर (El Salvador) विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाला मध्य अमेरिका का प्रथम देश और अमेरिकी महाद्वीप का तीसरा देश बन गया है।
  - हालिया वर्षों में WHO के अनुसार मलेरिया का उन्मूलन करने वाले अमेरिकी महाद्वीप क्षेत्र में अन्य देश केवल पराग्वे (2018) और अर्जेंटीना (2019) हैं।
- अल साल्वाडोर, वर्ष 2016 में 'E-2020' नामक WHO पहल के माध्यम से मच्छर जनित रोगों का वर्ष 2020 तक उन्मूलन करने की क्षमता रखने वाले चिन्हित किए गए 21 देशों में से एक था।

11.36. P172 + 18 क्वैसर (P172+18 Quasar)

- क्वैसर्स सुदूर स्थित आकाशगंगाओं में अत्यधिक चमकीले पिंड हैं, जो **रेडियो आवृत्तियों पर ऊर्जा का उत्सर्जन** करते हैं।
- क्वैसर्स अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त करते हैं। वे सूर्य की तुलना में **एक खरब गुना अधिक चमकीले** हो सकते हैं।
  - ऐसा माना जाता है कि क्वैसर्स जिन आकाशगंगाओं में अवस्थित होते हैं, वे उसके केंद्र में ब्लैक होल के माध्यम से **वृहद पैमाने पर अपनी ऊर्जा का उत्पादन** करते हैं।
  - चूंकि क्वैसर्स अत्यधिक चमकीले होते हैं, अतः वे अपनी आकाशगंगा में स्थित अन्य सभी तारों से उत्सर्जित प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं।
- क्वैसर्स का अध्ययन ब्रह्मांड के आरंभिक चरणों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है।

11.37. विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर "फुगाकू" उपयोग के लिए तैयार है (Fugaku: World's Most Powerful Supercomputer is Ready For Use)

- **415.53 पेटाफ्लॉप (petaflop)** की गति के साथ **जापान का फुगाकू** विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर **{चीन के सनवे ताइहूलाइट (Sunway TaihuLight)** को पीछे छोड़कर} बन गया है।
- एक सुपर कंप्यूटर किसी सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर की तुलना में उच्च स्तर के प्रदर्शन वाला एक कंप्यूटर होता है। **सुपर कंप्यूटर के प्रदर्शन का सामान्यतः FLOPS में मापन किया जाता है।**
  - एक **साधारण कंप्यूटर** एक समय में एक ही कार्य का संचालन करता है, इसलिए यह एक विशिष्ट श्रृंखला में कार्य करता है; जिसे **क्रमिक प्रक्रिया** (serial processing) कहा जाता है।
  - सुपर कंप्यूटर, समस्याओं को कई भागों में विभाजित करके त्वरित गति से कार्य का संचालन करता है। यह एक साथ कई हिस्सों पर कार्य करता है, जिसे **समानांतर प्रक्रिया (parallel processing)** कहा जाता है।

- **अनुप्रयोग:** जलवायु प्रतिरूपण, बिग डेटा विश्लेषण, राष्ट्रीय सुरक्षा/ रक्षा संबंधी अनुप्रयोग, भूकंपीय विश्लेषण, आपदा अनुकरण और प्रबंधन (Disaster Simulations and Management) आदि।

फ्लॉप्स {FLOPS (FLoating-point OPerations per Second)}
- यह माइक्रो प्रोसेसरों की गति की रेटिंग के लिए एक **सामान्य मानक माप** है।
    - **एक मेगाफ्लॉप्स** (MegaFLOPS) **एक मिलियन FLOPS** के समतुल्य होता है और **एक गीगाफ्लॉप्स** (GigaFLOPS) **एक बिलियन FLOPS** के समतुल्य होता है।
    - **टेराफ्लॉप्स** (TERA FLOPS) **एक ट्रिलियन FLOPS** के बराबर होता है।
    - इसी प्रकार एक **पेटाफ्लॉप्स** (PetaFLOPS), **एक हजार टेराफ्लॉप्स** के बराबर होता है।

- **भारत में सुपर कंप्यूटर:**
    - **प्रथम भारतीय सुपर कंप्यूटर परम-8000 (PARAM 8000) था।**
    - वर्तमान में **परम-सिद्धि (PARAM Siddhi) (210 पेटाफ्लॉप्स गति)** भारत का **सबसे तेज सुपर कंप्यूटर** है।
    - वर्ष 2015 में, **नेशनल सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM)** आरंभ किया गया था।
        - इसका उद्देश्य 70 राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में सुपर कंप्यूटर सुविधाएं स्थापित करना और उन्हें **राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (National Knowledge Network: NKN)** से जोड़ना है।
        - NSM के तहत स्थापित अन्य सुपर कंप्यूटर **परम शिवाय** (PARAM- Shivay), **परम शक्ति** (PARAM Shakti) और **परम ब्रह्म** (PARAM Brahma) हैं।

11.38. औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद पुष्प कृषि मिशन (CSIR Floriculture Mission)

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया **यह मिशन 21 राज्यों में लागू किया जाएगा।**
- सी.एस.आई.आर. से संबद्ध संस्थानों में उपलब्ध ज्ञान भंडार का उपयोग **भारतीय किसानों की सहायता करने और उद्योग** की आयात आवश्यकताओं को पूरा करके उनकी स्थिति बहाल करने में किया जाएगा।
- इसकी आवश्यकता क्यों है:
    - **विविध कृषि-जलवायु और मृदीय परिस्थितियों के बावजूद**, भारत में वैश्विक स्तर पर पुष्प कृषि का केवल 0.6% हिस्सा ही उत्पादित किया जाता है।
    - **भारत द्वारा विभिन्न देशों से प्रति वर्ष कम से कम 1200 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के पुष्पीय उत्पाद आयात** किए जा रहे हैं।
- **पुष्पीय कृषि (Floriculture)** सजावटी बागवानी की शाखा है, जो **फूलों और सजावटी पौधों के विकास एवं विपणन तथा पुष्पों के प्रबंधन** से संबंधित है।

11.39. मार्शियन ब्लूबेरीज़ (Martian Blueberries)

- ध्यातव्य है कि वर्ष 2004 में, नासा (NASA) के **ऑपरच्यूनिटी रोवर द्वारा मंगल पर कई छोटे-छोटे गोलों की खोज की गई थी।** जिन्हें अनौपचारिक रूप से मार्टियन ब्लूबेरीज़ नाम दिया गया था है।
    - इन छोटे-छोटे गोलों पर किए गए खनिज विज्ञान के अध्ययन में उल्लेखित किया गया है कि वे हेमेटाइट्स (haematite) (जो मंगल पर जल की उपस्थिति की संभावना को व्यक्त करते हैं) नामक **आयरन ऑक्साइड यौगिक** से निर्मित हुए हैं।
- **गुजरात में झुरान संरचना पर हाल ही में हुए एक शोध से ज्ञात होता है** कि इस क्षेत्र में हेमेटाइट का संघटन मंगल ग्रह पर विद्यमान हेमेटाइट्स के समान है।
- झुरान संरचना **आयरन स्टोन पट्टी की प्रथम उत्पत्ति** और **चूनेदार बलुआ पत्थर के अंतिम उद्भव** से चिन्हित है।
    - झुरान संरचना **अपतट (GK -29 A -1 कुएं), कच्छ मुख्य भूमि और बन्नी द्रोणिका** में मौजूद है।
    - **आयु:** ऊपरी जुरासिक (एग्रूवियन-नियोकोमियन)।

11.40. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा साउंडिंग रॉकेट RH-560 का प्रक्षेपण किया गया (ISRO Launched Sounding Rocket RH-560)

- **परिज्ञापी राकेट (Sounding Rockets)** एक या दो चरण वाला एक ठोस प्रणोदक (solid propellant) रॉकेट है। इसका उपयोग **ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्रों की जांच करने और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए** किया जाता है।

- ये रॉकेट प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों में उपयोग के लिए लक्षित नए घटकों या उप-प्रणालियों के **प्रोटोटाइप का परीक्षण करने या प्रमाणित करने हेतु एक** सरल तथा वहनीय प्लेटफॉर्म के रूप में भी कार्य करते हैं।
- **इसरो ने रोहिणी श्रृंखला नामक परिज्ञापी रॉकेट की एक श्रृंखला विकसित की है।** उदाहरण के लिए- RH-200, RH-300 {यह संख्या मिलीमीटर (mm) में रॉकेट के व्यास (चौड़ाई) को इंगित करती है}।
    - RH-560 का उद्देश्य श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष पत्तन से वायुमंडल में होने वाले व्यावहारिक परिवर्तन और प्लाज्मा गतिकी का अध्ययन करना है।

11.41. विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग की व्यक्तिगत नवाचार, स्टार्ट-अप्स और MSMEs को प्रोत्साहन योजना {DSIR-Promoting Innovations In Individuals, Startups and MSMEs (DSIR-PRISM) Scheme}

- हाल ही में, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) द्वारा DSIR-PRISM के लिए जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था।
- DSIR, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक भाग है, जो **स्वदेशी प्रौद्योगिकी संवर्धन, विकास, उपयोग और हस्तांतरण से संबंधित गतिविधियों को संचालित करता है।**
- PRISM का उद्देश्य समाज के लिए सृजित, कार्यान्वयन योग्य और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नवाचारों को बढ़ावा देने, उनका समर्थन करने तथा वित्त पोषण करके एक **व्यक्तिगत नव उद्यमी को एक सफल टेकोप्रेन्योर (Tecoprenure) (तकनीकी उद्यमी) में परिवर्तित करना** है।
- PRISM के तहत भारत के नव उद्यमी नागरिक को **तकनीकी, रणनीतिक और वित्तीय सहायता प्रदान** की जाती है।
- यह कार्यक्रम ऊर्जा, स्वास्थ्य व अपशिष्ट प्रबंधन से लेकर अन्य विभिन्न क्षेत्रों में भी क्रियान्वित किया जा रहा है।

11.42. भारत के प्रथम सौर मिशन में उपयोग की जाने वाली कोरोनल मास इजेक्शंस की निगरानी हेतु नवीन तकनीक {Novel Technique For Tracking Coronal Mass Ejections (CMES) To Be Used in India's First Solar Mission}

- **आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (ARIES)** के वैज्ञानिकों ने निचले कोरोना (lower corona) में **कोरोनल मास इजेक्शन** (CME) का पता लगाने और उसकी निगरानी करने के लिए **CMEs आइडेंटिफिकेशन इन सोलर कोरोना** (CMEs Identification in Inner Solar Corona: CIISCO) नामक एक **एल्गोरिदम** विकसित किया है।
    - CIISCO द्वारा निर्धारित मापदंड, निचले कोरोना में इन विस्फोटों को चिह्नित करने के लिए उपयोगी हैं। ज्ञातव्य है कि **निचला कोरोना एक ऐसा क्षेत्र** है, जहां **ऐसे विस्फोटों की विशेषताएं अल्पज्ञात** हैं।
    - ARIES, **नैनीताल** में अवस्थित है तथा **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग** के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है।

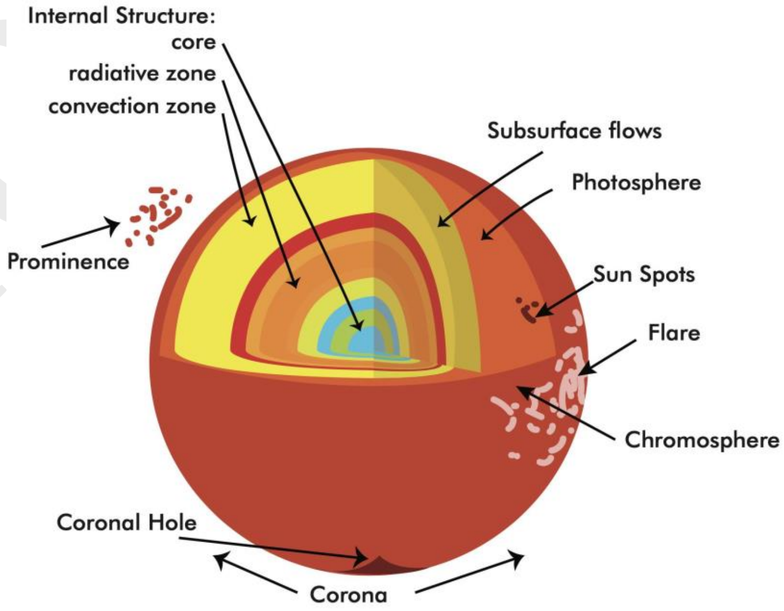

- **CME, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से युक्त सौर प्लाज्मा का एक विशाल मेघ** है। यह मेघ प्राय: शक्तिशाली व दीर्घावधिक सौर ज्वालाओं (solar flares) और फिलामेंट विस्फोटों के दौरान सूर्य से दूर हो जाता है।
    - एक CME में **कण विकिरण (अधिकांशतः प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स) तथा शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र** होते हैं। वे अंतरिक्ष में मौसमी व्यवधान, उपग्रहों की क्षति और विद्युत आपूर्ति में बाधा आदि का कारण बनते हैं।
- **कंप्यूटर एडेड CME ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर** (Computer Aided CME Tracking Software:CACTus) का उपयोग बाह्य कोरोना में स्वचालित रूप से इस प्रकार के विस्फोटों का पता लगाने और उनकी विशेषताएं चिह्नित करने के लिए किया गया था।
    - हालांकि, इस एल्गोरिदम को इन विस्फोटों द्वारा अनुभव किए गए विशाल त्वरण के कारण **आंतरिक कोरोना प्रेक्षणों पर लागू नहीं किया जा सका।**

 ©Vision IAS

- भारत के प्रथम सौर मिशन के रूप में **आदित्य- एल1** सौर कोरोना के इस क्षेत्र का पर्यवेक्षण करेगा। आदित्य- एल1 से प्राप्त डेटा पर CIISCO के कार्यान्वयन से इस अल्प अन्वेषित क्षेत्र में CME की विशेषताओं से संबद्ध नई जानकारी प्राप्त होगी।

11.43. आर्कटिका-एम (ARKTIKA-M)

- यह **आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए रूस का प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह** (Arctic monitoring satellite) है।
- **विगत तीन दशकों में आर्कटिक, वैश्विक औसत की तुलना में तीव्रता से दोगुने से अधिक गर्म रहा है।**
- इससे यहाँ मौजूद विशाल तेल और गैस भंडार के लिए नए अवसर उपलब्ध होंगे, जिनकी संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा आदि देश तलाश में हैं।

11.44. वर्ष 2019 और वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा (Gandhi Peace Prize for Year 2019 and 2020 Announced)

- वर्ष 2019 का गांधी शांति पुरस्कार ओमान के (दिवंगत) महामहिम **सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद** को और वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार **बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान** को प्रदान किया जा रहा है।
- गांधी शांति पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है जिसे **वर्ष 1995 से** प्रदान किया जा रहा है। इस पुरस्कार की स्थापना **महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर** की गई थी। यह पुरस्कार व्यक्ति की राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या लिंग से निरपेक्ष किसी भी व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है।
- इस पुरस्कार के तहत **1 करोड़ रुपये की राशि, एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और एक आकर्षक पारंपरिक हस्तकला/हथकरघा से निर्मित वस्तु** प्रदान की जाती है।
- इसस पूर्व वर्ष 2017 में एकल अभियान ट्रस्ट, भारत और वर्ष 2018 में जापान के श्री योही सासाकावा को यह पुरस्कार प्रदान किया है।

11.45. सुर्ख़ियों में रही जनजातियां (Tribes in News)

- **शिग्मो या शिगमोत्सव (Shigmo or Shigmotsav):** यह धान की समृद्ध व सुनहरी फसल का उत्सव है, जो **गोवा के जनजातीय समुदायों द्वारा मनाया** जाता है।
  - **कुन्बी (Kunbi), गावड़ा (Gawda) और वेलिप (Velip)** सहित कृषक समुदाय भी यह त्योहार मनाते है।
  - यह त्यौहार **बसंत के मौसम (spring season) के आगमन** को चिह्नित करता है और **'नमन' से प्रारंभ** होता है, जो स्थानीय लोक देवताओं के लिए की गई स्तुति है।
  - इस लोक नृत्य के दौरान **घोड़े मोड़नी (अश्वारोही योद्धाओं का नृत्य), गोप और फुगड़ी** का प्रदर्शन किया जाता है।
- **ज़ो जनजाति (Zo tribe):** ये **भारत, बांग्लादेश और म्यांमार** में पाए जाने वाला देशज समुदाय है।
  - हाल ही में, **ज़ो यूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन (Zo Reunification Organisation: ZORO)** ने केंद्र से अपने आदेश को रद्द करने का निवेदन किया था, जिसमें म्यांमार की सीमा से संलग्न चार उत्तर-पूर्वी राज्यों को निर्देश दिया गया था कि वे पड़ोसी देशों के ऐसे लोगों को निष्कासित करें, जिन्होंने सैन्य सत्ता परिवर्तन के उपरांत भारत में शरण ली है।
- **मतुआ समुदाय (Matua Community):** बांग्लादेश की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री ने गोपालगंज में **ओराकांडी** (समुदाय के आध्यात्मिक गुरु हरिचंद ठाकुर का जन्मस्थान) **के मतुआ समुदाय के सदस्यों से भेंट की।**
  - वे **एक अनुसूचित जाति समूह नामशुद्र से संबंधित** हैं, जिनकी **प्राचीन वंश परम्परा पूर्वी बंगाल से संबद्ध** है। ज्ञातव्य है कि उनमें से कई बांग्लादेश के निर्माण के पश्चात् पश्चिम बंगाल में प्रवास कर गए थे।
  - **मतुआ महासंघ**, एक धार्मिक सुधार आंदोलन और एक संप्रदाय है। इसका गठन पूर्वी बंगाल में 1800 के दशक के मध्य में **हरिचंद ठाकुर (1812-1878)** द्वारा किया गया था।
  - **मतुआ समुदाय** की राजनीतिक गतिविधियां कांग्रेसवाद का विरोध करने के चतुर्दिक रही थी। इन्होंने **स्वदेशी आंदोलन (1905-1908) का भी विरोध किया था।**
  - बाद के वर्षों में वे ग्रामीण **बंगाल की वैष्णव परंपरा** के प्रभाव में आ गए। उनका एकमात्र अनुष्ठान भक्ति परंपरा में भक्तिमय गायन करना था। इन गीतों में समाज के ब्राह्मणवादी रीति-रिवाजों की आलोचना की जाती थी।

Places in News: India

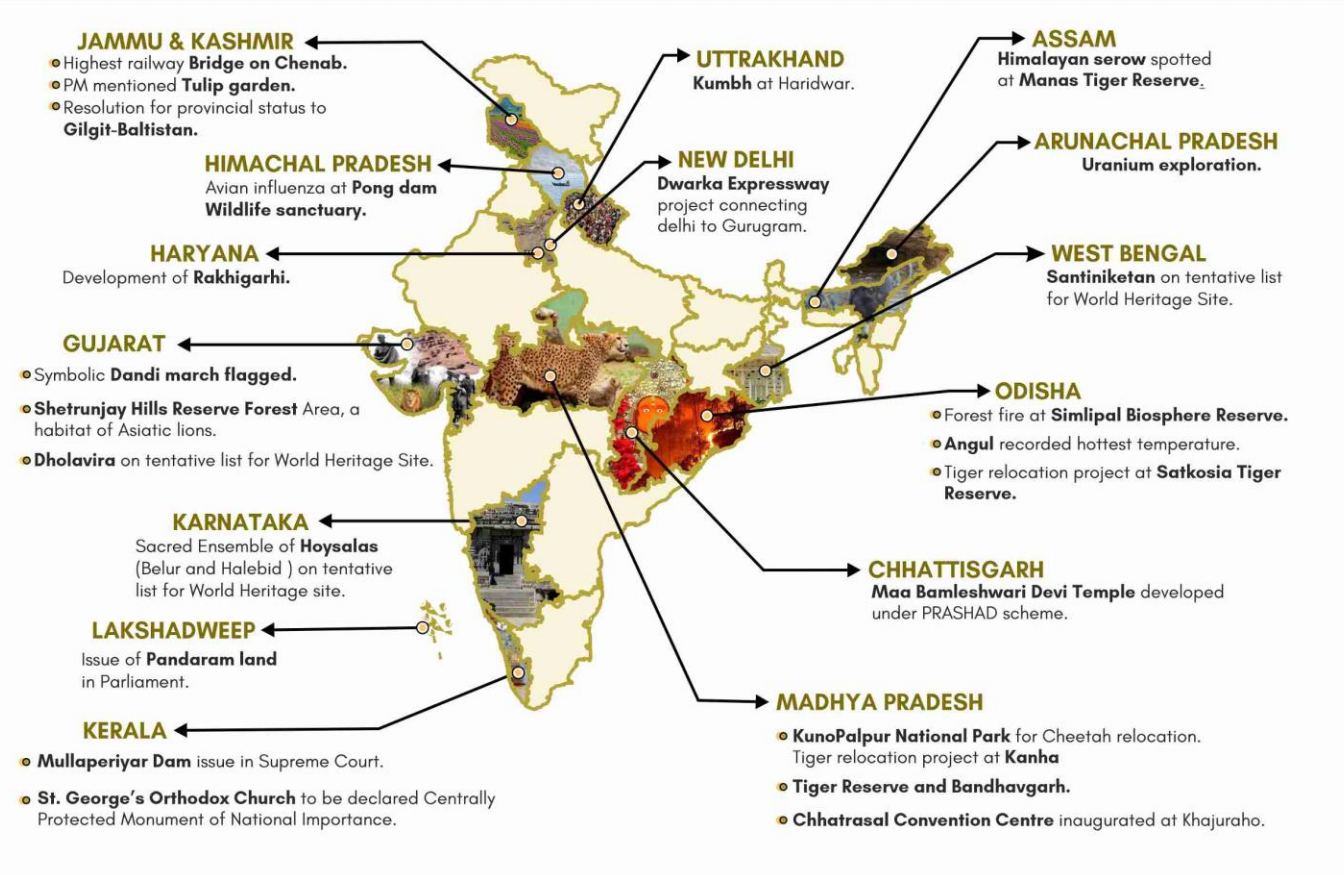

Places in News: World

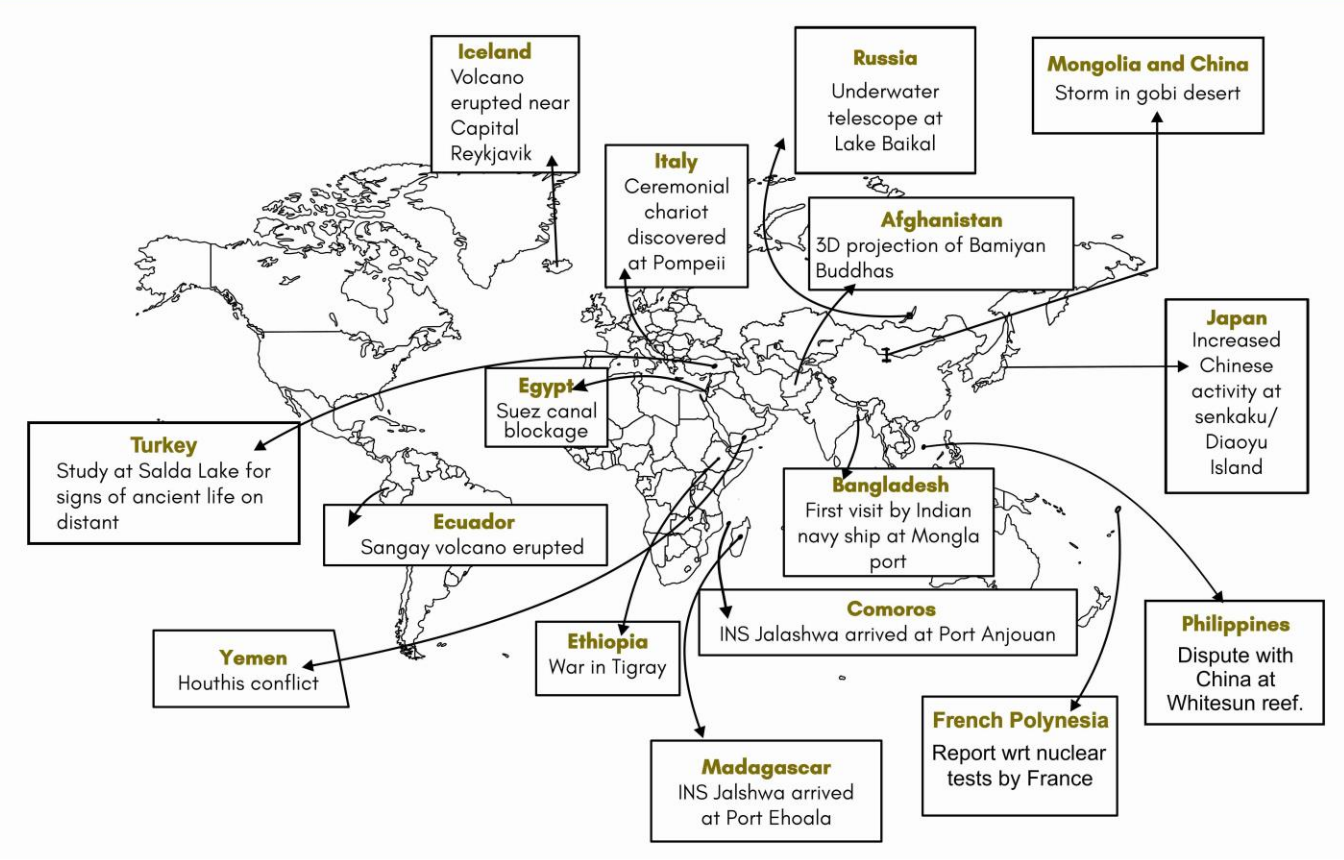

सुर्ख़ियों में रहे प्रमुख व्यक्ति (Personality in News)

व्यक्ति	विवरण	प्रदर्शित नैतिक मूल्य
लचित बोरफुकन 	• लचित बोरफूकन **17वीं शताब्दी की अवधि के दौरान अहोम राजवंश (असम) के एक सेनापति** थे। • वह **ब्रह्मपुत्र नदी पर सराईघाट के युद्ध** के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, जहां उन्होंने 1671 ई. में मुगलों को पराजित किया था। • लचित को राजा चक्रध्वज सिंह द्वारा 'बोरफूकन' के रूप में नियुक्त किया गया था। बोरफुकन वस्तुतः एक ऐसे पद/ दर्जे को संदर्भित करता है, जिसके अंतर्गत **कार्यकारी और न्यायिक दोनों शक्तियां निहित** होती हैं।	• **नेतृत्व, पराक्रम और साहस** ○ एक सैन्य प्रशासक के रूप में, उन्होंने बेहद शक्तिशाली मुगलों के विरुद्ध सेना का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया।
अय्या वैकुंडा स्वामीकाल (1809-1851 ई.) 	• प्रधान मंत्री ने अय्या वैकुंडा स्वामीकाल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। • **वे एक सामाजिक विचारक और सुधारक थे।** उन्होंने 19 वीं शताब्दी में केरल में **त्रावणकोर की रियासत में अपना** जीवन-यापन किया। • उन्होंने जातिगत भेदभाव और धार्मिक पदानुक्रम की आलोचना की और अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष किया। साथ ही उन्होंने मूर्ति पूजा का बहिष्कार किया था।	• **मानवीय गरिमा, न्याय और तर्कवाद** ○ एक सामाजिक और धार्मिक सुधारक के रूप में, उन्हें **समथवा समाजम** (Samathwa Samajam) की स्थापना की थी। यह वर्ष 1836 के दौरान दक्षिण भारत का प्रथम धार्मिक सुधार आंदोलन था। ○ उन्होंने **'एक जाति, एक धर्म, एक कुल, एक विश्व, एक ईश्वर'** का नारा दिया था।
भगत सिंह (1907-1931) 	• शहीद दिवस (23 मार्च) के अवसर पर देशवासियों ने भगत सिंह को याद किया। ○ उन्हें, राजगुरु और सुखदेव के साथ, **लाहौर षड्यंत्र केस के लिए मृत्यु की सजा सुनाई गई थी।** • वर्ष 1924 में, वे **हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) के सदस्य बने।** बाद में भगत सिंह ने **HRA** का नाम बदलकर हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन (HSRA) कर दिया। • वर्ष 1926 में, उन्होंने **नौजवान भारत सभा** नामक एक युवा संगठन की शुरुआत की। • उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर **केंद्रीय विधान सभा में बम फेंका था।**	• **देशभक्ति, साहस और समाजवाद** ○ वे एक क्रांतिकारी नेता थे तथा उन्होंने एक **समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत की परिकल्पना की थी।** वे बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे। ○ क्रांतिकारी गतिविधियां के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में एक केस में मृत्यु दंड की सजा से दंडित किया गया।
चन्द्रशेखर वेंकट रमन 	• **वर्ष 1928 में भारतीय भौतिक विज्ञानी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में** वर्ष 1987 से प्रतिवर्ष, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (28 फरवरी) मनाया जाता है। • सी. वी. रमन ने इस वैज्ञानिक तथ्य की खोज की थी कि **जब प्रकाश एक पारदर्शी पदार्थ से गुजरता है, तो कुछ विक्षेपित प्रकाश के तरंगदैर्ध्य और आयाम में परिवर्तन हो जाता है।** ○ यह घटना प्रकाश के प्रकीर्णन का एक नया प्रकार	• **समर्पण, परिश्रम और प्रतिबद्धता** ○ एक प्रख्यात वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने प्रकृति के भौतिक नियमों को समझने में **अनुकरणीय रुचि** दिखाई। ○ इसके लिए उन्हें वर्ष 1930 में **भौतिकी के नोबेल पुरस्कार** (विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति) और वर्ष 1954 में **भारत रत्न** से सम्मानित किया गया था।

VISION IAS

	था और बाद में इसे **रमन प्रभाव (रमन प्रकीर्णन)** कहा गया। ○ यह खोज महत्वपूर्ण थी, क्योंकि **इसने प्रकाश की क्वांटम प्रकृति को सिद्ध किया था।**	
प्रोफेसर वेलचेरु नारायण राव	• हाल ही में, एक प्रतिष्ठित विद्वान, लेखक, अनुवादक और आलोचक, **प्रोफेसर वेलचेरू नारायण राव** को **साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित** किया गया। • उनका चयन **तेलुगु साहित्य में उनके योगदान के आधार पर हुआ है।** • उनकी प्रसिद्ध कृतियों में **गर्ल्स फॉर सेल: कन्याशुल्कम, ए प्ले फ्रॉम कोलोनियल इंडिया** आदि शामिल हैं। • उनका जन्म आंध्र प्रदेश में एलुरु के निकट कोप्पका में हुआ था।	• **सामाजिक दुविधाओं को तर्कसंगतता के साथ समझना** ○ उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से **उस समय के विभिन्न सामाजिक मुद्दों में मौजूद नैतिक दुविधाओं को व्यक्त किया है।** इन्हें, साहित्य अकादमी फेलोशिप, देश के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान से सम्मानित किया गया है।
बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान (1920-1975)	• भारत के प्रधान मंत्री ने बंगबंधु 'शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के अवसर पर बांग्लादेश की यात्रा की। • वे पूर्वी पाकिस्तान मुस्लिम स्टूडेंट्स लीग के संस्थापक सदस्य, **बांग्लादेश के प्रधान मंत्री (1972-1975)** तथा **बांग्लादेश के राष्ट्रपति (1975)** थे।	• **समर्पण और इच्छाशक्ति** ○ एक राजनीतिक कार्यकर्ता और महान नेता के रूप में, **वह स्वाधीनता और अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता** के मूल्यों के लिए सदैव तत्पर रहे। ○ बांग्लादेश के **राष्ट्रपिता** बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को स्वतंत्र बांग्लादेश का जनक माना जाता है।
राजा भूमिबोल अदुल्यादेज (1927 - 2016)	• **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद** को **अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार-2020** से सम्मानित किया गया है। • वह **चक्री राजवंश के नौवें राजा थे।** वे थाईलैंड के इतिहास में सर्वाधिक समय तक राज करने वाले राजा थे।	• **एकता और बंधुत्व** ○ एक मजबूत सम्राट के रूप में, उन्होंने एक **सौम्य शासक** के रूप में देश पर शासन किया। अपने हस्तक्षेप के माध्यम से, इन्होंने देश में एक गृहयुद्ध को विफल किया और बाद में जनता के नेतृत्व वाले लोकतंत्र को स्थापित करके शांति बहाल करने में सहायता की।

वीकली फोकस

प्रत्येक सप्ताह एक मुद्दे का समग्र कवरेज

मुद्दे	विवरण	अन्य जानकारी
भारत का टीकाकरण अभियान: रणनीति, बाधाएं और अवसर	भारत ने बहुप्रतीक्षित कोविड वैक्सीन लॉन्च करते हुए, इस महामारी से उबरने की अपनी यात्रा का शुभारंभ किया है, जो अभूतपूर्व रूप से जीवन को बाधित करता रहा है और इसके कारण लाखों लोगों की मृत्यु हो गयी है। भारत विश्व में न्यूनतम अवधि में 100 मिलियन लोगों के टीकाकरण की उपलब्धि प्राप्त करने वाला देश बन गया है। यह लेख वैक्सीन विनिर्माण में भारत के वैश्विक स्तर पर अग्रणी अभिकर्ता बनने हेतु किए गए प्रयासों को रेखांकित करता है तथा सफलता की कहानियों, प्रणाली में व्याप्त बाधाओं और संभावित अवसरों का विश्लेषण/मूल्यांकन करता है। यह भारत द्वारा अपनाई गई वैक्सीन कूटनीति की प्रभावकारिता पर चल रहे विमर्श में भी महत्वपूर्ण तर्क प्रदान करता है।	
लोकतंत्र में संस्थाओं का महत्व	संस्थानों की प्रभावशीलता और लोकतांत्रिक राजनीति की सुदृढ़ता को किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में स्वीकार किया जाता है। हालांकि, ये संस्थाएं स्वाभाविक रूप से शिथिल हैं जिन्हें विश्वसनीयता, भरोसे और उत्तरदायित्व के मानवीय मूल्यों के साथ पोषित करने की आवश्यकता है। अमेरिका में कैपिटल हिल पर भीड़ के हालिया हमले ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में भी स्थिति का विश्लेषण करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। इस लेख में भारत में लोकतांत्रिक संस्थानों के विकास और उनके समक्ष उभरती चुनौतियों पर चर्चा की गयी है। संस्थानों, लोकतंत्र और विकास के बीच समीकरण का विश्लेषण करते हुए, यह लेख इन संस्थानों को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु सर्वोत्तम एवं संभावित उपायों को निर्दिष्ट करता है।	
अंतर्राज्यीय जल अभिशासन: संघर्ष से सहयोग की ओर	लंबे समय से व्यापक स्तर पर यह अनुमान लगाया जाता रहा है कि देशों के मध्य साझा अंतर्राष्ट्रीय नदियों के जल पर नियंत्रण को लेकर भविष्य में राष्ट्रों के बीच संघर्ष होंगे। हालांकि, इस आशंका के विपरीत, यह देखा गया है कि उप-राष्ट्रीय (क्षेत्रीय) स्तर पर ऐसे विवाद कहीं अधिक सर्वव्यापी हैं। भारत में राज्यों के बीच नदी जल के उचित वितरण को लेकर समय-समय पर विवाद उत्पन्न होते रहे हैं। यह लेख भारतीय संघीय प्रणाली के भीतर अंतर्राज्यीय नदी जल प्रणाली के संस्थागत और राजनीतिक ताने-बाने/व्यवस्था में व्याप्त चुनौतियों और कमियों की समझ प्रदान करता है और एक प्रभावी नदी जल प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए अनुशंसाएं प्रदान करता है।	
सतत ऊर्जा तंत्र के अंगीकरण की दिशा में संक्रमण	ऊर्जा वह इंजन है, जो हमारी अर्थव्यवस्था और आधुनिक मानवीय गतिविधियों के संचालन संभव बनाता है। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न सामाजिक और आर्थिक व्यवधानों ने राष्ट्रों को "पुनर्निर्माण एवं पुनर्बहाली" के प्रयासों को बढ़ाने और अर्थशास्त्र को अधिक टिकाऊ प्रक्षेपवक्र की ओर ले जाने की आवश्यकता पर बल देने हेतु विवश किया है। यह लेख वस्तुतः सतत ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र में निवेश से संभावित विकास संबंधी लाभों और इस क्षेत्र में भारत की प्रगति का विश्लेषण करता है। यह आगे हरित और अधिक समावेशी ऊर्जा प्रणाली विकसित करने के लिए ऊर्जा 'त्रिधापाश (तीन घटकों के मध्य दुविधा या असमंजस)' जैसे मॉडलों पर चर्चा करता है जो भविष्य के संकटों/जोखिमों के संदर्भ में अधिक लचीलापन प्रदान कर सकते हैं।	

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

Stay in touch with *Your Preparation*

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

www.visionias.in

7 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2019

FROM VARIOUS PROGRAMS OF VISION IAS

2 AIR

JATIN KISHORE

3 AIR

PRATIBHA VERMA

6 AIR

VISHAKHA YADAV

7 AIR

GANESH KUMAR BASKAR

8 AIR

ABHISHEK SARAF

9 AIR

RAVI JAIN

10 AIR

SANJITA MOHAPATRA

YOU CAN BE NEXT

DELHI

HEAD OFFICE Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station

+91 8468022022, +91 9019066066

Mukherjee Nagar Centre

635, Opp. Signature View Apartments, Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar

JAIPUR	HYDERABAD	PUNE	AHMEDABAD	LUCKNOW	CHANDIGARH	GUWAHATI
9001949244	9000104133	8007500096	9909447040	8468022022	8468022022	8468022022

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC